लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 28 मई, 1998/ 7 ज्येष्ठ, 1920 (शक)
की
शुद्धि-पत्र

...

कॉलम		पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
110	नीचे से	2	जी हाँ	(क) जी हाँ
132		13	(ख)	(ग)
138		6	श्री दादा बाबूराव परांजये	श्री दादा बाबूराव परांजपे
152	नीचे से	8	(ख)	(ग)
152	नीचे से	7	(ग)	(घ)
157		12	सीमामढी-मुजफ्फरपुर	सीतामढ़ी -मुजफ्फरपुर
196	नीचे से	5	श्री दादा बाबूराम परांजपे	श्री दादा बाबूराव परांजपे
204	नीचे से	3	हीरो	हीरों
233		1	विवरण ।।	विवरण ।
242		20	प्रो॰ जोनेन्द्र कवाडे	प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र 1998/1920 (शक)

अंक 2, गुरुवार, 28 मई, 1998/7 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23	1-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40 . .	29-109
अतारांकित प्रश्न संख्या 183 से 412	109-308
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	309-316
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	316-317
संसदीय समितियां - कार्य का सारांश	317
ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	317
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	317-318
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद .	318
विधेयक-पुरः स्थापित	
(एक) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक	
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला . . .	318-319
(दो) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक	
डा. एम तम्बी दुरई	319
राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा) अध्यादेश संबंधी विवरण	319
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश संबंध विवरण .	319-320
नियम 193 के अधीन चर्चा	341-392
हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण	
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	341-347
श्री मुलायम सिंह यादव	347-365

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य से ही पूछा था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी 365-375

श्री सोमनाथ चटर्जी 375-392

नियम 377 के अधीन मामले 392-413

(एक) चालू सत्र के दौरान अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम . 392

(दो) खांडसारी एककों के लिए वैक्यूम पेन प्रणाली हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की दृष्टि से चीनी मिलों के लिए आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह . 393

(तीन) गोड्डा संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव 393

(चार) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अति पिछड़े और अविकसित 16 जिलों को मिलाकर पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने अथवा इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 393-394

(पांच) मध्य प्रदेश में इन्दौर–उज्जैन रेल मार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 394

(छह) भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रोकने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 394-395

(सात) ऊना रेलवे स्टेशन और ऊना रेलवे खंड में उपलब्ध रेल सुविधाओं को बनाए रखने और ऊना–तलवाड़ा बड़ी लाइन का कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल 395-396

(आठ) चनेहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बरेली कैंट रेलवे स्टेशन किए जाने तथा बरेली के उचित विकास के लिए इस स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजबीर सिंह 396

(नौ) आंध्र प्रदेश में वर्तमान फसल बीमा योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एस. राव . . . 396-397

(दस) केरल में तटीय विनियमन क्षेत्र को उच्च ज्वार चिन्ह् से करीब 100 मीटर तथा पश्चजल तथा नदियों से 25 मीटर दूरी कम करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 397

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में रात्रि में विमान उतरने की सुविधा वाले एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी . . 397-398

(बारह) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए पात्रता अवधि छह माह के कारावास से घटाकर तीन माह किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा 398-399

(तेरह) महाराष्ट्र में नासिक में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री माधव राव पाटील 399

(चौदह) राजस्थान में जैसलमेर में विद्युत एककों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

कर्नल सोना राम चौधरी 399-400

(पंद्रह) बंगला देश की सीमा से लगे क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

डा. असीम बाला . 400

(सोलह) केरल में शोरानूर–मंगलौर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन . 400-401

(सत्रह) बिहार मे वैशाली जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . 401

(अठारह) चालू सत्र में लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित करने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी 402

(उन्नीस) "टाकिंग कंप्यूटर" के लिए तमिल भाषा की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए तिरूवन्नामलई में तन्तई पेरियार इन्टरनेशनल तमिल इन्स्टीट्यूट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 402

(बीस) तमिलनाडु में सलेम में एक समन्वित इस्पात संयत्र स्थापित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ही पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति . . 402-403

(इक्कीस) तमिलनाडु में कोलाचल में एक मत्स्य बंदरगाह और तंगपत्तनम में एक मत्स्य अवतरण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस 403-404

(बाईस) लिब्राहम जांच आयोग को अपनी जांच शीघ्र पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला 404

(तेईस) जम्मू–कश्मीर में रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ 404

(चौबीस) ग्रामीण क्षेत्रों के अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लाभार्थ उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता

डा. रमेश चन्द तोमर 404-405

(पच्चीस) मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराव परांजपे 405

(छब्बीस) शिलांग में उमरोई हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति देने तथा इस हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. आर. किन्डिया 405-406

(सत्ताईस) हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और ओलों के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने और सेब का समर्थन मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री के. डी. सुल्तानपुरी 406

(अट्ठाइस) रीवा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बहुउद्देश्यीय बाणसागर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 406-407

(उनतीस) मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में अतिरिक्त ताप बिजली घर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार 407

(तीस) उत्तर प्रदेश में महाराजगंज फरिंडा में गणेश चीनी मिल को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी 407

(इकत्तीस) खुले बाजार में समी प्रकार के कोयले की बिक्री करने और रद्द कोयले की बिक्री हेतु उचित दर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 408

(बत्तीस) देश में किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रभा ठाकुर 408

(तैंतीस) बरहामपुर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर उसे 10 किलोवाट का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर बनाने और वहां दूसरे चैनल ट्रांसमीटर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 408-409

(चौंतीस) उन्नाव संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह 409

(पैंतीस) कपड़वंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में बृंदावन स्थित औद्योगिक एकक के कारण उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंहजी चौहान . 410

(छत्तीस) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु बी जी एम एल की स्वर्ण खानों को बंद न करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनियप्पा 410

(सैंतीस) राजस्थान के चुरू जिले में सादुलपुर में सेना भर्ती केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया 411

(अड़तीस) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में तुर्कपट्टी से कथित रूप से चोरी हुई प्राचीन "सूर्य प्रतिमा" को पुनः प्राप्त करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह . . . 411

(उन्तालीस) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कन्धईपुर गांव में 27.5.1998 को हुई नाव दुर्घटना में मृतकों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 411-412

(चालीस) बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए उनसे हैण्डलूम कपड़ा खरीदने हेतु तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपाल 412

(इक्तालीस) अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 412

(बयालीस) कर्नाटक में हवेरी रेल फाटक पर "अन्डरग्राउंड" पुल पर वर्षा के मौसम में पानी का ठहराव रोकने के लिए सड़क की शीघ्र मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता

श्री बी. एम. मेनसिंकाई . 412-413

लोक सभा

गुरूवार, 28 मई, 1998/7 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री एम. आर. मसानी के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री एम. आर. मसानी 1945–47 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा, 1947–48 के दौरान भारत की संविधान सभा तथा 1949–52 के दौरान अंतरिम संसद के सदस्य थे। बाद में उन्होंने 1957–62 के दौरान दूसरी लोक सभा में बिहार के रांची पूर्व–संसदीय क्षेत्र का तथा 1967–70 के दौरान चौथी लोक सभा में गुजरात के राजकोट संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मसानी एक विख्यात राष्ट्रवादी थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अनेक वर्ष जेल में रहे।

श्री मसानी एक प्रसिद्ध सांसद थे, उन्होंने सदन की कार्यवाही पर अपनी अमित छाप छोड़ी।

श्री मसानी ने अनेक देशों की यात्राएं कीं। वर्ष 1948–49 के दौरान वह ब्राजील में भारत के राजदूत थे और 1950–52 के दौरान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव रोकने और उनकी सुरक्षा संबंधी संयुक्त राष्ट्र उप–आयोग के अध्यक्ष थे।

श्री मसानी का निधन 92 वर्ष की आयु में 27 मई, 1998 को मुम्बई में हुआ। उनके निधन से देश ने एक महान देशभक्त और सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी खो दिया है।

हम इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेलपथ का नवीकरण

***21. प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य के मुकाबले कुल कितने कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया है; और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने कि.मी. रेलपथ का तत्काल नवीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) इसके लिए तैयार की जा रही कार्य योजना का तथा इसके लिए अपेक्षित अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे रेलपथ किस–किस राज्य में हैं ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आठवीं योजना के दौरान 13,089 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में 14,203 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया था और इस पर 7231 करोड़ रूपए (सकल) खर्च किए गए थे।

(ख) 19250 कि. मी.

(ग) नौवीं योजना के लिए रेलपथ नवीकरण योजना का मुख्य लक्ष्य रेलपथ नवीकरण के बकाया कार्य एवं उच्च गति वाले ट्रंक मार्गों और उपनगरीय मार्गों पर उत्पन्न होने वाले नवीकरण संबंधी तात्कालिक कार्यों तथा कम महत्वपूर्ण मार्गों के बकाया कार्य को पूरा करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 19250 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है और रेलपथ नवीकरण के लिए अपेक्षित धनराशि 1996–97 के मूल्यों के आधार पर 13,200 करोड़ रुपए (सकल) होगी।

(घ) ऐसे रेलपथ समूची प्रणाली पर एवं उन राज्यों में स्थित हैं जहां से रेल लाइन गुजरती है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अभी कहा कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। परंतु उस विवरण में मेरे प्रश्न के (ग) और (ख) भागों का उत्तर नहीं है। ये मेरे प्रश्न के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। इन दो भागों में मैंने पूछा क्या सरकार के पास पुराने रेलपथों के नवीकरण के लिए कोई कार्य योजना है, मैंने राज्यवार ब्यौरा भी मांगा था और नवीकरणों की राज्यवार सूची भी मांगी थी, यदि उपलब्ध हो तो। परंतु प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर नहीं दिया गया है।

महोदय, उत्तर में बताया गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलपथ के नवीकरण के लिए 13,089 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था और 14,203 किलोमीटर की उपलब्धि को हासिल किया गया था। मैं पूर्ववर्ती सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि को हासिल किया है। परंतु मुझे यह कहने में खेद है कि आपके उत्तर के अनुसार, 19,250 किलोमीटर लम्बे रेलपथ का नवीकरण किया जाना है, इस तथ्य के बावजूद भी आपने रेलपथ नवीकरण के लिए कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया।

बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण पुराने रेलपथ भी हैं। आप उच्च गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को तो आरंभ

कर रहे हो और कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या इन पुराने रेलपथों पर यह तेज गति वाली रेलगाड़ियां चल पाएंगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें क्योंकि हमें दूसरे सदस्यों को भी मौका देना है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ठीक है, महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

इसी कारण, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, रेलपथ का नवीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसका अत्यधिक महत्व है। ऐसा क्यों है कि आपके पास कोई कार्य–योजना नहीं है। आप कब तक 19,250 किलोमीटर के रेलपथ नवीकरण को जोकि मेरे विचार से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कब तक पूरा करेंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्शन प्लान का सवाल है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में ट्रैक रिन्यूअल का हमारा लक्ष्य 19,250 कि. मी. दिया गया है। हर साल लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके मुताबिक काम किया जाता है। 1997–98 वर्ष के फिगर्स पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कार्य संतोषजनक रहा है तथा इसके आगे भी इसका लक्ष्य रखा जा रहा है। इंटैरिम बजट में इसका कुछ इंडीकेशन दिया गया था और हमारा इरादा है कि जितने ए, बी, सी, रूट्स हैं, उनका जो ड्यू है, वह समाप्त कर दिया जाए, बैक–लॉग खत्म कर दिया जाए तथा करेंट अराइजिंग को भी हम समाप्त कर दें और हर साल उसको रिन्यूअल करते चले जाएं। जो डी एण्ड ई रूट्स है, डी रूट की स्पीट लिमिट 100 कि.मी. प्रति घंटा होती है और "ई" रूट में 100 कि.मी. प्रति घंटे से नीचे की स्पीड लिमिट होती है, वैसे ही ट्रक को भी इस एक्शन प्लान में धीरे–धीरे रिन्यूअल करने का हमारा पूरा विचार है। जहां तक स्टेटवाइज फिगर का सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे जोनों में बांटी हुई है और हम जोनवाइज फिगर्स प्रस्तुत करते रहे हैं, स्टेटवाईज फिगर्स हम प्रस्तुत नहीं करते।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बाद में पूछिएगा।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : यदि माननीय मंत्री राज्यवार आंकड़े नहीं रखते हैं तो उनसे अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से, कि वे राज्यवार आंकड़े भी रखें क्योंकि हम सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम राज्यवार आंकड़ें भी जानना चाहते हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम से कालीकट तक, मुख्यतः सोरानौर–कालीकट–मैंगलौर सेक्टर और साथ ही कोल्लम–कोट्टयम–एरनाकुलम सेक्टर के रेल पथों के दोहरीकरण का प्रस्ताव केरल राज्य के लिए था। मंत्रालय में यह मांगें काफी समय से लंबित है। मेरे विचार से हम इनकी कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। सोरानौर–मैंगलौर सेक्टर को और त्रिवेन्द्रम–कोल्लम सेक्टर को बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है। यह लाइन अत्यधिक व्यस्त लाइन है क्योंकि इस सेक्टर में केरल–भारी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि केरल में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या सबसे कम है। यदि आप आंकडों को देखें तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया प्रश्न पूछिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो फिर रक्षा कौन करेगा ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सदैव है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : केरल में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या सबसे कम है। जहां तक हमारा संबंध है, यदि हमें त्रिवेन्द्रम से दिल्ली आना हो तो हमें बहुत लम्बी यात्रा करनी पड़ती है और हम रेलवे को सबसे ज्यादा भुगतान करते हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि रेलवे निवेश रेलपथ नवीकरण, दोहरीकरण, नयी रेलों या जो कुछ भी हो इस मामले में हमारी अपेक्षा की जाती रही है। परंतु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सत्ता में आने के बाद आपने कुछ कार्य किए हैं क्योंकि आप एक अनुभवी सांसद हैं और आपको केरल राज्य का ध्यान है। यह मैं जानता हूं।

आपको पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी ध्यान है। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्या त्रिवेन्द्रम–कोल्लम–कोट्टयम–एरनाकुलम और सोरानौर–मैंगलौर लाइन के दोहरीकरण के कार्य को इस वर्ष आरंभ किया जाएगा और क्या इस दोहरीकरण कार्य के लिए पर्याप्त धनराशियों को जारी किया जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, प्रो. कुरियन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं भी उनकी योग्यताओं को जानता हूं। परंतु उन्होंने अनुपूरक प्रश्न में जो कुछ भी पूछा है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। उन्हें या तो कल तक प्रतीक्षा करनी होगी या एक दूसरा प्रश्न पूछना होगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ठीक है। आप कल कुछ बताइए। यदि वह कल कुछ कहते हैं तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। कल के लिए आप आज कुछ वचन दे सकते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय यह एक आश्वासन है... *(व्यवधान)* आश्वासन के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में 19,250 किलोमीटर रेल पथ के नवीनीकरण या सुधार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1997–98 के वर्ष में अधिक रेल दुर्घटनायें हुई, जिनमें 300–400 लोग मरे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण रेल ट्रैक्स का पुराना हो जाना है और साथ ही उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरीखे बड़े राज्य में, जोकि देश का सबसे बडा राज्य माना जाता है, दुर्घटनाओ को रोकने के लिए जो 19,250

किलोमीटर रेलपथ आप नवीनीकरण करने जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है या नहीं ? मंत्री जी ने बताया है कि स्टेटवाइज हमारे पास जानकारी नहीं है। इस बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वे स्टेटवाइज जानकारी प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ट्रैक रिन्युअल की आवश्यकता है और हर वर्ष ट्रैक रिन्युअल का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यह भी सही है कि जितना ट्रैक रिन्युअल इशु है, सारे ट्रैक का रिन्युअल संभव नहीं हो पाता है। इसका कारण संसाधनों की कमी है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य की चिन्ता का सवाल है, मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं। एक्सीडेंट्स के कई कारण होते हैं। ट्रैक की गड़बड़ी के चलते, ट्रैक की कमजोरी के चलते, वैल्डिंग की कमजोरी के चलते भी कई दुर्घटनायें होती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। इस प्राथमिकता का क्षेत्र मानकर हमारी सरकार का इरादा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होते–होते ए, बी, और सी रूट्स के जितने भी टैक्स हैं, उनका पूर्ण रूप से रिन्युअल किया जाए और उसमें बैकलॉग न रहे। इसके साथ ही हर साल जो ट्रक रिन्युअल का प्रश्न पैदा होता है, उसको भी समाप्त किया जाए। सरकार का यह भी विचार है कि डी और ई रूट्स के ट्रैक को भी रिन्यु किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : कल माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय रेल के स्थिति पत्र में रेलपथ के नवीकरण के बारे में गहरी चिंता दर्शायी गई है। माननीय मंत्री के ध्यान में मै केवल एक वाक्य ला रहा हूँ। उन्होंने कहा "रेलपथ रेलवे की अवसंरचना की रीढ़ है और इसको सुरक्षित और अच्छी अवस्था में रखने की आवश्यकता है।"

दी गई सूचना के अनुसार आठवीं योजनावधि से नौंवी योजना–वधि के आरंभ तक रेलपथ नवीकरण राशियों में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ या तो इस विशेष क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है या रेलवे पर्याप्त निधियों को उपलब्ध करने में सक्षम नहीं रहा।

मैं सुरक्षा के बारे में माननीय मंत्री से विशेष उत्तर चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले वह इस बारे में उल्लेख कर रहे थे। सोरानौर और मंगलौर के बीच का रेलपथ सबसे पुराना है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही है।

[अनुवाद]

शोरनूर और मंगलौर के बीच पटरी काफी कमजोर हो चुकी है। और इसके शीघ्र नवीकरण की आवश्यकता है। विशेष रूप से, कोंकण रेल लाइन चालू होने पर यह लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस पटरी के दोहरीकरण के लिए पहले ही प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए क्योंकि हम यहां रेल बजट चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरा विशेष प्रश्न यह है क्या यह लाइन रेलवे की शीर्ष प्राथमिकता वाली श्रेणी में है या नहीं, और क्या माननीय रेल मंत्री शोरनूर–मंगलौर लाइन के शीघ्र नवीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री धनंजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल ही रखे गये स्टेटस पेपर को उद्धृत किया है, चर्चा की है और इस समस्या को गंभीर मानते हुए हम लोगों ने इसे प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। जहां तक नौवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है जिसकी मैं बार–बार चर्चा कर रहा हूं, उसके लिए 13,200 करोड़ रुपया ग्रौस चाहिए, जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष भी, जैसा मैंने बताया कि लक्ष्य से ज्यादा ट्रैक रिन्यूवल किया गया है और आगे भी इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने खासतौर से मैंगलौर–शोरनूर सैक्शन के बारे में कहा है, यह बात सही है कि वहां डबलिंग का काम हो रहा है और कोंकण रेलवे के चालू होने के बाद उसके ऊपर लोड़ बढ़ने जा रहा है, या बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी. शंकरन : धनराशि के अभाव के कारण इस लाइन का कार्य रुक गया है।

श्री नीतीश कुमार : कोंकण रेलवे पहले ही चालू हो चुका है। कोंकण रेलवे के चालू होने के कारण इस सैक्शन पर नया भार और दबाव बढ़ रहा है और वही मैं अब बता रहा हूं।

[हिन्दी]

इसलिए हमारी योजना उसे प्राथमिकता देने की है। डबलिंग का भी काम हो रहा है, लेकिन डबलिंग की बात इससे रिलेटिड नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष जी, यह जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, इसमें राज्यों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि राज्यों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जोन–वाइज ब्यौरा रखा जाता है। लेकिन इससे बड़े राज्यों में समस्या आती है। वोरा जी ने अभी मध्य प्रदेश के बारे में जिक्र किया कि वहां पर रेल दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। हम लोगों को अगर थोड़ी जानकारी हो जाए कि हमारे राज्य में कितने किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण के अंतर्गत रखा गया है तो हमें आसानी होगी।

श्री नीतीश कुमार : कौन से राज्य में ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उत्तर प्रदेश में। जोन–वाइज भी आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आज आप उत्तर न दे सकें तो हमें लिखकर दें

सकते हैं। यदि हमें इसकी जानकारी हो जाए तो वहां आने वाली दिक्कतों की जानकारी हमें हो जाएगी। अब रेल सेवाएं जीवन की सुरक्षा और विकास से भी जुड़ गयी हैं। नवीनीकरण का आठवीं योजना का लक्ष्य तो आपने पूरा कर लिया है लेकिन बड़े राज्यों में अभी समस्याएं बहुत हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बड़े राज्यों को प्राथमिकता दें और उनके लिए धन ज्यादा आबंटित करें। हमारे राज्य में नवीनीकरण के लक्ष्य की अगर हमें सूची मिल जाए तो इससे आपको भी और हमको भी सुविधा रहेगी।

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य अभी हाल तक सरकार में रहे हैं, उनको बेहतर ढंग से मालूम होना चाहिए। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है, यह कोई आज की बात नहीं है कि रेलवे जोनों में बंटी हुई है, इसलिए हम जोन–वाइज फिगर मैन्टेन करते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इन्हें व्यावहारिक बनाइये।

श्री नीतीश कुमार : इसमें अव्यावहारिक बनने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो राज्यों के हिसाब से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। आधिकारिक रूप से रेलवे जोनों में बंटी हुई है, इसलिए जोनों के आधार पर ही हम आंकड़े रखते हैं और उपलब्ध कराते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इसमें जोन वाइज फिगर्स भी नहीं दी गयी है। हमें जोन–वाइज भी अगर आप फिगर्स दे दें तो सुविधा हो जाए।

श्री नीतीश कुमार : जोन–वाइज आंकड़े दे दिए जाएंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री अजीत जोगी : स्टेट–वाइज कर दीजिए तो आसानी हो जाएगी।

श्री नीतीश कुमार : अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जोन–वाइज के बाद डिवीजन–वाइज आंकड़े भी दिए जा सकते हैं।

श्रीमती सुखदा मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा लाइन सबसे पुरानी लाइन है। उस पर सबसे पहले एक ट्रेन वन डाउन के नाम से चली थी जिसे डाक गाड़ी बोलते थे लेकिन अब उसे कालका–हावड़ा मेल कहते हैं। वह दिल्ली हावड़ा लाइन इस देश की सबसे पहली लाइन है जिस पर आज डीलक्स, राजधानी, शताब्दी और नीलांचल जैसी सुपरफास्ट गाडियां चलती हैं। सारा माल हावड़ा–दिल्ली ट्रैक से ही दिया जाता है। वहां हमने पता किया कि करीब औसतन तीन मिनट में एक गाड़ी निकलती है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुखदा मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को सूचना देना चाहती हूं कि इस ट्रैक पर इतना लोड है, वहां हर तीन मिनट में औसतन एक गाड़ी निकलती है, हम देख रहे हैं कि वहां कुछ बन भी रहा है, क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस लाइन को मजबूत करने के लिए और बढाने के लिए जो योजना है क्या वह तेजी से चल रही है या नहीं ?

मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि 1990–91 में हमारे इटावा में एक पुल बनना शुरू हुआ था....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

श्रीमती सुखदा मिश्र : मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। इटावा में 1990 में जो एक पुल बनना शुरू हुआ था, वह नीचे तक अभी बना नहीं है। क्या मंत्री जी इसकी प्रगति के बारे में बताएंगे ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न को समझिए। आप अगले सप्ताह रेल बजट पर चर्चा करेंगे। 11 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं।

(व्यवधान)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (अधिनियम, 1976)

\+

*22. **डा. वल्लभभाई कथीरिया** :

श्री सदीपान थोरात :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नगर भूमि (अधिकतक सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकलेंगे;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(क) जी, नहीं। सरकार ने अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। निरसन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) अधिनियम निरस्त करने का लक्ष्य शहरी भूमि की आपूर्ति और किफायती मूल्य पर उपलब्धता बढाना है जिससे राष्ट्रीय एजेन्डा में किये गये वायदे के अनुवार आवास की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) कर्नाटक विधान मंडल तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यदि उन्हें अपना अलग अधिनियम बनाने की अनुमति दी जाए तो उन्हें अधिनियम के निरसन से कोई आपत्ति नहीं है। हरियाणा राज्य विधान मंडल ने अधिनियम निरस्त अथवा संशोधित करने की सिफारिश की है। पंजाब राज्य विधान मंडल ने अधिनियम निरस्त करने की सिफारिश की है।

(ड.) संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यह सरकार अधिनियम निरसन की मांग मानने के लिए राजनीतिक तथा नैतिक रूप से बाध्य है। राज्य सरकारें निरसन को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि निरसन विधेयक इसी सत्र में पुरःस्थापित किए जाने के लिए तैयार है।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : महोदय मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत अभी तक सरकार द्वारा वास्तव में कितनी हैक्टेयर भूमि कब्जे में ली गई है और गरीबों को कितने हैक्टेयर भूमि वितरित की गई है। मैं गुजरात राज्य में इस अधिनियम को हटाए जाने के पश्चात भूमि की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े भी जानना चाहता हूं।

श्री राम जेठमलानी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह अधिनियम पूरी तरह से असफल रहा है। मैं माननीय सदस्यों से दिल्ली में इसके कार्य निष्पादन पर नजर डालने का अनुरोध करूंगा।

दिल्ली में, रिक्त स्थानों की 9173 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें से 7974 की संवीक्षा की गई। 344.67 हैक्टेयर खाली भूमि को अधिगृहीत किये जाने का अनुमान था। 344.67 हैक्टेयर में से उपधारा 5 के अंतर्गत नोटिस दिये जाने के लिए केवल 25.80 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। अब अन्तिम आंकड़ों को देखें जिससे इस अधिनियम की दुर्गति का पता चलता है। अफसोस की बात यह है कि इतनी सारी भूमि में से दिल्ली सरकार द्वारा केवल 1.99 हैक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण किया गया था। मैं इस सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो केवल पिछली सरकार के निर्णय को लागू कर रहा हूं। पिछली केबिनेट ने अध्यादेश द्वारा इसको पूरी तरह से निरस्त करने का निर्णय कर लिया था।

मैं तो पिछली सरकार के निर्णय का अनुपालन कर रहा हूं। यह विधेयक शीघ्र ही पुरःस्थापित किया जायेगा और माननीय सदस्यों को इस पूरी समस्या पर गहराई से विचार करने का अवसर मिलेगा।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : केवल 'शहरी सदस्यों' को ही मौका दिया जाएगा।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं भी शहरी सदस्य हूं। महोदय मैं विशाखापत्तनम से हूँ।

श्री संदीपान थोरात : महोदय, प्रश्न यह था कि क्या सरकार का नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है? इसका उत्तर दिया गया है कि सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

श्री राम जेठमलानी : प्रश्न पूछा गया था क्या हम...*(व्यवधान)*

श्री संदीपान थोरात : महोदय, मुझे प्रश्न तो पूरा करने दीजिए।

श्री राम जेठमलानी : मैंने सोचा कि इन्होंने पूरा प्रश्न पूछ लिया है।

श्री संदीपान थोरात : मंत्री महोदय, जल्दबाजी न करें।

श्री राम जेठमलानी : मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूं।

श्री संदीपान थोरात : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस अधिनियम को संशोधित करना चाहती है, जबकि मंत्री जी ने बताया कि वह इसे निरस्त करने के लिए तैयार है। निरस्त करने के प्रावधान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है।

यह अधिनियम 1976 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुच्छेद 38 और 39 में अर्न्तविष्ट राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था। निसन्देह यह सरकार इस अधिनियम को निरस्त करके संविधान के इन सभी मौलिक प्रावधानों को निरस्त करने की इच्छुक है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेषकर यह जानना चाहता हूं क्या इस अधिनियम को निरस्त करते समय इन संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जायेगा और क्या सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक प्रबंध भी किया जा रहा है।

श्री राम जेठमलानी : माननीय सदस्य के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए कहता हूं कि उन्हें संवैधानिक स्थिति के बारे में कुछ गंभीर गलतफहमियां हैं। संवैधानिक स्थिति यह है कि यदि दो या अधिक राज्य विधान बनाने के लिए कहते हैं तभी केन्द्र उस विषय पर कानून बनाने में सक्षम होता है जोकि मूलतः राज्य का विषय है। इसलिए केन्द्र का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री संदीपान थोरात : महोदय, मंत्री जी ने संविधान के अनुच्छेद 46 को नहीं पढ़ा है। उन्हें इसे पढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उसे अपना उत्तर तो समाप्त करने दीजिए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरे दुश्मनों ने भी संविधान के बारे में जानकारी न होने के लिए मुझ पर आरोप नहीं लगाया है।

श्री संदीपान थोरात : मैं तो आपका मित्र हूं।

श्री राम जेठमलानी : मुझे हैरानी है। इसलिए जब दो या अधिक राज्य, विधान के लिए निवेदन करते हैं तो हम कानून बनाते हैं।। इसी प्रकार जब दो या अधिक राज्य किसी विधान के निरसन अथवा संशोधन के लिए हमें अनुरोध करते हैं तो यह लगभग संवैधानिक निदेश होता है और हमें उस आदेश का अनुपालन करना होता है। इस मामले में, दो राज्यों ने निरसन करने के लिए अपनी इच्छा जताई है। अन्य राज्यों ने संशोधन के लिए कहा है। अब संशोधन हेतु किया गया यह अनुरोध अपने आप में संवैधानिक मिथ्याबोध है क्योंकि जब तक सभी अनुरोध करने वाले प्रारम्भिक राज्य उस संशोधन के लिए राजी न हों। हमारे पास संशोधन करने और फिर प्रत्येक अन्य राज्य पर उसे लागू करने की शक्ति नहीं है। इस निरसन संबंधी स्थिति यह है कि इस निरसन के पश्चात् प्रत्येक राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कि वह इस पर अपना कानून बनाए। उन्हे निरसन को लागू करने की आवश्यकता भी नहीं है। यह निरसन केवल उन दो राज्यों के लिए बाध्यकारी है जिन्होंने इसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अन्य राज्य निरसन लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वह निरसन को नहीं अपनाते तो वही कानून जारी होगा। हम प्रत्येक राज्य की संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनः बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह इस आशा के अनुरूप अपना कानून बना सके कि केन्द्रीय सरकार की नीतियों और मार्गनिर्देशों, जो वास्तव में सभी राजनीतिक दलों की सार्वभौमिक नीतियों के अनुरूप हैं, का अनुपालन हो सके कुछ असहमतियां हो सकती हैं लेकिन इन राज्यों को उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी भी राज्य पर कुछ थोपना नहीं चाहते। वह जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि 1976 के इस अधिनियम ने लक्ष्य का एक प्रतिशत भी प्राप्त नहीं किया है। और यही समय है कि सरकार इसे निरस्त करे। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस ने भी पहले यही निर्णय लिया था। मंत्री जी ने यही बताया है संविधान में भी यही प्रावधान है कि राज्य निरसन को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

निरसन का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडू जैसे कुछ बड़े राज्य शहरी भूमि अधिकतक सीमा नहीं जारी रखते हैं। तब आप शहरी आवास के लिए अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे?

श्री राम जेठमलानी : माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर विभिन्न राज्यों द्वारा निरसन को नहीं अपनाया जाता है तो कुछ राज्यों में कुछ हद तक नीति असम्भव होगी। लेकिन हमें आशा है कि आपने अनुरोध से, हम राज्यों को स्वतंत्र रूप से और स्वैच्छिक तौर पर उन मार्ग निर्देशों को स्वीकार करने के लिए राजी कर लेंगे जो हम उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राजी हैं। यदि राज्य इसके लिए तैयार नहीं होते तो इस अधिनियम के तहत इस मंत्रालय का कार्य वास्तव में संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। जहां संघ नियमों पर आधारित राज्य सरकारें हैं वे स्वायत्त राज्य हैं। यदि वह इनको नहीं अपनाती तो ठीक है। यह उन पर निर्भर करता है। तत्पश्चात् आवास निर्माण कार्य संघ राज्य क्षेत्र, विशेषकर, सबसे बड़े संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। तब, हम बीस लाख मकानों को बनाने पर ही ध्यान देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : मुम्बई और दिल्ली और मुम्बई और कलकत्ता के बारे में क्या कहना है?

श्री राम जेठमलानी : मैं आशा करता हूं कि मुम्बई में भी यही प्रक्रिया होगी। महोदय, मुझे आशा है कि मैं गोपनीय बात नहीं बता रहा हूं। मैंने विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श किया है। वह महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं। निसंदेह मैने उनके साथ परामर्श किया है। मुझे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इस प्रस्ताव का पालन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह 1976 में जब कानून बना तो इसको प्रगतिशील कानून की संज्ञा दी गई और कहा गया कि अब सरकार का दायित्व होगा कि बची हुई जमीन के ऊपर गरीबों को भवन–निर्माण करके सस्ती कीमत पर सरकार दे, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के बड़े लोग थे, उनकी साजिश से इस कानून पर अमल ठीक ढंग से नही हुआ। राज्यों के भीतर एक दुविधा है कि जिस दिन आप अर्बन सीलिंग ऐक्ट को खत्म करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के भूमि हदबंदी कानून को भी खत्म करने का सरकार के ऊपर दबाव पैदा होगा और भूमि हदबंदी कानून ने बहुत हद तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन संबधी झगड़े थे, उनको खत्म किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दुविधा से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या तैयारी की है?

जो इस कानून का मकसद था शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर भवन उपलब्ध कराने का, भूमि उपलब्ध कराने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय हम यह मानते हैं कि इस अधिनियम का मूल सामाजिक उद्देश्य अभी भी वैध उद्देश्य है। यह इसलिए है क्योंकि अच्छा सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं किया गया, अभी तक के अनुभव से पता चलता है कि यह पूरा नहीं किया गया था। इसीलिए, हम अब नयी आर्थिक व्यवस्था को अपना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस नई नीति के अनुरूप आवासों का निमार्ण किया जाएगा। यह अधिनियम असफल रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : नहीं, यह अधिनियम असफल नहीं रहा है।

श्री राम जेठमलानी : विशेषज्ञ राय यही कहती है। कमेटी की

रिपोर्ट भी यही कहती है। इस मामले की 1994 की पुरानी राष्ट्रीय आवास नीति के अंतर्गत जांच की गई थी उसमें यह स्वीकार किया गया था कि यह अधिनियम असफल रहा है। इस्तानबुल सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पूरी तरह से असफल रहा।.आज हमारे विशेषज्ञों की एक राय है कि इस अधि नियम को हटाया जाना चाहिए। आज इस अधिनियम को 'अल्सर' के नाम से पुकारा जा रहा है। इस 'अल्सर' को किसी भी आवास निर्माण कार्य को आरंभ किये जाने से पूर्व हटाया जाना चाहिए। आवास उद्योग इस देश में ठप्प पड़ा है। लोगों के पास व्यवसाय नहीं रह गया है। लोग दिवालिया हो रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। अब तो केवल मुट्ठी भर भवन निर्माता (बिल्डर्स) बचे हैं। यदि इसे पुर्नजीवित किया जाना है तो हमें केवल आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवासों का निर्माण करने के प्रयोजन से इसे पुर्नःजीवित करना होगा और वही हमारा वायदा है। बीस लाख आवास केवल गरीबों के लिए ना कि अमीरों के लिए बनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे : अध्यक्ष महोदय, यह कानून निरस्त करने के लिए मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूं । अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि दिल्ली में इस कायदे के तहत कुछ जमीन उपलब्ध नहीं हुई। सभी जगह ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में कोई भी जमीन इस कायदे के अंदर सरकार को नहीं मिली है। सीलिंग ऑफिस सिर्फ भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं जिससे किसानों को बहुत तकलीफ होती है। जब आप स्टेट को नया कायदा बनाने की अनुमति देंगे तो फिर यही चलेगा। जब 20 साल में जमीन उपलब्ध नहीं हुई तो फिर नया कायदा बनाने से जमीन कैसे उपलब्ध हो सकती है, यह मेरा सवाल है। और महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है उस पर राष्ट्रीय एजेंडा का कोई बंधन है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे : यह कायदा फिर से कोई स्टेट नहीं बनाये, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से पूरी तरह सहमत हूं। काश केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय संसद को यह अधिकार होता कि वह अपनी इच्छा किसी राज्य पर थोप सके। जब हमने किसी राज्य पर अपनी इच्छा लादने का प्रयास किया तो लोग संघवाद और राज्य स्वायतत्ता की बातें करने लगे। हमारा किसी पर कुछ लादने का विचार नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह विधेयक सभा में चर्चाधीन होगा तो इसमें कठोर मत या विचार व्यक्त किये जायेंगे। यही विचार राज्य सरकारों पर दबाव डालेंगे कि वे इनको माने और वे राज्य सरकारें जो इनकों नही मानेंगी, उन्हें कुछ परिणाम भुगतने पडेंगे जो उनके ध्यान में लाये जाएगें। उनमें से एक दुष्परिणाम यह होगा कि यदि वह उनके अनुदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी ....*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि कुछ प्रतिबंध लगाए जायें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मंत्री जी द्वारा प्रतिबंधों की चर्चा करने से पहले, मैं इन फैक्टरियों के बारे में जानना चाहती हूं जिनके पास फालतू भूमि है। यदि इन रूग्ण फैक्टरियों की ऐसी भूमि बेची जाती है तो उनका पहला उत्तरदायित्व उन श्रमिकों के प्रति बनता है जिन्हें वेतन नहीं दिया गया है। यदि यह बात है तो उन्हें उस प्रावधान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब माननीय मंत्री जी संघवाद की बात करते हैं उन्हें इसकी भी गारंटी देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी की इस बारे में क्या राय है?

श्री राम जेठमलानी : आपने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। श्रमिकों का हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। उनके हित को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी। यदि भवन निर्माण कार्य से उनको लाभ पहुंचता है, तो सम्भवतः मकान बनना ही उनके लाभार्थ होगा।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न महानगरों में नजूल और सीलिंग की जो भूमि है, पोखर और तालाब हैं, अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से उन पर अवैध कब्जा हो गया है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? गोरखपुर महानगर में स्थिति इस समय बहुत ही भयावह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की सी.बी.आई जांच करायेगी?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : विशेषकर गोरखपुर की समस्याओं के बारे में कहने के लिए मुझे पर्याप्त सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि यह सभा मुझ पर विश्वास कर सकती है कि मैं न्याय में विश्वास रखता हूं और न्याय अंधा होता है। प्रत्येक व्यक्ति पर कानून उसकी शक्ल–सूरत की परवाह किये बिना लागू किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह जस्टिस देने के लिए तैयार हैं और वह जस्टिस देंगे, ऐसा उनका कहना है। वह मुम्बई के रहने वाले मंत्री हैं, कभी वह पूना, कभी दिल्ली, कभी मुम्बई में रहते हैं और कभी स्विटजरलैंड में रहते हैं।

श्री राम जेठमलानी : मुझे मालूम नहीं मैं कहां रहता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दो महत्वपूर्ण एक्ट इस देश के पास हुए हैं। एक

देहात में जो हमारे किसान हैं, उनकी लैंड सीलिंग में जमीन निकालने का एक्ट है, ताकि जो किसान नहीं हैं, लेकिन खेती करना चाहते हैं उनके लिए जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सोचा और एक न्याय ग्रामीण विभाग को दे दिया। वैसा ही न्याय शहर में झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को मिले, उन्हें भवन की सुविधा होनी चाहिए, इसलिए यह दूसरा एक्ट आ गया। इस प्रकार ये दो अलग–अलग चीजें गरीबों के लिए लाई गई थीं। जिसे अब आप रिपील करने जा रहे हैं, एक्ट निकालने जा रहे हैं। इसमें मुझे डर लगता है कि आप दूसरी स्टेट को पूर्ण अधिकार दे रहे हैं। जहां वैस्ट बंगाल ने कहा–

[अनुवाद]

'हम निरस्त करने के लिए सहमत हैं लेकिन इसके साथ ही राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए।' कुछ राज्यों ने कहा, "ठीक है हम निरस्त करने के लिए सहमत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह अधिकार केन्द्र को दिया जाना चाहिए।" इसलिए इसमें अभी भी भ्रांति विद्यमान है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बहन श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो सुझाव दिया कि जो फैक्ट्रियां बीमार हैं और बंद हो गई हैं तथा जिनके मामले बी.एफ.आई.आर. के अंदर चल रहे हैं, उनके वर्करों को फैक्ट्री मालिक तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि उनको न्याय प्रदान करना है, तो कम से कम उस फैक्ट्री की जमीन को बेचकर वर्कर्स का भुगतान किया जा सके। ऐसी व्यवस्था करने या ऐसा कोई प्रावधान करने का उनका विचार है?

महोदय, मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आप अधिकार राज्यों को देना चाहते हैं, उसका कहीं दुरूपयोग न हो इसका बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हर राज्य में अलग–अलग दलों की सरकारें हैं जिससे सिमिलर पालिसी हर राज्य में लागू नहीं हो पाएगी, कहीं पूंजीपति को उससे लाभ होगा, तो कहीं गरीबों को मदद मिलगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। 11 बजकर 40 मिनट हो चुके हैं, चूंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैने इसे इतना अधिक समय दिया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं यह प्रश्न विशेषकर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने विधेयक के बारे में अभी बोलना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जब इस एक्ट को रिपील कर रही है, तो क्या उसकी जांच करने के लिए ऐसी कोई कमेटी बनेगी या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे इसका ओवरआल सुपरवीजन हो सके और यह ठीक प्रकार से लागू हो सके। जैसा अभी आपने सैंक्शन्स के बारे में कहा, यदि हम यहां से मदद नहीं देंगे या कोई रिस्ट्रिक्शन्स नहीं लगाएंगे तब तक खास फर्क नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी ये दोनों बातें सही हैं। हम इन्हें ध्यान में रखेंगे। आपको भी हमारे अधिकारों की सीमाओं का ध्यान रखना होगा। यदि आपकी राय यह है कि इस सरकर को अत्यंत सजग रहना होगा, तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि हम अत्यंत सजग रहेंगे।

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी जो बड़े विद्वान हैं, से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे निरसन को अपनाएं या न अपनाएं। अब आप अधिनियम को निरस्त कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिनियम अब समाप्त हो जाएगा। यदि राज्य सरकार अन्य अधिनियम बनाना चाहे तो उससे पहले इस अधिनियम की स्थिति क्या होगी? आपके द्वारा इस अधिनियम को निरस्त किये जाने और उनके द्वारा अधिनियम बनाये जाने के बीच की अवधि के दौरान, इस अधिनियम की स्थिति क्या होगी?

श्री राम जेठमलानी : स्थिति बहुत ही स्पष्ट है इस अधिनियम का निरसन केवल उन दो राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने निरसन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। जहां तक दूसरे राज्यों का संबंध है, जब तक उनकी विधान सभाएं अपनाने संबंधी अपेक्षित प्रस्ताव पास नहीं कर देती, यह निरसन उनको प्रभावित नहीं करेगा और यह अधिनियम उनके प्रयोजनों के लिए वैसा ही विद्यमान रहेगा जैसाकि वह कभी निरस्त न किया गया हो। यह कानूनी स्थिति है।...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र राज्य ने भी इसके लिए कहा है...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : नहीं, औपचारिक रूप से नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपका नाम पहले ही प्रश्न सूची में है।

[हिन्दी]

सुरक्षित पेयजल

*23. **श्री पंकज चौधरी** :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य–वार प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) आज तक योजनाओं में राज्य–वार कितनी प्रगति हुई है?

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) एक विवरण समापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया कराने वाली योजनाएं राज्य क्षेत्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। केन्द्र द्वारा प्रोयोजित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध मं संलग्न अनुबंध–। में और केन्द्रीय क्षेत्र ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में अनुबंध–।। में विगत तीन वर्षों के दौरान योजनओं के अंतर्गत दी गयी निधियों का राजयवार ब्यौरा दिया गया है।

राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार 1.4.1998 को 1430663 गांवों/बस्तियों में से 1389675 गांवों/बस्तियों में पूर्णतः अथवा अंशतः स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध–।।। में दिया गया है।

अनुबंध-।

1995–96, 1996–97 और 1997–98 हेतु ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6380.26	6618.00	8811.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1140.00	1953.00	2656.00
3.	असम	5992.00	5992.00	6417.00
4.	बिहार	7248.00	8634.00	8634.00
5.	गोवा	380.00	375.00	305.00
6.	गुजरात	5405.00	6680.00	10200.00
7.	हरियाणा	2490.00	2640.00	2625.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4703.00	5290.00	5691.42
9.	जम्मू व कश्मीर	4349.15	4349.15	5238.36
10.	कर्नाटक	6587.38	6972.67	8495.81
11.	केरल	5164.00	5164.00	5164.00
12.	मध्य प्रदेश	6673.00	7452.64	6575.87
13.	महाराष्ट्र	20489.00	23096.35	23461.60
14.	मणिपुर	771.00	1423.00	1510.89
15.	मेघालय	1000.00	1700.00	1200.00
16.	मिजोरम	340.00	650.00	600.00
17.	नागालैंड	450.00	500.00	422.00
18.	उड़ीसा	3376.00	4270.00	4504.00
19.	पंजाब	2450.00	2900.00	2235.00
20.	राजस्थान	12265.00	14450.00	18070.00
21.	सिक्किम	742.00	839.97	817.00
22.	तमिलनाडु	6390.00	5333.00	7200.00
23.	त्रिपुरा	1188.00	3500.00	1147.00
24.	उत्तर प्रदेश	12346.59	24170.87	23116.98
25.	पश्चिम बंगाल	4316.50	4000.00	7500.00
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	410.00	410.00	450.00
27.	दा. व न. हवेली	99.00	134.00	283.00
28.	दमन व दीव	63.00	62.00	62.00
29.	दिल्ली	500.00	500.00	750.00
30.	लक्षद्वीप	47.50	56.20	70.00
31.	पांडिचेरी	70.00	70.00	125.23
	कुल	23825.38	150215.85	164338.34

अनुबंध-II

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा उपमिशन के अंतर्गत किए गए प्रावधान

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96			1996-97				1997-98				
		त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज (सामान्य)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	उप-मिशन	कुल	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज (सामान्य)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	उप-मिशन	कुल	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज (सामान्य)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	उप-मिशन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	6380.26		5246.95	11627.21	6672.18		3489.49	10161.67	8711.18	95.6	6802.33	15609.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1082.00			1082.00	1200.00			1200.00	2476.00		18	2494.00
3.	असम	2245.00			2245.00	2353.57			2353.57	2376.52		30	2406.52
4.	बिहार	3549.50			3549.50	3113.00			3113.00	0.00		18	18.00
5.	गोवा	255.00			255.00	550.35			550.35	196.50			196.50
6.	गुजरात	3735.00	315	1705.97	5755.97	3882.00	315		4197.00	5540.12	346.5	40.92	5927.54
7.	हरियाणा	1522.00	1047.09	4	2573.09	1560.00	990	100	2650.00	2269.16	990	350.65	3609.81
8.	हिमाचल प्रदेश	1633.22	28	32	1693.22	1906.00	28		1934.00	1680.97	28		1708.97
9.	जम्मू और कश्मीर	3815.00	78.91		3893.91	3669.00	66		3735.00	4676.00	18	6	4700.00
10.	कर्नाटक	6544.00		8	6552.00	6720.74		243.75	6964.49	9285.00	652.7	645.5	10583.20
11.	केरल	2919.00			2919.00	3263.70			3263.70	3564.65		514.56	4079.21
12.	मध्य प्रदेश	6673.00			6673.00	7313.61		325.67	7639.28	8345.68		811.86	9157.54
13.	महाराष्ट्र	7474.88			7474.88	9181.00			9181.00	12087.19			12087.19
14.	मणिपुर	401.00			401.00	478.56			478.56	907.00		12	919.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मेघालय	220.79		121.91	342.70	572.00		2	574.00	743.20		129.09	872.29
16.	मिजोरम	340.00			340.00	428.91			428.91	583.63		129.3	712.93
17.	नागालैंड	211.00			211.00	422.00			422.00	211.00		12	223.00
18.	उड़ीसा	3376.00			3376.00	4153.83			4153.83	5038.39		412	5450.39
19.	पंजाब	1506.00		742.56	2248.56	1289.00		600.00	1889.00	1713.99		218	1931.99
20.	राजस्थान	6908.00	3131	522.5	10561.50	8456.00	3131	969.63	12556.63	10737.53	3045.69	334	14117.22
21.	सिक्किम	572.00			572.00	472.00			472.00	435.60		6	441.60
22.	तमिलनाडु	5262.00		200	5462.00	5333.00		1408	6741.00	5834.38		646.75	6481.13
23.	त्रिपुरा	760.00		57	817.00	850.00		27	877.00	762.00		30	792.00
24.	उत्तर प्रदेश	11334.38			11334.38	11728.19		692	12420.19	15182.66		233.74	15416.40
25.	पश्चिम बंगाल	3495.63		2897.79	6393.42	4521.25		2342.46	6863.71	4411.46		666.58	5078.04
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
27.	दा. व न. हवेली	0.00			0.00	3.00			3.00	0.00			0.00
28.	दमन व दीव	0.00		0.81	0.81	0.00			0.00	0.00			0.00
29.	दिल्ली	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
30.	लक्षद्वीप	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
31.	पांडिचेरी	60.00			60.00	10.00			10.00	10.00			10.00
	कुल	82284.66	4600.00	11539.49	98424.15	90102.89	4530.00	10200.00	104832.89	107779.81	5176.49	12067.28	125023.58

टिप्पणी :

– त्वरित ग्रणीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्यों द्वारा किए गए अंशदान के न्यूनतम 50% तक दी जाती है।

– मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करने के लिए शत–प्रतिशत

– उप–योजना में 31-3-98 तक मंजूर की गयी समस्त परियोजनाओं के लिए गुणता प्रभावी बस्तियों में स्वच्छ जल मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अंश 75:25 है।

अनुबंध-III

1.4.98 की स्थिति (अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गई बस्तियां	आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियां	पूर्व रूप कवर की गई बस्तियां	कुल बस्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	28083	41649	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	666	1248	2384	4298
3.	असम	8623	23485	38561	70669
4.	बिहार	2674	13488	189074	205436
5.	गोवा	35	55	315	405
6.	गुजरात	1131	6091	23047	30269
7.	हरियाणा	15	482	7048	7545
8.	हिमाचल प्रदेश	4590	14047	26730	45367
9.	जम्मू और कश्मीर	3063	4397	8266	15726
10.	कर्नाटक	1940	10190	44552	56682
11.	केरल	994	6889	1880	9763
2.	मध्य प्रदेश	0	13374	146494	159868
13.	महाराष्ट्र	0	32082	45042	77124
14.	मणिपुर	244	681	1866	2791
15.	मेघालय	1005	1621	6013	8639
16.	मिजोरम	24	462	425	911
17.	नागालैंड	468	751	311	1525
18.	उड़ीसा	1142	14247	98740	114099
19.	पंजाब	6105	3018	4826	13449
20.	राजस्थान	7077	41328	55661	104066
21.	सिक्किम	0	862	817	1679
22.	तमिलनाडु	0	24945	41686	66681
23.	त्रिपुरा	868	2052	4472	7412
24.	उत्तर प्रदेश	0	48087	226654	274811
25.	पश्चिम बंगाल	0	22879	57488	80377
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	11	21	472	504
27.	दा. व न. हवेली	123	216	172	516
28.	दमन व दीव	0	3	26	29
29.	दिल्ली	0	62	138	200
30.	लक्षद्वीप	0	9	1	10
31.	पांडिचेरी	0	0	276	276
32.	चंडीगढ़			24	24
	कुल	40988	315155	1074520	1430663

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाए, तो पूरे देश में पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर के चार्ट में दर्शाया है, उसके अनुसार जनसंख्या के आधार पर अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश को काफी कम धन मुहैया कराया गया है, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश होने के नाते उसे तराई वाले क्षेत्र में जो नेपाल से लगता है जहां पर जलस्तर काफी नीचे चला गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उत्तर प्रदेश को अलग से धन मुहैया कराने की कोई व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जल आपूर्ति का मामला राज्य का विषय है। राज्य सरकार के सर्वेक्षण के आधार पर, हम धनराशि आबंटित कर रहे हैं। यह शुद्ध रूप से राज्य सरकार का कार्यक्रम है। हम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और उप-योजना कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की सहायता कर रहे हैं। सर्वेक्षण में दिखाए गये आंकड़ों से गांवों में उपलब्ध न होने अंशतः और पूर्णतः स्वच्छ पेयजल की सुविधा महैया करने का पता चलता है। हम इस आधार पर न की जनसंख्या के आधार पर धनराशि आबंटित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने खारे पानी को पीने योग्य बनाने की कोई परियोजना आरंभ की है? यदि की है तो उसका ब्यौरा क्या है और वह किन-किन प्रदेशों में आरंभ की गई है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत, अभी तक हमने कुछ राज्यों का पता लगाया है और उन्हें धनराशि आबंटित की है। अब कार्यभार की शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ पेयजल का मामला बड़ा गंभीर मामला है। हम प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने पद ग्रहण करने के बाद यह घोषणा की कि पांच वर्षों में देश के सभी लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी। यह घोषणा बड़ी स्वागतयोग्य है और हम सभी उनके आभारी हैं। मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15 हजार से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार ने उन सभी गांवों में पेयजल मुहैया कराने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है और अगर बनाई है तो वह कब तक लागू होगी और उस पर कितना धन खर्च होगा?

दूसरा मेरा कहना यह है कि गांव–गांव में पेयजल के लिए हैंडपंप लगाये जा रहे हैं लेकिन हैंडपम्प लगाने के लिए जो मानक हैं, वह है कि 120 फीट गहरा पाइप लगना चाहिए लेकिन पूरे देश में 120 फीट गहरा पाइप कहीं नहीं लगाया जा रहा है। अगर 40–60 फीट गहरा खोदने पर पानी निकल आता है तो हैंडपम्प वहीं लगा दिया जाता है। इस तरह जो स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की कल्पना है, वह पूरी नहीं होती। हम वही प्रदूषित जल लोगों को दे रहे हैं। मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि जो इसके रख–रखाव का मामला है, बोरिंग करने का मामला है, उसमें जो गड़बडियां हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने क्या इसके लिए कोई कार्य योजना बनाई है और अगर बनाई है तो वह कब लागू होगी?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यान्वयन की सारी शक्तियां पहले ही राज्यों को दे दी गई हैं। हम इन कार्यक्रमों के लिए धन दे रहे हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में "पेयजल कार्यक्रम" नामक एक योजना है। 300 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। वहां जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर उतना धन मुहैया नहीं कराया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री बाबागौड़ा पाटील : यह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। उन्हें बोलने दीजिए। वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : यह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह इन कार्यक्रमों को लागू करे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में जो फिगर्स दी हैं, उसके हिसाब से वर्ष 1997–98 के लिए मध्य प्रदेश को 6,575 लाख रुपये और महाराष्ट्र को 23,461 लाख रुपये दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए क्या कोई मापदण्ड तय हुए हैं? यदि मापदण्ड तय हुए हैं तो कौन से नार्म्स अपनाये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नल जल आपूर्ति के लिए के. एम. डब्ल्यू., स्कीम बंद कर दी गयी है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : इस समय मानदण्ड 40 एल पी सी डी का है। इसलिए हम 40 प्रति दिन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री वीरेन्द्र सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपको भी बुलाउंगा मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह को बुलाया है। मैं आपको भी बुलाऊंगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गांवों में पेयजल के आभाव के लिए जो व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसके आंकड़े दिए हैं। पेयजल की एक योजना राज्यों में राजीव फाउंडेशन के माध्यम से चलाई जा रही है। जब राजीव फाउंडेशन बना था तो स्वयंसेवी संस्था होने के कारण, सरकार के माध्यम से, इसी सदन के माध्यम से, लगभग 1500–1600 करोड़ रुपये उसे दिए गए थे और उसमें गांवों में पेयजल की व्यवस्था कराने की योजना भी शामिल थी। राजीव फाउंडेशन को मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय से ही उस पैसे का निर्गमन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजीव फाउंडेशन गांवों में किस तरह पेयजल की व्यवस्था कराती है, उसका मानक क्या है, क्या आपने कभी उसकी जांच करने का प्रयास किया है? यदि जांच नहीं की है तो कब होगी और राजीव फाउंडेशन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था किस तरह हो रही है, क्या सरकार के पास इसकी कोई रिपोर्ट है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : राजीव गांधी प्रौद्योगिकी योजना खारे पानी और फ्लोराइडयुक्त पानी वाले समस्या प्रधान गांवों के लिए है। यह

योजना अब राज्य सरकार के पास है। हमने राज्य सरकारों को इस योजना का कार्यभार सौंप दिया है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मंत्री जी द्वारा दी गई सूची बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। कृपया आप मंत्री जी द्वारा सभापटल पर रखी गई सूची को देखिए। यह स्पष्ट नहीं है। इसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। कुछ छोटी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हमें उस शब्दावली के बारे में और आंकडों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको स्पष्ट विवरण दे देंगे।

श्री ए. सी. जोस : जहां तक करेल का संबंध है दी गई राशि बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसके कारण हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रश्न पूछा जाए। विवरण बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको साफ विवरण देने जा रहे हैं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप कृपया पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री ए. सी. जोस : हमें पता नहीं है कि केरल को कितनी धनराशि दी गई है। मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं। केरल के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया आप पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री पी. एस. गढ़वी : अनुबन्ध II में, माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की और आकृष्ट करना चाहता हूं कि त्वरित ग्रामीण जन आपूर्ति कार्यक्रम, उप–योजना और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, के अंतर्गत, मेरा जिला कच्छ (रन ऑफ कच्छ) आता है जो रेगिस्तान से पूरी तरह अच्छादित है मेरे जिले में कच्छ का आधा भाग आता है इसे केवल मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1995 में केवल 315 लाख रुपये, 1996 में 315 लाख रुपये और 1997 में 346 लाख रुपये दिये गए थे। जिसमें मुश्किल से 31 लाख रु. की वृद्धि की गई है।

मेरे जिले को पीने के पानी की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वहां कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। काफी लोग मर रहे हैं मेरा माननीय मंत्री जी से केवल यह प्रश्न है कि क्या वह गुजरात राज्य के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत दी जाने वाले अनुदान में वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : हम अधिक धनराशि की मांग कर रहे हैं। और सदस्य की चिंता पर ध्यान दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती प्रभाठाकुर को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, आप बैठ जाएं।

डा. प्रभा ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान के अनेक गावों में लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। मैं अजमेर की बात बताना चाहती हूं। वहां 1000 गांवों में लगभग 700 गांवों की जनता फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। इसके निराकरण के लिए पांच साल पहले जो काम प्रारंभ हुआ था उसका अभी तक प्रथम चरण भी पूरा नहीं हुआ है। जबकि देश के ही नहीं, विदेशों तक के दूरदर्शन में इसे दिखाया जाता है। आज हम 21 वीं सदी के कगार पर खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

डा. प्रभा ठाकुर : लोग इस पानी को पीकर कुबड़े और अपाहिज होने को लाचार हैं। यह समस्या बहुत ही गंभीर है इसलिए मैं जल संसाधन मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कब तक इस समस्या का समाधान होगा और इस पर प्राथमिक तौर पर कार्यवाही करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटिल : महोदय इस उद्देश्य के लिए हमने राज्य सचिवों और राज्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। उसी संबंध में, हम कुछ कार्य कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मनोरंजन भक्त को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : कृपया इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा कराई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप देश के ऐसे छोटे द्वीप हैं जहां पर पीने के पानी की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह राज्य का दायित्व होगा और केन्द्रीय सरकार राज्य को सहायता देगी। लेकिन जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है यह केन्द्र सरकार की दया पर निर्भर करेगा। इस संदर्भ में आपने क्या कार्यवाही की है? यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके विवरण में आपने तीनों वर्षों में इस द्वीप को एक भी पैसा नहीं दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेषकर यह पूछना चाहता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्र को पेय जल की आपूर्ति करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री बाबागौड़ा पाटील : यदि ऐसी बात है तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले सुरेन्द्रनगर में

पानी की सबसे अधिक समस्या है। हमारे सभी गांव बिना पानी के हैं और पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, काफी खुदाई करनी पड़ती है। पानी के लिए कोई और स्त्रोत नहीं है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पानी की समस्या महिलाओं के लिए अधिक है इसलिए उनको चांस दिया जा रहा है।

श्रीमती भावना कर्दम दवे : जब मैं अपने क्षेत्र में गई तो वहां सभी महिलाओं ने आंखों में आंसू भरकर यह समस्या मुझे बताई। हमारे यहां तालाब की खुदाई के लिए यंत्रों की, मशीनों की जरूरत है, लेकिन वे हमें मिलती नहीं है। हमें अगर बुलडोजर और अन्य मशीनें मिल जाएं तो हम गांवों में तालाब खोदकर बारिश का पानी संग्रह कर सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसे यांत्रिक विभाग की स्थापना करके मशीनें सप्लाई की जा सकती हैं जिससे हमारे यहां गुजरात में पानी की समस्या न रहे। क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है और इस बारे में सरकार की क्या नीति है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : अध्यक्ष महोदय, तालाब खोदने के लिए ऐसी बड़ी मशीनों के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवाले। कृपया आप सीधे अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए नहीं तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आई.आर.डी.पी. योजना के अंतर्गत आज तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस मामले की महत्ता के बारे में गंभीर है तो हम इस पर आधें घंटे की चर्चा करा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को पुनः चालू करना

***24. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बदहाल इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को पुनः चालू करने अथवा उसका आधुनिकीकरण करने के प्रस्ताव में असाधारण विलम्ब किया गया है जिसके कारण लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) "इस्को" के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और अन्तिम रूप से तैयार किये गये योजना प्रस्ताव, उसके आर्थिक प्रभावों और क्रियान्वयन की समय-सारणी संबंधी प्रमुख बातों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) से (ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) का मामला जून, 1994 में बी. आई. एफ. आर. को सन्दर्मित किया गया था। इस्को के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार किया गया परंतु मुख्य रूप से धन की कमी के कारण इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इस्पात विकास निधि (एस. डी. एफ.) की धनराशि का उपयोग करके इस्को के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चूंकि इस्को का मामला बी. आई. एफ. आर. को संदर्मित कर दिया गया है इसलिए आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना इस संबंध में बी. आई. एफ. आर. के आदेशों के अनुरूप होगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

***25. श्री चन्दूलाल अजमीरा :**

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं की वैज्ञानिक और व्यवस्थित समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (ग) जी हां।

निम्नलिखित प्रणालियों के जरिए इस मंत्रालय के कार्यक्रमों की वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित समीक्षा की जा रही है जैसे (क) आवधिक प्रगति रिपोर्ट, (ख) वित्तीय विवरणियां (वार्षिक)/रिलीज प्रक्रियाएं (ग) निरीक्षण (घ) राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों, सचिवों, आयुक्तों आदि द्वारा समीक्षा और निगरानी (ड़) प्रगति की समीक्षा और जानकारी

प्राप्त करने के लिए राज्यों के सचिवों, आयुक्तों, परियोजना निदेशकों एवं मुख्य इंजीनियरों के साथ दिल्ली में आवधिक बैठकें करना (च) क्षेत्रअधिकारियों द्वारा दौरे, (छ) समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट और संसद की स्थायी समितियां, सलाहकार समितियां तथा (ज) मंत्रालय के कार्यक्रमों की गहन और व्यवस्थित रूप से समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समितियों/दलों की नियुक्ति। इन समीक्षा प्रणालियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों को समय-समय पर पुनः तैयार और पुनर्गठित किया गया है।

भारत सरकार ने 1.1.1996 से जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन किया और सरल बनाया है। जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना अर्थात इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना को स्वतंत्र और पृथक योजनाएं बना दिया गया है। अब जवाहर रोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक पृथक योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। बेहतर कार्यान्वयन और पंचायतों के तीनों स्तरों की भागीदारी के लिए जवाहर रोजगार योजना की निधियों का 15% भाग मध्य स्तरीय पंचायतों के लिए निर्धारित किया गया है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का आबंटन अब 15:15:70 के अनुपात में किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना जो 2 अक्टूबर, 1993 से 261 जिलों के ऐसे 1778 ग्रामीण ब्लाकों में शुरू की गयी थी जिनमें पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, को अब देश के सभी ब्लाकों में लागू कर दिया गया है। समीक्षा प्रणालियों और प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सेवाएं और मजदूरी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

जहां तक स्वरोजगार कार्यक्रमों का संबंध है, मेहता समिति (1993) और हाशिम समिति (1997) की सिफारिशों के अनुरूप ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से और निचले स्तर पर इसके स्वरूप में स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों के अनुरूप परिवर्तन करके इसको पुर्नगठित करने और वर्तमान स्वरोजगार कार्यक्रमों, अर्थात ट्राइसेम, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति, डवाकरा और गंगा कल्याण योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिलाने की आवश्यकता है।

तत्काल आरक्षण योजना

*26. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे ने तत्काल आरक्षण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना सभी रेलगाड़ियों के लिए शुरू की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना का मुख्य उद्देश्य सदाशयी यात्रियों को अल्प सूचना पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराना तथा दलालों की गतिविधियों को हतोत्साहित करना है।

(ग) और (घ) फिलहाल यह योजना केवल कुछ गाड़ियों में लागू की गई है, और इसे मांग के रुख, परिचालनिक तंगियों आदि को ध्यान में रखते हुए, उत्तरोत्तर अन्य गाडियों में भी लागू किया जाएगा।

जवाहर रोजगार योजना का तीसरा चरण

*27. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री रवि सीताराम नायक :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना का तीसरा चरण आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस चरण के अंतर्गत अब तक कौन-कौन से कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं;

(ग) इस चरण के लिए विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के किन-किन ज़िलों का चयन किया गया है;

(घ) प्रत्येक राज्य को गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ड.) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन का कार्यानिष्पादन क्या रहा; और

(च) वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड.) विशेष और अभिनव परियोजनाएं जिनका उद्देश्य श्रमिकों का पलायन रोकना, महिला रोजगार बढ़ाना, सूखा पर नियंत्रण और वाटरशेड तथा बंजर भूमि विकास आदि करना तथा ऐसी परियोजनाएं, जिनसे स्थायी रोजगार सृजन होता है, इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन अथवा निर्धारण नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाओं सचिव, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन की अध्यक्षता वाली केन्द्र स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा जांच की जाती है और अनुमोदित की जाती हैं। स्वीकृत की गई और कार्यान्वित की गई राज्य/जिला वार और वर्ष-वार परियोजनाओं तथा की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) वर्ष 1998-99 के लिए योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

1993-94 के दौरान अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत कुल लागत	स्वीकृत केन्द्रीय अंश	आज तक जारी केन्द्रीय अंश	कुल उपलब्ध निधि	सूथित खर्च	कुल उपलब्ध निधि में से व्यय का प्रतिशत	कुल परियोजना लागत में से प्रतिशत	गतिविधियां	वास्तविक निष्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आन्ध्र प्रदेश									
1.	अनंतपुर जिले में मेढक सराय में बाढ़ पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 6275 आवासों (इन्दिरा आवास योजना) का निर्माण	514.04	411.22	411.22	514.03	501.28	97.52	97.52	आवास (संख्या)	निर्मित- 3982 निर्माणाधीन-463
2.	अन्तपुर जिले में बकरी से वंचित के लिए अर्ध–गहन भेड़ प्रबंध द्वारा परिस्थिति प्रणाली का सुधार	370.00	120.00	120.00	150.00	75.00	50.00	20.27	शेड का निर्माण (संख्या) 2000 ईकाइयों का वितरण लाभार्थियों की संख्या	निर्मित -2000 1450 750
	बिहार									
3.	मधुबनी जिले में मछली पालन के विकास के लिए विशेष परियोजना	135.69	108.55	54.78	68.47	54.45	79.52	40.13	निर्मित आवास (संख्या) स्वच्छ शौचालय (संख्या) निर्मित सम्पर्क सड़क (संख्या) सामाजिक वानिकी (है.)	20 निर्मित-3 1 2
4.	लौहरदगा जिले के आदिम जन–जातियों के लिए आवास और आयोपार्जन कार्यक्रम	92.15	73.72	73.72	92.15	71.6	77.69	77.59	निर्मित आवास (संख्या) सौर लालटेन का वितरण (संख्या) खुले कुएं (संख्या) लगाए गए पेड़ (संख्या) वनरोपण क्षेत्रफल (है.)	532 273 निर्मित-4 6406 32.06
	हिमाचल प्रदेश									
5.	कांगड़ा जिले में 2000 ई. तक आत्मनिर्भरता की ओर	200.00	160.00	160.00	200.00	142.69	71.35	71.34	निर्मित मकान (संख्या) औषधीय पौधे (है.) पुष्पोत्पादन (है.)	2 11.88 7.17
	जम्मू व कश्मीर									
6.	कुपवाड़ा, अनन्तनाग, पुलवामा और बारामूला में समन्वित विशेष कार्यक्रम	600.00	480.00	480.00	600.00	483.72	80.62	80.62	निर्मित आवास (संख्या)	1331
7.	जम्मू व कश्मीर में सुचेतगढ़ पंचायत तथा जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती गांवों के लिए वृहत स्वच्छता कार्यक्रम	184.15	120.00	120.00	150.00	82.39	54.92	44.73	स्वच्छ शौचालय का निर्माण (संख्या)	630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कर्नाटक									
8.	ग्रामीण निर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार	14.82	14.82	9.01	9.01	5.93	65.81	40.01	स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण मकान और प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, लाइम पोजोलोन, सीमेण्ट उत्पादन, काष्ठ प्रजती का रोपण, मैनुअल की तैयारी आदि के लिए मामले में परियोजना चल रही है।	
9.	विद्युतीकरण और स्थायी विकास के लिए बायोमास ऊर्जा तथा जल प्रणाली	15.16	15.16	11.82	11.82	13.66	115.57	90.23	वृक्षारोपण (संख्या) फैंसिंग (संख्या) सिंचाई कुएं तथा पम्प (संख्या) गैसीफायर इंजन सिंचाई के लिए पाईप बिछाना(किसान) पेयजल टैंक/पाईप बिछाना (सं.) रोजगार (श्रमदिन)	2000 3 पूर्णता 4 प्रमाण–पत्र 1 अभी आना बाकी है) 20 43 7495
10.	तुमकुर जिले में आई.आई.एस. बंगलौर द्वारा बायोमास ग्रामीण ऊर्जा केन्द्रों को चलाया गया।	21.21	21.21	6.27	6.27	0.29	4.63	1.37	ऊर्जा केन्द्र सं.	4
11.	दक्षिण कन्नड़ जिले के करकला तालुक जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत येन्नेहोल वाटरशेड का विकास	304.14	243.31	243.31	304.13	226.89	74.60	74.60	कृषियोग्य भूमि (है.) फार्म तालाब (सं.) गैर कृषि–योग्य भूमि (है.) वृक्षारोपण (संख्या) वितरण चैनल (सं.) स्कूल की बागवानी (सं.) नाले की सफाई (नाला) रिवेट लगाना (मीटर) नर्सरी (सं.) फल व बागवानी (संख्या लाख में)	572 45 1310 100000 16276 2384 468 6790 150 0.31
12.	कृष्णातीर यवक संघ द्वारा पट्टाडाकन बैरेज जामकुड बीजापुर की कृषकों की अनोखी सिंचाई परियोजना	105.00	105.00	55.00	55.00	0.00	0.00		परियोजना रद्द हो गयी और 24-12-97 को 73,66,855/- रुपए की केन्द्रीय रिलीज की वसूली की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आपत्ति के कारण परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई।	
13.	सिमोगा जिले में अगावा बीज का उत्पादन	80.50	66.00	22.00	27.50	0.00	0.00		खेत तैयार करने के अकारण विलंब होने के कारण क्रम सं. 13, 14 तथा 15 की परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि जारी धन को वापिस कर दे।	
14.	चिकमंगलूर, सिमोगा तथा धारवाड़ जिले में बांस का बीज उगाना	67.04	53.63	17.88	22.35	0.00	0.00			
15.	बंगलौर और कोसार जिले में इमली के उत्पादन के लिए बड़े बीज	8.22	6.58	2.19	2.74	0.00	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मध्य प्रदेश									
16.	रीवा जिले में अडवा नाला वाटर शेड और विकास	272.23	217.78	145.18	181.48	86.95	47.91	31.94	मृदा संरक्षण (सं.) निर्मित सड़क (सं.) आयोपार्जक गतिविधियां	7 12 और 11,000 मी. 489 लामार्थी
17.	शहडोल जिले में मैकाल हिल एरिया डेवलपमैण्ट	438.00	350.40	233.60	292.00	145.88	49.96	33.30	निर्मित सड़कें (सं.) मृदा सरक्षण (हैकाई)	3 68
18.	मध्यप्रदेश के 20 चुने हुए गांव में महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार	87.50	87.50	87.50	87.50	68.62	78.42	78.42	नर्सरी (इकाई) कौशल में सुधार और प्रशिक्षण (व्यक्ति)	5 332
19.	झबुआ जिले में मथवार क्षेत्र विकास	206.74	165.39	82.69	103.36	68.61	66.38	33.18	सड़क का निर्माण (सं.) पुलिया (कि. मी.)	26 10.81
	मणिपुर									
20.	नागा–कुकी संघर्ष से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और पुर्नस्थापन पैकेज	224.00	179.20	179.20	224.00	224.00	100.00	100.00	निर्मित आवास (सं.)	2195
	उड़ीसा									
21.	घोडाडियन लिफ्ट सिंचाई विशेष परियोजना के लिए परियोजना	6.60	3.15	3.15	6.60	6.60	100.00	100.00		परियोजना पूर्ण हो गयी।
	सिक्किम									
22.	गंगटोक में अ. जा./अ. ज. जा. के लिए अभिनव और विशेष कार्यक्रम	518.40	200.00	200.00	250.00	199.84	79.94	38.55	जी. सी. आई. शीट का वितरण किया गया	3281 परिवार
	तमिलनाडु									
23.	पेरियार जिले के सलिया मंगलम पंचायत संघ में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना	104.00	83.20	83.20	104.00	102.00	98.08	98.08	मध्यम चेकडैम का निर्माण (सं.) बड़े चेकडैम का निर्माण (सं.) रन ऑफ–प्रबंध ढांचा (सं.) पलश्तर पुश्ता–दीवार (मीटर)	48 28 14-पूर्ण हो गई 185-पूर्ण हो गई
24.	तिरूनेलवेली जिले के कुरूविकुलम ब्लाक में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना	10.40	8.32	8.32	10.40	10.40	100.00	100.00	कोरारी (सं.) लघु सिंचाई कार्य (सं.)	48-पूर्ण हो गई 4-पूर्ण हो गई
	उत्तर प्रदेश									
25.	झांसी जिले के लिए मृदा और जल संरक्षण	390.00	312.00	312.00	390.00	390.00	100.00	100.00	मृदा और जल संरक्षण कार्य (सं.) आवास का निर्माण (सं.)	2-पूर्ण हो गई 324-पूर्ण हो गई 10-चल रहा है
26.	उत्तरांचल चारा घास और बीज उत्पादन कार्यक्रम	294.00	235.20	235.20	294.00	160.000	68.02	54.42	चारा बीज उत्पादन की स्थापना (है.) किसान बीज उत्पादन इकाई की स्थापना मिनिकिट जिला (सं.) किसानों का प्रशिक्षण (सं.) साहित्य का प्रकाशन अनुसंधान और विकास प्रकाशन (सं.) घास बीज (क्वी.) जमा हुआ बीज (क्वी.) घास चारा (क्वी.)	470 164 1100 1200 1000 पुस्तकें 20 39.27 9000 58201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	बांदा जिला में विशेष इंदिरा आवास योजना	345.20	276.19	276.19	345.24	341.43	98.09	98.90	इंदिरा आवास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित आवास (सं.) स्कूल भसन का निर्माण	703 और 558 पर काम चल रहा है 113-पूर्ण हो गई।
	पश्चिम बंगाल									
28.	सुन्दरवन क्षेत्र में विशेष रोजगार योजना	2500.00	2000.00	2000.00	2500.00	2095.62	83.24	83.82	इमजैकमैंट का सुधार (कि. मी.) लघु सिंचाई का विकास (कि. मी.) बागवानी का विकास (है.)	50 44 50 और एक लाख पेड़ भी लगाए
	कुल	8109.23	5997.53	5153.43	7002.05	5557.85	79.37	88.54		

1994-95 के दौरान अभिनव जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत कुल लागत	स्वीकृत केन्द्रीय अंश	आज तक जारी केन्द्रीय अंश	कुल उपलब्ध निधि (राज्य आरक्षित)	सूचित खर्च	कुल उपलब्ध निधि में से व्यय का प्रतिशत	कुल परियोजना लागत में से प्रतिशत	गतिविधियां	वास्तविक निष्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आंध्र प्रदेश									
1.	सामुदायिक अन्न निधियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली	95.88	95.88	81.77	81.77	53.72	71.81	61.24	प्रत्येक बाजार यार्ड में 100 एकड़ की कवरेज वाले 30 गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एवजी रूप में ग्राम स्तर पर रखा खादय उत्पादन और वितरण के लिए है।	आय और ऋण वसूली के सकारात्मक प्रभाव के साथ भूमि प्रक्षेपण का 2675 एकड़ प्रगति पर है।
	असम									
2.	ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्राम बाजारों को सदृढ़ करना	500.00	400.00	400.00	500.00	500.00	100.00	100.00	विपणन यार्ड	90 हैक्टेयर परियोजना पूरी हो गई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	बिहार									
3.	पश्चिम सिंहभूम के आदिम जनजातियों (बिहोर) का उत्थान करना।	73.09	37.90	18.95	23.69	13.32	56.23	18.22	रस्सी/पत्ता/टोकरी कृषि–फार्म वानिकी बकरी/सूअर/मधुमक्खी पालन भूमि को समतल करना	परियोजना जारी है।
4.	पुरनिया डिवजन के चार जिलों में बांस बोरिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शत–प्रतिशत सिंचाई	600.00	480.00	400.20	500.25	297.61	59.49	49.60	बांस से बोरिंग पंप सेट	परियोजना जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	बिहार के आदिम जनजाति के समूहों का विकास	1695.65	1356.53	904.36	1130.45	1123.51	99.39	66.26	वैयक्तिक लाभार्थी योजना	3402 लोग
6.	रांची के आदिवासी उप–योजना क्षेत्र में बागवानी का विकास	46.78	37.42	18.71	23.39	17.87	76.40	38.20	बागवानी का प्रशिक्षण	402 लोग
	हरियाणा									
7.	गुडगांवा और फरिदाबाद जिले में उकवोड आहार मस्त्य पालन से आय को सृजन और आर्थिक विकास	15.59	15.59	9.54	9.54	8.25	86.48	52.92	गुड़गांवा जिले के दामामा जिले तथा बहुकल, सोताही और फरीदाबाद में प्रगति में अनुसंधान	परियोजना जारी है।
	गुजरात									
8.	सावरकुंडला तालुका, भावनगर जिले में जल संसाधन विक.,स	296.30	241.18	241.18	296.30	351.74	118.71	118.71	नाला प्लेंग, चैक डैम परिस्रवण टैंक भूमि समतल	806 और 78 30 संख्या 3711 हैक्टेयर परियोजना पूरी कर ली गई है, रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
9.	भावनगर के सनोसरा तालुका में जल संसाधन विकास	133.50	106.40	45.70	64.50	52.79	81.84	39.54	नाला प्लेंग, चैक डैम	
10.	पंचमहल जिले के आदिवासी क्षेत्रों में जल संसाधन विकास का सामुदाय द्वारा प्रबंध	471 90	330.33	330.33	412.91	404.04	97.85	85.62	उठान सिंचाई चैक–डैम बाढ़ सुरक्षित ढांचा	16 संख्या 12 संख्या 1 कि. मी.
	हिमाचल प्रदेश									
11.	सोलन जिले में समेकित डेयरी विकास परियोजना	220.51	176.40	113.12	141.40	139.01	98.31	63.04	गर्भाधारण गन क्षार यूरिया उपचार दूध एकत्र करने वाले वाहन	परियोजना जारी है।
	जम्मू व कश्मीर									
12.	लद्दाख गांव का विकास (डी आर डी ओ (रक्षा मंत्रालय)	43.00	28.00	25.10	25.10	20.65	82.27	48.02		परियोजना जारी है।
13.	लेह जिले में ग्रीन हाउसिंग का निर्माण	150.00	120.00	120.00	150.00	135.00	90.00	90.00	ग्रीन हाउसिस	1500 संख्या परियोजना पूरी हो गई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	कर्नाटक									
14.	ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने तथा निरंतर विकास के लिए बायो–मास एनर्जी सिस्टम	4.74	4.74	3.23	3.23	1.46	45.20	38.80	सहकारी सोसाइटी की स्थापना करना हैंडपंप जल हौज कृषि तकनीकी उत्पादन	परियोजना जारी है।
	केरल									
15.	वायानाड जिले में प्रियदर्शिनी चाय इस्टेट में सूखे से सुरक्षित बंजरभूमि का विकास तथा मृदा संरक्षण	81.85	23.70	23.70	81.85	42.03	51.36	51.35	मृदा संरक्षण चाय के पेड़ों का पौधरोपण	परियोजना जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	अलापुजहा जिले के हरिपद जिले में दो आदर्श धान खेतों का विकास	87.86	65.49	35.15	43.94	42.24	96.13	48.08	धान के खेतों का विकास	परियोजना जारी है।
	मध्यप्रदेश									
17.	होशंगाबाद (एन. जी. ओ.) जिले के धारणीय विकास हेतु कार्य–कुशलता को उन्नत बनाना।	67.80	51.55	38.15	47.69	33.03	69.26	48.72	वाटरशैड एप्रोच सड़क स्टॉप डैम–फो–रोस्टो	परियोजना जारी है।
	महाराष्ट्र									
18.	गढ़चिरौली जिले में उन्नत मछली पालन के लिए धान के खेतों को गहरा करना	300.00	240.00	240.00	300.00	225.96	75.32	75.32	जल निकायों को गहरा करना लाभार्थियों को उपलब्ध कटाई गई परिसम्पत्तियां	214 संख्या 428
19.	पुणे जिले में जैव–विविधता संरक्षण	21.66	17.25	5.75	7.10	14.37	100.86	66.34	यह परियोजना चिकित्सा पौधों, स्थानीय फलों, सुध्यवस्थित खेती और नर्सरी आदि को बढ़ाती है।	
	मणिपुर									
20.	विष्णुपुर में लोकटक लेक को तैरने वाले मछेरों का पुनर्वास	232.52	186.02	93.01	116.26	26.05	22.41	11.20		परियोजना जारी है।
21.	झूम खेती के माध्यम से बड़ी मात्रा में फार्म वानिकी कार्यक्रम	231.00	184.80	184.80	231.00	101.64	44.00	44.00		परियोजना जारी है।
	राजस्थान									
22.	बारन जिले में सिहारीयास विकास	500.00	400.00	78.00	97.50	93.50	95.90	18.70	वैयक्तिक लाभार्थी कार्यक्रम हॉस्टल नर्सरी लाभार्थियों को दिए गए कृषि कार्यक्रम ऐनीकट	 4 संख्या 2 संख्या 501 5
	त्रिपुरा									
23.	उत्तरी त्रिपुरा में लोंगी घाटी में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजना	159.15	98.04	98.04	122.55	122.55	100.00	77.00		जारी है।
	उत्तर प्रदेश									
24.	बाराबंकी जिले के मसौली गांव का समग्र विकास	70.62	56.50	56.50	70.62	70.62	100.00	100.00	इंदिरा अवास योजना ईंटों का खडंजा हैंड पंप	परियोजना पूरी हो गई है। रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।
25.	वाराणसी जिले के हथकरघा बुनकरों के लिए आवास परियोजना	299.72	239.78	119.89	149.86	87.48	58.37	29.19	बाढ़ सुरक्षा आवास, 2000	परियोजना जारी है।
26.	मिर्जापुर के हलिया विकास खण्ड के 1000 कोल परिवारों के लिए आवास परियोजना	250.00	200.00	66.67	83.34	77.70	93.23	31.08	इंदिरा आवास योजना के आवास	333 संख्या
	कुल	6649.12	5193.50	3751.85	4714.33	4061.14				

1995-96 के दौरान आंभेनव जवाहर रोजगार योजना के अतगत प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत कुल लागत	स्वीकृत केन्द्रीय अंश	आज तक जारी केन्द्रीय अंश	कुल उपलब्ध निधि राज्य के अंश सहित	सूचित खर्च	कुल उप-लब्ध निधि में से व्यय का %	कुल परियोजना लागत में से प्रतिशत	वास्तविक निष्पादन प्रमुख गतिविधियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आंध्र प्रदेश									
1.	कुर्नूल जिले में रोजगार सृजन की रेशम उत्पादन परियोजना	50.00	40.00	20.00	25.00				1) वैयक्तिक गृह–वर्कशैड 2) नागरिक सुविधाएं 3) रेशम विकास 4) चरखा विकास 5) भूमि विकास	जारी
2.	कुर्नूल जिले में गरीबों के बीच समन्वित आवास विकास	229.00	239.00	119.99	149.99				गृह निर्माण	जारी
3.	महबूब नगर में अर्ध गहन प्रबंध प्रणाली क्रॉस ब्रिडिंग के अंतर्गत पेड़ उत्पादन	300.00	240.00	80.00	100.00				1) बुनियादि सुविधा विकास 2) पेड खरीद और बिक्री	जारी
4.	कुर्नूल जिले में अनु. जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों का व्यापक विकास	299.99	240.00	92.46	115.57					जारी
	बिहार									
5.	सुपोल जिले में बांस बोरिंग के लिए जरिए 100 % सिंचाई	144.96	115.97	57.98	72.47				1.3 एकड़ के लिए 8886 बांस बोरिंग	जारी
6.	सहरसा जिले में बांस बोरिंग के जरिए 100 % सिंचाई	28.50	22.80	22.80	28.50				1500 और 300 डीजल पम्प सैट	जारी
7.	मधेपुरा जिले में बांस बोरिंग के जरिए 100 % सिंचाई	172.00	137.60	68.80	86.00				4000 और 800 डीजल पम्प सैट	जारी
	गुजरात									
8.	बलसाड जिले के धर्मपुर और बांसडा तालुका में जल संरक्षण ढांचे के निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि	300.00	240.00	240.00	300.00	16.66	5.55	5.55	73 चैक–डैम	58 चैकडैम जारी
	हिमाचल प्रदेश									
9.	शिमला में विविधीकरण परियोजना	306.72	245.38	118.80	148.50				नर्सरी, बागवानी विकास, किसानों का प्रशिक्षण, इनपूट वितरण, बुनियादी सुविधा विकास आदि	जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	सिरमौर जिले में गैर मौसमी सब्जी उत्पादन	100.00	80.00	27.85	34.81	27.20	78.14	27.20	1) प्रशिक्षण और संगोष्ठी 2) सब्जी, मिनिकिट का वितरण 3) प्रदर्शनी 4) पौधा उत्पादन उपकरण और प्लास्टिक 5) ग्रीन हाऊस का निर्माण 6) जल भंडार का निर्माण 7) सब्जी के बीच का वितरण	 80 1000 15 10 100 व्यक्ति
11.	ऊना जिले में वैन उद्योग का विकास	70.00	56.00	33.63	42.04	15.81	37.61	22.59	भवन और मशीन प्रशिक्षण	जारी
	जम्मू व कश्मीर									
12.	कारगिल जिले में पोलीग्रिन हाऊस का निर्माण	150.00	120.00	60.00	75.00	75.00	100.00	50.00	ग्रीन हाऊस	3000
	कर्नाटक									
13.	उत्तर कन्नड जिले के जोइडा तालुका का समन्वित विकास	136.20	108.96	72.64	90.80	39.11	43.07	28.72	1) डाइवर्जन चैनल 2) बैंक टैरिस, पौध रोपण भूमि समतलीकरण 3) सिंचाई प्रबंध 4) पेयजल 5) ग्रामीण ऊर्जा 6) संचार 7) ग्रामीण उद्योग 8) कृषि बीज वितरण 9) कृषि इनपुट वितरण 10) कीटनाशक आपूर्ति 11)स्टोरेज बिन	10432 74.77 हैक्टेयर 3 5 298 6.5 कि. मी. 20 68 क्विंटल 1504 312 हैक्टेयर 146
14.	उत्तर कन्नड जिले के हलियल तालुका में बोमनहाली वाटर शेड विकास	235.70	188.56	50.00	62.50	22.28	35.65	9.45	1) कृषि भूमि उपचार 2) ड्रैनेज लाइन उपचार 3) बागवानी	1178 हैक्टेयर 866 हैक्टेयर 27 हैक्टेयर
15.	बेलारी जिले के हडागली तालुक में सूखा से मुक्ति के लिए स्थायी उपाय	10.00	10.00	10.00	10.00	6.29	62.90	62.90	यह अनुसंधान परियोजना पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	
	मध्य प्रदेश									
16.	विदिसा जिले के सिरौन और लटेरी ब्लाक में विशेष परियोजना	300.00	240.00	70.72	88.40	27.66	31.29	9.22	1) वर्कशेड 2) तार लगाना 3) सिंचाई 4) पौधारोपण 5) वाटरशेड विकास	10 36 हैक्टेयर 36 हैक्टेयर 6000 हैक्टेयर 7 वाटरशेडों में कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	बस्तर जिले में रेशम परियोजना	284.85	231.00	129.86	162.32	78.00	48.05	27.32	रेशम उत्पादन विकास	जारी है।
	महाराष्ट्र									
18.	भंडारा जिले में रेशम उत्पादन परियोजना	17.50	14.00	1.75	2.86	2.86	100.00	16.34	रेशम उत्पादन गतिविधियां	i) पौधारोपण 12.5 हैक्टयर ii) निर्दिष्ट लाभार्थी 30 iii) प्रशिक्षणपूर्ण
	नागालैंड									
19.	जनभागीदारी के जरिए ग्राम निर्माण कार्यक्रम	100.00	80.00	80.00	100.00				i) नर्सरी ii) सिंचाई नहर iii) मछली तालाब iv) सृजित परिसम्पत्तियां	20 27 20 26 हेक्टयर
	उड़ीसा									
20.	फूलबनी जिले में मसाले की खेती	309.45	247.56	119.44	149.30	15.21	10.19	4.92	i) हल्दी ii) अदरक iii) पुष्पोत्पादन	48.5 हैक्टेयर 14.8 हैक्टेयर 0.40 हैक्टेयर
21.	खुर्द जिले में नीलादरी और देमिया बाराबारा पंचायतों का विकास	66.00	52.80	52.80	66.00	1.20	1.82	1.82	i) बागवानी विकास ii) लघु सिंचाई और मछली तालाब iii) सड़क पुलिया iv) सौर प्रकाश व्यवस्था v) प्रशिक्षण	परियोजना जारी
22.	बलसौर जिले के सौरी ब्लाक में जन संरक्षण ढांचे का निर्माण	13.60	10.88	10.88	13.60	13.60	100.00	100.00	i) पुल का निर्माण ii) जल संरक्षण ढांचा	4 3
23.	कोरापुट जिले में सिरूल, पौध रोपण	189.48	151.58	55.58	69.47	69.48	100.01	36.67	1) पौधरोपण	1500 हैक्टेयर
	राजस्थान									
24.	उदयपुर जिले में कथौडी समुदाय का विकास	233.58	186.86	93.43	116.79				कृषि विकास बीच और कृषि औजारों का वितरण, निम्नीकृत वनों का पुररुद्धार कुएं की खुदाई कृषि कुआं की क्रियाशील करना मकानों, चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	परियोजना जारी है
25.	बांसवाड़ा जिले में पीपलखूट पंचायत समिति के लिए अभिनव परियोजना	100.00	80.00	40.00	50.00					जारी
	तमिलनाडु									
26.	अन्नामलाई इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण में जन जाति विकास के लिए कार्य योजना	300.00	240.00	132.00	165.00	145.28	88.05	48.43	i) आवास ii) भूमि विकास iii) पेयजल आपूर्ति iv) सम्पर्क सड़क	459 160 हैक्टेयर 2 6
	कुल	4447.53	3619.91	1861.41	2324.92	555.64	23.90	12.49		

1996-97 के दौरान आभनव जवाहर रोजगार योजना के अतगंत प्रभावित

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत कुल लागत	स्वीकृत केन्द्रीय अंश	आज तक जारी केन्द्रीय अंश	कुल उपलब्ध निधि	सूथित खर्च	कुल उप-लब्ध निधि में व्यय का प्रतिशत	कुल परियोजना लागत में से प्रतिशत	वास्तविक निष्पादन प्रमुख गतिविधियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	हिमाचल प्रदेश									
1.	ग्रीन गोल्ड ट्रैक मंडी जिला	100.26	80.21	58.56	94.51	87.36	92.43	87.13	i) प्रसंस्करण केन्द्र और कटे फूलों का वर्गीकरण और पेकिंग	पूरा किया और कार्यरत
									ii) प्रदर्शन आदि।	दो ग्रीनहाऊसों में प्रर्दशन कार्य चालू है।
									iii) सिंचाई, स्प्रिंग कलर्स, लगाना	कार्य पूरे किऐ
									iv) फार्म हाउस के लिए पावर टिलर	कार्य पूरे किए
									v) शीतागार	कार्य पूरे किए
									vi) सहकारी–समितियां	6
	कर्नाटक									
2.	हसन जिले के मलन्द क्षेत्र का सतत विकास	20.00	16.00	16.00	20.00	1.41	7.05	7.05	i) सम्पर्क मार्ग	2
									ii) मृदा और जलसंरक्षण	5
										परियोजना प्रगति पर है।
	मणिपुर									
3.	सिट्रोनेला घास उगाकर और वितरण करके लमलौंग जिले की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार	25.00	20.00	15.00	25.00	14.36	57.44	57.44	सिट्रोनेला को उगाना	68 हैक्टेयर
	उत्तर प्रदेश									
4.	ललितपुर जिले में सहरिया के लिए सामुदायिक विकास परियोजना	100.00	80.00	40.00	50.00	41.75	83.50	41.75	i) सिंचाई कुओं का निर्माण	21
									ii) गोंट रिपेयरिंग	100
									iii) मृदा संरक्षण	17 कार्य
5.	सहारनपुर जिले के धरेरिया के लिए समन्वित वाटर शैड विकास	209.81	167.84	167.84	209.80	87.82	41.86	41.86	i) मृदा और जल संरक्षण	2029 हैक्टेयर
									ii) रोक बांध और अन्य कार्य	चालू
	कुल	455.47	364.05	297.40	399.31	232.70	58.28	51.13		

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्डों मे भ्रष्टाचार

*28. **श्री मोती लाल वोरा :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्डों के चेयरमैनों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के संबंध में अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले के बारे में सी.बी.आई. द्वारा जांच कराऐ जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने रेलवे भर्ती बोर्डों को पुनगर्ठित करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान रेल भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष सहित अधिकारियों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार की 64 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः ये शिकायतें पैसा लेकर चयन करने से संबंधित थीं, जिसमें प्रवरण प्रक्रिया में बिचौलियों का शामिल होना, प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी आदि शामिल हैं।

(ग) से (ड़) तीन मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। 18 मामलों में आरोप सिद्ध हो नहीं सके। केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा तीन मामलों को नियमित मामले के रूप में दर्ज किया गया है। अन्य तीन मामलों को जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को सौंप दिया गया है। शेष 37 मामले सतर्कता जांच के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, सतर्कता जांच के आधार पर अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद और भोपाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(च) और (छ) रेल भर्ती बोर्डों के कार्यकलाप की हाल ही में समीक्षा की गई है और इन्हें कारगर बनाने के लिए नीचे दिए गए अनुसार अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:–

(i) रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के स्तर पर रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड नाम का एक उच्च निकाय गठित किया जाना जिसमें सदस्य कार्मिक रेलवे बोर्ड, अपर सदस्य (कार्मिक) और अपर सदस्य (सतर्कता), रेलवे बोर्ड को सदस्य के रूप में तथा कार्यपालक निदेशक, स्थापना (रे.म.बो.) रेलवे बोर्ड को सचिव के रूप में हैं जो नीति विषयक मार्ग निदेश जारी करेंगे और रेल भर्ती बोर्डों के कार्यकलापों को देखेंगे;

(ii) रेलवे से बाहर के सभी तदर्थ अध्यक्षों की सेवाएं समाप्त करना तथा अध्यक्ष/रे.म.बो. के रूप में तदर्थ आधार पर कार्यरत प्रवरण/कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के सभी सेवारत रेल अधिकारियों को वापस भेजना;

(iii) चण्डीगढ़ और जम्मू–श्रीनगर के रेल भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष के दो पदों, जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है, को छोड़ कर क्षेत्रीय रेलों के वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड के पदों को भरा गया है;

(iv) सदस्य सचिव और सहायक सचिव के पदों के पदाधिकारियों को उपयुक्त ग्रेड़ों के रेल अधिकारियों से बदलना और सभी रेल भर्ती बोर्डों के ग्रुप ग और घ के कर्मचारियों को बदलना;

(v) अ.जा./अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक जाति के गैर–सरकारी सदस्यों को साक्षात्कार समितियों में शामिल करने की पद्धति को बदलना और इन जातियों के सेवारत रेल अधिकारियों को शामिल करते हुए पहले वाली पद्धति को अपनाना। इस पद्धति में यह व्यवस्था है कि यदि इन जातियों के सेवारत रेल अधिकारी उपलब्ध नहीं होते तो राज्य/केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक अधिकारियों को लेना और यदि इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो इन जातियों के प्रमाणित सत्य–निष्ठा के अधिकारियों को इन समितियों में शामिल कर लिया जाएगा;

(vi) बिना कार्बन वाली दो उत्तर पुस्तिकाओं की पद्धति शुरू करना और यदि आवश्यक समझा जाए तो दूसरी उत्तर पुस्तिका को निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड को भेजना; और

(vii) रेल भर्ती बोर्डों के कार्यकलापों तथा उनके द्वारा किए गए चयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों और अभ्यावेदनों के लिए प्रणालीबद्ध तरीके से निबटने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित धनराशि

*29. **श्री विजय कुमार 'विजय' :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों की उपलब्धि की दृष्टि से अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई, जारी की गई एवं उपयोग की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के आबंटन की मांग की है;

(घ) यदि हा, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक वर्ष कितनी–कितनी अतिरिक्त निधियां आबंटित की गईं;

(ड.) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित राशि राज्यों की मांग के अनुरूप है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, डवाकरा और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम रोजगार व ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख कार्यक्रम हैं जो मंत्रालय द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96, 96–97 और 97–98 के दौरान आबंटित, जारी की गई उपयोग की गई निधियों और निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण–1 से 16 में दिए गए हैं।

(ग) से (च) जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, दस लाख कुओं की योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा आंकलित गरीबी की स्थिति के आधार पर किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपलब्ध निधियों के 50 प्रतिशत के उपयोग के बाद अगली किस्त की मांग कर सकते हैं तथापि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डवाकरा, ट्राइसेम और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त निधियां जारी की गई हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों 1995–96, 96–97 और 97–98 के दौरान जारी की गई अतिरिक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–17 में दिए गए हैं।

संसाधनों की उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की मांगों को यथासंभव पूरा किया गया।

विवरण-1

कार्यक्रम का नाम : जवाहर रोजगार योजना
विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आबंटन, जारी की गई राशि और निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96*			1996-97			1997-98 **		
		कुल आबंटन	कुल रिलीज	उपयोग	कुल आबंटन	कुल रिलीज	उपयोग	कुल आबंटन	कुल रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	37232.40	35933.21	34556.00	17372.39	18243.70	17488.47	19410.49	20857.30	12487.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	329.58	304.48	357.12	178.30	129.85	198.33	199.21	127.58	168.56
3.	असम	10820.18	9649.70	9583.33	5718.18	3983.66	4543.21	6389.03	6905.19	3885.19
4.	बिहार	78598.18	68022.66	62281.35	34075.58	28570.09	30563.53	38073.25	36653.46	36250.75
5.	गोवा	356.09	356.09	363.47	192.65	146.10	236.26	215.25	130.48	155.77
6.	गुजरात	14754.11	13857.04	12824.42	6376.25	5524.16	6280.49	7124.30	7184.65	6999.43
7.	हरियाणा	3398.28	3735.78	3304.78	1531.81	1494.23	1371.79	1711.53	2030.94	1365.60
8.	हिमाचल प्रदेश	1149.09	1221.28	1001.19	612.16	485.15	745.94	683.98	504.33	555.89
9.	जम्मू व कश्मीर	3381.00	2554.36	2534.38	1243.93	1499.69	994.37	1389.86	1218.28	1044.68
10.	कर्नाटक	24422.41	23860.96	24908.76	11665.34	11091.48	12015.31	13033.90	12942.49	12578.33
11	केरल	8029.34	9731.61	8888.24	4244.16	4108.25	4458.15	4742.08	4667.65	3666.38
12.	मध्य प्रदेश	51119.46	44104.58	42377.25	2014.51	19316.44	19724.06	24597.23	23721.44	19260.22
13.	महाराष्ट्र	41658.79	40876.70	39801.56	18937.55	17923.14	18664.14	21159.28	21020.11	21422.21
14.	मणिपुर	425.45	344.79	506.22	228.53	162.40	186.36	255.34	310.65	114.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	496.31	415.25	200.28	267.40	133.69	365.90	298.78	199.48	168.65
16.	मिजोरम	208.04	229.00	284.56	112.65	105.26	138.25	125.86	128.59	124.18
17.	नागालैंड	526.28	749.36	264.07	286.64	263.33	485.57	320.26	303.91	276.16
18.	उड़ीसा	30642.94	27522.29	28671.48	14093.11	13387.43	14426.64	15746.50	16776.65	10145.68
19.	पंजाब	1969.93	984.96	408.38	1089.39	1011.58	705.63	1217.19	1115.99	1310.34
20.	राजस्थान	20825.10	18825.93	18204.39	9146.40	9039.76	8766.70	10219.44	10439.83	10330.83
21.	सिक्किम	341.93	553.15	618.83	104.36	101.71	167.26	116.60	120.98	100.54
22.	तमिलनाडु	32634.06	36774.35	39415.70	15704.96	15110.64	18040.03	17547.45	18205.48	20699.98
23.	त्रिपुरा	558.65	839.60	788.23	296.83	296.81	566.91	331.65	595.44	351.51
24.	उत्तर प्रदेश	87188.55	86920.98	63562.16	42334.91	40553.36	42123.49	47301.56	44867.69	48122.11
25.	पश्चिम बंगाल	33287.71	31870.59	30492.80	15569.34	11956.08	12837.59	17395.93	11333.74	8302.70
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	154.18	151.14	161.26	84.41	42.21	54.95	94.31	50.70	12.21
27.	दमन व दीव	83.92	93.92	33.18	45.81	44.57	49.75	51.16	50.22	24.71
28.	दा. व न. हवेली	49.28	59.28	55.02	26.99	26.99	27.61	30.16	16.21	30.28
29.	लक्षद्वीप	76.70	86.70	40.86	42.32	21.16	49.22	47.28	25.41	78.98
30.	पांडिचेरी	151.86	77.12	199.85	82.64	64.68	121.96	92.34	74.37	52.20
	कुल	484869.77	460706.86	4 46690.62	223679.48	204837.60	216397.87	249921.18	242579.19	220086.09

टिप्पणी : केरल राज्य/संघराज्य क्षेत्रों को दी गयी राशि

* गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

* * अनंतिम, मार्च, 98 तक

विवरण-2

कार्यक्रम का नाम : जवाहर रोजगार योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 95-96, 96-97 और 97-98 के दौरान वास्तविक लक्ष्य, उपलब्धियां तथा प्रशासन उपलब्धियां

क्रं. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96*			1996-97			1997-98 **		
		लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	%उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	%उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	700.08	701.57	100.21	373.67	329.75	88.25	336.97	219.31	65.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.99	8.24	103.13	4.42	2.79	63.12	4.94	2.23	45.14
3.	असम	178.53	179.68	100.25	98.77	91.54	92.68	110.36	73.29	66.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	1245.86	1197.03	96.08	489.25	460.02	94.03	546.64	533.05	97.51
5.	गोवा	7.94	8.38	105.54	4.39	5.30	120.73	3.32	2.55	76.81
6.	गुजरात	213.23	209.43	98.21	109.14	105.20	96.39	69.00	82.81	120.01
7.	हरियाणा	34.63	33.50	96.74	15.73	13.08	83.15	16.11	11.12	69.03
8.	हिमाचल प्रदेश	24.27	21.45	88.38	7.63	10.62	139.19	8.57	9.13	107.16
9.	जम्मू व कश्मीर	90.94	48.23	53.03	47.27	18.36	38.84	22.64	15.71	69.39
10.	कर्नाटक	491.56	524.89	106.78	255.74	250.94	98.12	222.78	265.91	119.36
11.	केरल	108.01	127.75	118.28	59.72	55.45	92.83	66.74	41.82	62.66
12.	मध्य प्रदेश	849.39	759.46	89.42	444.97	349.03	78.44	329.69	281.69	85.39
13.	महाराष्ट्र	910.75	1014.47	111.39	469.32	455.03	96.97	524.38	527.74	100.64
14.	मणिपुर	5.78	9.34	161.59	3.20	3.49	109.06	3.15	2.16	68.57
15.	मेघालय	7.88	4.86	61.69	4.35	6.96	160.00	4.87	3.30	67.76
16.	मिजोरम	4.15	5.20	125.30	2.29	2.46	107.42	1.59	1.91	120.13
17.	नागालैंड	12.32	5.76	46.73	6.54	11.65	178.13	7.38	7.71	105.62
18.	उड़ीसा	623.47	678.31	108.80	321.32	314.19	97.78	299.10	201.02	67.46
19.	पंजाब	28.25	6.44	22.80	15.62	7.85	58.26	11.95	12.83	107.75
20.	राजस्थान	300.89	361.72	120.22	162.92	168.12	103.19	182.03	196.14	107.75
21.	सिक्किम	5.38	9.27	172.30	1.49	2.63	176.51	1.66	1.34	80.72
22.	तमिल नाडु	853.09	1069.75	125.40	406.90	488.60	120.00	312.56	388.81	124.00
23.	त्रिपुरा	12.40	18.43	148.63	6.35	10.38	169.46	5.91	7.31	123.69
24.	उत्तर प्रदेश	1320.54	1532.46	116.05	603.21	658.18	109.11	561.71	599.49	106.73
25.	पश्चिम बंगाल	433.38	414.75	95.70	221.86	178.53	80.47	206.50	84.60	40.95
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	2.36	2.59	114.00	1.25	8.82	65.60	1.04	0.13	12.50
27.	दा. व ना. हवेली	1.42	0.64	45.07	0.65	1.02	156.92	0.73	0.49	67.12
28.	दमन व दीव	1.56	1.11	71.61	0.85	8.50	58.60	0.45	0.56	124.44
29.	लक्षद्वीप	1.45	1.05	72.41	0.80	0.88	110.00	0.90	1.46	162.22
30.	पांडिचेरी	3.16	3.10	98.10	1.74	2.91	167.14	1.00	8.51	51.00
	कुल	8480.05	8958.25	105.64	4141.37	4006.32	96.74	3064.39	3576.92	92.55

• गहन जवाहर रोजगार योजना सहित

•• अनंतिम मार्च, 98 तक

विवरण-3

कार्यक्रम का नाम: सुनिश्चित रोजगार योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 95-96, 96-97 तथा 97-98 के दौरान निधियों की रिलीज और उपयोग को दर्शाने वाला चित्रण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
	रिलीज केन्द्र + राज्य	उपयोग	रिलीज केन्द्र + राज्य	उपयोग	रिलीज केन्द्र + राज्य	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	18187.50	12249.54	25137.50	25509.86	20925.00	29338.06
अरुणाचल प्रदेश	2323.75	1956.55	2126.25	2054.94	2362.50	1757.23
असम	10025.00	9822.98	13525.00	8790.06	10740.00	8543.86
बिहार	20287.50	12901.12	26556.25	20868.18	22792.50	29085.62
गोवा	0.00	0.00	100.00	0.00	175.00	246.90
गुजरात	8712.50	5751.65	7312.50	7570.86	5400.00	6608.27
हरियाणा	4150.00	3814.72	3350.00	2447.56	3337.50	2629.20
हिमाचल प्रदेश	562.50	455.55	1987.50	1161.23	3187.50	2871.59
जम्मू व कश्मीर	8425.00	6715.49	4825.00	5318.68	5950.00	6439.88
कर्नाटक	13712.50	12144.91	14450.00	14307.22	13250.00	16628.38
केरल	2312.50	2241.91	3562.50	2063.44	4986.25	4371.43
मध्य प्रदेश	28675.00	22951.66	28337.71	24229.95	26884.81	23959.32
महाराष्ट्र	14325.00	10295.49	8412.50	11876.27	14168.14	14935.95
मणिपुर	1125.00	1337.11	1350.00	1131.87	1012.50	712.33
मेघालय	312.50	499.80	612.50	368.40	275.00	514.08
मिजोरम	1500.00	2023.87	1500.00	1509.46	1000.00	901.24
नागालैंड	2600.00	1800.70	3482.50	3159.48	2625.00	2840.45
उड़ीसा	14325.00	13133.80	20534.44	19778.34	18401.98	18865.57
पंजाब	0.00	0.00	1225.00	NR	2300.00	1055.11
राजस्थान	17537.50	14770.06	12987.50	12609.31	11581.25	14417.75
सिक्किम	412.50	778.31	275.00	322.40	275.00	552.96
तमिलनाडु	10512.50	7581.23	18406.25	17014.19	23400.00	29363.46
त्रिपुरा	1950.00	2085.78	2700.00	1995.08	1800.00	2904.92
उत्तर प्रदेश	19450.00	16731.98	26630.94	19833.03	39310.08	40665.55
पश्चिमी बंगाल	11550.00	9929.18	12712.50	11943.84	9737.50	11467.13
अ. निको. द्वीप समूह	40.00	10.28	0.00	25.23	80.00	13.64
दादर व नागर हवेली	30.00	20.17	60.00	51.05	30.00	32.51

1	2	3	4	5	6	7
दमन व दीव	20.00	13.05	20.00	0.98	0.00	19.46
लक्षद्वीप	100.00	44.33	140	100.36	0.00	78.98
पांडिचेरी	NA	0.00	60	NR	60.00	7.71
कुल	213163.75	172061.22	242379.34	216041.27	246047.51	271828.54

विवरण-4

कार्यक्रम का नाम : सुनिश्चित रोजगार योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश		62.42		437.35		505.06
2.	अरुणाचल प्रदेश		3.64		39.05		28.58
3.	असम		31.75		162.38		141.53
4.	बिहार		31.44		324.49		420.45
5.	गोवा		0.00		0.00		2.92
6.	गुजरात		6.75		122.98		92.71
7.	हरियाणा		15.20		24.10		18.45
8.	हिमाचल प्रदेश		0.05		13.44		35.65
9.	जम्मू व कश्मीर		3.64		91.64		90.84
10.	कर्नाटक		32.12		314.18		349.41
11.	केरल		2.60		28.76		47.26
12.	मध्य प्रदेश		51.26		379.22		328.71
13.	महाराष्ट्र		31.53		309.72		363.24
14.	मणिपुर		3.06		16.72		13.75
15.	मेघालय		शून्य		5.90		9.46
16.	मिजोरम		8.52		32.26		17.88
17.	नागालैंड़		33.92		72.65		68.17
18.	उड़ीसा		31.43		439.36		382.14
19.	पंजाब		0.00		असूचित		4.55
20.	राजस्थान		50.00		212.65		250.06
21.	सिक्किम		0.82		4.45		7.41
22.	तमिलनाडु		10.96		468.42		558.28

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा		16.14		44.73		54.46
24.	उत्तर प्रदेश		15.00		319.94		522.76
25.	पश्चिम बंगाल		52.53		162.76		138.60
26.	अ. व निको.		0.10		0.32		0.14
27.	दादरा व न. हवेली		0.04		0.47		0.35
28.	दमन व दीव		शून्य		0.02		0.34
29.	लक्षद्वीप		शून्य		2.06		1.46
30.	पांडिचेरी		0.00		असूचित		0.14
	कुल		494.74		4030.02		4454.76

विवरण-5

कार्यक्रम का नाम : दस लाख कुओं की योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 95-96, 96-97 और 97-98 के आबंटन, रिलीज और निधियों के उपयोग को दर्शाने वाले विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96			1996-97			1997-98		
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग
		केन्द्र + राज्य			केन्द्र + राज्य			केन्द्र + राज्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4342.14	4342.13	2608.25	4342.14	4342.14	3950.53	4342.14	4280.93	2197.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.58	36.28	71.46	44.58	25.56	36.89	44.58	28.61	21.48
3.	असम	1429.41	1429.41	666.70	1429.41	1312.68	852.99	1429.41	1512.78	845.08
4.	बिहार	8516.94	8516.94	5719.22	8516.94	5811.98	6351.13	8516.94	5836.15	7057.44
5.	गोवा	48.16	48.16	12.23	48.16	24.08	9.12	48.16	13.13	10.15
6.	गुजरात	1593.91	1593.91	1494.06	1593.91	1442.70	1182.96	1593.91	1216.18	1454.36
7.	हरियाणा	382.88	382.88	168.40	382.88	267.01	151.64	382.88	225.79	164.95
8.	हिमाचल प्रदेश	153.04	153.04	184.29	153.04	112.15	200.15	153.04	120.43	169.97
9.	जम्मू व कश्मीर	310.99	236.28	216.89	310.99	294.76	258.81	310.99	241.18	199.52
10.	कर्नाटक	2915.55	2915.55	3241.76	2915.55	2635.64	2750.86	2915.55	2550.56	2799.97
11.	केरल	1060.71	1910.34	1542.52	1060.71	880.94	1075.77	1060.71	1029.53	1028.08
12.	मध्य प्रदेश	5502.11	5502.11	4766.37	5502.11	4296.14	3864.57	5502.11	4221.40	3438.96
13.	महाराष्ट्र	4733.53	4733.53	3416.04	4733.53	4128.54	4604.17	4733.53	4096.46	4855.69
14.	मणिपुर	57.14	47.06	99.18	57.14	52.25	46.70	57.14	33.76	26.10
15.	मेघालय	66.85	52.75	42.12	66.85	37.68	54.96	66.85	42.10	46.71
16.	मिजोरम	28.16	28.16	40.27	28.16	28.16	42.82	28.16	28.19	27.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	नागालैंड	71.66	71.66	0.00	71.66	61.76	19.90	71.66	71.65	92.35
18.	उड़ीसा	3522.49	3522.49	4322.29	3522.49	2373.35	4176.51	3522.49	3581.61	3132.66
19.	पंजाब	272.28	0.00	0.00	272.28	243.84	46.09	272.28	107.71	61.53
20.	राज़स्थान	2285.93	2285.93	825.77	2285.93	1272.96	891.96	2285.93	1603.98	780.71
21.	सिक्किम	26.09	52.16	104.46	26.09	21.70	44.94	26.09	26.09	48.40
22.	तमिलनाडु	3925.23	3925.20	4814.56	3925.23	3459.71	4341.06	3925.23	3925.23	4205.41
23.	त्रिपुरा	74.21	111.33	123.77	74.21	74.21	88.89	74.21	74.21	107.21
24.	उत्तर प्रदेश	10581.64	13706.63	11988.78	10581.64	8666.26	11672.94	10581.64	9669.41	9629.94
25.	प. बंगाल	3891.19	4041.18	7341.71	3891.19	3391.56	3507.65	3891.19	2170.89	2786.20
26.	अ. निको. द्वीप समूह	21.11	16.56	9.35	21.11	10.55	5.17	21.11	0.00	3.78
27.	दादरा व न. हवेली	11.46	4.16	8.24	11.46	11.07	4.20	11.46	5.73	3.52
28.	दमन व दीव	6.76	6.76	0.00	6.76	3.38	0.00	6.76	0.00	2.17
29.	लक्षद्वीप	10.58	10.60	0.00	10.58	5.29	0.00	10.58	5.29	17.85
30.	पांडिचेरी	20.65	10.32	0.16	20.66	10.32	0.00	20.66	0.00	1.38
	कुल	55907.36	59693.48	53828.85	55907.36	45288.37	50233.38	55907.36	46745.96	45217.44

विवरण-6

कार्यक्रम का नाम : दस लाख कुओं की योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के

दौरान वास्तविक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों तथा प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		लक्ष्य	उपलब्धि (संख्या)	लक्ष्य	उपलब्धि (संख्या)	लक्ष्य	उपलब्धि (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश		10899		13169		7952
2.	अरुणाचल प्रदेश		130		89		19
3.	असम		1865		2332		993
4.	बिहार		25476		22911		23307
5.	गोवा		37		33		16
6.	गुजरात		4107		3148		2773
7.	हरियाणा		572		363		483
8.	हिमाचल प्रदेश		138		670		602
9.	जम्मू व कश्मीर		1673		1544		1182

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक		5236		3004		3096
11.	केरल		3468		2258		3976
12.	मध्य प्रदेश		35654		19950		15296
13.	महाराष्ट्र		8770		8002		8324
14.	मणिपुर		520		429		218
15.	मेघालय		732		885		468
16.	मिजोरम		425		483		325
17.	नागालैंड		0		80		608
18.	उड़ीसा		24263		18349		15798
19.	पंजाब		0		0		0
20.	राजस्थान		2457		2389		2128
21.	सिक्किम		364		91		89
22.	तमिलनाडु		10899		5962		3626
23.	त्रिपुरा		2049		1221		801
24.	उत्तर प्रदेश		518		43		44
25.	प. बंगाल		2402		1461		403
26.	अ. निको. द्वीप समूह		6		13		4
27.	दादरा व न. हवेली		24		8		16
28.	दमन व दीव		0		0		2
29.	लक्षद्वीप		0		0		140
30.	पांडिचेरी		1		0		0
	कुल		142685		108897		92689

दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण-7

कार्यक्रम का नाम : इंदिरा आवास योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के

दौरान आबंटन, रिलीज और निधियों की उपयोग का दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96*			1996-97			1997-98**		
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8764.21	2191.05	6317.95	8870.30	11260.90	8213.28	8970.34	9603.38	11524.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.71	19.93	56.00	79.71	159.82	72.55	80.71	103.21	166.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	2555.95	638.99	3381.70	2919.68	3157.45	2680.2	2952.83	2931.07	2917.77
4.	बिहार	17079.21	4269.80	19168.71	17398.92	15737.76	19507.79	17597.09	15130.72	17498.76
5.	गोवा	86.12	21.53	31.51	86.12	71.82	65.33	87.63	51.46	88.47
6.	गुजरात	3450.09	862.52	3669.26	3255.70	3308.95	4396.14	3292.97	3424.02	2907.01
7.	हरियाणा	1084.63	271.16	1223.81	782.14	698.28	1107.24	790.96	758.55	589.38
8.	हिमाचल प्रदेश	273.65	68.41	244.55	273.65	269.16	428.19	276.72	467.78	452.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1056.07	4264.02	543.04	556.07	1071.39	1176.78	562.66	607.12	584.22
10.	कर्नाटक	5213.33	1303.33	5812.80	5956.29	6883.89	8484.85	6024.43	5820.36	9206.40
11.	केरल	1896.68	474.17	4864.14	2167.06	2351.03	2817.36	2191.85	2148.56	2975.78
12.	मध्य प्रदेश	11338.39	2834.60	11807.75	11240.56	11372.21	11384.56	11368.58	11695.62	10084.22
13.	महाराष्ट्र	9064.06	2266.02	10606.35	9669.47	7387.12	15589.12	9779.75	9968.74	16856.95
14.	मणिपुर	102.16	25.54	141.18	102.16	285.32	81.6	103.77	56.69	229.78
15.	मेघालय	119.54	29.89	30.01	119.54	46.7	113.55	121.07	46.73	54.04
16.	मिजोरम	50.36	12.59	87.68	50.36	54.78	76.73	50.73	54.47	66.54
17.	नागालैंड	128.13	32.03	74.26	128.13	275.31	137.53	129.14	435.83	1933.00
18.	उड़ीसा	6298.60	1574.65	7494.88	7195.91	7843.55	9012.73	7277.74	7443.57	6178.58
19.	पंजाब	486.85	121.71	96.50	556.24	582.29	347.78	562.65	478.32	829.90
20.	राजस्थान	5087.49	1271.87	4701.44	4670.13	4032.7	6317.99	4723.84	3888.40	5842.80
21.	सिक्किम	166.65	41.66	163.76	46.65	27.42	188.24	47.27	41.21	51.13
22.	तमिलनाडु	7468.73	1867.18	14398.41	8018.92	9222.31	15892.9	8110.20	8708.09	20881.44
23.	त्रिपुरा	132.69	33.17	144.77	132.82	144.47	211.58	134.90	144.84	266.55
24.	उत्तर प्रदेश	20400.14	5100.04	17039.77	21616.11	23733.55	24616.18	21863.19	22995.15	16869.07
25.	प. बंगाल	6957.87	1739.47	4468.87	7949.67	7668.93	5545.87	8039.87	4547.01	5350.71
26.	अ. व निको.	47.17	0.00	15.98	47.17	28.26	54.79	47.27	47.27	20.28
27.	दादरा व न. हवेली	25.61	0.00	1.19	25.61	27.86	17.58	25.37	11.63	14.18
28.	दमन व दीव	15.08	0.00	9.25	15.08	7.54	15.1	14.99	7.49	7.70
29.	लक्षद्वीप	23.65	0.00	5.18	23.65	11.83	11.94	24.21	0.00	12.52
30.	पांडिचेरी	46.18	0.00	25.74	46.18	103.23	26.94	47.27	93.85	120.27
	कुल	109499.00	27335.33	116636.44	114000.00	117925.83	138592.42	115300.00	111711.14	134850.39

* इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना थी।

** अनंतिम

विवरण-8

कार्यक्रम का नाम : इंदिरा आवास योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-1996, 1996-97 और 1997-98 के

दौरान वास्तविक लक्ष्यों उपलब्धियों और प्रशिक्षण उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(इकाई संख्या में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 *			1996-97			1997-98 **		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	87642	69086	78.83	84640	46181	54.56	56065	88311	157.52
अरुणाचल प्रदेश	797	420	52.70	631	387	61.33	459	291	63.40
असम	25560	24871	97.30	29197	13401	45.90	18455	10570	57.27
बिहार	217292	114506	52.70	151453	133244	87.98	109982	85740	77.96
गोवा	861	967	112.31	1736	466	26.84	548	512	93.43
गुजरात	34501	31770	92.08	33633	30481	90.63	20581	17854	86.75
हरियाणा	10846	9024	83.20	6983	6153	88.11	4943	3042	61.54
हिमाचल प्रदेश	2736	1727	63.12	2165	2373	109.61	1572	1843	117.24
जम्मू व कश्मीर	10561	3554	33.65	5347	10197	190.71	3197	4306	134.69
कर्नाटक	52133	37460	71.85	53181	45503	85.56	37653	43522	115.59
केरल	24624	29368	119.27	18554	23202	125.05	12454	12834	103.05
मध्य प्रदेश	113384	125757	110.91	147902	87371	59.07	71054	65604	92.33
महाराष्ट्र	89776	66648	74.24	81120	58244	71.80	61123	60709	99.32
मणिपुर	1022	784	76.71	808	715	88.49	590	1096	185.76
मेघालय	1195	207	17.32	946	646	68.29	688	305	44.33
मिजोरम	504	569	112.90	398	369	92.71	288	302	104.86
नागालैंड	1281	470	36.69	1014	3691	364.00	734	1933	263.35
उड़ीसा	62986	51033	81.02	62248	54612	87.73	45486	35834	78.78
पंजाब	7047	1121	15.91	4966	1709	34.41	3517	3235	91.98
राजस्थान	50875	41756	82.08	50325	46682	92.76	29524	34688	117.49
सिक्किम	1491	1065	71.43	369	760	205.96	269	448	166.54
तमिलनाडु	74205	56885	76.66	71598	63959	89.33	50689	55830	110.14
त्रिपुरा	1327	1348	101.58	1051	983	93.53	766	1665	217.36
उत्तर प्रदेश	204003	159073	77.98	241251	139801	57.95	136645	80958	59.25
प. बंगाल	69579	34278	49.26	70979	34722	48.92	50249	29490	58.69
अ. व निको.	377	21	5.57	337	78	23.15	236	6	2.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दमन व दीव	205	13	6.34	278	50	17.99	127	100	78.74
दादरा व नागर हवेली	121	62	51.24	120	92	76.67	75	38	50.67
लक्षद्वीप	189	10	5.29	0	105	0.00	121	60	49.59
पांडिचेरी	369	36	9.76	330	113	34.24	236	199	84.32
अखिल भारत	1147489	863889	75.29	1123560	806290	71.76	718328	641325	89.28

* इंदिरा आवास योजना जवाहर योजना की एक उप योजना थी

** अनंतिम

विवरण-9

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1995-96, 96-97 और 97-98 के दौरान आबंटन, रिलीज और निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96*			1996-97			1997-98		
		कुल आबंटन	कुल रिलीज	कुल व्यय	कुल आबंटन	कुल रिलीज	कुल व्यय	कुल आबंटन	कुल रिलीज	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	8221.72	8624.01	8336.41	12065.74	12810.19	8612.22	9634.21	8843.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.43	582.88	582.56	623.43	471.59	249.26	644.06	551.30	373.84
3.	असम	2743.50	3186.62	3409.02	2743.50	2400.47	1600.68	2834.24	2038.38	2058.86
4.	बिहार	16218.24	8297.84	10784.51	16218.24	10999.78	13092.28	16754.8	9090.27	12396.34
5.	गोवा	141.87	128.25	116.30	141.87	90.33	83.78	146.58	120.89	130.20
6.	गुजरात	3059.22	3153.11	3077.68	3059.22	3213.83	3026.53	3160.44	3850.61	3396.75
7.	हरियाणा	735.33	1411.52	1663.74	735.33	767.80	1111.65	759.66	938.04	811.98
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	212.26	421.28	239.78	242.50	529.90	247.72	386.04	414.89
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	680.71	701.26	999.09	766.69	556.17	1032.16	777.17	551.46
10.	कर्नाटक	5594.91	5766.37	5574.60	5594.91	4072.57	6083.14	5780	4695.63	5470.83
11.	केरल	2036.15	2654.58	2268.90	2036.15	2061.12	2700.13	2103.5	2226.81	2531.96
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	12846.52	11305.57	10565.39	9929.21	13469.83	10914.94	9328.36	11995.66
13.	महाराष्ट्र	9087.73	7785.50	9837.30	9087.73	7281.26	9406.32	9388.4	8541.07	9396.08
14.	मणिपुर	449.59	355.71	312.64	449.59	501.56	416.33	464.48	235.15	286.88
15.	मेघालय	477.57	383.47	301.54	477.57	497.86	429.39	493.36	323.10	374.82
16.	मिजोरम	201.82	286.04	288.74	201.82	206.07	101.81	208.5	240.56	213.58
17.	नागालैंड	335.69	445.23	221.48	335.69	451.40	211.52	346.8	208.71	156.16
18.	उड़ीसा	6763.85	7058.80	7266.29	6763.85	6129.85	6972.15	6987.62	6178.52	6037.88
19.	पंजाब	521.53	401.26	731.71	521.53	516.81	592.38	530.78	716.31	572.29
20.	राजस्थान	4368.01	3924.24	4730.24	4308.01	4020.59	4102.25	4533.18	3743.08	3929.19
21.	सिक्किम	55.95	169.99	129.25	55.95	81.75	108.44	57.8	126.92	112.041

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. तमिलनाडु	7537.14	5936.32	8515.03	7537.14	4517.82	7087.35	7786.5	6981.61	9283.85
23. त्रिपुरा	641.42	850.00	766.73	641.42	959.87	914.08	662.64	779.58	494.44
24. उत्तर प्रदेश	20316.50	23220.92	19266.98	20316.50	20212.39	21456.55	20988.66	18884.17	21266.38
25. प. बंगाल	7472.20	4544.13	6693.99	7472.20	3577.38	5474.89	7719.42	4525.15	4778.49
26. अ. व निको. द्वीप समूह	70.94	0.00	49.92	70.94	51.94	17.73	73.29	41.70	31.35
27. दादरा व न. हवेली	14.99	7.49	13.68	14.99	14.99	13.56	15.49	31.13	12.37
28. दमन व दीव	27.97	13.98	16.67	27.97	13.98	11.32	28.9	28.91	13.69
29. लक्षद्वीप	6.99	4.08	4.38	6.99	6.99	3.58	7.22	17.78	3.83
30. पांडिचेरी	57.95	28.98	49.20	57.95	50.13	55.90	59.87	83.52	56.73
कुल	109721.16	102558.52	107716.20	109721.16	96174.27	112689.09	113351.23	95424.68	105996.55

टिप्पणी : 1996-97 और 1997-98 के दौरान व्यय अनंतिम है।

अब तक जारी किए गए राज्य अंश सहित कुल जारी की गयी राशि। 1997-98 के लिए राज्य रिलीजें अनंतिम है।

विवरण-10

1995-96 से 1997-98 के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ लाभान्वित परिवारों को दर्शाने वाला विवरण

(परिवारों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सहायता प्राप्त परिवार 1995-96	1996-97*	1997-98*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	122863	203135	127776
2.	अरुणाचल प्रेदश	14381	10695	5744
3.	असम	59030	38087	26560
4.	बिहार	265525	244764	196685
5.	गोवा	1486	1982	897
6.	गुजरात	55686	47545	41822
7.	हरियाणा	29771	17202	10853
8.	हिमाचल प्रदेश	6606	7990	5548
9.	जम्मू व कश्मीर	13189	11474	8487
10.	कर्नाटक	119685	116900	94688
11.	केरल	43357	48690	44191
12.	मध्य प्रदेश	210692	168123	138810
13.	महाराष्ट्र	181597	161018	147640
14.	मणिपुर	6077	7256	4258
15.	मेघालय	4534	6822	5167
16.	मिजोरम	5085	3059	2876
17.	नागालैंड	2531	2064	835
18.	उड़ीसा	120669	102741	75343
19.	पंजाब	11786	7160	6107
20.	राजस्थान	92818	70304	45408
21.	सिक्किम	2843	2249	1792
22.	तमिलनाडु	183895	152597	180696
23.	त्रिपुरा	14657	13725	4911
24.	उत्तर प्रदेश	355916	364552	351146
25.	प. बंगाल	161724	110280	73770
26.	अ. व निको. द्वीप समूह	832	591	480
27.	दादरा व न. हवेली	274	168	179
28.	दमन व दीव	310	304	181
29.	लक्षद्वीप	18	30	27
30.	पांडिचेरी	1563	1293	898
	कुल	2089400	1922800	1603775

टिप्पणी : 1995-96 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

* अनन्तिम

विवरण-11

1995-96 से 97-98 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन और उपयोग

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96			1996-97			1997-98		
		कुल आबंटन	रिलीज	उपयोग	कुल आबंटन	रिलीज	उपयोग	कुल आबंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	684.92	1028.37	1318.69	290.64	499.67	1517.59	684.92	669.10	593.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.22	0.00	39.16	9.06	17.06	24.87	51.22	8.49	21.59
3.	असम	225.40	107.34	237.83	105.45	210.90	152.08	225.40	104.33	198.61
4.	बिहार	1274.48	424.99	685.37	248.30	747.25	968.55	1274.48	402.62	604.65
5.	गोवा	11.66	2.92	38.96	5.84	5.84	53.62	11.66	15.92	26.00
6.	गुजरात	251.340	279.52	366.64	302.39	431.66	299.36	251.34	238.96	119.20
7.	हरियाणा	60.40	60.38	162.30	25.69	51.38	119.27	60.40	38.07	54.97
8.	हिमाचल प्रदेश	19.80	14.85	25.73	65.23	72.88	20.19	19.80	10.56	15.12
9.	जम्मू व कश्मीर	140.00	115.96	116.19	27.84	97.84	117.32	140.00	75.11	64.75
10.	कर्नाटक	459.84	566.66	666.27	164.55	315.35	594.75	459.84	373.44	456.71
11.	केरल	167.28	279.46	237.66	65.16	130.32	158.65	167.28	131.48	88.82
12.	मध्य प्रदेश	867.96	938.17	1090.86	360.40	801.53	1086.76	867.96	684.30	552.35
13.	महाराष्ट्र	745.64	804.44	398.38	256.17	514.84	782.90	746.64	412.22	392.52
14.	मणिपुर	36.94	0.00	15.91	9.24	26.35	14.79	36.94	4.20	13.08
15.	मेघालय	39.24	74.62	10.97	5.34	30.50	27.26	39.24	11.21	15.91
16.	मिजोरम	16.58	35.60	35.52	8.30	22.24	7.89	16.58	11.63	8.78
17.	नागालैंड	27.58	0.00	83.05	13.78	13.78	15.05	27.58	12.06	24.74
18.	उड़ीसा	555.72	202.47	250.12	199.51	372.26	557.00	555.72	355.81	342.21
19.	पंजाब	43.00	58.76	73.72	16.46	34.14	45.06	43.00	30.46	43.76
20.	राजस्थान	360.52	587.38	330.71	72.80	146.19	215.12	360.52	186.35	367.00
21.	सिक्किम	4.60	24.00	17.00	2.30	14.30	22.99	4.60	3.07	1.33
22.	तमिलनाडु	619.24	335.64	547.30	235.67	521.99	694.82	619.24	531.99	629.71
23.	त्रिपुरा	52.68	33.52	60.35	19.36	50.70	52.65	52.68	43.95	42.62
24.	उत्तर प्रदेश	1669.12	1253.94	1970.77	752.00	1504.00	1813.10	1669.12	1065.26	991.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिमी बंगाल	613.84	383.10	644.97	187.75	354.86	645.20	613.84	352.68	357.1
26.	अ. व निको.	11.74	9.89	7.15	7.72	7.72	7.23	11.74	5.87	2.42
27.	दमन व दीव	2.48	1.60	1.49	1.24	1.24	2.85	4.62	0.00	2.20
28.	दादरा व न. हवेली	4.62	4.62	0.00	2.31	2.31	1.07	2.48	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	1.16	0.58	2.57	0.58	7.16	2.17	1.16	0.58	0.54
30.	पांडिचेरी	5.00	2.50	19.72	5.00	5.00	6.84	5.00	5.00	3.26
	अखिल भारत	9025.00	7331.27	9455.35	3466.08	7011.25	10027.01	9025.00	5784.72	6036.02

विवरण-12

1995-96 से 1997-98 के दौरान ट्राइसेम (आर. ई.) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96*			1996-97			1997-98		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	38271	19846	51.86	38534	83716	217.25	38534	14214	36.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	1000	1277	127.7	1200	739	61.583	750	252	33.60
3.	असम	9000	10317	114.6	9000	6277	69.744	9278	2290	24.68
4.	बिहार	56370	26287	46.63	68370	34477	61.162	56370	24146	42.83
5.	गोवा	3000	3896	129.9	2000	3863	193.15	2000	1339	66.95
6.	गुजरात	8976	10958	122.1	7500	9371	124.95	5700	7284	127.79
7.	हरियाणा	1010	3582	354.7	0	3519		0	1379	
8.	हिमाचल प्रदेश	707	894	126.4	0	803		707	545	77.09
9.	जम्मू व कश्मीर	5023	4326	86.12	0	4294		0	1847	
10.	कर्नाटक	18251	16602	90.96	16422	18096	110.19	16422	15914	96.91
11.	केरल	6080	4860	79.93	6080	5036	82.829	6080	3019	49.65
12.	मध्य प्रदेश	68850	60107	87.3	34425	39806	115.63	18360	8785	47.85
13.	महाराष्ट्र	14290	5764	40.34	21500	21447	99.753	20100	18234	90.72
14.	मणिपुर	717	117	16.32	717	362	50.488	NR	766	
15.	मेघालय	791	292	36.92	0	352		0	258	
16.	मिजोरम	770	692	89.87	1200	445	37.083	501	370	73.85
17.	नागालैंड	617	227	36.79	720	486	67.5	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	उड़ीसा	18840	6388	33.91	18840	18555	98.487	18840	10354	54.96
19.	पंजाब	3210	2670	83.18	2376	1824	76.768	1800	1656	92.00
20.	राजस्थान	10000	9269	92.69	10000	5766	57.66	10000	3179	31.79
21.	सिक्किम	633	408	84.45	0	660		600	0	0.00
22.	तमिलनाडु	0	11561		0	7687		NF	7280	
23.	त्रिपुरा	2500	3838	153.5	2000	2597	129.85	2500	2775	111.00
24.	उत्तर प्रदेश	60400	63721	105.5	60400	69272	114.69	55330	32662	59.03
25.	पश्चिम बंगाल	23704	22557	95.16	0	24199		23560	16088	68.29
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	420	279	66.43	420	486	115.71	320	58	18.13
27.	दमन व दीव	0	0		0	75		0	120	
28.	दादरा व न. हवेली	0	87		75	107	142.67	75	82	109.33
29.	लक्षद्वीप	50	3	6	50	12	24	0	0	
30.	पांडिचेरी	500	625	125	250	8	3.2	200	138	69.00
	अखिल भारत	353980	291450	82.34	290079	364337	125.6	288027	175034	60.77

विवरण-13

विगत 3 वर्षों अर्थात् 95-96, 96-97 और 97-98 के दौरान आबंटन, रिलीज और निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96			1996-97			1997-98		
		आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च	आबंटन	रिलीज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	431.25	1941.25	2655.93	540.82	1441.44	3446.12	359.38	362.250	868.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.85	16.20	27.70	22.38	14.37	24.35	22.38	12.478	23.41
3.	असम	170.25	158.85	182.81	213.70	190.89	162.99	141.88	133.012	14.30
4.	बिहार	456.30	225.00	218.07	380.25	332.75	571.55	380.25	226.778	455.04
5.	गोवा	5.40	2.70	5.60	4.50	4.54	9.07	4.50	3.150	4.79
6.	गुजरात	154.95	117.30	263.79	194.65	195.64	275.56	129.13	127.656	262.14
7.	हरियाणा	87.90	90.50	139.87	98.45	94.00	163.00	73.25	63.362	96.22
8.	हिमाचल प्रदेश	45.60	34.25	31.89	44.30	36.32	29.29	38.00	30.866	47.30
9.	जम्मू व कश्मीर	132.00	67.50	106.85	110.00	26.46	99.07	110.00	59.974	93.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	232.20	123.00	149.71	290.52	282.74	452.81	193.50	169.332	406.26
11.	केरल	108.00	98.00	147.95	135.36	135.08	202.07	90.00	88.826	171.83
12.	मध्य प्रदेश	419.25	202.50	207.62	349.38	114.66	161.25	349.38	332.892	584.34
13.	महाराष्ट्र	343.20	270.50	473.73	286.00	288.29	573.71	286.00	239.148	310.22
14.	मणिपुर	36.75	36.75	52.08	30.63	18.77	44.11	30.63	12.222	21.41
15.	मेघालय	66.00	10.50	23.65	55.00	18.90	47.68	55.00	16.126	25.63
16.	मिजोरम	10.20	10.20	20.19	8.50	6.80	16.80	8.50	8.564	8.57
17.	नागालैंड	18.30	18.30	4.20	15.25	15.37	48.10	15.25	8.190	3.99
18.	उड़ीसा	243.45	220.20	268.48	202.88	187.11	428.31	202.88	179.126	276.55
19.	पंजाब	99.45	79.13	143.58	82.80	72.45	115.24	82.86	60.610	88.68
20.	राजस्थान	185.70	139.50	7.560	154.74	2.78		154.74	7.560	38.44
21.	सिक्किम	26.10	18.00	20.52	21.75	10.08	3.80	21.75	10.962	12.92
22.	तमिलनाडु	292.65	273.90	284.72	243.88	216.86	399.22	243.88	245.794	265.51
23.	त्रिपरा	13.50	13.50	28.82	11.25	11.34	28.85	11.25	11.340	26.24
24.	उत्तर प्रदेश	610.20	600.90	335.21	764.28	768.35	865.15	508.50	491.274	975.50
25.	पश्चिम बंगाल	270.90	81.00	57.05	225.75	100.30	131.71	225.75	82.026	100.77
	संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अ. व निको. द्वीप समूह	5.80	4.00	3.64	9.77	9.85	11.85	7.25	5.292	1.01
2.	दादरा व न. हवेली	3.20	2.00	2.86	3.50	0.00	0.15	3.50	0.000	0.19
3.	दमन व दीव	2.80	2.00	2.64	4.00	0.00	1.45	4.00	0.000	
4.	लक्षद्वीप	3.20	2.00	0.09	4.00	0.00	0.47	4.00	0.000	0.69
5.	पांडिचेरी	3.20	2.00	0.000	4.00	0.00		4.00	0.000	0.04
		4504.550	4881.43	5866.83	4512.370	4596.11	8313.73	3761.405	2988.81	5183.67

विवरण-14

विगत तीन वर्षों अर्थात् 95-96, 96-97 और 97 से 98 के दौरान आबंटन वास्तविक लक्ष्य, उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96			1996-97			1997-98		
		वास्तविक लक्ष्य (समूहों की संख्या)	बनाए गए समूह	% उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य (समूहों की संख्या)	बनाए गए समूह	% उपलब्धि	वास्तिवक लक्ष्य (समूहों की संख्या)	बनाए गए समूह	% उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2875	17164	597.01	2875	17737	616.74	2875	7178	249.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	179	174	97.21	179	126	70.39	179	103	57.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	1135	856	75.42	1135	823	72.51	1135	29	2.56
4.	बिहार	3042	2697	88.66	3042	2415	79.39	3042	1767	58.09
5.	गोवा	36	36	100.00	36	36	100.00	36	36	100.00
6.	गुजरात	1033	1092	105.71	1033	1026	99.32	1033	1184	114.62
7.	हरियाणा	586	571	97.44	586	711	121.33	586	442	75.43
8.	हिमाचल प्रदेश	304	265	87.17	304	129	42.43	304	283	93.09
9.	जम्मू व कश्मीर	880	642	72.95	880	705	80.11	880	472	53.64
10.	कर्नाटक	1548	755	48.77	1548	2128	137.47	1548	2229	143.99
11.	केरल	720	797	110.69	720	962	133.61	720	1201	166.81
12.	मध्य प्रदेश	2795	1592	56.96	2795	1136	40.64	2795	2717	97.21
13.	महाराष्ट्र	2288	2175	95.06	2288	2522	110.23	2268	1699	74.26
14.	मणिपुर	245	259	105.71	245	265	108.16	245	90	36.73
15.	मेघालय	440	182	41.36	440	360	81.82	440	201	45.68
16.	मिजोरम	68	46	67.65	68	66	97.06	68	68	100.00
17.	नागालैंड	122	106	86.89	122	170	139.34	122	18	14.75
18.	उड़ीसा	1623	1730	106.59	1623	2094	129.02	1623	1340	82.56
19.	पंजाब	663	525	94.27	663	482	72.70	663	439	66.21
20.	राजस्थान	1238	962	77.71	1238	600	48.47	1236	173	13.97
21.	सिक्किम	174	135	77.59	174	25	14.37	174	85	48.85
22.	तमिलनाडु	1951	1363	69.86	1951	1549	79.40	1951	1271	65.15
23.	त्रिपुरा	90	143	158.89	90	149	165.58	90	139	154.44
24.	उत्तर प्रदेश	4068	2252	55.36	4068	3404	83.68	40.68	5574	137.02
25.	पश्चिमी बंगाल	1806	888	49.17	1806	1758	97.34	1806	1619	89.65
	संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अ. नि. द्वीप समूह	29	26	89.66	29	59	203.45	29	19	65.52
2.	दमन व दीव	14	20	142.86	14		0.00	14	0	0.00
3.	दादरा व न. हवेली	16	16	100.00	16	9	56.25	16	0	0.00
4.	लक्षद्वीप	16	7	43.75	16	2	12.50	16	6	37.50
5.	पांडिचेरी	16		0.00	16	14	87.50	16	14	87.50
		30000	37576	125.25	30000	41462	138.21	30000	30396	101.32

विवरण-15

विगत तीन वर्षों के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन, रिलीज और खर्च को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96				1996-97				1997-98			
	आबंटन	कुल रिलीज	अतिरिक्त रिलीज	खर्च	आबंटन	कुल रिलीज	अतिरिक्त आबंटन	खर्च	आबंटन	कुल रिलीज	अतिरिक्त	खर्च रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	60.270	63.803	3.533	60.270	66.180	66.722	0.542	80.335	79.640	88.068	8.428	87.821
अरुणाचल प्रदेश	10.920	10.920		6.907	12.000	12.000		16.706	14.440	24.760	10.320	19.592
असम	18.450	22.450	4.000	18.450	20.260	23.535	3.275	14.458	24.380	23.765		18.018
बिहार	70.990	35.495		22.740	77.950	31.130		34.237	93.800	0.000		0.454
गोवा	1.700	2.550	0.850	0.850	1.890	5.504	3.614	3.671	2.270	1.965		3.283
गुजरात	38.500	40.500	2.000	29.805	41.970	41.970		42.661	49.870	58.866	8.996	44.418
हरियाणा	23.120	25.691	2,571	22.042	24.410	25.500	1.090	32.084	27.360	32.592	5.232	34.081
हिमाचल प्रदेश	12.150	16.612	4.462	17.218	13.310	19.340	6.030	19.976	15.960	17.090	1.130	11.577
जम्मू व कश्मीर	33.620	38.939	5.319	40.998	36.880	37.350	0.470	27.385	44.310	46.940	2.630	23.500
कर्नाटक	55.440	65.440	10.000	58.792	60.870	67.207	6.337	67.773	73.250	99.377	26.127	91.466
केरल	28.190	29.190	1.000	31.833	30.950	32.637	1.687	32.385	37.240	35.647		27.737
मध्य प्रदेश	66730	66.730		60.707	73.270	73.136		76.096	88.170	83.457		51.128
महाराष्ट्र	80.230	74.749		57.700	88.100	91.810	3.710	72.921	106.020	120.872	14.852	104.650
मणिपुर	4.010	4.010		3.306	4.400	4.786	0.386	6.373	5.290	9.070	3.780	2.247
मेघालय	4.300	2.208		5.592	4.720	5.720	1.000	3.205	5.680	7.432	1.752	7.309
मिजोरम	3.070	3.400	0.330	3.087	3.370	4.289	0.919	3.656	4.060	5.836	1.776	4.901
नागालैंड	4.220	2.110		1.801	4.220	4.220		4.275	4.220	2.110		2.110
उड़ीसा	31.590	33.760	2.170	32.475	34.680	41.538	6.858	32.925	41.730	50.384	8.654	34.689
पंजाब	10.060	15.060	5.000	12.463	11.050	12.890	1.840	12.308	13.300	17.140	3.840	17.843
राजस्थान	97.390	100.390	3.000	105.190	103.870	115.870	12.000	118.894	118.630	137.832	19.202	109.807
सिक्किम	3.720	5.720	2.000	5.711	3.720	4.720	1.000	5.720	3.720	4.356	0.636	4.356
तमिलनाडु	47.790	52.620	4.830	33.737	52.470	53.330	0.860	34.277	63.140	58.344		79.470
त्रिपुरा	3.800	7.600	3.800	10.198	4.180	8.500	4.320	8.602	5.030	7.620	2.590	9.946
उत्तर प्रदेश	111.820	113.344	1.524	136.162	122.780	117.282		104.906	147.750	151.827	4.077	74.031
प. बंगाल	43.170	34.956		34.953	47.400	45.213		36.017	57.040	44.115		44.224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ. निको. द्वीप समूह	0.440	0.000		0.000	0.250	0.000		0.000	0.125	0.000		0.000
दादरा व न. हवेली	0.250	0.000		0.000	0.150	0.030		0.000	0.125	0.000		0.000
दिल्ली	0.290	0.000		0.000	0.300	0.000		0.000	0.050	0.000		0.000
लक्षद्वीप	0.120	0.000		0.100	0.000	0.000		0.000	0.125	0.000		0.000
पांडिचेरी	0.300	0.600	0.300	0.400	0.200	0.100		0.285	0.050	0.100	0.050	0.018
दमन व दीव	0.150	0.000		0.000	0.100	0.000		0.000	0.125	0.000		0.000
कुल	866.800	868.846	56.688	813.488	945.900	946.327	55.938	892.131	1129.900	1126.563	124.071	908.676

विवरण-16

1997-98 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और बसावटों की कवरेज

(बसावटों/गांव की संख्या)

			लक्ष्य			कवरेज										
						ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी.			एम. एन. पी			कुल (ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. + एम. एन. पी.)				
क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह	एन सी	पी सी	कुल	एन सी	पी सी	कुल	एन सी	पी सी	कुल	एन सी	पी सी	कुल	% कवरेज (15/6)×100	क्रं. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	3/98	380	2817	3197	192	1259	1451	188	1258	1446	380	2517	2897	90.62	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	3/98	199	135	334	160	64	224	37	56	93	197	120	317	94.91	2
3.	असम	3/98	1550	125	1675	769	192	961	723	68	791	1492	260	1752	104.60	3
4.	बिहार	2/98	3663	12804	16467	204	2044	2248	585	2787	3372	789	4831	5620	34.13	4
5.	गोवा	12/97	13	23	36	1	0	1	2	3	5	3	3	6	16.67	5
6.	गुजरात	2/98	800	700	1500	310	200	510	300	267	567	610	467	1077	71.80	6
7.	हरियाणा	3/98	60	750	810	0	219	219	45	386	431	45	605	650	80.25	7
8.	हिमाचल प्रदेश	3/98	1100	0	1100	496	102	600	494	313	807	992	415	1407	127.91	8
9.	जम्मू व कश्मीा	1/98	630	1037	1667	0	111	111	0	34	34	0	145	145	8.70	9
10.	कर्नाटक	3/98	2864	6129	8993	837	4506	5343	0	4164	4164	837	8670	9507	105.72	10
11.	केरल	2/98	574	652	1226	1	105	106	153	147	300	154	252	406	33.12	11
12.	मध्य प्रदेश	2/98	2289	6122	8411	1145	5307	6452	1144	5307	6451	2289	10614	12903	153.41	12
13.	महाराष्ट्र	3/98	173	5434	5607	30	712	742	143	5536	5679	173	6248	6421	114.52	13
14.	मणिपुर	11/97	393	183	576	73	36	109	76	38	114	149	74	223	38.72	14
15.	मेघालय	3/98	338	185	523	174	57	231	95	156	251	269	213	482	92.16	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	मिजोरम	3/98	54	131	185	10	102	112	20	53	73	30	155	185	100.00	16
17.	नागालैंड	2/98	70	0	70	1	5	6	0	0	0	1	5	6	8.57	17
18.	उड़ीसा	3/98	6000	2000	8000	3224	2915	6139	475	736	1211	3699	3651	7350	91.88	18
19.	पंजाब	3/98	353	0	353	73	105	178	90	0	90	163	105	268	75.92	19
20.	राजस्थान	3/98	4673	600	5273	3773	275	4048	1150	238	1388	4923	513	5436	103.09	20
21.	सिक्किम	3/98	0	126	126	0	58	58	0	63	63	0	121	121	96.03	21
22.	तमिलनाडु	3/98	0	3000	3000	0	1772	1772	0	2759	2759	0	4531	4531	151.03	22
23.	त्रिपुरा	3/98	982	1085	2067	0	256	256	94	92	186	94	348	442	21.38	23
24.	उत्तर प्रदेश	11/97	2451	21821	24272	1227	5803	6730	1224	8643	9867	2451	14146	16597	68.38	24
25.	प. बंगाल	3/98	932	3116	4048	466	1619	2085	466	1643	2109	932	3262	4194	103.61	25
26.	अ. निको. द्वीप समूह	3/98	11	3	14	0	0	0	0	11	11	0	11	11	78.57	26
27.	दमन व दीव	2/98	0	50	50	0	0	0	0	45	45	0	45	45	90.00	27
28.		6/97	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	25.00	28
29.	दिल्ली	2/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	29
30.	लक्षद्वीप	2/98	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	33.33	30
31.	पांडिचेरी	3/98	0	26	26	0	0	0	0	10	10	0	10	10	38.46	31
	कुल		30552	69061	99613	13168	27524	40692	7504	34815	42319	20672	62339	83011	83.33	

*1985 की समस्याग्रस्त गांव की सूची। निम्न एन. श्रेणी शामिल है।

राज्य	लक्ष्य	कवरेज
असम	3	1
गुजरात	9	
जम्मू व कश्मीर	12	
महाराष्ट्र	12	(प्रगति अधीन)
मेघालय	30	8 (16 प्रगति अधीन 6 निपटा दी थीं)
राजस्थान	4	1
कुल	70	10

विवरण-17

1995-96, 1996-97 और 1997-98 अर्थात् तीन वर्षों के दौरान आई. आर. डी. पी., ट्राइसेम, डवाकरा और आई. ए. वाई. के संदर्भ में जारी की गयी अतिरिक्त निधियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई. आर. डी. पी.		ट्राइसेम		डवाकरा			आई. ए. वाई.	
	1995-96	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	1565.95	599.25	133.69	144.00	297.45	1510.00	181.44	2478.10	661.30
अरुणाचल प्रदेश	0.00	44.81						105.37	59.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	516.00	197.21			32.18		71.82	256.11	169.15
बिहार	0.00	116.73						1846.22	897.80
गोवा	0.00	0.00						7.55	1.45
गुजरात	172.50	219.91		137.70			65.52	285.59	242.76
हरियाणा	369.00	52.86					25.20	68.61	58.31
हिमाचल प्रदेश	78.00	12.99		54.38			6.30	24.00	220.40
जम्मू व कश्मीर	0.00	54.03						426.78	178.20
कर्नाटक	920.50	285.31	53.43				97.02	1815.99	362.88
केरल	509.03	134.73	93.30				45.36	190.09	161.58
मध्य प्रदेश	1446.22	300.00	601.11	471.40	188.36			986.01	1238.10
महाराष्ट्र	0.00	192.26	484.00					772.31	637.51
मणिपुर	0.00	5.57						208.00	2.24
मेघालय	0.00	4.29	68.42					5.54	0.00
मिजोरम	43.00	14.51	9.51					4.42	3.74
नागालैंड	145.04	21.34						211.24	309.52
उड़ीसा	817.05	418.51	19.39					1131.20	464.08
पंजाब	0.00	37.49						48.79	22.39
राजस्थान	342.00	165.87						409.66	206.80
सिक्किम	52.11	4.02						4.09	3.48
तमिलनाडु	0.00	541.80						1203.41	597.89
त्रिपुरा	159.89	183.60						11.65	9.94
उत्तर प्रदेश	2414.00	574.84					255.78	2398.15	1485.00
प. बंगाल	468.50	14.22						595.52	21.07
अ. निको.	0.00	0.00						4.14	0.00
दादरा व न. हवेली	0.00	2.16					2.52	2.25	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00						0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00						0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	8.33						57.05	52.73
कुल	10018.79	4206.64	1465.85	807.48	517.99	1510.00	750.96	15555.84	8067.63

* इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना की एक उप–योजना थी।

अनंतिम

आई. आर. डी. पी. – 1996-97 के दौरान अतिरिक्त निधियां जारी नहीं की गयी थीं।

हज यात्री

*30. **श्री जी. एम. बनातवाला :**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेद्दाह में एअर इंडिया की उड़ानें विशेषरूप से अप्रैल, 1998 में अस्त–व्यस्त हो गई थीं जिसकी वजह से वापस आने वाले हज यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1998 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" के मुम्बई संस्करण में "मेनी इंडियन हाजीज स्ट्रेंडेड एट जेद्दाह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में यदि कोई जांच की गयी है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ड़) यह समाचार मुख्यतः जेद्दाह हवाई अड्डे पर भारतीय हज तीर्थ यात्रियों को हुई असुविधा के संबंध में है जिसके अनुसार ऐसा चार्टर उड़ानों की अनुसूचियों को ठीक स्थान पर न रखने के कारण हुआ।

जेद्दाह से भारत को प्रचालित 174 उड़ानों में से, 44 उड़ानों में जेद्दाह हवाई अड्डे पर भीड़–भाड़ तथा एअर इंडिया द्वारा वेटलीजशुदा विमान द्वारा उत्पन्न तकनीकी खराबियों के कारण 6–24 घंटे के बीच विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त तीन उड़ानों में विलंब जेद्दाह हवाई अड्डे पर तीर्थ यात्रियों के विलंब से आने के कारण हुआ। सभी तीर्थ यात्रियों को उड़ानों की फिर से अनुसूची तैयार करके उनसे संबंधित गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया गया तथा तकनीकी खराबियों अथवा विलंब के कारण कोई उड़ान रद्द नहीं की गई। इसके अलावा प्रभावित विमान के तीर्थ यात्रियों को उनकी रवानगी होने तक भोजन तथा अल्पाहार मुहैया कराने के साथ–साथ सामान्य सुविधा भी प्रदान की गई।

पूंजी जुटाना

*31. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री अजीत जोगी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से जनता से भारी धनराशि जुटाई है;

(ख) यदि हां, तो कुल धनराशि कितनी है और किस वर्ष लिया गया और इसकी ब्याज दर क्या है तथा यह धनराशि कब तक वापस की जाएगी तथा यह धनराशि किन–किन परियोजनाओं के लिए ली गई है; और

(ग) रेलवे का विचार इस भारी धनराशि को किस प्रकार से खर्च करने का है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित धनराशि, घरेलू बाजार में बंध पत्रों के इश्यू के जरिए, पब्लिक इश्यू तथा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई थी।

वर्ष	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रु. में)	ब्याज की दर प्रतिवर्ष	परिपक्वता की तारीख	वर्षवार कुल (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1987-88	250.00	10%	15.04.1997	
	309.40	9%	15.04.1997	
	400.00	9%	26.02.1998	959.40
1988-89	100.00	9%	23.03.1999	
	500.00	9%	07.02.1999	600.00
1989-90	100.00	9%	12.01.2000	
	300.00	9%	16.12.1999	
	50.00	9%	22.12.1999	
	165.00	9%	28.12.1999	
	35.00	9%	30.12.1999	
	350.00	9%	01.01.2000	1000.00
1990-91	100.00	9%	18.03.2001	
	1070.00	9%	28.08.2000	1170.00
1991-92	800.00	9%	15.07.2001	
	700.00	9%	30.11.2001	1500.00
1992-93	0.00			0.00
1993-94	85.71	10.50%	04.03.2001	
	200.00	16%	04.03.1999	
	130.00	14%	28.03.1999	
	20.00	14%	30.03.1999	
	200.00	10.50%	09.03.2001	
	35.00	10.50%	22.03.2001	
	3.00	10.50%	26.03.2001	
	54.00	10.50%	28.03.2001	

1	2	3	4	5
	8.00	10.50%	30.03.2001	
	5.00	10.50%	31.01.2001	740.71
1994-95	176.50	10.50%	05.10.2001	
	30.00	9%	17.01.2002	206.50
1995-96	5.00	10.50%	15.09.2002	
	5.00	10.50%	16.09.2002	
	30.00	10.50%	22.09.2002	
	10.00	10.50%	27.10.2002	
	11.00	10.50%	17.11.2002	
	0.98	10.50%	24.11.2002	
	10.00	10.50%	30.11.2002	
	2.73	10.50%	01.12.2002	
	0.73	10.50%	08.12.2002	
	0.94	10.50%	15.12.2002	
	13.68	10.50%	22.12.2002	
	0.15	10.50%	29.12.2002	
	6.28	10.50%	15.01.2003	
	0.40	10.50%	19.01.2003	
	0.51	10.50%	02.02.2003	
	0.01	10.50%	09.02.2003	
	161.91	10.50%	29.03.2003	259.32
1996-97	130.59	10.50%	27.08.2003	
	11.75	10.50%	07.10.2003	
	292.25	16.50%	27.08.2003	
	58.85	16.50%	07.10.2003	
	147.24	10.50%	21.05.2003	
	61.90	16.50%	21.05.2001	
	13.39	16.50%	21.05.2001	
	38.39	16.50%	21.05.2006	
	190.47	10.50%	04.03.2004	944.83
1997-98	386.02	10.50%	27.08.2004	
	60.50	10.50%	30.03.2008	
	50.00	10.50%	31.03.2005	
	500.00	14.25%	29.07.2004	
	458.47	13.50%	29.07.2004	1454.99
जोड़				8835.75

इस प्रकार जुटाई गई धनराशि का उपयोग चल स्टाक परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किया जाता है, जिन्हें भारतीय रेलों को पट्टे पर दिया जाता है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में आरक्षण

*32. *श्री हरिकेवल प्रसाद :*

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों की भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के लिए आरक्षण शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र बलों में नियुक्तियां और चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाता है तथा जाति, समुदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

[हिन्दी]

दलालों संबंधी समस्या

*33. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को देश भर में रेल टिकटों के आरक्षण संबंधी कार्य में लिप्त दलालों और अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों द्वारा उत्पन्न समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या रेल कर्मचारी अनुचित लाभ के लिए दलालों के साथ सांठ-गांठ करते हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक प्रत्येक जोन में कितने छापें मारे गए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) गैर-कानूनी आरक्षण कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने अथवा उन्हें दण्डित करने के बारे में मौजूदा प्रावधान क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त काला–बाजारी/अवैध आरक्षण को रोकने के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है;

(छ) क्या सरकार का विचार मौजूदा प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) जी हां। समाज विरोधी तत्वों द्वारा गाड़ियों में स्थान हथियाने और बाद में इसे जरूरतमंद यात्रियों को मुनाफे पर बेचने के कुछ मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इस बुराई पर काबू पाने के लिए दलालों तथा अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों की धरपकड़ करने के लिए रेल सुरक्षा बल और रेलों के सतर्कता तथा वाणिज्य विभागों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

प्राधिकृत रेल ट्रेवेल एजेंटों के परिसरों की भी, यह देखने के लिए जांच की जाती है कि, उनके द्वारा कोई अनियमितताएं तो नही बरती जा रही हैं। ग्रीष्मकालीन भीड़–भाड़ के दौरान ये छापे और जांच और अधिक गहन कर दिए जाते हैं।

वर्ष 1997–98 में, दलालों के विरुद्ध 43603 छापे मारे गए थे। उपरोक्त जांचों के परिणामस्वरूप 4808 दलालों और समाज विरोधी तत्वों को पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध जुर्माना लगाने, कानूनी कार्रवाई करने, टिकटों को जब्त करने आदि जैसी विभिन्न कार्रवाइयां की गई हैं। कुछ मामलों में दोषी रेल यात्री सेवा एजेंटों के लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए हैं। इसके अलावा, गाडियों में उन यात्रियों की भी जांच की जाती है जो अनधिकृत एजेंटों से टिकटें खरीदते हैं और इस अवधि के दौरान हस्तांतरित टिकटों के 19095 मामले पकड़े गए हैं जिनसे 84.50 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। 646 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भी बुकिंग/आरक्षण में शिकायतों सहित विभिन्न अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा गाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले इच्छुक यात्रियों को मामूली से अतिरिक्त प्रभार पर तुरंत आरक्षण मुहैया कराने के लिए कुछ गाड़ियों मे अब एक तत्काल आरक्षण योजना शुरू की गई है। व्यस्त अवधि के दौरान, अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने, पंक्ति की लम्बाई पर निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्ति ही आरक्षण टिकट प्राप्त करे, आरक्षण कार्यालयों में अधिकारी और निरीक्षक तैनात किए जाते हैं। असामाजिक तत्वों और आरक्षण कदाचार में लिप्त बेईमान व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आरक्षण कार्यालयों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे भी लगाए गए हैं।

(ङ) एक आरक्षित टिकट को हस्तांतरित करने अथवा एक हस्तांतरित टिकट पर यात्रा करने और अनधिकृत रूप से रेलवे टिकट खरीदने और बेचने के लिए दण्ड निर्धारित करने वाले मौजूदा उपबंध रेलवे अधिनियम, 1989 के खण्ड 142 और 143 में दिए गए हैं।

(च) से (ज) मौजूदा रेल अधिनियम उपबंध की अपर्याप्तता के मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जलापूर्ति के लिए कार्य-योजना

*34. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कोई कार्य–योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति का आकलन किया है जहां पिछले पचास सालों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से कार्य योजनाएं तैयार करने का आग्रह किया है;

(ङ) क्या सरकार योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर भी सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को दी गई धनराशि तथा अन्य सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जल आपूर्ति राज्य का विषय है अतः आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाना, तैयार करना, कार्यान्वित करना तथा साफ पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) तैयार करने के लिए सरकार द्वारा शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए गठित कार्य दल ने नवीं योजना के अंत तक 100% शहरी जनसंख्या को जल आपूर्ति सुविधा मुहैया कराने की सिफारिश की है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबधित राज्य एजेंसियों और स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अनुमान है कि 31.3.93 तक 85% शहरी जनसंख्या को साफ पीने के पानी की सुविधा प्राप्त थी।

(ग) शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधा पाने वाली जनसंख्या का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार, सभी को साफ पीने का पानी मुहैया कराने पर जोर देती रही है और इस बात को अनेक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में तथा कार्यदल की रिपोर्ट में दोहराया गया है।

(ङ) साफ पीने के पानी की आपूर्ति की योजना बनाना तथा इसके लिए धन मुहैया कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र

सरकार, 20,000 से कम जनसंख्या (1991 की जनगणना अुनसार) वाले नगरों के लिए मार्च, 1994 में शुरू त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्लूएसपी) के तहत, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत स्कीमों की लागत का खर्च, केन्द्र और राज्य सरकारें 1:1 के अनुपात में उठाती हैं।

(च) त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 250.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 258 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं इसमें से अब तक 96.57 करोड़ रूपए केन्द्र के अंशदान के रूप में, राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार वर्गीकरण संलग्न विवरण – II में दिया गया है।

विवरण-I

शहरी जल आपूर्ति तथा सप्लाई प्रबंध की स्थिति–भारत 31.3.98 तक की स्थिति के अनुसार जनसंख्या लाभान्वयन

(जनसंख्या हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मार्च, 93 के अंत तक अनुमानित जनसंख्या	आबादी जिसे जल आपूर्ति के इन साधनों से सप्लाई की जा रही है। घरेलू कनैक्शन	स्टैंड पोस्ट	कुल आबादी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	15339	8953	3853	12806	83.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	111	78	33	111	100.00
3.	असम	2593	185	110	295	11.37
4.	बिहार	11892	4187	5327	9514	80.00
5.	दिल्ली	10300	4730	4540	9270	90.00
6.	गोवा	506	311	135	446	88.14
7.	गुजरात	15127	11910	2977	14887	98.41
8.	हरियाणा	3864	2705	1159	3864	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	480	274	206	480	100.00
10.	जम्मू व कश्मीर	2030	1421	609	2030	100.00
11.	कर्नाटक	14039	10247	2888	13135	93.56
12.	केरल	8217	2360	2690	5050	61.45
13.	मध्य प्रदेश	15851	9064	5216	14280	90.08
14.	महाराष्ट्र	3115	20284	11296	31580	98.33
15.	मणिपुर	548	402	60	462	84.30
16.	मेघालय	302	107	111	218	72.18
17.	मिजोरम	175	40	60	100	57.14
18.	नागालैंड	214	63	151	214	100.00
19.	उड़ीसा	4332	688	1617	2305	53.20
20.	पंजाब	6217	2922	560	3482	56.00
21.	राजस्थान	10864	8503	2361	10864	100.00
22.	सिक्किम	195	95	25	120	61.53
23.	तमिलनाडु	22941	8720	2514	11234	48.96
24.	त्रिपुरा	344	128	55	183	53.19
25.	उत्तर प्रदेश	29470	19643	8418	28061	95.21
26.	पश्चिम बंगाल	19412	9493	7167	16660	85.82
	योग	227478	127513	64138	191651	84.25
	संघ शासित प्रदेश					
1.	अ. व नि. द्वीप समूह	90	55	22	77	85.55
2.	चंडीगढ़	617	617	0	617	100.00
3.	दादर व नगर हवेली	14	9	4	13	92.85
4.	दमन व दीव	27	10	17	27	100.00
5.	लक्षद्वीप	29	0	29	29	100.00
6.	पांडिचेरी	517	349	168	517	100.00
	योग	1294	1040	240	1280	98.91
	सकल योग	228772	128553	64378	192931	84.33

विवरण-II

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना

(लाख रू. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजनाओं की सं.	अनुमोदित लागत	प्रदान किया गया केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	2467.00	104.45
2.	असम	6	867.35	334.11

1	2	3	4	5
3.	बिहार	4	315.82	94.50
4.	गोवा	2	51.13	25.58
5.	गुजरात	8	508.09	255.62
6.	हरियाणा	6	630.25	315.13
7.	हिमाचल प्रदेश	4	326.10	163.05
8.	जम्मू व कश्मीर	3	467.61	105.58
9.	कर्नाटक	12	1213.26	417.81
10.	केरल	3	712.82	203.22
11.	मध्य प्रदेश	54	3887.29	1502.92
12.	महाराष्ट्र	10	1371.10	658.71
13.	मणिपुर	7	468.36	234.18
14.	मेघालय	1	195.63	97.82
15.	मिजोरम	2	149.83	74.92
16.	नागालैंड	1	219.70	86.69
17.	उड़ीसा	8	1158.62	446.35
18.	पंजाब	5	269.51	184.13
19.	राजस्थान	20	1792.64	975.21
20.	सिक्किम	–	–	0.00
21.	तमिलनाडु	16	895.65	401.41
22.	त्रिपुरा	–	–	5.16
23	उत्तर प्रदेश	81	6778.53	2807.91
24	पश्चिम बंगाल	3	325.88	162.94
	योग	258	25072.17	9657.40

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री द्वारा सियाचिन ग्लेशियर का दौरा

*35. **श्री मोहन सिंह :**

श्री आर. सम्बासिवा राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 30 अप्रैल, 1998 को सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया था जिसमें उनके निरीक्षण के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलाबारी की;

(ख) उसमें हताहत भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) पाक सीमाओं की ओर से बहुधा होने वाली अंधाधुंध गोलाबारी की जवाबी कार्रवाई के लिए वहां तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी तरह सुसज्जित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पाकिस्तान की ओर से जम्मू–कश्मीर (सियाचिन सेक्टर, नियंत्रण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा) में सीमाओं पर कई वर्षों से नियमित रूप से अकारण गोलाबारी की जाती रही है। रक्षा मंत्री ने 29 व 30 अप्रैल, 98 को सियाचिन सेक्टर का दौरा किया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने 29 अप्रैल, 98 को इस सेक्टर की कुछ चौकियों पर अकारण अंधाधुंध गोलाबारी की। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में सियाचिन क्षेत्र में हमारा एक सैनिक मारा गया ।

जम्मू–कश्मीर में सीमाओं पर तैनात हमारे सैन्य बल पूरी तरह से शस्त्रों से लैस हैं तथा पूर्णतः प्रशिक्षित हैं। हमारे सैन्य बल पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली अकारण गोलाबारी का समुचित जवाब देते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि गोलाबारी की ये घटनाएं उसी स्थान तक सीमित रहें और इसमें हमारे सैनिक कम–से–कम संख्या में हताहत हों।

[अनुवाद]

दिल्ली में पेयजल

*36. **श्री नरेश पुगलीया :**

श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेयजल अत्यधिक प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का संयुक्त रूप से अपने निवासियों को प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सप्लाई किया जा रहा पेयजल

निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है। तथापि, पानी के संदूषण के कुछ मामले हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के ध्यान में आए हैं। संदूषण के कारण का पता लगाकर उसे दूर कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा पानी की पेयता सुनिश्चित करने और संदूषण की किसी संभावना से बचने के लिए, जलाशयों, ऊपरी टेंकों तथा वितरण प्रणाली के अंतिम छोरों की सफाई व धुलाई का काम नियमित रूप से किया जाता है। सभी संबंधित एजेंसियों जैसे नई दिल्ली नगर परिषद, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड, सहकारी समितियों तथा पानी के थोक खपतकर्ताओं को भी इसी प्रकार से निवारक उपाय करने की समय-समय पर सलाह दी जाती है। कच्चे पानी स्तर से उपभोक्ता स्तर तक जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाते हैं, जिनमें 250-300 नमूनों की रोजाना जांच भी शामिल है।

एयरलाइन्स का ऋण शुल्क ढांचा

*37. **श्री एस. एस. ओवेसी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्गों के आधार पर एयरलाइन्स के ऋण शुल्क ढांचे का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण शुल्क के लिए मार्गों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या इस निर्णय से छोटी एयरलाइन्स लाभान्वित होंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (च) जी, नहीं। मार्गों के आधार पर विमान कंपनियों के किसी ऋण शुल्क ढांचे हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर दूर दराज, सुदूर तथा अगम्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के छोटे-छोटे स्टेशनों को जोड़ने वाले विमान प्रचालकों को रियायत/प्रोत्साहन मुहैया कराने के वास्ते विभिन्न सुझाव विचाराधीन हैं।

रोजगार में वृद्धि करने संबंधी नीति

*38. **श्री रूपचंद पाल** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि करने संबंधी कोई नई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां। "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" नामक नई योजना 1.12.97 से आरंभ की गई है।

(ख) इस योजना का लक्ष्य देश में शहरी गरीबी उपशमन बावत प्रयासों को तर्कसंगत बनाना है। इस योजना में स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ ही, "महिला एवं बाल विकास" नामक विशेष कार्यक्रम द्वारा शहरी निर्धन महिलाओं को सशक्त और उन्नत बनाने पर विशेष बल दिया गया है, जिसके तहत स्वरोजगार उद्यम लगाने वाले निर्धन-महिला समूह परियोजना की 50% लागत या 1,25,000 रुपए, जो भी कम हो, की सब्सिडी पाने के पात्र होते हैं। शहरी अभावग्रस्त/स्लम क्षेत्रों में थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट समितियां गठित करने तथा मजदूरी रोजगार द्वारा आवश्यक अवस्थापनाओं और न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के सृजन के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

लापता भारतीय सैनिक

*39. **श्री के. एस. राव.** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों में से अनेक सैनिक अभी तक लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सैनिकों का पता लगाने, रिहा करवाने अथवा स्वदेश वापस लाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन लापता/कैदी सैनिकों के परिवारों/आश्रितों को सरकार की ओर से कोई सहायता मिल रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मिसिंग डिफेन्स पर्सनल रिलेटिव्ज ऐसोसियेशन ने हाल ही में सरकार का ध्यान इन सैनिकों के परिवारों/आश्रितों की दुर्दशा की ओर दिलाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) "मिसिंग डिफेंस पर्सनैल रिलेटिव्स एसोसिएशन" सहित लापता रक्षा कार्मिकों के परिवारजनों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर इकट्ठा की गई अब तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों की हिरासत में 54 रक्षा कार्मिक युद्ध बंदी के रूप में हैं। चूंकि विदेश मंत्रालय इस विषय से संबंधित नोडल मंत्रालय है, अतः यह मंत्रालय इस मामले को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाए जाने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है। विदेश

मंत्रालय इस मामले को समय-समय पर प्रधान मंत्री के स्तर पर तथा विदेश सचिव स्तर पर होने वाली बातचीत के दौरान उठाता रहा है। प्रधान मंत्री ने पिछली बार यह मामला पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ मई, 1997 में माले में उठाया था। तथापि, पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि उसकी जेलों में कोई युद्ध बंदी नहीं है।

इस मामले में सरकारी स्तर पर स्थिति यह है कि 1965 और 1971 युद्ध के सभी लापता कार्मिकों को 7 वर्ष के पश्चात मारे गए मान लिया गया है तथा उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशन लाभ प्रदान किए जा चुके हैं जिसमें उदारीकृत परिवार पेंशन, उपदान, संतान भत्ता तथा बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता शामिल है।

भारतीय रेल का आधुनिकीकरण

*40. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रेलों में निजी भागीदारी मुख्य रूप से दो योजनाओं में है:-

(i) बोल्ट (निर्माण, स्वामित्व, पट्टा और हस्तांतरण)/बूल (निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और पट्टा)/बूट(निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) योजना (1994 से शुरू की गई)

आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, चल स्टॉक और दूरसंचार कार्य तथा सिविल इंजीनियरी संबंधी रेल परियोजनाओं का बोल्ट/बूल/बूट योजना के अंतर्गत टर्न-की निष्पादन किया जा रहा है;

बोल्ट योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 4 परियोजनाएं (2 आमान परिवर्तन और 2 चल स्टाक) प्रदान की गई हैं और 1877 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 24 परियोजनाओं पर कार्रवाई शुरू की गई है परंतु उच्च दर उद्धृत किए जाने के कारण एक निविदा को छोड़कर सभी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया गया है।

(ii) ओ वाई डब्ल्यू एस (अपने माल डिब्बे के मालिक बनें योजना)

मालडिब्बों की खरीद के लिए रेलों के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ओ वाई डब्ल्यू एस की परिकल्पना की गई थी यह योजना सितम्बर, 1992 में शुरू की गई थी और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 1996-97 तक 793.26 करोड रूपए मूल्य के 13568 माल डिब्बों (चौपहिया इकाइयों में) के लिए आदेश दिए गए हैं और 452.66 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 9,298 मालडिब्बों (चौपहिया इकाइयों में) की आपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

आवासीय और गैर आवासीय भवनों का निर्माण

183. **श्री बाजू बन रियान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवासीय और गैर आवासीय भवनों, तटबंधों, पुलों/सुरंगों आदि के निर्माण कार्य को राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को सौंपने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाइक) : (क) जी नहीं। बहरहाल, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण, निगम रेलों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए आमंत्रित की जाने वाले निविदाओं में भाग लेने और संविदा सौंपे जाने के लिए अन्य निविदादाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए स्वतंत्र है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौपाड़ा से गुणुपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण

184. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौपाड़ा-गुणुपुर (दक्षिण-पूर्व रेल) छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी, आर्थिक स्वीकृति के पश्चात् उक्त लाइन के निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि आबंटित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : जी हां।

(ख) आवश्यक स्वीकृति, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा। यह कार्य 1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है।

खम्माम में उपरिपुल का निर्माण

185. **श्री नादेन्दला भास्कर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खम्माम नगर में उपरिपुल का निर्माण करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त कार्य को निष्पादित करने में कोई कठिनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेताजी सुभाष चन्द्र विमानपत्तन पर यात्रियों को हो रही कठिनाइयां

186. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को नेताजी सुभाष चन्द्र विमानपत्तन, कलकत्ता के घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय टर्मिनलों, दोनों पर ही कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं;

(ग) क्या इन टर्मिनलों पर कोई विस्तार कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) भा. वि. प्रा. ने 33.6 करोड़ रु. की अनुमानित लागत कार्य तथा विद्यमान टर्मिनल भवन का संवर्धन, एयरसाइड/कॉरिडोर और सुरक्षात्मक क्षेत्र का निर्माण, सुदुर वे के लिए नये एप्रॅन, शहर की ओर कैनोपी, खाड़ी और टैक्सी मार्ग का पुनर्निर्माण 2000 ए. डी. तक चरण बद्ध ढंग से पूरा होने हेतु उपक्रमित किया है। पब्लिक संबोधन प्रणाली के श्रवण संबंधों में सुधार लाने और पूर्व भुगतान टैक्सी सेवा को सुप्रवाही बनाने के लिए भी कार्रवाई की गई है।

इंडियन एयरलाइन्स में वित्तीय अनियमितताएं

187. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में इंडियन एयरलाइन्स की सेवा में वित्तीय दुर्विनियोग सहित गंभीर अनियमितताएं आयी हैं, जिससे विमान यात्रियों की सुरक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयर लाइन्स की सेवा में सुधार लाने तथा इसे लाभकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय करने की दिशा में कदम उठाए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है:-

(1) मार्गों का पुनर्निर्माण (2) लाभ केन्द्रों का सृजन (3) अंतराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि (4) विमानचालकों के प्रशिक्षण पद्धति में परिवर्तन (5) एलायंस एयर का सृजन (6) यात्री सेवओं में सुधार (7) कंपनी की क्षमताओं के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करके निगमित छवि में सुधार (8) मार्किट शेयर में सुधार लाने की दृष्टि से उद्यमशील मार्केटिंग रणनीतियां। (9) भर्ती और पूंजी व्यय पर कठोर नियंत्रण (10) केलकर समिति द्वारा सुझाई गई पूर्व स्थिति बहाली संबंधी रणनीतियां।

एयरलाइंस (अपनी सहायक कंपनी एलायंस एयर सहित) पहले ही खतरे से बाहर है और वर्ष 1997-98 के दौरान इसके द्वारा 50.1 करोड़ रुपए (अनंतिम) का निवल मुनाफा अर्जित करने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

विमान सुरक्षा संबंधी समिति

188. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित सभी विमानपत्तनों की विमान सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदन/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन विमानपत्तनों में प्रत्येक विमानपत्तन पर क्या खामियां हैं; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारत सरकार ने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लंबित मामलों को सुलझाने के लिए भारत-चीन वार्ता

189. श्री आर. सम्बासिवा राव :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच काफी समय से लंबित पड़े मामलों को सुलझाने संबंधी वार्ता का स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के सेनाध्यक्ष ने भी हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोनों देशों के बीच अभी किन–किन मुद्दों को सुलझाया जाना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रचनात्मक और सहयोगी संबंध बनाने के लिए अपनी–अपनी वचनबद्धता दोहराई थी।

(ङ) आपसी हित के सभी मुद्दों पर भारत–चीन संयुक्त कार्यकारी दल तथा भारत–चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा में विचार –विमर्श किया जा रहा है। संयुक्त कार्यकारी दल की गत बैठक (10 वीं) अगस्त, 1997 में नई दिल्ली में हुई थी।

मार्गों को तर्कसंगत बनाने संबंधी समिति का गठन

190. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया बोर्ड ने मार्गों को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है ताकि इसके द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकटों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या एक अर्थक्षम दीर्घावधि नीति बनाने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब तक गठित कर दी जायेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच मार्ग युक्तिकरण संबंधी अपनी संस्तुतियां देने के लिए एअर इंडियां बोर्ड की एक उपसमिति गठित की गई है। सरकार ने डा. विजय के. केलकर, अध्यक्ष, टैरिफ आयोग की अध्यक्षता में एअर इंडिया द्वारा उठाए गए घाटे के कारणों की व्यापक जांच–पड़ताल करने और कंपनी की पूर्व स्थिति बहाली के लिए एक रणनीति सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली किराया अधिनियम

191. श्री के. एस. राव : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस अधिनियम के बारे में भू–स्वामियों और व्यापारी किरायेदारों से भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिल्ली किराया विधेयक, 1994 राज्य सभा व लोक सभा द्वारा क्रमशः दिनांक 29.5.95 व 3.6.95 को पारित किया गया। दिनांक 23.8.95 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और यह दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 हो गया। दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को अभी लागू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को भू–स्वामियों तथा किराएदारों (व्यापारी किराएदारों सहित) दोनों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भू–स्वामी जहां इस अधिनियम, को तत्काल लागू करने का अनुरोध कर रहे हैं वहीं किराएदार इसे लागू करने से पूर्व अधिनियम के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन परिवर्तनों में परिकल्पित किराया, किराएदारी का अनिवार्य पंजीयन गैर आवासीय परिसरों की किराएदार के उत्तराधिकार में प्राप्ति किराए में बढ़ोत्तरी तथा किराएदारों की बेदखली से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

(घ) मामले की व्यापक जांच के उपरान्त सरकार ने दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को लागू करने से पूर्व इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 दिनांक 28.7.97 को राज्य सभा में पेश किया गया था और यह अभी भी राज्य सभा में लंबित है।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

192. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ग्रेनाइट का निर्यात किया जाता है और अच्छी किस्म का ग्रेनाइट राजस्थान में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम नहीं रहे हैं;

(ग) क्या प्रसंस्कृत ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने हेतु विगत वर्ष में सम्पन्न राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा ग्रेनाइट के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान निर्यात में हुई नियमित बढ़ोत्तरी से स्पष्ट हो जाएगा।

(ग) और (घ) कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। इस दिशा में ग्रेनाइट विकास परिषद् को ग्रेनाइट उद्योग के समग्र विकास, जिसमें इसका निर्यात भी शामिल है, कि देख–रेख करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। इसके अलावा, ग्रेनाइट संबंधी कराधान व्यवस्था की जांच करने और ग्रेनाइट के विकास और निर्यात के उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है।

[अनुवाद]

दरभंगा से जयनगर तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन

193. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरभंगा जयनगर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उक्त लाइन के कब तक आमान परिवर्तन कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, 1997–98 के बजट में कार्य पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ख) आवश्यक स्वीकृति, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) स्वीकृति प्राप्त हो जाने और परियोजना शुरू हो जाने के पश्चात् ही लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

खुर्जा सिटी स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव

194. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों में खुर्जा जंक्शन से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को खुर्जा सिटी स्टेशन पर रोकने के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) खुर्जा सिटी से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियां वहां रुकती हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

195. श्री के. पी. नायडू : **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) इनकी संयंत्र–वार अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण योजना लागू करने की लागत बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) स्टील आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने निम्नलिखित तीन इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया है:–

1. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी)
2. राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी)
3. बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल)

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की अनुमोदित लागत नीचे दी गई है:–

डी. एस. पी. : 2,668 करोड़ रुपए (आधार : 88 की तीसरी तिमाही)

आर. एस. पी. : 3,954 करोड़ रुपए (आधार : 92 की प्रथम तिमाही)

बी. एस. एल. : 1,793 करोड़ रुपए (आधार : 94 की प्रथम तिमाही)

(ग) जी, हां।

(घ) लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

डी. एस. पी. : अनुमोदित लागत 2,668 करोड़ रुपए (आधार : 88 की तीसरी तिमाही)

प्रत्याशित लागत : 4,867 करोड़ रुपए (आधार : 97 की तीसरी तिमाही)

लागत में वृद्धि : 2,199 करोड़ रुपए

लागत में 77% वृद्धि मौद्रिक और वित्तीय कारणों से तथा शेष 23% वास्तविक कारणों से हुई।

आर. एस. पी. : अनुमोदित लागत : 3,954 करोड़ रुपए (आधार: 92 की प्रथम तिमाही)

प्रत्याशित लागत : 5,112 करोड़ रुपए

लागत में वृद्धि : 1,158 करोड़ रुपए

लागत में 95% वृद्धि मौद्रिक और वित्तीय कारणों से तथा शेष 5% वास्तविक कारणों से हुई।

बी. एस. एल. : अनुमोदित लागत : 1,793 करोड़ रुपए (आधार : 94 की प्रथम तिमाही)

प्रत्याशित लागत : 2,235 करोड़ रुपए (आधार : 97 की तीसरी तिमाही)

लागत में वृद्धि : 442 करोड़ रुपए

लागत में 83% वृद्धि मौद्रिक और वित्तीय कारणों से तथा शेष 17% वास्तविक कारणों से हुई।

[हिन्दी]

अल्मुनियम परियोजनाओं को स्वीकृति देना

196. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन कार्य को पट्टे पर न देने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने कोई अल्मुनियम परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) एल्यूमिनियम परियोजना स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के कर्मचारियों की हड़ताल

197. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 27 अप्रैल, 1998 को केरल में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) हवाई अड्डे पर प्रचालनरत दो एजेंसियों के बीच कुछ कहा–सुनी के फलस्वरूप दो से तीन घंटों तक प्रचालनों में रुकावट आई थी।

(ख) विमानपत्तन समन्वय समिति द्वारा सबंधों में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम मंडल में यात्री सुविधाएं

198. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम मंडल के एल्लेप्पी, मरारीकुलम, अंबालपुजा, चेन्नतलै, हरिपद तथा थुरवार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के विस्तार तथा ऊपरी पैदल पुल के निर्माण सहित और यात्री सुविधाएं बढ़ाने संबंधी आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के मापदण्डों के आधार पर मुहैया कराई गई है। स्टेशनों पर सुविधाओं की पर्याप्तता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और यदि किसी कमी का पता चलता है तो उसे निधियों की उपलब्धता के आधार पर ठीक किया जाता है, एल्लेप्पी स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल पहले ही मौजूद है तथा अन्य स्टेशनों के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यात्रा सुविधाओं में वृद्धि के उपाय के रूप में निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:–

स्टेशन	कार्य का विवरण	लागत लाख रुपए में
1. एल्लेप्पी	प्लेटफार्म सं. 1, 2 एवं 3 पर सायबान का विस्तार	45.00
	महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय, अल्पाहार रूम, कर्मीदल आराम गृह	27.00
	पार्सल कार्यालय, क्लॉक रूम तथा आरक्षण कार्यालय	28.00
2. अंबालपुज़ा	प्लेटफार्म का विस्तार	13.82
3. शेरतलाई	द्वितीय प्लेटफार्म को ऊंचा उठाना	16.48
	द्वितीय प्लेटफार्म पर सायबान	13.00
4. थूंरावूर	प्लेटफार्म सं. 2 को ऊंचा उठाना	11.45
	प्लेटफार्म सं. 1 का विस्तार	15.00

प्रतिशत प्रभार पर कार्य का निष्पादन

199. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में सड़कों तथा सर्विस सड़कों की हालत बड़ी खराब है तथा जल का भी अत्यंत अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या 10 प्रतिशत प्रभारों पर कार्य करने के लिए स्वीकृत

धनराशि उतनी की उतनी रह गई है, जबकि ठेकदारों ने अपने प्रभारों को दो गुना/तीन गुना कर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्वार्टरों में कार्य कराने के लिए धन की सीमाएं बढ़ाने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) कालोनी में रोड़/सर्विस रोड़ का अनुरक्षण कार्य दिल्ली नगर निगम के पास है। इन सड़कों से क्वार्टरों तक के पहुंच मार्ग/सड़कें सी पी डब्ल्यू डी के अनुरक्षण में हैं। दोनों एजेंसियों ने बताया है कि उनके दायरे की सड़कें सही हालत में हैं। रामाकृष्णापुरम में जल पूर्ति दिल्ली जल बोर्ड करता है, और उसने स्थिति संतोषप्रद बतायी है। किन्तु कभी-कभी बिजली की अनियमितता के कारण इसमें व्यवधान आ जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्य पूल आवास में परिवर्धन/परिवर्तन कार्यों के लिए वार्षिक सीमा जनवरी, 1995 में संशोधित की गई थी और तब से भवन लागत सूचकांक लगभग 24% बढ़ गया है।

(घ) और (ड.) इस सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी बशर्ते कि धन राशि उपलब्ध हो।

गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार

200. श्री सी. डी. गामीत : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में यथा-परिकल्पित रूप में गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में कई राज्य पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और खर्च की गई तथा इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य के शेष कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) शहरी गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार (ई आई यू एस) को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया और इसे 1974 में राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ई. आई. यू. एस. की वास्तविक प्रगति की निगरानी कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान ई. आई. यू. एस. के तहत 71.179 लाख के कुल लक्ष्य में से 79.178 लाख लाभार्थी जो कि लक्ष्य का 111.24% है, लाभान्वित हुए। योजना आयोग ने इस स्कीम के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों (1992-93 से 1995-96) के लिए 32928.04 रु. की राशि आबंटित की। सरकार ने 1991 की प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ाकर 1995 में 800 रु. कर दिया। वास्तविक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा और वित्तीय आबंटन विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 से 1996-97 हेतु ई. आई. यू. एस. के तहत की गई राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		लक्ष्य	प्राप्त	%	लक्ष्य	प्राप्त	%	लक्ष्य	प्राप्त	%	लक्ष्य	प्राप्त	%	लक्ष्य	प्राप्त	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	75333	201194	267	225000	314705	140	225000	305064	136	225000	279168	124	225000	350851	156
2.	आसाम	7000	6340	91	7000	5660	81	7000	7000	100	7000	4950	71	7000	2866	41
3.	बिहार	25000	7464	30	25000	2810	11	11000	3438	31	11000	3401	31	11000	1295	12
4.	दिल्ली	133000	23424	18	133000	85434	64	133000	188972	142	133000	114375	86	133000	77211	58
5.	गोवा	150	250	167	150	–	0	150	–	0	150	–	0	150	–	0
6.	गुजरात	40000	40971	102	80000	92915	116	100000	125942	126	100000	211670	212	100000	263606	264
7.	हरियाणा	34285	37045	108	45334	58840	130	50000	55095	110	50000	95448	191	50000	85491	171
8.	हिमाचल प्रदेश	10800	10847	100	14000	14019	100	14000	14014	100	10125	10128	100	11250	12504	111
9.	जम्मू व कश्मीर	18000	18000	100	18000	4521	25	5000	2971	59	6000	17687	295	6000	9304	155

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10. कर्नाटक	60000	65185	109	60000	70475	117	60000	55310	92	66000	66500	101	49000	49375	101
11. केरल	25000	26818	107	25000	25962	104	25000	22684	91	25000	25304	101	25000	37849	151
12. मध्यप्रदेश	83809	83920	100	79237	107069	135	100000	135360	135	116232	94910	82	116232	119372	103
13. महाराष्ट्र	250000	237259	95	250000	225797	90	368000	371479	101	520000	472214	91	522000	643508	123
14. मणिपुर	3390	–	0	3560	3714	104	100	4761	4761	5714	–	0	5000	–	0
15. मेघालय	7620	7600	100	7600	7633	100	5000	7610	152	5000	4930	99	5000	4683	94
16. मिजोरम	10000	2000	20	2000	2000	100	2000	2000	100	2000	2000	100	2000	2000	100
17. उड़ीसा	9556	9697	101	9556	10118	106	10510	13885	132	10000	14162	142	10000	8932	89
18. पांडिचेरी	10000	10025	100	10000	10059	101	10000	10033	100	10000	10169	102	10000	10269	103
19. पंजाब	70000	74226	106	40000	–	0	40000	8341	21	12500	9201	74	12500	9018	72
20. राजस्थान	57377	66917	117	57143	62499	109	60000	66075	110	43750	52181	119	40000	117067	293
21. सिक्किम	1200	1200	100	1200	1200	100	1000	1200	21	1500	1500	100	1500	1501	100
22. तमिलनाडु	26000	34111	131	28000	30287	108	38500	42440	110	31500	35649	113	31500	36410	116
23. त्रिपुरा	10000	10000	100	10000	8025	80	10000	12850	129	10000	10000	100	10000	10000	100
24. उत्तर प्रदेश	150000	161532	108	150000	149761	100	15000	172371	115	150000	147355	98	150000	117288	78
25. प. बंगाल	60000	57635	96	37000	7208	19	37000	42644	115	37000	57517	155	37000	39342	106
26. अंडमान नि. द्वीप समूह	250	250	100	250	250	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100
योग	1177770	1193910	101	1318030	1300961	99	1462660	1671939	114	1588871	1740819	110	1570532	2010142	128

विवरण-II

वर्ष 1992-93 से 1996-97 हेतू ई. आई. यू. एस. के तलहत की गई राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र–वार परिव्यय और व्यय

क्रं. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	433.00	433.00	191.50	191.00	291.50	291.50	191.50	191.50
2.	असम	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	60.00	60.00
3.	बिहार	350.00	150.00	19.00	19.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4.	गोवा	5.00	3.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	20.00	220.00	300.00	300.00	325.00	325.00	600.00	600.00
6.	हरियाणा	200.00	180.00	238.00	238.00	253.00	253.00	500.00	500.00
7.	हिमाचल प्रदेश	63.00	63.00	73.00	73.00	73.00	73.00	81.00	81.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	जम्मू व कश्मीर	90.00	90.00	72.00	72.00	88.00	88.00	100.00	100.00
9.	कर्नाटक	145.00	760.00	912.00	912.00	859.00	859.00	859.00	859.00
10.	केरल	90.00	130.00	133.54	133.54	110.00	110.00	160.00	160.00
11.	मध्य प्रदेश	675.00	439.00	530.00	530.00	582.00	582.00	598.00	598.00
12.	महाराष्ट्र	1217.00	580.00	974.00	974.00	1500.00	1500.00	4162.00	4162.00
13.	मणिपुर	25.00	25.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मेघालय	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
15.	मिजोरम	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
16.	उड़ीसा	90.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	80.00	80.00
17.	पंजाब	175.00	–	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	राजस्थान	365.00	365.00	370.00	370.00	400.00	400.00	445.00	445.00
19.	सिक्किम	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20.	तमिलनाडु	260.00	260.00	230.00	230.00	330.00	330.00	526.00	526.00
21.	त्रिपुरा	50.00	–	8.00	8.00	55.00	55.00	50.00	50.00
22.	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	737.00	737.00	785.00	785.00	794.00	794.00
23.	पश्चिम बंगाल	1050.00	2600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	270.00	270.00
	कुल राज्य	7079.00	7229.00	5454.54	5454.04	6603.50	6603.50	9826.50	9826.50
1.	अंडमान व निकोबार	10.00	10.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	–	–	–	–	300.00	300.00	0.00	0.00
3.	दिल्ली	820.00	895.00	785.00	785.00	900.00	900.00	960.00	960.00
4.	लक्षद्वीप	5.00	–	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	पांडिचेरी	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00
6.	दमन व दीव	–	5.00	4.50	4.50	3.50	3.50	1.30	1.30
कुल केन्द्र शासित क्षेत्र		885.00	950.00	829.50	829.50	1243.50	1243.50	1006.50	1006.50
कुल योग		7964.00	8179.00	6284.04	6283.54	7847.00	7847.00	10833.00	10833.00

केरल में स्वर्ण भंडार

201. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के अनेक भागों में पाए गए स्वर्ण भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण भण्डार की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(घ) सर्वेक्षण का विवरण क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनेक अंवेषणों और खनिज सर्वेक्षणों के आधार पर केरल राज्य में सोने के तीन छोटे भण्डारों का पता लगाया है जो निम्न प्रकार है:–

1. **कपिल सेक्टर, मलपापुरम जिला**

1.75 ग्रा./टन औसत ग्रेड युक्त

0.065 मिलियन टन (एम टी)
स्वर्ण अयस्क।

2. **चलियार नदी तल, निलामबुर घाटी, मलपापुरम जिला**

संभाव्ति 8.5 मिलियन घन मी. बजरी (ग्रेवल) जिसमें लगभग 2188 कि. ग्रा. सोना।

3. **अट्टापडी घाटी, पालक्कद जिला**

0.78 जी/एम^3 औसत ग्रेड स्वर्ण युक्त 0.56 मिलियन घन मी. स्वर्णधारी बजरी (ग्रेवल)

[हिन्दी]

आवास निर्माण योजना

202. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की मंजूरी तथा वित्तीय सहायता हेतु कतिपय आवास निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा योजना–वार कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन योजनाओं की योजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार ने ऋण सहायता के लिए सरकार के पास काई शहरी आवास निर्माण योजना नहीं भेजी है। शहरी आवास स्कीमों के लिए सीधे वित्तीय सहायता मुहैया कराने की इस समय कोई स्कीम नहीं है। तथापि देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए सहायता मुहैया कराने वाले आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) को गुजरात की विभिन्न राज्य एजेंसियों से ऋण के लिए आवास स्कीमें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) हडको को गुजरात की विभिन्न राज्य एजेंसियों से कुल 19.55 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए 22 स्कीमें प्राप्त हुई हैं जो हडको में प्रक्रियाधीन हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य से प्राप्त आवास स्कीमें जो हंडको में प्रक्रियाधीन है (30.4.98 की स्थिति)

(लाख रु. में)

क्रं. सं.	एजेंसी	स्कीम का नाम	मकानों की सं.	ऋण राशि
1	2	3	4	5
1.	बड़ौदा नगर निगम	बड़ौदा में ई डब्ल्यू एस प्लाट	920	61.02
2.	गुजरात आवास बोर्ड	काठावाड़ में ई डब्ल्यू एस (यू) आवास स्कीम	438	99.99
3.	गुजरात आवास बोर्ड	अहमदाबाद में ई डब्ल्यू एस (यू) आवास स्कीम	116	29.00
4.	गुजरात आवास बोर्ड	बडोदरा में ई डब्लू एस (यू) आवास स्कीम	750	234.30
5.	गुजरात आवास बोर्ड	एल आई जी आवास स्कीम भूपनगर अहमदाबाद	162	113.40
6.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू–एस आवास स्कीम काठावाड़, अहमदाबाद	355	101.26
7.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम हठीजन, अहमदाबाद	303	90.14
8.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम निकोल, अहमदाबाद	307	79.40
9.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम सानंद, अहमदाबाद	282	70.50
10.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम देहगंम, अहमदाबाद	298	74.50
11.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम पाटन	272	68.00
12.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम गोरवा जिला बड़ोदरा	374	116.88
13.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस (यू) आवास स्कीम सूरत	177	55.31
14.	गुजरात आवास बोर्ड	ई डब्लू एस आवास स्कीम गंटेश्वर, राजकोट	2087	521.75
15.	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	एल आई जी नकद ऋण स्कीम आबादी अमरेती जिला	39	31.20

1	2	3	4	5
16.	गुजरात ग्रामीण आंवास बोर्ड	एल आई जी नगद ऋण स्कीम गोहिलिन खानखामरेली जिला	25	15.00
17.	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	एल आई जी आवास स्कीम गोपपडार, जिला कच्छ	50	35.00
18.	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	ई डब्लू एस (आर) हाउसिंग स्कीम, घनसार जिला महसाना	76	19.00
19.	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	ई डब्लू एस (आर) आवास स्कीम माधक, बुन्देल व सरघार जिला कच्छ	54	13.50
20.	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड	ई डब्लू एस (आर) आवास स्कीम जिला भरूच व सूरत	141	35.25
21.	गुजरात आवास बोर्ड	एल आई जी आवास स्कीम वरभगाम व गाघ, जिला अहमदाबाद व वनसकान्दा	90	62.20
22.	सरदार नगर विकास निगम	एल आई जी स्कीम मेहमदाबाद जिला खेड़ा	56	28.00
	कुल		7372	1955.18

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान

203. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 तक देश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्का मकान निर्माण संबंधी राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और आधारभूत न्यूनतम सेवा क्या है;

(ख) वर्ष 1997–98 तक बिहार में उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और निर्मित मकानों तथा अधूरे निर्मित मकानों की अलग–अलग संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1996–97 के दौरान चौदह हजार पांच सौ रुपए की लागत वाली परियोजना के अंतर्गत कितने मकान अधूरे रहे और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में मकान निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और दी गई धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इस्तेमाल किए गए पैकेटों में पुनः खाद्य पदार्थ/पेयजल की आपूर्ति

204. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलवे इस्तेमाल किए गए पैकेटों में ही पुनः खाद्य पदार्थ/पेयजल की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) रेलों पर डिस्पोजल वस्तुओं में रिसाइकिल करना अनुमेय नहीं है। नई दिल्ली स्टेशन पर रिसाइकिल के बारे में हाल में एक प्रेस रिपोर्ट पर उत्तर रेल द्वारा की गई जांच से उजागर हुआ कि असामाजिक तत्व और कूड़ा बीनने वाले रिसाइकल करने में लिप्त होते हैं। कूड़ा बीनने वाले द्वारा ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करने पर नियंत्रण रखने के लिए रेलों द्वारा नियमित जांच की जाती है। इस बुराई की रोकथाम के लिए रेलों ने रेल सुरक्षा बल की सहायता से अपने अभियान गहन कर दिए हैं। ऐसी वस्तुओं को उपयोग के बाद नष्ट कर देने के बारे में यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

राज्यों में सेना की तैनाती

205. डा. जयन्त रंगपी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्तरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य–वार कितने रक्षा कर्मी तैनात हैं;

(ख) क्या सरकार ने रक्षा सेनाओं के नैतिक और संपूर्ण निष्पादन पर ऐसी तैनाती के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षा कर्मियों की तैनाती के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) इस समय जम्मू–कश्मीर में 72,000 रक्षा कर्मिकों को प्रति विद्रोही/आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से तैनात किया गया है जबकि उत्तर–पूर्व राज्यों में लगभग 47,000 रक्षा कर्मिकों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त यहां पर पर्यवेक्षी तथा अन्य विरचनाओं के कार्मिक भी तैनात हैं जो पर्यवेक्षी तथा सहयोगी भूमिकाओं में संलग्न हैं, उनकी संख्या उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं की गई है।

सेना के अपने मुख्य कार्य की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा इस प्रकार के कार्यों के लिए सेना की दीर्घकालिक तैनाती से रक्षा बजट पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। जो सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शांति काल में रक्षा कार्मिकों के हताहत होने से भी सेना कार्मिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने का मूल दायित्व राज्य सरकारों का है और रक्षा सेनाओं को प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों/आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए केवल उन्हीं परिस्थितियों में तैनात किया जाता है जब राज्य प्रशासन द्वारा इसके लिए विशिष्ट अनुरोध किया जाता है और अथवा जब उनसे सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम 1958 आदि में विहित संगत कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार की ड्यूटियां दिए जाने के लिए सांविधिक रूप से अपेक्षा की जाती है।

इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति यही है कि रक्षा सेनाओं की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनाती अत्यंत किफायती रूप से की जानी चाहिए और केवल उन्हीं परिस्थितियों में की जाए जब राज्य सरकार स्थिति पर काबू पाने की स्थिति में न हो और जब रक्षा सेनाओं को तैनात किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाए। सरकार ने राष्ट्रीय राइफल्स की मंजूरी सेना को यथासंभव सीमा तक प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से दी थी। तथापि प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों में सेना की बढ़ती हुई वचनबद्धताओं से इसमें सीमित क्षेत्र में ही सहायता मिली है।

वेनदा एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

206. श्री सुरेश कुरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेनदा एक्सप्रेस जो त्रिवेन्द्रम से शोरानूर और वापसी तक चलती है, हमेशा विलम्ब से चलती है जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस गाड़ी का समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। 6301/6302 वेनाडा एक्सप्रेस का समय पालन संतोषजनक है।

(ख) इस गाड़ी के समयपालन की मंडल और मुख्यालय दोनों स्तरों पर मानीटरिंग की जा रही है।

प्रतिमा का प्रतिस्थापन

207. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिल स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष बोस के सहयोगी मुथुरामलिंगम थेवर की प्रतिमा को संसद भवन के समीप प्रतिस्थापित करने के बारे में संसद संदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) डा. सुब्रहमण्यम स्वामी, संसद सदस्य से संसद भवन के समीप मुथुरामलिंगम थेवर की प्रतिमा प्रस्थापित करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस अभ्यावेदन में स्मरण कराया गया है कि मुथुरामलिंगम थेवर तमिलनाडु के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सहयोगी बन गए थे और अन्तिम समय तक उनके साथ रहे तथा स्वतन्त्र भारत की लोक सभा के सदस्य थे। माननीय सांसद ने आग्रह किया है कि संसद के समीप या संसद के आसपास किसी एक यातायात के गोलचक्कर पर मुथुरामलिंगम थेवर की प्रतिमा प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

(ग) यह मामला विचाराधीन है और सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा।

खुसरो समिति रिपोर्ट

208. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि ऋण समीक्षा समिति 1987 (प्रो. ए. एम. खुसरो की अध्यक्षता वाली) ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की अवधारणा और प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में सफलता हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना संबंधी दृष्टिकोण को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों की रिलीज के लिए पूर्व शर्त हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं की तैयारी गांव/खंड/जिला स्तर पर स्थानीय निकायों की भागीदारी, पहचान की प्रक्रिया में बैंकों की भागीदारी, तीन वर्ष बाद गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की मास्टर सूची तैयार करना तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंकों को ये सूची भेजना, सातवीं योजना के स्तर पर वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण, उपलब्ध संभावानाओं के अनुसार खंडों के लिए दो भागों में लक्ष्यों का निर्धारण, सबसिडी की राशि को लाभार्थियों के आवधिक जमा खाते में जमा करना, अंतिम कुछ किस्तों में इसका समायोजन तथा सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए समन्वित दृष्टिकोण समिति द्वारा प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन है।

(ग) खुसरो समिति की रिपोर्ट के बाद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। तत्पश्चात् श्री डी. आर. मेहता, गवर्नर, भारतीय

रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंधों में गठित विशेषज्ञ समिति ने भी समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जांच की। विभिन्न निष्कर्षों के आधार उठाए गए कदमों में ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में बैंकरों की भागीदारी को शामिल करना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर जिला स्तरीय तकनीकी समूह का निर्माण करके व्यवहार्य योजनाओं/परियोजनाओं की तैयारी, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, वास्तविक लक्ष्य के निर्धारण के बजाए उगाही पर जोर देना, सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षित शिक्षित युवाओं के लिए अधिक सब्सिडी तथा कार्योत्तर सब्सिडी प्रणाली का कार्यान्वयन सम्मिलित है। हाल ही में, प्रो. एस. आर. हाशिम, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के समाकलन की सिफारिश की है।

परिचालन भत्ता

209. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का वह आदेश जिसके द्वारा पेंशन, ग्रेचुएटी, कम्यूटेशन आदि परिचालक वर्ग जो एक जनवरी, 1973 से पांच दिसम्बर 1988 के बीच सेवानिवृत्त हुये हैं के लिए परिचालन भत्ते का 75% परिलब्धि के रूप में शामिल करना था, विभिन्न मंडलीय रेल प्रबंधकों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंडलीय रेल प्रबंधक, दक्षिण–पूर्व तथा मध्य रेल, नागपुर द्वारा इन लाभों के लिए कितने आवेदन प्राप्त किये गये हैं;

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने तथा उनकी पेंशन आदि में संशोधन करने के इन लाभों के लिए कितने आवेदनों की जांच की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, तथा इन्हें कब तक निपटाये जाने की संभावना है;

(ड.) ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों के कितने कानूनी वारिसों ने अपने दावे प्रस्तुत किए है तथा कितने मामले निपटाये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आबंटियों को संशोधित मांग नोटिस

210. श्री भीम दाहल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानंद कालोनी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली के आबंटियों/कब्जाधारियों को संशोधित मांग नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और उक्त आबंटियों की संख्या क्या है;

(ग) बाकी आबंटियों/कब्जाधारियों को संशोधित मांग नोटिस कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले मांग नोटिसों के जबाव में कई आबंटियों/कब्जाधारियों ने आंशिक भुगतान किए हैं;

(ड) यदि हां, तो क्या कुछ आबंटियों/कब्जाधारियों द्वारा पहले किए गए भुगतान के समायोजन की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, राशि अदान करने वाले 290 मामलों में संशोधित मांग नोटिस जारी किये गये हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग के अनुसार शेष 30 मामलों में मांग नोटिस शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे।

(घ) जी, हां।

(ड.) और (च) नगर निगम के स्लम विभाग ने बताया है कि 32 आबंटियों/कब्जाधारियों द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को हिसाब में लिया जाएगा और संशोधन–पूर्व के मांग नोटिस के साथ उसका समायोजन कर लिया जाएगा।

आवास आबंटन

211. श्री सोमाजीभाई डामोर : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं एस. एफ. एस. आवास योजना (श्रेणी–III), 1982 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों को आवास आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक आवास आबंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पांचवीं एस.एफ.एस. आवासीय स्कीम (श्रेणी–III), 1982 के सभी पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को मानदंडों के अनुसार आवास आबंटित कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) चूंकि एस. एफ. एस. स्कीम वर्ष 1995 में पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र के लिए कार्य योजना

212. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कार्ययोजना के मुख्य उद्देश्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात उद्योग को संगठित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निवेश आमंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित कार्य दलों की रिपोर्टों के आधार पर योजना आयोग पांच वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करता है। योजना आयोग द्वारा गठित नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा एवं इस्पात संबंधी कार्य दल ने 2001–02 तक 60 लाख टन की निर्यात क्षमता सहित 386.8 लाख टन परिष्कृत कार्बन इस्पात की संभावित घरेलू मांग का अनुमान लगाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में इस्पात की मांग की पूर्ति स्वदेशी इस्पात से की जाए। कार्य दल द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार 386.8 लाख टन की प्रक्षेपित मांग की तुलना में परिष्कृत कार्बन इस्पात का उत्पादन 2001–02 तक 380.12 लाख टन हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि आधुनिकीकरण तथा मौजूदा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विस्तार और निजी क्षेत्र में नवीन क्षमताओं के सृजन से होगी। कार्य दल ने नौवीं योजना के दौरान इस्पात क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र द्वारा लगभग 20,005 करोड़ रुपए के निवेश सहित लगभग 52,498 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है। मौजूदा आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय मांग के वास्तविक प्रक्षेपण, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों आदि से बातचीत के जरिए अड़चनों को दूर करके नई क्षमताओं के सृजन को आसान बनाने के प्रयास कर रहा है।

रेल इंजनों की आवश्यकता

213. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों की कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में विभिन्न प्रकार के कुल कितने रेल इंजन उपलब्ध हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश मे कुल कितने रेल इंजनों का निर्माण किया गया और कितने रेल इंजनों का देश वार आयात किया गया; और

(घ) रेल इंजनों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलों द्वारा योजना आयोग को भेजे गए नौवीं योजना प्रलेख में नौवीं योजना अवधि के दौरान 800 डीजल इंजनों और 950 बिजली के इंजनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। रेलों ने नौवीं योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान लगाया है। बहरहाल, योजना आयोग ने नौवीं योजना अवधि के लिए अनंतिम रूप से 47,484 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की है। संसाधनों की उपलब्धता और प्राप्त होने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना अवधि में इंजनों की आवश्यकता की पुनरीक्षा की जा रही है।

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के रेल इंजनों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

भाप इंजन	85
डीजल हाइड्रोलिक एवं यांत्रिक इंजन	738
डीजल बिजली इंजन	3,625
बिजली इंजन	2,519

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विनिर्मित रेल इंजनों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	डीजल इंजन	बिजली इंजन
1995–96	138	155
1996–97	157	175
1997–98	164	195

गत तीन वर्षों के दौरान इतर देशों से आयात किए गए रेल इंजनों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	डीजल इंजन	बिजली इंजन
1995–96	कोई नहीं	6
1996–97	कोई नहीं	24+3 *
1997–98	कोई नहीं	कोई नहीं

* अतिरिक्त पुर्जों के बैंक के रूप में

(घ) 33 बिजली इंजनों के आयात पर लगभग 738 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है;

इसके अलावा अक्तूबर, 95 में 21 डीजल बिजली माल इंजनों के आयात के लिए संविदा सौंपी गई है। इस संविदा के अंतर्गत सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुई है। संविदा का कुल मूल्य लगभग 167 करोड़ रुपए है। इसमें से 9.75 करोड़ रुपए का बतौर अग्रिम पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भूमि सुधार

214. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि संबंधी सुधार पर समवर्ती समीक्षा हेतु मुख्य–मंत्रियों का सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तय की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, नहीं। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन शीघ्र बुलाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पाक सीमा पर गोलाबारी

215. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने दोनों पक्षों की "फ्लैग मीटिंग" के बावजूद भी जम्मू–कश्मीर सीमा पर गोलाबारी जारी रखी;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान और 1998 में आज तक इस प्रकार की गोलाबारी से मारे गए या घायल निर्दोष लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य की सीमाओं पर गोलाबारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) दोनों देशों के ध्वज बैठकें होने के बाद भी जम्मू तथा कश्मीर से लगी सीमा पर पाक सैन्य टुकड़ियों ने गोलाबारी जारी रखी। जम्मू तथा कश्मीर सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा खंड पर पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान हताहत सिविलियनों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

		मारे गए	घायल हुए
(क)	1996	03	04
(ख)	1997	08	20
(ग)	1998	–	09

जम्मू तथा कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा खंड पर सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है तथा पाक गोलाबारी का उचित जवाब दिया जाता है। तनाव को कम करने के लिए समय–समय पर चौकी स्तर पर सीमा संपर्क तथा सेक्टर कमाण्डर स्तर पर ध्वज बैठकें आयोजित की जाती हैं।

फ्रांसीसी शिष्टमंडल

216. श्री माणिकराव हेडल्या गावीत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर रक्षा अध्ययन संबंधी फ्रांसीसी शिष्टमंडल ने 07 अप्रैल 1998 को भारत का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) फ्रांसीसी उन्नत रक्षा अध्ययन संस्थान के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 5 से 11 अप्रैल, 1998 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल ने अपने मुम्बई प्रवास के दौरान पश्चिम नौसेना कमान स्थित आई एन एस 'दिल्ली' और आई एन एस "शिशुमार" का दौरा किया। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक ने इस शिष्ट मंडल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व के बारे में संक्षेप में अवगत कराया। इस शिष्टमण्डल ने विदेश सचिव से भी सद्भावनापूर्ण मुलाकात की।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

217. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री राम टहल चौधरी :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी अधिक भूमि बंजर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसे उर्वरक बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ड.) बंजर भूमि में अनावृत खड़ी पर्वतीय ढलान वाला क्षेत्र, मरुभूमि, बर्फ से ढका एवं अन्य ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें किफायती लागत पर कृषि–योग्य नहीं बनाया जा सकता है और जिनका वर्गीकरण अकृषि योग्य भूमि के रूप में किया गया है। ऐसी बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, बंजरभूमि विकास विभाग वाटरशेड के युक्ति–युक्त विकास के द्वारा देश में वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य भूमि अवक्रमण को रोकना, ऐसी बंजरभूमि को सतत रूप से उपयोग योग्य बनाना एवं बायोमास, विशेषकर जलाऊ लकड़ी एवं चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना में बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों में सभी स्तरों

पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावा ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है।

विवरण

देश में राज्यवार बंजर भूमि का क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य	कुल भौगोलिक क्षेत्र	बंजर/पथरीला/ परतदार चट्टानी क्षेत्र (क्षेत्र हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27506800	391944
2.	अरुणाचल प्रदेश	8374300	97059
3.	असम	7843800	0
4.	बिहार	17387700	108219
5.	गोवा	370200	1121
6.	गुजरात	19602400	426165
7.	हरियाणा	4421200	9646
8.	हिमाचल प्रदेश	5567300	453081
9.	जम्मू एवं कश्मीर	13894200	2672819
10.	कर्नाटक	19179100	261725
11.	केरल	3886300	14169
12.	मध्य प्रदेश	44344600	765905
13.	महाराष्ट्र	30769000	246380
14.	मणिपुर	2232700	0
15.	मेघालय	2242900	0
16.	मिजोरम	2108100	0
17.	नागालैंड	1657900	0
18.	उड़ीसा	15570700	46642
19.	पंजाब	5036200	0
20.	राजस्थान	34223900	424975
21.	सिक्किम	709600	82978
22.	तमिलनाडु	13005800	76730
23.	त्रिपुरा	1048600	0
24.	उत्तर प्रदेश	29441100	156003
25.	पश्चिम बंगाल	8875200	15812
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1097300	104
27.	बिना सर्वेक्षण किया हुआ	8329400	0
	कुल योग	328726300	6251477

भूकंप के कारण खमरिया आयुध कारखाने को क्षति

218. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22.5.97 को जबलपुर में आए भूकंप से खमरिया आयुध कारखाना क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके फलस्वरूप इस कारखाने के उत्पादन विभाग के एक डिवीजन को अन्य आयुध कारखानों में स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 2650 भवनों को भारी क्षति और 1473 को कम क्षति पहुंची है। इनमें उत्पादन सुविधाएं, आवासीय मकान और सार्वजनिक उपयोग की संरचनाएं शामिल हैं। भूकम्प में आयुध निर्माण खमरिया के लगभग 100 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल हुए। उत्पादन भवन की क्षति मरम्मत किए जा सकने योग्य थी और इसलिए उत्पादन विभाग के किसी भी प्रभाग को अन्य आयुध निर्माणियों में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

"सेल" मुख्यालय का रांची स्थानांतरण

219. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम लि. (सेल) का मुख्यालय रांची में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे वहां कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमरीकी सेना अध्यक्ष का दौरा

220. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सेना अध्यक्ष के अप्रैल, 1998 में भारत का

दौरा किया था और उन्होंने उनके साथ तथा तीनों भारतीय सेना अध्यक्षों के साथ कोई बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अमरीकी सेनाध्यक्ष जनरल डेनिस जे. रेमर ने 13 से 17 अप्रैल, 1998 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जनरल रेमर ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा सचिव तथा विदेश सचिव से मुलाकात की थी। जनरल रेमर उत्तरी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग–इन–चीफ, जनरल आफिसर कमांडिंग–15 कोर के साथ–साथ पूर्वी कमान के जनरल आफिसर कामांडिंग–इन–चीफ से भी मिले थे। जनरल रेमर की यह औपचारिक और सद्भावना यात्रा थी। तथापि, भारतीय उच्च पदाधिकारियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान उन्होंने भारत अमरीकी संबंधों के रक्षा संबंधी पहलुओं और कुछ अंन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था।

अहमदाबाद विमानपत्तन का विकास

221. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद विमान पत्तन के विकास और उन्नयन की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या अक्तूबर, 1997 में गुजरात के संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने एक ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अहमदाबाद विमानपत्तन को बी–747 किस्म के विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए इस विमानपत्तन पर धावनपथ, एप्रन और सम्बद्ध कार्यों के विस्तार की परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। निविदा आमंत्रण का नोटिस अगस्त, 1998 में जारी होने की संभावना है तथा निविदा दिए जाने की तारीख के बाद 24 माह के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कपड़वंज-मदेसा रेलवे लाइन परियोजना

222. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री दिनशा पटेल :

श्री शान्ति लाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़वंज–मदेसा रेलवे लाइन परियोजना पर कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) तल्य पुलों तथा मिट्टी संग्रह का कार्य प्रगति पर है।

(ग) कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मऊ-चित्तौड़ के बीच शटल रेलगाड़ी चलाना

223. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार का विचार पश्चिम रेल के रतलाम अजमेर खंड पर मऊ से चित्तौड़ के बीच एक अतिरिक्त शटल रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक चलना शुरू हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊधमपुर-बारामूला रेल लाइन

224. प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व प्रधान मंत्रियों सर्व श्री एच. डी. देवगोड़ा तथा इन्द्र कुमार गुजराल ने बारामूला तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिए जम्मू–कश्मीर के ऊधमपुर कांजीगुड तथा बारामूला में भिन्न–भिन्न तिथियों को शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइन पर रेलवे द्वारा अब तक कोई कार्य किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बारामूला तक रेल लाइन का शीघ्रता से विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रगति कर रहा है। इस परियोजना के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की गई है।

जालना और खामगांव के बीच रेल लाइन बिछाना

225. श्री मुकुल वासनिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जालना से खामगांव के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) जालना–खामगांव नई बड़ी लाइन हेतु सर्वेक्षण को 1994 में अद्यतन किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 155 किलोमीटर लम्बी लाइन पर 228 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खनिजों का भंडार

226. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

श्रीमती कमल रानी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खनिजों के नए भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके अन्वेषण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक किन–किन स्थानों पर खनन कार्य चल रहा है;

(घ) इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ड.) क्या उत्तर प्रदेश में खनन कार्य हेतु कतिपय विदेशी संस्थानों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है/मांगे जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां। देहरादून जिले के अमतियारगढ़ में 6.63% सीसा और जस्ता वाले 1.45 मिलियन टन मूल धातु के सम्भावित निक्षेप का अनुमान लगाया गया है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर तथा बांदा जिलों में कुल 274.79 मिलियन घन मी. आयामी पत्थर के संसाधनों का अनुमान लगाया गया है तथा सोनभद्र जिले में लगभग 0.35 मिलियन घन मी. अयस्क का अनुमान है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1997–98 के फील्ड सत्र के दौरान, स्वर्ण की 3 मदों, मूल धातु की 2 मदों तथा आयामी पत्थर की दो मदों वाले सात खनिज अन्वेषण किये हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम जहां खनन कार्य जारी है, निम्नवत् है:–

जिला	उत्पादित खनिज
अल्मोड़ा	मैग्नेसाइट, स्टीटाइट
इलाहबाद	सिलिका रेत
बांदा	सिलिका रेत
देहरादून	फास्फोराइट, चूना–पत्थर
हमीरपुर	डायस्पर, पाइरोफाइलाइट,
झांसी	डायस्पर, पाइरोफाइलाट, ग्रेनाइट
ललितपुर	डायस्पर, फॉस्फोराइट, पाइरोफाइलाइट, ग्रेनाइट
मिर्जापुर	चूना–पत्थर
पिथौरागढ़	मैग्नेसाइट, स्टीटाइट
सोनभद्र	डोलामाइट, कोयला
टिहरी गढ़वाल	डोलोमाइट, चूना पत्थर
सिंगरौली कोयला क्षेत्र	कोयला
बिहार	कोयला
महोबा	ग्रेनाइट

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन के कुल मूल्य से पता चलता है कि उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। खनिज का कुल मूल्य (कोयला तथा गौण खनिजों सहित) जो 1995–96 में 998 करोड़ रु. था, 1996–97 में बढ़कर 1086 करोड़ रु. हो गया है तथा 1997–98 में यह और अधिक बढ़कर 1103 करोड़ रु. हो गया है।

(ड.) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अहमदाबाद में नये मंडल की स्थापना

227. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद में पश्चिम रेल का नया मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की तथा कब तक कार्य करना आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सरकार ने अहमदाबाद सहित 8 नए मंडलों के गठन करने का विनिश्चय किया है;

(ख) अहमदाबाद मंडल का उद्घाटन समारोह 10.3.96 को हुआ था प्रस्तावित नए मंडल के सुचारु रूप से गठन के लिए अहमदाबाद में एक विशेष कार्यअधिकारी तैनात किया गया है। गुजरात राज्य सरकार से उपयुक्त स्थल पर पर्याप्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

(ग) समय का निर्धारण भूमि की उपलब्धता और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के निर्धारण के पश्चात् ही विनिश्चय किया जा सकेगा।

नई रेल लाइनों का बिछाया जाना

228. श्रीमती कमल रानी :

श्री रामदास आठवले :

श्री रामवीर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नई रेल लाइनें बिछाये जाने हेतु कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में राज्यवार बिछायी जा रही रेल लाइनों को राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ से नई रेलगाड़ी का चलाया जाना

229. श्री सत्य पाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चंडीगढ़ तक जाने तथा वापसी के लिए नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई रेलगाड़ियों को कब से चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिरिक्त रेल डिब्बों का लगाया जाना

230. श्री लरंग साय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वासपुरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तथा भोपाल जाने वाली प्रत्येक रेलगाड़ियों में दो–दो अतिरिक्त रेल डिब्बे लगाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) बिश्रामपुर–निजामुद्दीन और चिरमिरि–भोपाल के बीच क्रमशः 403/8477/8478/404 और 405/8236/8237/406 में एक स्लिप सवारी डिब्बा चलाया जा रहा है जो कि यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

तैयार इस्पात का भण्डार

231. श्री वी. वी. राघवन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इस्पात मिलों में तैयार इस्पात के भण्डार में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 97 के अन्त में इस्पात के प्रमुख उत्पादकों के पास मौजूद तैयार इस्पात के स्टॉक की तुलना में मार्च, 98 के अन्त में तैयार इस्पात का स्टॉक निम्नानुसार था:–

(मात्राः हजार टन)

कम्पनी	स्टॉक		प्रतिशत वृद्धि
	31.3.97 को	31.3.98 को (अंतिम)	
सेल	1002	1249	25%
इस्को	24	36	50%
आर आईएन एल (वी एस पी)	158	245	55%
टिस्को	92	107	16%
कुल	1276	1637	28%

स्टॉक में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:–

(i) इस्पात की खपत वाले क्षेत्रों में घटती मांग

(ii) देश में समग्र आर्थिक मन्दी

(iii) तैयार इस्पात पर सीमा शुल्क में कमी के कारण आयात से अधिक प्रतिस्पर्धा

(iv) देश में विशेष रूप से सी. आई. एस. और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों से तैयार इस्पात की डंपिंग।

रेल पुल का निर्माण

232. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीघा (पटना) को उत्तरी बिहार से जोड़ने वाले रेल पुल का कार्य आरंभ किए जाने का निर्धारित समय क्या है;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पुल के निर्माण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांचें शुरू कर दी गई हैं। पुल के लिए बेहतर स्थान निर्धारित करने के लिए आदर्श अध्ययन भी किए जाने हैं। इसमें 1½ से 2 वर्ष लगेंगे जिसके बाद लागत निर्धारित की जाएगी और कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्वेक्षण द्वारा कार्य की मात्रा निर्धारित करने स्वीकृतियां प्राप्त होने तथा कार्य के वास्तविक रूप में शुरू होने के बाद ही समापन अवधि का आकलन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गोरखपुर में उपरि पुल का निर्माण

233. श्री आदित्यनाथ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोरखपुर में धर्मशाला में रेल पुल पर नीची तथा संकरी सड़क के बारे में अवगत है जिससे पानी का भारी जमाव तथा आवागमन में परेशानी हो रही है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इस समस्या के समाधान के लिए रेल उपरिपुल के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्य पर निक्षेप शर्तों के आधार पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा गोरखपुर नगर निगम मौजूदा नियमों के अंतर्गत विधिवत रूप से निर्माण की समग्र और अनुवर्ती अनुरक्षण लागत वहन की सहमति के साथ प्रस्ताव प्रायोजित करे, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केन्नानोर, केरल में हवाई अड्डा

234. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री वी. एम. सुधीरन :

श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन अथवा निर्माण के लिए प्रस्तावित हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल के केन्नानोर शहर में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 तक सम्पन्न हुए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उस तिथि तक इस परियोजना हेतु आबंटित कुल धनराशि में से हुए निर्माण कार्यों पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) कालीकट हवाई अड्डे पर एबी–300 की श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए 102.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर धावनपथ के 9000 फुट तक विस्तार से संबंधित निर्माण कार्यों को आरंभ कर दिया गया है। इन कार्यों के जनवरी, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है। राज्य सरकार ने निजी भागीदारी से कोचीन के निकट नेदुम्बसरी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक नये हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को दो चरणों में आरंभ कर दिया है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में 10.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एप्रन विस्तार, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के अन्तरिम परिवर्धन और टर्मिनल–2 के वातानुकूलन जैसे निर्माण–कार्य आरंभ किये गये हैं।

परियोजना की आर्थिक साध्यता और राज्य सरकार द्वारा भूमि–अर्जन के अध्यधीन, 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर त्रिवेन्द्रम में एक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार ने एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति के अंतर्गत, कानपुर में एक हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसमें केरल राज्य सरकार इस परियोजना के संवर्धक की भूमिका अदा करेगी जिसे निजी भागीदारी से निष्पादित किया जाना है। अब इस संबध में कार्यवाही शुरू करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सूरतगढ़-श्री गंगानगर-हनुमानगढ़ रेल लाइन का आमान परिवर्तन

235. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूरतगढ़–श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़–जयपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आमान परिवर्तन कार्य को कब तक आरंभ और पूर्ण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेल बजट 1997–98 में श्रीगंगानगर – सूरूपसर के आमान परिवर्तन के कार्य को पहले ही शामिल कर लिया गया है। कार्य, अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाना है जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 10 वीं योजना अवधि में जब कभी एक आमान परियोजना का अगला चरण शुरू होगा तब श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आमान परिवर्तन के कार्य पर विचार किया जाएगा।

(ख) कार्य के शुरू होने के बाद लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाएगी।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन

236. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री और माल (कार्गो) की भावी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हवाई अड्डों में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने संबंधी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) हवाई अड्डों में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार एयरपोर्ट इन्फास्ट्रक्चर के विकास और उसके स्तरोन्नयन के लिए निरन्तर प्रयासरत है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसने हाल ही में एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबधी नीति बनाई है जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया गया है :

- भावी प्रक्षेपणों के अनुसार विमानपत्तनों की क्षमता को विकसित करने हेतु विमानपत्तनों का अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक केन्द्रों में वर्गीकरण;
- ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों का निर्माण।
- विमानपत्तनों के विकास में निजी क्षेत्र (विदेश पूंजी सहित) की भागीदारी

(ग) एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्टर का स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि

237. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह वृद्धि कब से प्रभावी मानी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु तथा स्थायी रूप से अपंगता अथवा अप्रिय दुर्घटना के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि 2 लाख रु. से बढाकर 4 लाख रु. कर दी गई है। घायलों के मामले, में न्यूनतम राशि 16,000 रु. से बढ़ाकर 32,000 रु. तथा अधिकतम राशि 1.80 लाख रु. से बढ़ाकर 3.60 लाख रु. कर दी गई है। ये आदेश 1.11.97 को या उसके पश्चात् हुई गाड़ी दुर्घटना अथवा अप्रिय दुर्घटना के मामले में प्रभावी होंगे।

[अनुवाद]

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

238. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) असम में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर अब तक राज्य को केन्द्रीय अंश के रूप में 279.889 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

पुराने विमानों को बदलना

239. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान अपने जीवनकाल की समाप्ति के करीब हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वायु सेना के इन पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त पुराने विमानों में आ गए तकनीकी दोषों के कारण विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष हुई दुर्घटनाओं में भारतीय वायु सेना के कितने विमान शामिल थे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना में 70 के दशक में शामिल किए गए किन्हीं विशेष वायुयानों के बेड़े का तकनीकी जीवनकाल अगले 4–5 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा के हित में वायुयानों की कुल संख्या और उनके प्रकार को प्रकट करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(ग) भारतीय वायुसेना के पुराने होते इन वायुयानों को 9वीं 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान नए और बेहतर लड़ाकू विमानों से प्रतिस्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ)

1995–96	1996–97	1997–98
4	7	2

हिमाचल प्रदेश में रेल भूमि पर अतिक्रमण

240. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1998 तक हिमाचल प्रदेश में अतिक्रमण की गई कुल रेल भूमि और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ न्यायालय में चल रहे कुल मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में रेलवे द्वारा कुल कितनी रेल भूमि स्थाई या अस्थाई तौर पर आबंटित की गई; और

(ग) रेलवे के पास कुल कितनी रेल भूमि अभी भी अपर्युक्त पड़ी हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अतिक्रमणनधीन रेलवे भूमि के क्षेत्रफल के बारे में सूचना राज्य वार में नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे वार रखी जाती है क्योंकि रेलवे जोन एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।

बहरहाल, उत्तर रेलवे जिसमें हिमाचल प्रदेश शामिल है के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

(i) अतिक्रमणनधीन रेलवे भूमि–900 हेक्टेयर

(ii) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या–12,300

(iii) लीजिंग/लाइसेंसिग के अंतर्गत रेलवे भूमि का क्षेत्रफल–298 हेक्टेयर

(iv) मौजूदा अनुपयुक्त पड़ी रेलवे भूमि का क्षेत्रफल जो आगामी विकास/विस्तार के लिए आरक्षित है–1828 हेक्टेयर।

नासिक-मुम्बई के बीच शटल सेवा

241. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री माधवराव पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पंद्रह वर्षों से नासिक–मुम्बई के बीच शटल सेवा आरंभ किए जाने संबंधी कोई मांग लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) नासिक और मुम्बई के बीच शटल सेवा कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) विगत 15 वर्षों के दौरान नासिक रोड़ को सेवित करने के लिए मुंबई/दादर/कुर्ला से 14 जोड़ी गाड़ियों को चलाया /पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नासिक रोड पर टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं के न होने के कारण मुंबई और नासिक रोड़ के बीच एक शटल चलाना व्यावहारिक नहीं है।

"नाल्को" में उत्पादन

242. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) द्वारा 1995–96, 96–97 तथा 1997–98 के दौरान उड़ीसा के अपने संयंत्रों में अल्यूमिना तथा अल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) इन वर्षों के लिए नाल्को द्वारा उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) नाल्को द्वारा अल्यूमिना तथा अल्यूमिनियम के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) 2000 ईस्वी के लिए क्या अनुमान लगाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) नाल्को द्वारा वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के लिए उत्पादित एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है:–

वर्ष	एल्यूमिना (एमटी)		एल्यूमिनियम (एमटी)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1995–96	800000	807130	195000	192288
1996–97	800000	840062	218000	203823
1997–98	800000	883300	218000	200162

(ग) नालको इस समय बाक्साइट खानों और एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता के विस्तार और एल्युमिना प्रगालक और गृहित विद्युत संयंत्र की क्षमता के विस्तार की दो परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। विस्तार परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद एल्यूमिना उत्पादन की क्षमता 0.8 मिलियन टन वार्षिक से बढकर 1.575 मि. टन वार्षिक और एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता 2,30,000 टन वार्षिक से बढ़कर 3,45,000 टन वार्षिक हो जाएगी।

(घ) कंपनी द्वारा वर्ष 2000–2001 के लिए एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 1050,000 टन और 230,000 टन है।

हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड, नासिक में मालवाहक विमान सुविधा

243. श्री माधवराव पाटील : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड, हवाई अड्डा नासिक में मालवाहक विमान/उड़ान सुविधाओं की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा नासिक से मालवाहक विमान की उड़ान सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अंतिम कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) नासिक स्थित हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय का है। रक्षा विमानक्षेत्र होने के कारण इस हवाई अड्डे पर कार्गो संभाव्यता के बारे में अभी तक कोई अध्ययन कार्य नहीं किया गया है।

कोल्हापुर को कोंकण रेल से जोड़ने हेतु सर्वेक्षण

244. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर को कोंकण रेल के साथ जोडने हेतु सर्वेक्षण कराये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) कोल्हापुर को कोंकण रेल से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) रतनागिरि के साथ कोल्हापुर को जोड़ने के लिए एक मांग की गई है;

(ग) और (घ) कोंकण रेलवे में (बाया तलवाडा 115 कि.मी.) कोल्हापुर से रतनागिरि तक एक नई ब. ला., लाइन के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के चलने में समय की पाबंदी

245. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सवारी रेलगाड़ियां देश में अपने समयानुसार नहीं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति भी इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, गाड़ियों का समयपालन दुर्घटनाओं, आंदोलनों/खतरे की जंजीर खींचने, उपस्कर की खराबी, शरारती तत्वों की गतिविधियों, खराब मौसम आदि से प्रभावित होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाप कर्षण के लिए भारतीय रेलों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में कटौती

246. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 तक सशस्त्र बलों में 50,000 सैनिकों को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पर्याप्त और प्रभावकारी रक्षा संबंधी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेना ने 31.3.1999 तक 50,000 कार्मिकों की कम भर्ती करने की एक योजना बनाई है। सभी तरह की यूनिटों और विचरनाओं को शामिल करते हुए यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। इससे होने वाली वित्तीय बचत से सेना को आधुनिक बनाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी।

(ग) यह कार्य इस प्रकार से करने की योजना बनाई है कि इससे देश की रक्षा तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

247. श्री रामदास आठवले :

श्री के. पी. नायडू :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक आयात किए गये इस्पात की मात्रा क्या है और किन-किन देशों से इस्पात का आयात किया गया;

(ग) आयातित इस्पात का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है; और

(घ) इस समय आयात किये जा रहे इस्पात का उत्पादन देश में ही किये जाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान हुए परिसज्जित इस्पात (कार्बन) के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख टन)

	1996-97	1997-98
परिसज्जित इस्पात	227.20	225.67 (अनन्तिम)

(ख) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए परिसज्जित इस्पात (कार्बन) की मात्रा नीचे दी गई है:-

(लाख टन)

1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल, 98)
15.62	17.50*	1.40

* अनन्तिम

भारत द्वारा जिन देशों से आयात किया जाता है, उनमें जर्मनी, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, यू.के., यू. एस. ए., ईरान, कोरिया, सी आई एस देश आदि शामिल हैं।

(ग) वे क्षेत्र जिनमें आयातित इस्पात का प्रयोग होता है, उनमें शीत बेलन इकाइयां, आटो/साइकिल उद्योग, कन्टेनर उद्योग, गेल्वेनाइजिंग इकाइयां, इंजीनियर उद्योग, इलैक्ट्रिकल उद्योग, पुनर्बेलन उद्योग भारी उद्योग शामिल हैं।

(घ) विद्यमान नीति के अनुसार इस्पात का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। इस्पात के सभी ग्रेडों/विनिर्दिष्टियों और गुणता के इस्पात का उत्पादन विशेष रूप से जहां अपेक्षाकृत कम मात्रा में इस्पात की आवश्यकता होती है वहां करना किसी देश के लिए न तो लागत प्रभावी है और न ही किफायती। इस्पात के उत्पादक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को निरंतर बाजारोन्मुख बना रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए सेल के संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भी 1991 के बाद विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना होने से इस्पात की मांग का अधिकांश वह भाग जिसका इस समय आयात किया जा रहा है, स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा किए जाने की आशा है।

रक्षा सेनाओं में रिक्त पद

248. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं के अनेक संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन पदों को भरने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) तीनों सेनाओं में रिक्तियों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:-

	अफसर	अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक
सेना	13,324	38000
नौसेना	1,060	3498
वायुसेना	695	6195

2. सेना में अफसर रैंके से निचले रैंक के कार्मिकों के संवर्ग में लगभग 38000 की कमी है। तथापि, इस समय लगभग 71000 रंगरूट प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसलिए यह कमी सैद्धान्तिक है। इसी तरह वायुसेना के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वायुसैनिकों की लगभग 2214 रिक्तियां भरे जाने की योजना बनाई गई है।

3. सेना के मामले में, जहां रिक्तियों की संख्या अधिक है, सरकार ने व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से वर्ष 1997–98 के दौरान प्रतिरूप प्रस्तुतिकरण अभियान (इमेज प्रोजेक्शन कंपेयन) शुरू किया है। नौ सेना और वायुसेना के मामले में सरकार अखबारों और मीडिया में व्यापक प्रचार करके नौसेना तथा वायुसेना में नौजवानों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सभी तरह के प्रयास कर रही है ताकि उत्तम नौजवानों को भर्ती किया जा सके।

4. सेना में अफसर संवर्ग में कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती के लिए एन सी सी "ग" प्रमाण पत्र धारकों को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मे बैठने से छूट देने, अफसरों के रूप में महिलाओं की भर्ती करने, नए बनाए गए विशेष कमीशन प्राप्त अफसर संवर्ग में सेना के जूनियरकमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों की पदोन्नति करने जैसे विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं।

5. रक्षा सेनाओं के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतनमान, भत्तों और रियायतों में सुधार हुआ है। यह आशा है कि सभी उपायों के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप और अधिक भर्ती होगी। जिससे निकट भविष्य में बड़ी संख्या में रिक्तियों की भरपाई होगी।

[अनुवाद]

सियालदह के बारासत-बसीरहाट खण्ड का विद्युतीकरण

249. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियालदह मंडल के बारासत–बसीरहाट खण्ड के विद्युतीकरण के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बारासत–बसीरहाट खण्ड बारासत–हसनाबाद विद्युतीकरण परियोजना का एक भाग है जिसके लिए लागत एवं व्यावहार्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस खंड का विद्युतीकरण करने का निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद किया जाएगा।

नालको का विस्तार

250. श्री तथागत सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में अंगुल स्थित नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) के एल्यूमिना संयंत्र के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी का समेलटर तथा रक्षित विद्युत संयंत्रों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ड.) संयंत्र के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सरकार ने 1665 करोड़ रु. (जून, 1996 के मूल्य स्तर पर) की लागत से उड़ीसा में दामनजोड़ी स्थित नालको की बाक्साइट खानों की क्षमता 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी वाई) से बढ़ाकर 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी वाई) और उनकी एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी वाई) से बढ़ाकर 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी वाई) किए जाने संबंधी प्रस्ताव का दिसम्बर, 1996 में अनुमोदन कर दिया है। यह परियोजना सरकार के अनुमोदन की तारीख से 51 महीने की अवधि में पूरी की जानी है। नालको द्वारा इस समय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर है।

(ग) से (ड.) सरकार ने 2062 करोड़ रु. (जून, 1997 के मूल्य स्तर पर) की लागत से उड़ीसा में अंगुल स्थित नालको के एल्युमिनियम प्रगालक की क्षमता 230000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 345000 टन प्रतिवर्ष और कैप्टिव विद्युत संयंत्र की क्षमता 720 मेगावाट से बढ़ाकर 840 मेगावाट किए जाने संबंधी प्रस्ताव को फरवरी, 1998 में अनुमोदित कर दिया है। परियोजना का वित्त पोषण, आन्तरिक संसाधनों, सप्लाईकर्ता के ऋण, विदेशी ऋण आदि से किया जाना है। यह परियोजना सरकार के अनुमोदन की तारीख से 51 महीने की अवधि में पूरी की जानी है। कम्पनी ने एल्यूमिनियम प्रगालक के विस्तार और कैप्टिव विद्युत संयंत्र के विस्तार के लिए भी इंजीनियरी परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी है। नालको द्वारा इस समय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और कार्य निर्धारित समय के अनुरूप प्रगति पर है।

[हिन्दी]

मुम्बई से अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल के रास्ते कलकत्ता तक विमान उड़ानें

251. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान सं. आईसी. 133 मुम्बई से अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल के रास्ते कलकत्ता तक 1992 में चल रही थी;

(ख) यदि हां, तो इसे बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उड़ान को किस तारीख से पुनः शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1992 में प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण इस उड़ान को बन्द कर दिया गया था।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के वर्तमान जैट विमान–बेड़े के विमानों से प्रचालन सेवाएं शुरू करने के वास्ते इन सैक्टरों पर यातायात पर्याप्त नहीं है। कम क्षमता वाले विमानों तथा संबंधित प्रचालन कर्मीदल की कमी भी इंडियन एयरलाइन्स को इन मार्गों पर सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति नहीं देती है। निजी प्रचालकों को, व्यवहार्यता के अध्यधीन उनके नेटवर्क में अहमदाबाद, इन्दौर और भोपाल जैसे नये स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सीमामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेल लाइन का निर्माण

252. श्री सीताराम यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन निर्माण कार्य की मंजूरी सरकार से मिल गयी है;

(ख) क्या इस रेल लाइन पर कोई सर्वेक्षण कार्य कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू और पूरा किया जायेगा; और

(ङ.) इस परियोजना के लिये अभी तक कितनी राशि निर्धारित की जा चुकी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा इससे पता चला है कि प्रतिफल की दर ऋणात्मक दर के साथ इस 63 कि.मी. लाइन की लागत 100 करोड़ रुपए होगी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।

(ङ.) वर्ष 1997–98 के लिए निर्धारित राशि 0.01 करोड़ रुपए थी। 1998–99 के लिए प्रस्तावित परिव्यय की जानकारी 29.5.98 को बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् प्राप्त होगी।

नागालैंड में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों का कार्यकरण

253. श्री के. ए. संगमम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डायरेक्ट माइक्रो–वेव लिंक उपलब्ध न होने के कारण नागालैण्ड में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र अधिकांश समय बंद रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) नागालैंड (कोहिमा) में यात्री आरक्षण प्रणाली नवंबर, 1997 को छोड़कर विगत सात माह के दौरान 90% से अधिक स्तर पर कार्य कर रही है। रेलें कार्य कुशलता का उच्चतर स्तर बनाए रखने के लिए दूर संचार विभाग (गैर) से निरंतर संपर्क बनाए रखती हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

254. श्री के. येरननायडू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना लाभ अर्जित किया और इसे कितनी हानि हुई है;

(ख) इस निगम को हुई हानि यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे घाटों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) राष्ट्रीय इस्पता निगम लिमिटेड ने 1996–97 में 176 करोड़ रुपए और 1997–98 में 15.60 करोड़ रुपए का नकद लाभ अर्जित किया। तथापि, इसे 1996–97 (अनअंकेक्षित) और 1997–98 (अनअंकेक्षित एवं अनंतिम) के दौरान क्रमशः 246 करोड़ रुपए और 419 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई।

(ख) इस अवधि के दौरान नकद लाभ होने के बावजूद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आदानों की लागतों में वृद्धि, घरेलू और निर्यात बाजार में मन्दी, पूंजी संबद्ध उच्च प्रभारों अर्थात ब्याज और मूल्य ह्रास के कारण निवल हानि हुई।

(ग) कम्पनी को व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं:–

(1) उत्पादन संबंधी गत्यावरोधों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियां शुरू करना;

(2) उत्पाद–मिश्र का सुधार; और

(3) ब्याज के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना करना।

[हिन्दी]

खान और खनिज अधिनियम में संशोधन

255. श्री कांतिलाल भूरिया :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधनों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय खान सचिव के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय विकास के लिए खानों के पट्टाधिकारियों से प्राप्त रॉयल्टी के नियम प्रतिशत पर अतिरिक्त राशि प्रभारित करने संबंधी प्रावधान के बारे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्तावित संशोधन रिपोर्ट में शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे मे सुझाव दिया था। तथापि, कई न्यायिक उद्घोषणाओं के मद्देनजर स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए खनन पट्टाधारियों से प्राप्त रॉयल्टी के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त राशि वसूल करना कानूनी तौर पर तर्क संगत नहीं है।

मेघनगर रेलेव स्टेशन पर पेयजल की समस्या

256. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के मेघनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पेयजल की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"पिनाका" नामक मल्टी बैरल राकेट प्रणाली का विकास

257. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपनी "पिनाका" नामक मल्टी बैरल राकेट प्रणाली विकसित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक भारतीय तोपखाने में शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) स्वदेश में तैयार की गई बहु-बैरल राकेट प्रणाली पिनाका विकास के अग्रिम चरण में है।

(ख) यह प्रणाली एक मिनट से भी कम समय में 12 राकेटों को अधिकतम 39 कि.मी. की रेंज तक फायर करने में सक्षम है। राकेट में सब-म्यूनीशन सहित विभिन्न किस्म के परम्परागत वारहेड हैं।

(ग) पिनाका शस्त्र प्रणाली को नवीं योजनावधि के दौरान भारतीय सेना में शामिल किए जाने की योजना है।

गोण्डा और बरेली के बीच आमान परिवर्तन

258. श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोण्डा और बरेली (एन. ई. आर.) के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू होने और पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) इस मार्ग पर अभी गोंडा-बहराइच को ही बजट में शामिल किया गया है। आवश्यक स्वीकृति, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मिल जाने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। शेष खंड फिलहाल आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत नहीं है।

[हिन्दी]

पंचायतों को शक्तियां दिया जाना

259. श्री सुरेश चंदेल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व से अवगत है और क्या सरकार ने पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को पंचायतों को ऐसी शक्तियां कब तक प्रदान करने का विचार है ताकि वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन के जरिए संविधान का भाग IX पुरःस्थापित किया है, जिसके अनुसार पंचायतों को संवैधानिक निकाय बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 24 दिसम्बर, 1996 से लागू हो गया है जिससे भारत के आठ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा

और राजस्थान के पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार किया गया है।

(ग) संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिया गया है जो स्व–शासन की संस्थाओं की तरह ही काम करने के लिए आवश्यक हो। संविधान के भाग IXX में पंचायतों को निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त स्तर पर शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने के प्रावधान हैं : (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और (ख) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन जो उनको सौंपी जाये। पंचायती राज संस्थाओं को किस सीमा तक शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए यह राज्य संघ/राज्य क्षेत्र की सरकारों पर छोड़ दिया गया है। शक्तियों को सौंपने की स्थिति की मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इस संदर्भ में 2 अगस्त, 1997 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन तथा 13 मई, 1998 को राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी।

रेलगाड़ियां शुरू करना/उनका विस्तार

260. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गया और मुम्बई के बीच कोई नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या 1093/1094 वाराणसी–मुम्बई महानगर एक्सप्रेस और 8689/8690 अलेप्पी–बोकारो रेलगाड़ी को गया तक चलाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या 8605/8606 रांची–गया नई दिल्ली गोल्डन जुबली एक्सप्रेस को हर रोज चलाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गया के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो किन–किन रेलगाड़ियों के कोटे में वृद्धि की जाएगी और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं। टर्मिनल/लाइन क्षमता की तंगियों के कारण

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

(घ) जी नहीं। गया में आरक्षण कार्य का कंप्यूटरीकरण हो गया है और अब इसे पहले–आओ–पहले पाओ के आधार पर कलकत्ता पी आर एस में उपलब्ध सभी गाड़ियों में पूरे आरक्षण कोटे के साथ संपर्क प्राप्त है। अतः गया में यात्री अधिकांश गाडियों में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अलग से अतिरिक्त कोटे की आवश्यकता का औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

पैट्रोल पंपों के लिए प्लाट का आबंटन

261. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पैट्रोल पंप को शुरू करने के लिए प्लाट के आबंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कंपनीवार तेल कंपनियों के कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनीवार किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वरिष्टतावार प्राथमिकता सूची तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) डी डी ए ने बताया है कि दिल्ली में पैट्रोल पंप लगाने हेतु प्लाट आबंटन के लिए तेल कम्पनियों के 78 आवेदन डी डी ए में विचाराधीन हैं, जो इस प्रकार हैं :–

इंडियन आयल (आई. ओ. सी.)	47
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एच. पी. सी.)	14
भारत पेट्रोलियम (बी. पी. सी.)	10
इन्डो–बर्मा पेट्रोल (आई. बी. पी.)	7
	78

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पेट्रोल पंपों का आबंटन रद्द कर दिया है। वास्तविक विलम्बित आवेदनों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आबंटन रद्द पंपों की सूचना तेल कम्पनियों द्वारा डी डी ए को बताने के बाद ही लम्बित आवेदन पत्रों की सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(ख) गत 3 वर्षों में कम्पनीवार आबंटन इस प्रकार हैं :–

आई ओ सी	11
एच पी सी	6
बी पी सी	5
आई बी पी	1
	23

(ग) जी, हां ।

(घ) यह, स्थल की उपलब्धता तथा तेल कम्पनियों द्वारा उनका आबंटन स्वीकार किये जाने पर निर्भर करता है।

रक्षा प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा

262. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सम्बन्धी जांच की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) गोला–बारूद और विस्फोटों का रख–रखाव करने वाली बड़ी रक्षा स्थापनाओं की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक स्थापना पर्यावरण तथा विस्फोट सुरक्षा केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक सुरक्षा जांच करने की एक योजना जारी है। सुरक्षा मे वृद्धि किए जाने संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन की पर्यावरण तथा विस्फोट सुरक्षा केन्द्र द्वारा आवधिक रूप से निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

राजकीय रेल पुलिस

263. श्री कावरचन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने स्थिति पत्र में राजकीय रेल पुलिस (जी. आर. पी.) को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशनों तथा चलती गाडियों सहित रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। रेल यात्रियों तथा उनकी संपत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रा. रे. पु. के साथ रे. सु. ब. सहयोग करता है यात्री संरक्षा में सुधार लाने के लिए रे. सु. ब. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं।

1. रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों की रा. रे. पु. तथा सिविल पुलिस के अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं।

2. रे. सु. ब. और रा. रे. पु. द्वारा सभी स्तरों पर विशेष आसूचना तथा अपराध आसूचना मिलकर इकट्ठी की जा रही है।

3. रा. रे. पु. और रे. सु. ब. द्वारा रेलों पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए संयुक्त कार्यक्रम बनाए गए हैं।

4. विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए रे. सु. ब. के सूंघने वाले कुत्ते, जहां उपलब्ध हैं, रेलवे प्लेटफार्मों, यार्डों आदि में तैनात किये जा रहे हैं विस्फोट उपकरणों की पहचान करने और उनका पता लगाने में रे. सु. ब. के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

रेल संपत्ति की सुरक्षा करना रे. सु. ब. की जिम्मेदारी है। रेलवे की अपनी संपत्ति तथा रेलों द्वारा ले जाए रहे परेषणों की सुरक्षा करने के लिए रे. सु. ब. द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

1. जहां तक संभव होता है भेद्य खंडों पर बहुमूल्य परेषणों को ले जा रही गडियों का मार्ग रक्षण करना।

2. बोर्डों तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंड में गहन गश्त लगाना।

3. परेषण लेजा रहे मालडिब्बों/सील की स्थिति का जायजा लेने के लिए अर्न्तबदल बिन्दुओं पर संयुक्त जांच।

4. भेद्य क्षेत्रों में यथा संभव रे. सु. ब. की सशस्त्र टुकडियां तैनात की जाती है

5. अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए रे. सु. ब. के कर्मी सादी वर्दी में भी तैनात किए जाते हैं।

6. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई सम्पत्ति रखने वालों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

7. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ते दस्ते तैनात किए जाते हैं।

8. अपराधियों और चुराई गई सम्पत्ति रखने वालों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है ।

डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित धनराशि

264. श्री हरिन पाठक : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान राज्य–वार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों की कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखदेवराव पाटील) :

1996–97 और 1997–98 के दौरान डवाकरा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का कुल आवंटन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन वर्ष	
		1996–97	1997–98
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	624.82	396.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.38	55.38

1	2	3	4
3.	असम	299.70	214.88
4.	बिहार	530.25	505.25
5.	गोवा	18.50	11.50
6.	गुजरात	262.65	168.13
7.	हरियाणा	164.45	105.25
8.	हिमाचल प्रदेश	98.30	60.00
9.	जम्मू व कश्मीर	158.00	139.00
10.	कर्नाटक	360.52	238.50
11.	केरल	193.36	119.00
12.	मध्य प्रदेश	479.38	449.38
13.	महाराष्ट्र	394.00	340.00
14.	मणिपुर	66.63	38.63
15.	मेघालय	89.00	62.00
16.	मिजोरम	24.50	11.50
17.	नागालैंड	49.25	22.25
18.	उड़ीसा	292.88	262.88
19.	पंजाब	146.88	99.88
20.	राजस्थान	246.74	215.74
21.	सिक्किम	39.75	25.75
22.	तमिलनाडु	319.88	311.88
23.	त्रिपुरा	39.25	15.25
24.	उत्तर प्रदेश	950.28	636.50
25.	प. बंगाल	291.75	243.75
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अ.नि. द्वीपसमूह	15.77	11.25
2.	दा.ना.हवेली	6.50	5.50
3.	दमन व दीव	7.00	8.00
4.	लक्षद्वीप	7.00	6.00
5.	पांडिचेरी	17.00	6.00
	कुल	6262.37	4785.41

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

265. श्री महेश कनोडिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाने मे कुछ कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान इसमें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां,

(ख) संसाधनों की तंगी प्रमुख बाधा रही है।

(ग) योजना शीर्ष "दोहरीकरण" के लिए धन इस वर्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रमुख खनिजों तथा किम्बरलाइट पाइप के लिए दिए गये ठेके

266. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के देवभोग–मानपुर क्षेत्र की खानों में किम्बरलाइट पाइपें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 फरवरी, 1998 से 30 अप्रैल , 1998 के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के खनन, गवेषण और विपणन के लिए दिये जाने वाले ठेकों और पट्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) खनिजवार निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खनिजों के खनन, गवेषण, सर्वेक्षण और विपणन संबंधी कार्यों में जुटी फर्मों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के रायपुर जिलें के देवभोग से लगभग 50 कि.मी. (उत्तर–उत्तर पश्चिम) दूर बहराडीह पयालीखण्ड क्षेत्र में पांच किम्बरलाइट पाइप पाए गए हैं इसमें से दो किम्बरलाइट पयालीखण्ड में और एक–एक बराहडीह, जानगड़ा और कोडोमाली में स्थित है। इन पाइपों का सतही आयाम (i) पयालीखण्ड 1–100एम × 100 एम (ii) पयालीखण्ड II–50 एम × 50 एम (iii) बराहडीह 300 एम 200 एम (iv) जांगड़ा 50 एम × 50 एम (v) कोडोमाली 300 एम × 300 एम है। पांच किम्बरलाइट पिण्डों मे से पयालीखण्ड और बराहडीह किम्बरलाइट हीरा लौह युक्त है।

(ग) से (ङ) प्रमुख खनिजों, जिनके लिए 1 फरवरी 1998 से 30

अप्रैल, 1998 के दौरान खनन , गवेषण और विपणन हेतु राजस्थान और मध्य प्रदेश में खनन पट्टे/पूर्वेक्षण लाइसेस दिये गये हैं का विवरण और फर्मों के नाम क्रमशः संलग्न विवरण I, II, III,और IV में दिए गए हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 में किए गए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार रायल्टी डेड रेंट आदि लिये जाते हैं।

विवरण-I

राजस्थान में प्रमुख खनिज के लिए खनन पट्टा (1.2.1998 से 30.4.98 तक)

क्रं. सं.	राज्य	खनिज	जिला	गांव	क्षेत्र (हेक्टर)	स्वकृति की तारीख	अवधि	क्रियान्वयन की तारीख	पार्टी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	क्वार्टज एवं सिलिका सैंड	सीकर	असेपुरा	5.00	11.3.98	20	–	राधे श्याम पारिक पुत्र मदन लाल पारिक बांदियावाड चांदपोल गडे सीकर	
2.	-वही-	चायनाक्ले	चित्तौड़गढ़	कंटोरिया	5.00	24.2.98	20	–	जे. के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स गोतन, जिला, नागौर (राज.)	
3.	-वही-	फल्सपार एवं क्वार्टज	टोंक	गुलगांव	5.00	13.2.98	20	–	संजय बसौतिया, पुत्र स्व. साबरमल बसौतिया, नवल गढ़ हाउस जटवाड़ा रोड जयपुर–(राजस्थान)	
4.	-वही-	-वही-	अजमेर	बालावरात	5.00	17.2.98	20	–	पारसमल जैन, पुत्र स्व. मंगल चंद जैन, 212 आउट ऑफ नेहरू गेट, बीवर–305901 अजमेर	
5.	-वही-	-वही-	-वही-	पिपरोली	34.00	17.2.98	20	–	संकर सिंह पुत्र छतर सिंह पिपरौली जिला अजमेर	
6.	-वही-	जिप्सम	श्री गंगा नगर	आनंदगढ़	275.71	2.3.98	20	–	राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लि., सदुल क्लब बिल्डिंग, बीकानेर (राज.)	
7.	-वही-–	चूना पत्थर	चित्तौड़गढ़	माधोबमनिया	724.56	3.3.98	20	–	ऑरियन्ट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लि. लवली मैनशन चौथा तल 6-3-1090 के/1/ए राज भवन रोड़, समाज गुडा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	
8.	-वही-–	बालक्ले, – चायनाक्ले एंड फायरवाले	बीकानेर	इंडो–का–बाला	108.83	18.2.98 (आर)	20	–	चौधरी माइंस एंड मिनरल्स 2-3-98 से निकट राव बिकाजी स्कूल अजमेर रोड बीकामेर (राज.)	
9.	-वही-–	चूना पत्थर	नागर	गोतान	400.00	9.3.98 (ए) 7.4.98 से	20	–	जे. के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स लि., डाक गोतान जिला नागौर (राज.)	
10.	-वही-–	अभ्रक, फेल्सपार एंड क्वार्टज		सनद	42.66	26.2.98 (x) 11.3.97 से	20	–	सुनील कुमार जैन 813, बिहार जी रोड नसरीदाबाद जिला अजमेर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	-वही--	क्वार्टज एंड फेल्सपार	भीलवाड़ा	देवीपुरा	5.00	23.2.98	20	–	सुथम मिनरल्स 39, सोमनाथ कालोनी कालिज, मार्ग बेवाड़ जिला अजमेर (राज.)	
12.	-वही--	इमराल्ड सौप–स्टोन, फेल्स्पार एंड क्वार्टज	अजमेर	राजगढ़	46.32	7.4.98	20	–	माइनिंग एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज प्रो. ए. के. सेठी 13 पासरनाथ जैन, कालोनी दनलोट अजमेर (राज.)	

विवरण-II

राजस्थान में प्रमुख खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (1.2.1998 से 30.4.1998 तक)

क्रं. सं.	राज्य	खनिज	जिला	गांव	क्षेत्र (हेक्टर)	स्वकृति की तारीख	अवधि	क्रियान्वयन की तारीख	पार्टी का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राजस्थान	अभ्रक, क्वार्टज फेल्सपार एंड सोपस्टोन	राजसमंद	मोरना	185.00	5.2.98	2	–	किशन लाल नाई पुत्र अमर लाल नाई हवेली का चौक नथवाड़ा जिला राजसमंद (राज.)	
2.	-वही--	कैल्साइट एंड क्वार्टज	सिरोही	सिंगा की पावती	81.20	11.3.98	1	–	जयंती लाल सिंघी पुत्र पुनम चंद पैलेश रोड सिरोही	
3.	-वही--	बिसमथ एवं संबद्ध खनिज	सीकर	रायपुर	257.35	4.2.98	2	–	प्रेरणा ग्रेनाइट्स प्रा. लि. प्रेम प्रकाश सिनेमा चौड़ा रास्ता, जयपुर–302003	
4.	-वही--	रॉक फास्फेट	जैसलमेर	बीरमणिया	400.00	20.2.98	1	–	आर. एस. एम. डी. सी. लि. खनिज भवन तिलक मार्ग, जयपुर	
5.	-वही--	फेल्सपार एव. क्वार्टज	राजसमंद	भुरवाड़ा	130.00	23.12.97	1	10.2.98	जयननौनलाल छगनलाल कीलाल बरालिया डाक. अनजना टोंक दुर्गाह	
6.	-वही--	-वही-	अजमेर	लुगना	140.00	–	1	2.2.98	अनुज रस्तोगी पुत्र सहदेव रस्तोगी, 34/455 ए, गीरा निवास पाल बिछला, अजमेर	
7.	-वही--	अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज	भीलवाड़ा	एसाहिली	187.50	–	2	7.2.98	अनवर हुसैन पुत्र सादिक हुसैन बगोरे, तहसील मंडल जिला भीलवाड़ा	
8.	-वही--	-वही-	भीलवाड़ा	रघुनाथपुरा	150.00	–	2	20.2.98	श्रीमती निर्मला देवी प्रकाशचन्द चौरदिया एएसआईके, भीलवाड़ा	
9.	-वही--	जैयसपर	जयलौर	डोडियली	420.00	–	1	6.3.98	नारायण लाल रवाता जी गुडा बलोतन, तहसील अहोर जिला जैलोर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	-वही--	सोपस्टोन एंड चाइनाक्ले	भीलवाड़ा	गोगास	104.80	–	2	27.2.98	श्रीमती गीता देवी लक्ष्मीनारायण वेष्णो सिरसिडिया भीलवाड़ा (राज.)	
11.	-वही--	अभ्रक फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	सैडोर	123.60	–	2	5.3.98	एच.पी. मीना पुत्र एल.सी. मीना नन्दक्थ तहसील अरूजिया, बाड़ा	
12.	-वही--	-वही--	भीलवाड़ा	मारवाड़ा	132.00	–	2	18.2.98	एन. एन. माइनिंग कंपनी डी-29, दूसरा तल नई दिल्ली	
13.	-वही--	-वही--	भीलवाड़ा	रानल	130.00	–	2	21.2.98	श्रीमती रईसा बेगम अजीजमंडील बगोरे, जिला भीलवाड़ा	
14.	-वही--	-वही--	भीलवाड़ा	करखेड़ा	200.00	–	2	7.2.98	सुरेश कुमार बनवारी लाल लमाद पुरोहित खेड़ा तहसील मंडल, जिला भीलवाड़ा	
15.	-वही--	सोपस्टोन	भीलवाड़ा	कुलन्दिया	288.00	–	2	2.2.98	सुरेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह चंडेलिया मनोहर कुंज, भीलवाड़ा	
16.	-वही--	अभ्रक, फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	बोरियापुरा	149.89	–	2	7.2.98	लियाकत हसन, बगोरा, तहसील मंडल, भीलवाड़ा	
17.	-वही--	-वही--	भीलवाड़ा	बहारीखेड़ा	130.00	–	2	3.2.98	रामगोपाल गार्ग्धनदास वेष्णो, नारायणा तहसील, एएस. के., जिला भीलवाड़ा	
18.	-वही--	इमराल्ड, अभ्रक, ग्रेनाइट क्वार्टज	राजसमंद	गोगुडा	275.83	–	2	12.2.98	बाबूलाल मोदीलाल पांडियार छोटी टेलीपुरा, नैडारा, जिला राजसमंद	
19.	-वही--	अभ्रक फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	अमली	130.00	–	2	11.2.98	देवीलाल भूरालाल जी नायक, अमली, तहसील, सहादा, जिला भीलवाड़ा	
20.	-वही--	फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	सरसिया	150.00	–	2	21.2.98	विनोद कुमार नोरारमल गोयल देवली, जिला टौंक	
21.	-वही--	सीसा, जिंक, तांबा, स्वर्ण एंड संबद्ध खनिज	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा राजसमंद अजमेर	1486,00.00 (1486 वर्ग कि. मी.)	–	3	11.3.98	बी. एच. पी. मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लि. चौथा तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, नई दिल्ली	
22.	-वही-	-वही-	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	131000.00 (1310 वर्ग कि. मी.)	–	3	11.3.98	-वही-	
23.	-वही-	अभ्रक, फेल्सपार क्वार्टज	भीलवाड़ा	अशहोली	148.50	–	2	21.2.98	लियाकत हसन पुत्र सैयद हसन शेख बगोरे, जिला भीलवाड़ा	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	-वही-	-वही-	भीलवाड़ा	मोखमपुरा	240.00	–	2	9.3.98	रमेश्वर लाल शर्मा, ब्रहमपुरी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा	
25.	-वही-	फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	सेनुन्डा	175.00	–	2	9.3.98	महावीर बडोला, निकट लार्ज टेम्पल, असिंद जिला भीलवाड़ा	
26.	-वही-	अभ्रक, फेल्सपार एंड क्वार्टज	भीलवाड़ा	भडू	160.00	–	2	21.2.98	बंशीलाल मंगीलाल खटीक बगोडा, जिला, भीलवाड़ा	

विवरण-III

मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टा (अवधि) 1.2.1998 से 30.4.1998 तक)

बीएमआई (क्यूएमएल स्वीकृति, क्रियान्वयन और नवीकरण)

क्रं. सं.	राज्य	खनिज	जिला	गांव	क्षेत्र (हेक्टर)	स्वकृति की तारीख	अवधि	क्रियान्वयन की तारीख	पार्टी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मध्यप्रदेश	डोलोमाइट	रायपुर	घनेली	3.24	5.2.98	20	–	श्रीमती नेलिया चावाला पत्नी आई. एन. चावला 29 एमआईजी, 2, हुडको, भिलाई जिला दुर्ग (म. प्र.)
2.	-वही-	-वही-	मंडिया	केकैया	3.23	10.3.98	20	–	विनोद कुमार अग्रवाल लकी आटोमोबाइल्स ललितपुरा वार्ड मंडिया (म. प्र.)
3.	-वही-	चूनापत्थर	दुर्ग	नन्दनी कुन्दनी	1.92	10.3.98	20	–	श्रीमती मोहनी देवी मिश्रा पत्नी बी. आर. मिश्रा 48/5, ईस्ट भिलाई जिला दुर्ग (म. प्र.)
4.	-वही-	ओकर एंड लेटेराइट	सतना	पिपरीतोला	34.17	3.2.98	20	–	सरद कुमार बंसल जटवाड़ा, जिला सतना (म. प्र.)
5.	-वही-	चूना पत्थर	जबलपुर	अमछटा	14.06	9.2.98	(आर) 20	–	रवि कुमार गोवर सिविल लाइंस कटनी जिला, जबलपुर (म. प्र.)
6.	-वही-	चूना पत्थर डोलोमाइट	-वही-	-वही-	16.66	23.2.98	(आर) 20	–	जी. के. मैत्रा अमहेता स्टोन एंड लाइम कं., अमहेता, तहसील, कटनी जिला जबलपुर, (म. प्र.)

विवरण-IV

मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (1.2.1998 से 30.4.1998 तक)

क्रं. सं.	राज्य	खनिज	जिला	गांव	क्षेत्र (हेक्टर)	स्वकृति की तारीख	अवधि	क्रियान्वयन की तारीख	पार्टी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मध्यप्रदेश	कैल्साइट	खारगोन	पालोन	9.00	13.2.98	1	–	लॉयल मिनरल्स कारपोरेशन 10, भगत सिंह मार्ग इंदौर (म. प्र.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	-वही-	गलेना	राजनन्दगांव	करेमतारा	2.23	17.2.98	1	–	अग्रवाल मिनरल्स, प्रो. मनोज अग्रवाल रायपुर (म. प्र.)
3.	-वही-	लैटराइट एंड क्ले	जबलपुर	सल्हेमार	23.22	17.2.98	1	–	प्रो. हेमंत गुप्ता पुत्र एन. के. गुप्ता गर्ग चौराहा, कटनी, जिला जबलपुर (म. प्र.)
4.	-वही-	चूना पत्थर	दमोह	धीरा एंड	763.35	17.3.98	2	–	डायमंड सीमेंटस प्रो. मैसूर सीमेंट लि. डाक नरसिंह जिला (म. प्र.)
5.	-वही-	पायरोपिलाइट एंड डायस्पोर	छतरपुर	मुगावड़ी	7.00	27.2.98	1	–	1) रितेश कुमार खरे वार्ड नं. 5 आर्ट स्कूल रोड़ छतरपुर 2) दीपक कुमार खरे मूलगंज तहसील, बिजवाड़ जिला छतरपुर
6.	-वही-	सिलिका सैंड	खरगोन	चंदरपुरा	0.41	9.3.98	1	–	श्री एंटरप्राइजेज (फर्म) 6, महेश्वर रोड पगारिया भवन बडवाडा जिला खरगोन (म. प्र.)
7.	-वही-	व्हाइट क्ले	जबलपुर	कोनिया	1.88	17.2.98	1	–	सुनील अग्रवाल डाक. करूपालपुर जिला सतना (म. प्र.)

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास ऋण

267. श्रीमती ओम्वती देवी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीब ग्रामीणों को आवास ऋण उपलब्ध कराए जाने संबंधी केन्द्र की योजना में निर्धारित मानदंड का बिहार विशेषतः बेनीपुर, दरभंगा में उल्लंघन किया जा रहा तथा गैर–अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के ऋणों के झूठें दावों संबंधी फाइलें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले मे कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में इस प्रकार के क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के गरीबों को आवासों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत अनुदान/सबसिडी दी जाती है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास ऋण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त प्रश्न (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल्को

268. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) ने मध्य प्रदेश के मांडला स्थित हजारी दादर में खनन हेतु पट्टा दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को कब तक पट्टा दे दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस कंपनी की अवधि सितम्बर, 1999 में समाप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी ने इस समय को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे सहित इसे कितनी अवधि तक बढ़ाये जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) बालको को अप्रैल, 1977 में मांडला जिले के हजारी दादर क्षेत्र में बाक्साइट के लिए खनन पट्टा दिया गया था जो 10 वर्ष के लिए वैध था। तथापि, नवम्बर, 1986 में, जब बालको ने खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन दिया तो इसे राज्य सरकार ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि कथित क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है । बालको ने दिसम्बर, 1989 में राज्य सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अपील की तथा केन्द्र सरकार के अभिकरण ने अपने दिनांक 10 जनवरी, 1990 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के आदेश को दरकिनार कर दिया तथा राज्य सरकार को पट्टे का नवीनकरण खूबियों पर करने की सलाह दी। बालको की अन्य खानों, राक्तीदादर, नन्हूदादर तथा खुरखुरीदादर की खनन पट्टा अवधि 12.9.1999 को समाप्त हो जाएगी। इन क्षेत्रों में पट्टे की अवधि बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि पट्टा अवधि की समाप्ति से पहले ही बाक्साइट निक्षेप खनित कर लिये जाएंगे।

[अनुवाद]

रूपसा-वांगरोपसी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

269. श्री खारबेल स्वाइन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूपसा से वांगरोपसी रेल लाइन का आमान परिवर्तन तीन वर्ष पूर्व इसके उद्घाटन के बाद अचानक रोक दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त कार्य पुनः शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) जी नहीं। किलोमीटर 0 से 75 के बीच कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टोंक को रेल नेटवर्क से जोड़ना

270. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर–मालपुरा–टोडा राय सिंह खण्ड मीटर गेज रेल लाइन को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का टोंक जिला मुख्यालय को भारतीय रेलवे के मानचित्र पर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई तकनीकी–आर्थिक अभियांत्रिकी सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नगर को रेल नेटवर्क से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्या मंत्री (श्री राम नाइक) : (क) लाइन बंद कर दी गई थी क्योंकि अलाभप्रद शाखा लाइन घाटे में चल रही थी।

(ख) फिलहाल टोंक को रेल संपर्क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विगत में सर्वेक्षण किये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना

271. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना की आधारशिला रखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों को अनुमति दी जाने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) आधारशिला 1971 में रखी गई थी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत भूमि बाद में 1994 में कर्नाटक सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई थी। इस भूमि के एक हिस्से पर मैसर्स जिन्दल विजय नगर स्टील लिमिटेड कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (के.एस.आई.आई.डी.सी.) के साथ संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन तप्त बेल्लित इस्पात के चपटे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए इस समय एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है मैसर्स मुकुन्द विजयनगर स्टील लिमिटेड ने भी इस स्थान पर उपलब्ध शेष क्षेत्र पर एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ग) जुलाई , 1991 से प्रचलित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है तथा अब इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्थान संबधी कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में कर्नाटक सरकार ने

कई लोहा एवं इस्पात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें से एक इकाई अर्थात मैसर्स बेल्लारी स्टील एंड एलायज लिमिटेड अब जिला बेल्लारी के वावीनाहल्ली में 5 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले एक इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है।

हवाई अड्डों की स्थानीय परिवेश में सजावट और डिजाइन

272. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से हवाई अड्डों को अपनाने और इन्हें सजावट और डिजाइन के संबंध में स्थानीय परिवेश दिए जाने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा बंगलौर हवाई अड्डे में कतिपय परिवर्तन लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर स्थानीय संस्कृति और विरासत के परम्परागत लेम्प, नंदी की मूर्ति लगाने और अन्य महत्वपूर्ण संकेतक शुरू किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर इस कार्य के कब तक निष्पादित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बाहरी वास्तुकला तथा भीतरी डिजाइन के संबंध में टर्मिनल भवनों को एक स्थानीय फ्लेवर प्रदान करने की दिशा में सामान्य नीति अपनाई जाती है।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्थानीय संस्कृति और विरासत को दर्शाते हुए कलाकृतियों तथा पुरावशेषों की व्यवस्था करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

उमराई (शिलांग) विमानपत्तन के लिए बजट प्रावधान

273. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उमराई (शिलांग) विमानपत्तन पर सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन परियोजना पर कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा साफ मौसम संबंधी परिस्थितियों के अंतर्गत बी–737/एयरबस 320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए धावनपथ के 6000 फुट से 8500 फुट तक विस्तार संबंधी प्रस्ताव की छानबीन की जा चुकी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए और हवाई अड्डे के विकास के लिए पूरी बजटीय सहायता भी प्रदान कराई जाए।

[हिन्दी]

आयुध कारखाना

274. श्री राजवीर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) कितने आयुध कारखाने हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या अधिकांश कारखानें घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एककवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कारखानों को बंद करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कारखानों का पुनरुद्धार करने तथा इन्हें लाभ कमाने वाले एकक बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) आयुध निर्माणियों की कुल संख्या 39 है। इनमें से प्रत्येक में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (ङ.) आयुध निर्माणियां विभागीय तौर पर संचालित यूनिटें हैं तथा जहां तक सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्पादन का संबंध है, ये निर्माणियां 'न लाभ न हानि' के आधार पर कार्य करती हैं। इसलिए, आयुध निर्माणियों के घाटे में चलने अथवा उन्हें बंद करने या उनका पुरुद्धार करने के लिए उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

क्र.सं.	निर्माणी का नाम	स्थान	कुल कर्मचारी
1	2	3	4
1.	आयुध निर्माणी, खमरिया	जबलपुर	9718
2.	अति विस्फोटक निर्माणी, किरकी	पुणे	1604
3.	आयुध निर्माणी, चांदा	चन्द्रपुर	5636
4.	आयुध निर्माणी, देहू रोड	देहू रोड	1636
5.	आयुध निर्माणी, इटारसी	इटारसी	2340
6.	कॉर्डाइट निर्माणी, अरूवनकाडु	अरूवनकाडु	2950
7.	आयुध निर्माणी, भण्डारा	भण्डारा	3733
8.	आयुध निर्माणी , बोलंगीर	बोलंगीर	1705
9.	गोलाबारूद निर्माणी, किरकी	पुणे	7970
10.	आयुध निर्माणी, वरणगांव	वरणगांव	2932

1	2	3	4
11.	आयुध निर्माणी, कानपुर	कानपुर	6804
12.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	कानपुर	3640
13.	वाहन निर्माणी, जबलपुर	जबलपुर	10459
14.	राइफल निर्माणी, इच्छापुर	कलकत्ता	7317
15.	आयुध निर्माणी, दमदम	कलकत्ता	1851
16.	आयुध निर्माणी, त्रिची	त्रिचुरापल्ली	2924
17.	ग्रेआइरन फाउंड्री, जबलपुर	जबलपुर	2415
18.	तोप एवं गोला निर्माणी, काशीपुर	कलकत्ता	6052
19.	फील्ड तोप निर्माणी, कानपुर	कानपुर	2190
20.	तोप गाड़ी निर्माणी	जबलपुर	8108
21.	हेवी एलाय पेनिट्रेट परियोजना	त्रिचुरापल्ली	741
22.	मशीन यंत्र आदि रूप निर्माणी	अम्बरनाथ	1907
23.	आयुध केबिल निर्माणी, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	721
24.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	मुरादनगर	3632
25.	आयुध निर्माणी, कटनी	कटनी	2383
26.	धातु एवं इस्पात निर्माणी, इच्छापुर	कलकत्ता	6187
27.	आयुध निर्माणी, अंबरनाथ	अबरनाथ	3573
28.	आयुध निर्माणी, भुसावल	भुसावल	1602
29.	आयुध निर्माणी, अम्बाझरी	नागपुर	7451
30.	आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक	हैदराबाद	2987
31.	ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक्स निर्माणी, देहरादून	देहरादून	1837
32.	इंजन निर्माणी, आवड़ी	चेन्नई	1013
33.	भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी	चेन्नई	5373
34.	आयुध निर्माणी, देहरादून	देहरादून	1836
35.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	कानपुर	5271
36.	आयुध पैराशूट निर्माणी	कानपुर	2651
37.	आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	टुण्डला	608
38.	आयुध वस्त्र निर्माणी, आवड़ी	चेन्नई	2843
39.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	6107
	योग		150707

[अनुवाद]

बेंगलौर सत्यमंगला रेल लाइन का निर्माण

275. श्री ए. सिदराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेंगलौर और सत्यमंगला के बीच रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपयुक्त कार्य की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक शुरू होने और कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 271 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 640 करोड़ रु. होगी। यह कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। समापन की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नही की गई है।

[हिन्दी]

रियायती दरों पर आवास ऋण

276. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार प्रतिवर्ष कितना ऋण वितरित किया गया;

(ग) सरकार को उक्त अवधि के दौरान आवास ऋण के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार भवन निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। आवास राज्य का विषय होने के कारण राज्य आवास एजेंसियां योजना प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न सामाजिक आवास स्कीमें तैयार करती हैं तथा उनका क्रियान्वयन करती हैं। इस प्रयोजनार्थ वे हडको सहित केन्द्र/राज्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती हैं. हडको ई.डब्ल्यू./एल आई जी श्रेणी को संसाधन लागत से भी काफी कम अर्थात 9 प्रतिशत–12 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। अपने सामाजिक अधिदेश के अन्तर्गत हडको इन श्रेणियों के लिए आवास ऋण का 55 प्रतिशत निर्धारित करता है।

गत 3 वर्षों के दौरान हडको द्वारा मंजूर किए गए आवास ऋणों की राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) हडको द्वारा मंजूर आवास ऋण के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा जारी ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
अंडमान निकोबार	0.57	0.74	0.69
आंध्र प्रदेश	82.16	194.92	357.66
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	20.04	19.86	54.82
बिहार	15.46	24.29	10.62
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	110.83	108.12	10.96
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
गोवा	1.95	0.30	10.00
गुजरात	35.44	46.72	69.59
हिमाचल प्रदेश	20.44	20.67	52.61
हरियाणा	18.37	22.10	2.62
जम्मू व कश्मीर	5.44	13.92	9.44
केरल	144.31	241.71	318.38
कर्नाटक	222.76	194.55	268.07
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मेघालय	4.06	11.48	6.78
महाराष्ट्र	91.62	112.91	148.03
मणिपुर	3.35	15.59	29.95
मध्य प्रदेश	39.21	40.81	57.23
मिजोरम	3.35	8.60	5.82
नागालैंड	2.18	4.90	6.17
उड़ीसा	24.961	26.16	38.88
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
पंजाब	35.61	23.19	58.10
राजस्थान	66.59	83.44	182.22
सिक्किम	12.8	24.67	3.28
तमिलनाडू	196.16	236.74	333.31
त्रिपुरा	0.30	0.14	0.00
उत्तर प्रदेश	39.96	43.32	66.54
पंश्चिम बंगाल	43.86	40.12	47.82
योग	1,241.80	1,539.97	2,149.91

[अनुवाद]

गुजरात में आमान परिवर्तन

277. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को लंबित रेल परियोजनाओं तथा मीटर गेज लाइनों, जिसमें राजकोट–वेरावल लाइन भी सम्मिलित है, के आमान, परिवर्तन के लिए गुजरात सरकार, संसद सदस्यों, व्यवसायी संगठनों तथा उस राज्य के रेलवे ट्रेड यूनियनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है; और

(ग) लम्बित परियोजनाओं को कब तक निपटा दिया जाएगा तथा मीटर गेज लाइनों का आमान परिवर्तन कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) प्राप्त अनुरोध उन पर की गई कार्रवाई और लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

कार्य का नाम	की गई कार्रवाई	लक्ष्य
1	2	3
1. राजकोट–वेरावल का आमान परिवर्तन और इसका कोडिनार/ सोमनाथ तक विस्तार	राजकोट वेरावल के लिए कार्य प्रगति पर है। कोडिनार/ सोमनाथ तक इस लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।	नौवीं योजना

1	2	3
2 विपवाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्र नगर–धोला ढासा–महुआ का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य आरम्भ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जी रही है	यथोक्त
3. वीरमगाम–मेहसाणा रेल लाइन का आमान परिवर्तन (भिलडी–वीरमराम परियोजना का एक भाग)	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य आरम्भ करने के लिए प्रारंम्भिक व्यवस्था की जा रही है।	यथोक्त
4. मेहसाना–पाटन मी. ला. लाइन का आमान परिवर्तन (भिलडी–वीरमगाम परियोजना का एक भाग)	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता कार्य के कारण मेहसाना–पाटन खण्ड का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।	जब कभी कार्य बहाल किया जाएगा तो निर्धारित किया जाएगा।
5. नवलाखी–दाहिन सारा, मोरबी बांकानेर और दाही नारा मलिया–मियाना का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है।	नौवीं योजना
6. गांधीधाम–भुज–नलिया रेल लाइन का आमान परिवर्तन	गाधीधाम भुज का कार्य प्रगति पर है। भुज नलिया के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।	भुज तक के लिए नौवीं योजना। शेष अभी स्वीकृत नही हैं।
7. गांधीधाम–सामाखियाली पालनपुर मी. ला. लाइन का आमान परिवर्तन	1997–98 के बजट में एक सर्वेक्षण शामिल किया गया है।	यह अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।
8. ध्रांगधा–कुंडा नामक साइडिंग का आमान परिवर्तन	यह कार्य पूरक बजट 97–98 में शामिल किया गया है। यह कार्य गुजरात सरकार और भारत सरकार नमक विभाग के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जाएगा और भागीदारों द्वारा अपने हिस्से का धन महुया कराते ही शुरू कर दिया जाएगा।	नौवीं योजना
9. भरुच–दाहेज का आमान परिवर्तन	अहमदाबाद से विरार तक तीसरी प्रस्तावित लाइन में भरूच–दाहेज को शामिल कर लिया गया है जिसके लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।
10. अकलेश्वर–राजपिपला छो.ला. को ब.ला. में	विगत मे किए गए सर्वेक्षण से अपर्याप्त यातायात संभावना का पता चला है। इसलिए इस कार्य को शुरू करने का विचार नहीं किया गया।	यह कार्य स्वीकृत नही हैं।

नई रेलगाड़ी का चलाया जाना

278. **श्री पी. शंकरन** : क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुर्ला एक्सप्रेस को कोंकण रेल मार्ग पर चलाए जाने के कारण मालावार से तमिलनाडू जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मालावार से तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए मंगलौर से तमिलनाडु के लिए एक अन्य रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 6635/6636 नेत्रवती एक्सप्रेस मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों को सेवित कर रही थी जिसे छोटे मार्ग से डायवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल दो गाड़ियां यथा 6601/6602 चेन्नई मंगलोर मेल और 6627/6628 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस तमिलनाडु की ओर यात्रा करने के लिए मालावार क्षेत्र के यात्रियों को पर्याप्त रूप से सेवित कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में रक्षा कार्मियों के विरुद्ध मामले

279. डा. जयन्त रंगपी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न न्यायालयों में रक्षा बलों के विरुद्ध बलात्कार, हत्या और मानवाधिकारों के कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार उक्त अपराधों के लिए ऐसे कितने कार्मिकों को न्यायालय अथवा विभाग द्वारा सजा दी गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुट्टिपुरम-गुरवायूर रेल लाइन का निर्माण

280. श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री ए. सी. जोस :

क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टिपुरम–गुरवायूर रेल लाइन (दक्षिण रेलवे पालक्काड डिवीजन, केरल) का स्थलीय सर्वेक्षण और उसे बिछाने से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बे समय से लंबित उपरोक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) गुरूवायूर–तांनूर सरेखण का चयन कर लिया गया है।

(ग) यह कार्य तांनूर–शोरूवण्णूरके बदले मंगलोर–शोरूवण्णूर दोहरीकरण परियोजना के भाग के रूप में पहले स्वीकृत किया गया था। बहरहाल, चूंकि मंगलौर–तांनूर दोहरीकरण को शोरूवण्णूर तक बढा दिया गया है और अब यह एक नई लाइन परियोजना बन गई है जिसके लिए नये सिरे से स्वीकृति की आवश्यकता है। इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जा रहा है।

गुणुपुर से रायागडा तक नई बड़ी लाइन हेतु सर्वेक्षण

281. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) अब तक गुणुपुर से रायागडा (दक्षिण पूर्व रेलवे) तक नई बड़ी लाइन के सर्वेक्षण के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन की पहले ही जांच कर ली गई है तथा गुणुपुर को रायागड़ा को जोड़ने संबंधी निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) अभी यह स्वीकृत कार्य नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कोट्टागुडम में उपरि पुल का निर्माण

282. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कोट्टागुडम नगर में सड़क पर उपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

उग्रवाद विरोधी गतिविधियों में मारे गये व्यक्ति

283. डा. जयन्त रंगपी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार उग्रवादियों द्वारा आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्युटी पर तैनात मारे गये रक्षा कार्मिकों की संख्या क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रक्षा बलों द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने उग्रवादी मारे गये तथा कितने पकड़े गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

प्रति विद्रोही/आंतरिक सुरक्षा डयूटी में मारे गये सेना कार्मिक

वर्ष	जम्मू और कश्मीर				उत्तर पूर्व			
	अफसर	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	कुल	अफसर	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	कुल
1995	19	25	209	253	06	02	41	49
1996	20	17	223	260	06	05	54	65
1997	23	20	228	271	13	06	78	97
योग:	62	62	660	784	25	13	173	211

विवरण -II

मारे गये/पकड़े गए आतंकवादी

राज्य	1995		1996		1997	
	मारे गये आतंकवादी	पकड़े गए आतंक-वादी	मारे गए आतंकवादी	पकड़े गए आतंक-वादी	मारे गए आतंकवादी	पकड़े गए आतंक-वादी
(क) मणिपुर	45	477	50	704	124	948
(ख) नागालैंड	46	636	54	1180	44	834
(ग) आसाम	1	56	42	1061	144	3120
(घ) त्रिपुरा	शून्य	शून्य	09	05	12	310
(ङ) जम्मू-कश्मीर	1102	3541	902	1826	888	1257
योग :	1194	4710	1057	4776	1212	6469

यात्री गाड़ी सेवा में वृद्धि

284. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पलासा और कटक-पुरी और खडगपुर और राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच यात्री गाड़ी की सेवाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/या करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 1998-99 मे नवनिर्मित तालचेर-संबलपुर लाइन पर केवल भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी को चलाने का विनिश्चय किया गया है।

नागपुर में ऊपरी पुल का निर्माण

285. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर रोड पर फ्लाई-ओवर के निर्माण की मांग लंबे समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उस फ्लाई-ओवर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां ।

(ख) संतरा मार्किट के नजदीक एक समानान्तर ऊपरी सडक पुल की व्यवस्था करके एन एच- 6 पर मौजूदा ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुंच योजना को संशोधित किया गया है। जिसकी संवीक्षा की जा रही है। सामान्य व्यवस्था ड्राइंग को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य लोक निर्माण विभाग की निर्माण कार्य की लागत जमा करने के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

मेरठ और मुरादनगर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

286. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और मुरादनगर रेल लाइन के बीच की रेल लाइन के दोहरीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके दोहरीकरण में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां,

(ख) मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) कार्य दिसंबर, 1999 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रेस्तरों को पट्टे पर देना

287 डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए रिज़ क्षेत्र में कुछ रेस्तरों और पिकनिक हटों को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि महरौली के रिज़ क्षेत्र में पिकनिक हटों/रेस्तरों को पट्टे पर दिया गया है। जनता के मनोरंजनार्थ इन हटों/रेस्तरों का निर्माण 10 वर्ष की अवधि से भी पहले किया था। और इन हटों/रेस्तरों को चलाने संबंधी अवस्थापनागत अभाव के कारण में बंद पड़े थे। चूंकि इन मनोरंजन सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशानी हो रही थी साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए जनहित में इनका आबंटन किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति

288. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु 105 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी राज्य में पेय जल उपलब्ध कराये जाने में अपनी सहायता देने पर सहमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) चूंकि पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं के अंतर्गत जिला–वार मंजूर स्कीमों की मानीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार समान हिस्से के आधार पर उन कस्बों के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराता है, जिनकी 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ए यू डब्ल्यू एस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है क्योंकि 1991 की जनगणना के अनुसार वहां 20,000 से कम आबादी का कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

हवाईपट्टी का विस्तार

289. श्री अम्मासाहिब एम.के. पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "आई ए एफ आईज दीव एमिड स्ट्रांग लोकल आउट क्रायएयरस्ट्रिप एक्सटेंशन मेप एनडेंजर बिल्डिंगंज एण्ड रेयर फोरेस्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुम्बई सेक्टर में स्थित हमारी आर्थिक एवं अन्य परिसम्पत्तियों को हवाई रक्षा मुहैया किए जाने से संबंधित सभी बातों का सावधानी से विश्लेषण करने के बाद दीव एयर फील्ड का विकास किए जाने का प्रस्ताव है ताकि वहां हवाई रक्षा लडाकू वायुयान और एक निगरानी यूनिट रखी जा सके ।

इस प्रयोजनार्थ दीव सरकार और गुजरात सरकार से क्रमशः 18.65 हेक्टेयर तथा 20 एकड व 24 गुंठे भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

विशाखापत्तनम हवाई-अड्डे का विस्तार

290. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में नई रेल गाड़ियां

291. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों की अत्यधिक भीड को देखते हुए पटना से दिल्ली तथा मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच कुछ और गाडियां चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पटना मुजफ्फरपुर – दिल्ली क्षेत्रों सहित भारतीय रेलों पर गाड़ियों को चलाना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि इनके लिए परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य हो।

पानी की आपूर्ति

292. श्री अमर राय प्रधान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली की किन-किन सरकारी कालोनियों में पानी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कालोनी में 31.10.97 तक तथा आज तक कितने नलकूप लगाए गये हैं;

(ग) 31.10.97 तक कार्यरत खराब पड़े नलकूपों की संख्या क्या है और ये नलकूल कब-कब से खराब पड़े हैं;

(घ) उन नलकूपों की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) किसी भी सरकारी कालोनी में जल आपूर्ति सिर्फ लोक निर्माण विभाग ही नहीं करता है। स्थानीय निकाय; नई दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्रों में दो मंजिल वाली इमारतों में सीधे जल आपूर्ति करते हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दो मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों में जल आपूर्ति का कार्य करता है।

(ख) दिनांक 31.10.97 तक इन कालोनियों में 87 नलकूप लगाए गए । हाल में इस संबंध में बढोत्तरी नहीं की गई है ।

(ग) 31.10.97 के अनुसार 80 नलकूप काम कर रहे है और इसी तारीख से 7 नलकूप काम नहीं कर रहे हैं।

(घ) संबंधित प्रभाग इनकी इमारत करवा रहे हैं।

अंगमालि-सबरीमाला रेल लाइन

293. श्री ए.सी. जोस : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंगमालि-सबरीमाला रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नयी परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह कार्य 1997-98 के बजट में 550 करोड़ की लागत पर शामिल किया गया है लेकिन यह कार्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एस.आर.पी.एफ.से सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

294. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय रेल सुरक्षा बल (एस.आर.पी.एफ.) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11.1.97 से 600 रु. तथा डी. आर. अनुग्रह राशि के रूप में देने के रेल मंत्रालय के आदेश महाप्रबंधकों द्वारा दक्षिण-पूर्व तथा मध्य रेल, नागपुर के मंडल रेल प्रबंधकों को भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-पूर्व तथा मध्य रेल नागपुर मंडल रेल प्रबंधकों द्वारा ऐसे सेनानिवृत्त राजकीय रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो दावों में निपटाने में विलंब होने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। इस संबंध में रेल मंत्रालय के दिनांक 27 जनवरी, 1998 के आदेश संबंधित मंडल प्रबंधकों को परिपत्रित कर दिए गए हैं।

(ख) मंडल रेल प्रबंधक/ द.पू. रेलवे, नागपुर द्वारा प्राप्त एक सौ सात (107) मामले और मंडल रेल प्रबंधक/मध्य रेलवे, नागपुर द्वारा प्राप्त पचास (50) मामलें प्रक्रियाधीन हैं।

(ग) गैर प्राप्ति की दावों के साथ-साथ सभी निर्धारित दस्तावेजों के प्राप्त न होने तथा सभी सेवा रिकार्डों/अन्य संबद्ध सूचना यथा दावों के सत्यापन के लिए एस आर पी एफ लेजर की अनुपलब्धता के कारण समय लग रहा है।

[हिन्दी]

दिहाड़ी श्रमिकों को नियमित करना

295. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल द्वारा कितने नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर रखा गया और कितनों को नियमित किया गया;

(ख) क्या रेलवे में संविदागत श्रमिकों को भी काम पर रखा है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(घ) क्या रेलों में कर्मचारियों की छटनी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों की छटनी की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइन को दोहरा किया जाना

296. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**

श्री एन.एन. कृष्णदास :

श्री पी. शंकरन :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री वी. एम. सुधीरन:

श्री ए. सी. जोस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम से त्रिवेन्द्रम, शोरूबण्णूर से मेंगलोर त्रिवेन्द्रम क्विलोन और मेंगलोर से कुट्टीपुरम रेल लाइनों को दोहरा करने का कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है;

(ग) उक्त रेल लाइनों को दोहरी करने के इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में रेलवे नेटवर्क और रेलवे लाइनों को दोहरा करने के लिए आबंटित की गई धनराशि को रेलवे द्वारा पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केरल की विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(छ) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में रेलवे नेटवर्क और रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्य के लिए और अधिक धन आबंटित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) (i) एर्णाकुलम से एलेप्पी और एलेप्पी से कायनकुलम तक एक बडी लाइन पहले ही पूरी की जा चुकी है और यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। इसके अलावा कायनकुलम से कोल्लम तक दोहरी लाइन बिछानें का कार्य पूरा कर दिया गया था और यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया था। अब कोल्लम–त्रिवेन्द्रम के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। त्रिवेन्द्रम कोचुवेली (7.00 कि.मी.) लाइन को मार्च, 98 के दौरान यात्री यातायात के लिए खोल दी गई है। कोचुवेली से कोन्लम तक कार्य अच्छी प्रगति पर है और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यह कार्य आगामी दो वर्षों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा ।

(ii) शोरूवण्णुर से बेंगलूरू–तीन खण्डों अर्थात कालीकट–वेस्ट हिल ईलातूर और कुइलाण्डि तिकोट्टि के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका था और यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया था। शोरूवण्णूर से मंगलोर के बीच बड़े पुल जैसे नाजुक और दीर्घकालिक कार्य अच्छी प्रगति पर है। निम्नलिखित खण्डों में भूमि संबंधी छोटे पुल और बड़े पुल और गिट्टियां इकट्ठी करने सहित सभी कार्य प्रगति के अंतिम चरणों में हैं।

पायंगाडि–पय्यनूर चेरवत्तुर

कासरगाड–मेंगलोर और बडगरा–मोह

(ख) 214.80 करोड़।

(ग) कोचुवेलि–कोल्लम: संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दो वर्ष

शोरूवण्णूर मेंगलोर : संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए तीन वर्ष

(घ) केरल में रेलवे के विकास के लिए आबंटित निधि का पूर्ण उपयोग किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केरल में विभिन्न परियोजनाओं में आबंटन निधि :

वर्ष	आबंटित निधियां
1995-96	61.53 करोड़
1996-97	92.94 करोड़
1997-98	91.14 करोड़

(छ) से (झ) जी हां। बजट परिव्यय उपयुक्त रूप से संमाहित हो गया है।

[हिन्दी]

जबलपुर में भूकंप पीड़ितों को "हुडकों" द्वारा ऋण

297. **श्री दादा बापूराम परांजपे** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर, मध्य प्रदेश के भूकंप पीड़ितों को हुडकों ऋण के वितरण में देरी तथा अनावश्यक खर्च को समाप्त करके प्रणाली को सरलीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हडको ने अपनी प्रणाली को सरल बनाया है तथा हडको में, राज्य एजेंसियों को धन की स्वीकृति और उसके वितरण में कोई विलम्ब नहीं होता। हडको ने जबलपुर के भूकम्प पीड़ितों के लिए 66.67 करोड रुपये की परियोजना लागत से 21481 रिहायशी मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 15 स्कीमों को ऋण के रूप में 57.97 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्कीम की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति के आधार पर स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हडकों से ऋण सहायता प्राप्त की जाती है। अब तक राज्य एजेंसियो को 17.444 करोड रुपये जारी किए जा चुके हैं। चूंकि धन का जारी होना स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की गति से जुड़ा है, इसलिए कार्यान्वयन एजेन्सियां तथा संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित करे कि परियोजनाएं शुरू की जाएं तथा बिना किसी विलम्ब के पूरी की जाएं। नकद ऋण स्कीमों के तहत आदाता एजेसियां हडको से ऋण प्राप्त करके राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विस्तृत वितरण प्रणाली के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करती है।

उत्तरांचल क्षेत्र में विमान सेवा आरम्भ करना

298. श्री पंकज चौधरी :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में विमान सेवा आरंभ करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब तक आरम्भ होने/किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) 15 अप्रैल, 1998 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में विमानपत्तनों के विकास तथा वहां के लिए विमान संपर्क मुहैया कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ बैठक की गई थी। एक निजी प्रचालक ने इस क्षेत्र में उडानों के प्रचालनार्थ रुचि दिखाई है बशर्ते कि राज्य सरकार उसे कतिपय रियायतें जैसे विमानन टरबाईन ईधन पर बिक्रीकर न लगाना, विमानपत्तन प्रभारों में कमी, राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा यात्रा हेतु पात्रता मानदंड में छूट इत्यादि प्रदान कर सके। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

अनधिकृत यात्रियों द्वारा बर्थ पर कब्जा

299. श्री चंदू लाल अजमीरा :

श्री वी.एम. सुधीरन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सॉरी नो बर्थ फार टिकट होल्डर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के अधिकारी मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने आरक्षित टिकट धारकों की कोई सहायता नहीं की;

(घ) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर पूर्व की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में ऐसा प्रायः होता रहता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 5.5.98 को हिन्दुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी कि पूर्वा एक्सप्रेस, जो 3.5.98 को 16.30 बजे राजधानी से छूटनी थी, में पटना होकर हावड़ा की ओर जाने वाले यात्रियों को उनकी आरक्षित शायिकाएं नहीं मिल सकीं क्योंकि वे अनारक्षित यात्रियों द्वारा घेर ली गई थीं।

(ग) कुछ यात्रियों ने, जिनकी पूर्वा एक्सप्रेस में पुष्टिशुदा बुकिंग थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैसा वापस ले लिया। बहरहाल, किसी ने भी स्टेशन अधीक्षक/अपर स्टेशन अधीक्षक या "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं बूथ" को लिखित शिकायत के रूप में या मौखिक रूप से सूचित नही किया था। इस संबंध में उस दिन नई दिल्ली स्टेशन पर जन शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

(घ) और (ड.) 3.5.98 को या उसके बाद दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशन पर आरक्षित शायिकाओं पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी।

रायचूर हवाई अड्डा (कर्नाटक) का विकास

300. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रायचूर हवाई अड्डा के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि का बंदोबस्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो आज तक विकास कार्य के नहीं शुरू किए जाने का क्या कारण है; और

(घ) इस काम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

जबलपुर से विमान सेवा

301. श्री मोतीलाल वोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपूर में विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु छोटे विमान चलाने वाली कंपनियों से इस मामले में बातचीत कर रही है;

(ग) क्या 1983 में इंडियन एयरलाइंस ने मध्य प्रदेश के भोपाल, रायपुर, जगदलपुर, विलासपुर, खजुराहो, सतना, रीवा और सीधी शहर से वायुदूत सेवाएं आरंम्भ की थी और यदि हां, कितनी अवधि तक इन्हें जारी रखा गया;

(घ) वायुदूत सेवा को अचानक बन्द किए जाने के क्या कारण थे; और

(ङ) जबलपुर के हवाई अड्डे पर 1983 में शुरू हुआ हवाई पट्टी विस्तार संबंधी कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) अनुसूचित एयरलांइस को व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेट वर्क में जबलपुर जैसे नए स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1988 में वायुदूत ने भोपाल से इन स्टेशनों के लिए प्रचालन कार्य शुरू किया था लेकिन उन प्रचालनों को वर्ष 1990 में प्रचालनगत कठिनाइयों और वाणिज्यिक प्रतिफलों के कारण बंद कर दिया गया था।

(ङ) जबलपुर हवाई अड्डे के धावनपथ के विस्तार कार्य को दिसम्बर, 1998 तक पूरा किया जाना है।

लक्जरी टूरिस्ट रेलों का शुरू किया जाना

302. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से "लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन" शुरू करने की कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रेलों को कहां –कहां शुरू किए जाने की योजनाएं हैं; और

(ग) इन रेलों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नीचे दर्शाए गए पर्यटक सर्किटों पर आरामदायक पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन एवं प्रबंधन के लिए मैं, स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट इंडिया लि. को ठेका दिया गया हैं:–

1. दिल्ली–जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी, (खजुराहो)–वाराणसी–लखनऊ–दिल्ली ।

2. बेंगलूरू–मैसूर–मद्रास–कोडैकैनाल रोड –कन्याकुमारी – तिरूवनंतपुरम–कोचीन–मेट्टुपालयम (ऊटी) बेंगलूरू ।

मैं स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट इंडिया लि. ने उत्तर रेलवे के पास 30 लाख रु. का प्रत्यामूति निक्षेप पहले ही जमा कर दिया है। और रेक के निर्माण का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है। इस कार्य के पूरा होने पर ही पर्यटक गाड़ियां चलाई जाएंगी।

[अनुवाद]

निजामुद्दीन-बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता को बढ़ाना

303. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सप्ताह में दो बार चलने वाली निजामुद्दीन–बंगलौर एक्सप्रेस को हर रोज चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां , तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में अभ्यावेदनों की जांच की है। परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फेरों में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

रेल दुर्घटनाएं

304. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री मोहन सिंह :

श्री नरेश पुगलीया :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अप्रैल, 1998 को बिहार मे दो रेल दुर्घटनाएं, जिनमें से एक 3231–अप हावड़ा –दानापुर एक्सप्रेस और दूसरी मनमाड–काचेगुडा एक्सप्रेस और 24 अप्रैल 1998 को महाराष्ट्र में परती– बैजनाथ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं में से प्रत्येक में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई/घायल हुए और इनमें सरकारी सम्पत्ति की अलग-अलग कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(च) सरकार द्वारा दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(छ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) जी हां। 24.4.1998 को मनमाड-काचीगुड़ा एक्सप्रेस दक्षिण-मध्य रेल के सिकंदराबाद मंडल के विकाराबाद-पर्ली बैजनाथ खंड के पर्ली बैजनाथ स्टेशन पर एक मालगाडी से टकरा गई जिसके कारण 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 14 व्यक्ति घायल हो गये। 28.4.98 को 3231-हावडा-दानापुर एक्सप्रेस के 9 सवारी डिब्बे पूर्व रेल के दानापुर मंडल के फतुआ और बांकाघाट स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई जिसके फलस्वरूप 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 41 व्यक्तियों को चोटें आईं। मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राहत की व्यवस्था की गई। रेल दावा अधिकरण द्वारा डिगरी किए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। दोनों दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा उपायुक्तों द्वारा की जा रही है।

(छ) दक्षिण-मध्य क्षेत्र तथा पूर्व क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्तों की रिपोर्ट आ जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पिछड़े इलाकों मे सेना भर्ती केन्द्र

305. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों मे सेना में भर्ती के लिए नए केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे केन्द्र कब तक और किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार इस मुद्दे की समीक्षा कर रही है ।

वी. आई. पी. आरक्षण कोटा

306. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वी. आई. पी. कोटे के अंतर्गत आरक्षण में प्राथमिकता हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली से चलने वाली रेलों मे वी. आई. पी. कोटे के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित शायिकाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी. आई. पी.) द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आरक्षित शायिकाओं का रिकार्ड रखती है;

(घ) यदि हां, तो क्या संबंधित व्यक्ति अनुरोध करके मंत्रालय से उक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) एच. ओ. आर. धारकों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, अति महत्तवपूर्ण व्यक्तियों की अत्यावश्यक यात्रा आवश्यकता और अन्य आपातिक मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न गाड़ियां में और विभिन्न श्रेणियों में शायिकाओं/सीटों की एक सीमित संख्या आपातकाल कोटे के रूप मे निर्धारित की गई है। आपातकालीन कोटे में से शायिका/सीट देने के लिए विभिन्न वर्गों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों को विभिन्न तथ्यों यथा यात्री का औहदा, तात्कलिकना की प्रकृति अर्थात सरकारी डयूटी, शोक संत्पत बीमारी आदि को ध्यान देते हुए समुचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) से (ङ) चूंकि विभिन्न वर्गों से काफी बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं और इन पर दिन प्रति दिन के आधार पर कार्रवाई की जाती है, इस लिए ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

नागर विमानन संबंधी नई नीति

307. श्री नरेश पुगलीया :

श्री संदीपान थोरात :

श्री आर. साम्बसिवा राव :

श्री के. एस. राव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन के संबंध में नई नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या विमानपत्तन आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों को भी सहभागी बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन संबंधी राष्ट्रीय नीति के प्रारूप पर सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) जी, हां । नवम्बर, 1997 में अनुमोदित की गई एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति में एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आसपास की भूमि के अधिक वाणिज्यिक प्रयोग को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए पहचाना गया है। संसाधनों की कमी को दूर करने तथा विमानपत्तन प्रबंधन को अधिक दक्ष बनाने के लिए निजी पार्टियों (विदेशी पार्टियों सहित) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

[हिन्दी]

कानपुर-जम्मू तवी के बीच नई रेलगाड़ी

308. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेल सलाहकार समिति के सदस्य ने महाप्रबंधक, उत्तर–मध्य रेल को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जम्मू–तवी के लिए एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण कानपुर और जम्मू तवी के बीच फिलहाल गाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

रेल नेटवर्क का विस्तार

309. श्री अजीत जोगी :

डा. असीम बाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा देश के पिछड़े, पर्वतीय, जनजातीय, दूर–दराज तथा मरुस्थल क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) इस पर योजनावार कितना व्यय होगा ;

(ङ) क्या मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुत क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली से कांडला पत्तन के लिए सीधी रेल लाइन

310. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. जी. लाइन पर दिल्ली से कांडला पत्तन के लिए बरास्ता अजमेर और पालनपुर सीधे रेल संपर्क का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त लाइन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) कांडला दिल्ली से बरास्ता अजमेर, पालनपुर तथा अहमदाबाद से बडी लाइन द्वारा पहले ही जुड़ा हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

वास्को-मिराज रेल लाइन पर आमान परिवर्तन

311. श्री रवि सीताराम नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या वास्को–मिराज रेल लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। मिराज–वास्को खंड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हीरो में विदेशी निवेश

312. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हीरों का पता लगाने के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को निवेश करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों के नाम क्या हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितना क्षेत्र नियत किया गया है;

(ग) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) ने देश में हीरों के पूर्वेक्षण/गवेषण/विदोहन हेतु सीधे विदेशी निवेश के निम्नलिखित प्रस्तावों को इस शर्त पर मंजूर किया है कि ये कंपनियां, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत, पूर्वेक्षण तथा खनन दोनों के लिए, विशिष्ट मंजूरियां तथा संबंधित राज्य सरकारों से भी समुचित मंजूरियां प्राप्त करेंगी : –

1. एश्टोन माइनिंग, आस्ट्रलिया,
2. डी. बीयर्स मारिशस प्रा. लि., मॉरिशस
3. डी. बीयर्स कोन्सोलिडेटिड माइन्स लि., दक्षिण अफ्रीका
4. डी. बीयर्स कोन्सोलिडेटिड माइन्स लि., दक्षिण अफ्रीका

केन्द्र सरकार ने उपरोक्त कम्पनियों द्वारा हीरा पूर्वेक्षण के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित नहीं किया है।

रेल के दूर संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण

313. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1998 के "दि इक्नामिक टाइम्स" में रेलवेज टेलीकॉम रीकास्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रस्ताव के प्रभावों का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) प्रकाशित समाचार अंशत: ठीक है रेलों के दूरसंचार कार्यक्रम के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए अभी तक ठीक ढंग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए निर्माण–स्वामित्व परिचालन तथा पट्टे (बूल) के आधार पर रेलों ने रेलपथ के साथ साथ आटिक फाइबर के बुल (ओ एफ सी) बिछाने के आधार हेतु योजना बनाई है इस योजना के अंतर्गत ठेके पर दी गई एजेंसी रेलों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा इस प्रकार रेल ओ एफ सी प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता में वाणिज्यिक रूप दोहन कर पाने की स्थिति में होगी।

(ग) निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए ओ एफ सी बिछाने हेतु भारतीय रेलें 5 क्षेत्रों में बंटी हुई हैं। इनमें से मुंबई–चेन्नई खण्ड पर हैदराबाद और बेंगलूर लाइन सहित ओ एफ सी के बिछाने का कार्य राइट्स की ओर नई दिल्ली–जयपुर–अजमेर–अहमदाबाद–मुंबई खण्ड इरकॉन को दे दिया गया है। शेष बचे क्षेत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस योजना से बिना किसी भारी निवेश के रेलों को अपने दूर संचार कार्यक्रम को आधुनिक बनाना संभव हो जाएगा। ठेके दिए जाने की तारीख से 4 से 6 वर्षों के भीतर योजना को लागू कर दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नोएडा को रेल नेटवर्क से जोड़ना

314. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) एक सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

वातावरण' द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

315. श्री वी. वी. राघवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1998 के "हिन्दू" में प्रकाशित एक गैर–सरकारी संगठन "वातावरण"' की जांच रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राजधानी के तीन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन धीरे–धीरे संक्रामक रोगों के लिए मक्खी मच्छरों का घर बन रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) गैर सरकारी संगठन वातावरण का सर्वेक्षण मुख्यतः अस्वस्थकर परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली और संक्रामक रोग फैलाने वाली डिस्पोजेबल मदों यथा एल्यूमिनियम पन्नी, प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक चम्मच आदि की रिसाइकलिंग और कूडा करकट फैंकने को दर्शाती है। डिस्पोजेबल सामग्री के उपयोग और कूड़ा बिनने वालों की गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। स्टेशन परिसर को साफ रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। दिल्ली के तीन प्रमुख स्टेशनों से उत्पन्न होने वाले किसी रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है।

पटना–गया रेल लाइन का दोहरीकरण

316. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना–गया रेल लाइन पर दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। कार्य पहले दो चरणों यथा पटना से पारस बाजार और पारस बाजार से पुनपुन तक शुरू कर दिया गया है।

(ख) पटना से पारस बाजार का पहला चरण इस वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा जबकि पारस बाजार से पुनपुन तक दूसरे चरण में अगले 2–3 वर्ष लग जाऐंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी देशों के मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

317. श्री के. एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कुछ समय पहले इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को कतिपय खाड़ी देशों के मार्गों पर उड़ान भरने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा किन कारणों से इंडियन एयरलाइन्स को इन मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी गयी;

(ग) क्या एअर इंडिया ने हाल ही में खाड़ी देशों के मार्गों पर उड़ान की अनुमति केवल उन्हें ही दिये जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1993 से पूर्व इंडियन एयरलाइन्स खाड़ी क्षेत्र में केवल शारजाह को प्रचालन करती थी। वर्ष 1993 में उन्हें निम्नलिखित कारणों से खाड़ी क्षेत्र को अपने प्रचालनों का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी :–

1. यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारत आन्तरिक स्थलो से सीधा प्रचालन शुरू करना। इन सेवाओं के लिए केवल इंडियन एयलाइन्स के पास उपयुक्त प्रकार के विमान हैं।

2. एयर बस 320 के ग्राउडिंग और वायुदूत के इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के कारण वित्तीय समस्याओं को काबू करना।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलांइस की खराब वित्तीय स्थिति के कारण एयर इंडिया के मतानुसार खाड़ी क्षेत्र के मार्ग जो इसके नेटवर्क में अत्यधिक लाभप्रद मार्ग हैं, के पूरी तरह से इनके पास होना चाहिए/एयर इंडिया के बीच मार्ग युक्तिकरण पर सिफारिशें देने के लिए एअर इंडिया के बोर्ड की एक उप–समिति का गठन किया गया है।

आमान परिवर्तन

318. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारूप में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुथकेड से निजामाबाद और बोल्लाराम से निजामाबाद तक छोटी लाइनों को इस प्रारूप में शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलें नौवीं योजना के दौरान एक आमान की नीति का अनुपालन जारी रखेंगी।

(ख) आठवीं योजना के अंत में मी.ला. और छो. ला. जालतंत्र के शेष 20,790 कि.मी. में से लगभग 6200 कि.मी. का ब. ला. में आमान परिवर्तन नौवीं योजना के दौरान किए जाने की योजना है।

(ग) निजामाबाद से मुथकेड तक और बोलारम से निजामाबाद तक मी. ला. लाइनों का आमान परिवर्तन स्वीकृत कार्य जो रेलवे बजट में शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट हवाई अड्डे का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

319. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डा के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ख) कालीकट हवाई अड्डा के विस्तार के लिए सर्वेक्षण संबंधी पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने तथा अन्य विस्तारीकरण योजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 200 आने वाले तथा 200 जाने वाले अंतराष्ट्रीय यांत्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानतः 6 करोड रु. की लागत से समी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पृथक अंतराष्ट्रीय टर्मिनल ब्लॉक चालू कर दिया है पुराने टर्मिनल भवन को 80.68 लाख रु. की लागत से एक अस्थायी कार्गो परिसर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एबी–300 किस्म के विमानों के प्रचालनार्थ अनुमानतः 102.80 करोड रु. की लागत से विद्यमान धावनपथ का पूर्व की ओर सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार संबंधी कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्य जनवरी, 2000 तक पूरा होने की प्रत्याशा है।

(ग) 12 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का शुरू किया जाना

320. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनूपगढ से सूरतगढ, हनुमानगढ, भटिंडा के रास्ते दिल्ली तक एक रेलगाड़ी शुरू किए जाने संबंधी कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मुंबई–बीकानेर रेलगाड़ी को भटिंडा तक बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) मुंबई और बीकानेर के बीच कोई नियमित गाड़ी नहीं है। बहरहाल, बांद्रा और बीकानेर के बीच 29 जून 98 तक सप्ताह मे दो बार चलने वाली एक समर स्पेशल चलाई जा रही है।

[अनुवाद]

माकुम और डंगोरी के बीच आमान परिवर्तन

321. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या असम के तिनसुकिया जिले में माकुम से डंगोरी के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन को मंजूरी दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) पूर्वोत्तर सीमांत रेल के रंगिया–मुरकोंग सिलेक खंड के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) कार्य के निष्पादन हेतु कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) रंगिया–मुरकोंग सेलेक के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(घ) कोई विलंब नही हुआ है। खंड 532 कि.मी. लम्बा है और शामिल कार्य को देखते हुए सर्वेक्षण कार्य में अधिक समय लगेगा। सर्वेक्षण के वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़

322. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निबटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त भीड़ से निबटने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 38 मार्गों पर 1950 गाडियां चल रही हैं। इसके अलावा, यातायात के अतिरिक्त भार को सम्हालने के लिए लगभग 75 जोडी गाड़ियों में डिब्बे बढा दिये गये हैं।

[हिन्दी]

बालको का विस्तार

323. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तार तथा आधुनिकीकरण के नाम पर अब तक कोरबा के "बालको" द्वारा कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) क्या यह धनराशि गैर कानूनी ढंग से एकत्र की गई है तथा इस संबंध में बड़े पैमाने पर गबन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको) का कोरबा स्थित प्रगालक सातवें दशक के उत्तरार्ध की तकनीक पर आधारित है और यह निम्न उत्पादकता, इनपुट की उच्च खपत की समस्या से ग्रस्त है परिणामस्वरूप इसकी उत्पादन लागत भी अधिक है। कोरबा स्थित बालको के प्रगालक का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए दिए गए ठेके की जांच किए जाने हेतु खान मंत्रालय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने 3.12.1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि निविदा नोटिस में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत विशिष्ट नहीं थे क्योंकि निविदा नोटिस में व्यापक रूप से विशिष्ट कार्य, कार्य का स्कोप आदि का उल्लेख नहीं किया गया था। रिपोर्ट में दर्शाई गई गंभीर त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए मामले का विस्तृत अन्वेषण कार्य किये जाने और उत्तरदायित्व का निर्धारण किए जाने के लिए इसे 13.6.1997 को सी.बी.आई. को सौंप दिया गया था।

[अनुवाद]

पुणे-नासिक रेल लाईन के लिए सर्वेक्षण

324. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल** :

श्री माधवराव पाटिल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995–96 के दौरान पुणे–नासिक रेल लाईन निर्माण कार्य के लिये सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण आरंभ किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) पुणे और नासिक (212 कि.मी.) के बीच नई बड़ी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों के आ जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

दुर्घटनाग्रस्त विमान/हेलीकाप्टर

325. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों/हेलीकॉप्टरों का क्या ब्यौरा है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में मारे गए तथा घायल हुए यात्रियों की संख्या क्या थी तथा उन दुर्घटनाओं के कारण क्या थे;

(ग) कितनी दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इसके क्या–क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित पड़ी जांचों के कब तक पूरा हो जाने और सरकार को सौंप दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक से अब तक इंडियन सिविल पंजीकृत विमानों/हेलीकॉप्टरों की 15 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) हताहतों, घायलों के ब्यौरे दुर्घटना–वार और इसके कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) तीन दुर्घटनाओं के संबंध में जांच चल रही है जिसे जल्दी ही पूरी कर लिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1995 के दौरान दुर्घटनाएं

क्रम सं.	दिनांक	विमान	प्रचालक	हताहत	दुर्घटना का संभावित कारण
1	2	3	4	5	6
1.	1.3.95	हिलर हेलिकॉप्टर	मैसको एयरलाइन्स	1	अपनी अनभिज्ञता और विपरीत परिस्थितियों में पुलिस हवलदार मौहम्मद इरदिस भोलेपन में गतिमान टेल रोटर डिस्क के पास गया जबकि वह हेलीकॉप्टर को रोधक लगाने की ड्यूटी में था।

1	2	3	4	5	6
2.	19.3.95	सेसना 152	उड़ान अकादमी (इंदौर)	शून्य	दुर्घटना का कारण नियोजित उड़ान के लिए विमान में अपर्याप्त ईधन के कारण, ईधन के कमी होने के फलस्वरूप उड़ान के दौरान इंजन का बंद हो जाना बताया जाता है।
3.	1.7.95	एफ–27	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	शून्य	जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।
4.	24.8.95	पुष्पक	कोयम्बतूर विमानन और प्रशिक्षण अकादमी	2	विमान के गतिह्रास के कारण दुर्घटना हुई जब विमानचालक ने उड़ान के दौरान इंजिन के बंद हो जाने के बाद, बलात अवतरण के दौरान उड़ान पथ (मार्ग) से बाधा दूर करने के प्रयास किये।
5.	2.12.95	बी–737	इंडियन एयरलाइन्स	शून्य	एक अति विशिष्ट उड़ान के लिए दिल्ली हवाई अड्डे के अधिसूचित बंदी से पूर्व उपलब्ध अपर्याप्त समय में उड़ान को जल्दबाजी से पूरा करने में पायलेट–इन–कमांड नासमझ और विवेकहीन निर्णय से दुर्घटना हुई।
			वर्ष 1996 के दौरान दुघटनाएं		
1.	10.5.96	सेसना 152	ओरिएण्ट उड़ान विद्यालय, मद्रास	शून्य	प्रशिक्षु विमानचालक द्वारा अनधिकृत नीची उड़ान के कारण दुर्घटना हुई।
2.	18.5.96	एल–410	अर्चना एयरवेज	शून्य	उच्च विमान टचडाउन गति पर विलम्बित टचडाउन के कारण दुर्घटना हुई।
3.	11.7.96	एल–410	अर्चना एयरवेज	9	संरक्षा सचेतता, सुचारू पर्यवेक्षण तथा संगठन में प्रचालनात्मक नियंत्रण की पूर्णतया कमी के कारण दुर्घटना हुई।
4.	25.8.96	चेतक हेलीकॉप्टर	मध्य प्रदेश सरकार	शून्य	उड़ान में इंजिन तेल दाब की कमी के कारण दुर्घटना हुई।
5.	5.11.96	सेसना–152	अहमदाबाद विमानन कल्ब	शून्य	अनधिकृत स्पर्श मे रत छात्र विमानचालक के गैर–सुचारु हैंडलिंग तथा अभ्यास करने के कारण दुर्घटना हुई।
6.	28.12.96	बी–737	ब्ल्यू डार्ट विमानन लिमिटेड	शून्य	पहुंच मार्ग के स्थायी न होने की स्थिति में पायलट–इन–कमांड की ओर से अवतरण करने में चूक के कारण दुर्घटना हुई।
			वर्ष 1997-98 (अब तक) के दौरान दुर्घटनाएं		
1.	22.2.97	सेसना–152	केरल विमानन प्रशिक्षण केन्द्र	2	कम ऊंचाई पर, हवाई करतब से संबंधित युद्धाभिनय करते समय, विमानचालक पूर्व स्थिति प्राप्त करने में असफल रहा जिसके कारण विमान जमीन पर आ गिरा।
2.	25.5.97	डॉफिन हेलीकॉप्टर	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड	2	दुर्घटना की जांच की जा रही है।
3.	3.7.97	एफ–27	एलबी एयरलाइंस	2	दुर्घटना की जांच की जा रही है।
4.	2.2.98	किंग एयर सी–90	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	6	दुर्घटना की जांच की जा रही है।

हीरे की खानें

326. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार हीरे की कितनी खानें हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र की कौन–कौन सी कंपनियां इन खानों को चला रही हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ खानों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कंपनीवार इन्हें कुल कितने क्षेत्र पट्टे पर दिए गए है तथा कब से ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) देश के संगठित क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मझगांव स्थित हीरे की एकमात्र खान का प्रचालन राष्ट्रीय खनिज निगम (एनएमडीसी) करता है जो इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा रद्दी की बिक्री

327. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा रद्दी बेचकर मंडलवार कुल कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने रद्दी बिक्री सौदे में हेरा–फेरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने की विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे को रद्दी की बिक्री से बेहतर आय प्राप्त कराने हेतु इसमे उपयुक्त सुधार सुझाए जाने की दृष्टि से रद्दियों के निपटान में अपनाई गई प्रणाली और प्रक्रियाओं के गंभीर दोषों की समीक्षा करने के लिए एक पैनल गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जोनल रेल/उत्पादन इकाईवार स्क्रैप की बिक्री का मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि रेलों पर स्क्रैप की बिक्री मंडल–वार नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रु. में)

(क)	1995–96	1996–97	1997–98
रेल			
मध्य	135	117	130
पूर्व	101	99	93
उत्तर	170	125	128
पूर्वोत्तर	48	32	36
पूर्वोत्तर सीमा	23	15	16
दक्षिण	126	110	91
दक्षिण मध्य	110	72	81
दक्षिण पूर्व	131	132	142
पश्चिम	134	113	121
कुल (रेलें)	979	814	839
उत्पादन इकाइयां			
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	04	06	03
डीजल रेल इंजन कारखाना	04	05	04
सवारी डिब्बा कारखाना	09	10	10
पहिया एवं धुरा कारखाना	04	04	06
डीजल कलपुर्जा का कारखाना	07	08	08
रेल डिब्बा कारखाना	03	04	04
मैट्रो रेल, कलकत्ता	08	03	02
जोड़ (उत्पादन इकाइयां)	39	39	37
कुल जोड़ (रेलों-उत्पादन इकाइयां)	1018	853	876

किराया और माल भाड़ा दरों में वृद्धि

328. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने किराया और मालमाड़ा दरों में वृद्धि के लिए कोई और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की वृद्धि के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में खनिज का भंडार

329. श्री रामदास आठवले : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खनिज भंडार उपलब्ध है;

(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खनिजों के खनन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र राज्य में सर्वेक्षण किया है। हाल के वर्षों में सर्वेक्षण किये गये क्षेत्रों तथा पता लगाए गए महत्वपूर्ण भंडारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप धारा (1) में परिभाषित कोई भारतीय नागरिक या कम्पनी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज निक्षेपों के विदोहन के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

हाल ही के वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र राज्य में स्वर्ण, कोयला, टंगस्टन, अयस्क, तांबा–अयस्क तथा मैग्नीज अयस्क के लिए अनेक अन्वेषण किये हैं।

स्वर्ण : नागपुर जिले के (1) पारसोरी पश्चिम खंड में 5.23 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले 0.137 मिलियन टन अयस्क के अनुमानित भंडार तथा (2) किटारी खंड में 0.5 ग्राम/टन आउट ऑफ ग्रेड वाले 1.2 मिलियन टन अयस्क युक्त छोटे स्वर्ण भंडारों की पुष्टि की गई है।

कोयला : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्धा कोलफील्ड, चन्द्रपुर तथा वर्धा जिलों में कोयले के लिए क्षेत्रीय गवेषण किया है तथा राजूरा–मानिकगढ़ में 158.00 मिलियन टन कोयले तथा पालाशबन क्षेत्रों में 300.00 मिलियन टन कोयले का अनुमान लगाया है।

टंगस्टन-अयस्क : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, 1992 से पहले, नागपुर जिलें में निम्नलिखित भंडारों में टंगस्टन अयस्क के निक्षेपों की पुष्टि की है :

कुही (2.5 मि. टन) खोबूना (4.82 मि. टन) अग्रगाँव (2.23 मि. टन) रनबारी (2.33 मि. टन), भावनी (7.89 मि. टन)।

ताम्र अयस्क : भंडारा जिले के गरारा खंड में 0.5 प्रतिशत सी यू आउट ऑफ पर 1.2 प्रतिशत सी यू औसत ग्रेड वाले कुल 0.7 मि. टन निक्षेपों में लगाया गया है।

मैंग्नीज अयस्क : नागपुर जिले के पारसौदा खंड में 210 मी संचयी कार्य क्षेत्र तथा बेल्दा–जूनेवानी खंड में 600 मी. कार्य क्षेत्र में प्राथमिक मैग्नीज अयस्क क्षेत्रों की पुष्टि की गई है।

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की वायु उड़ानों की लागत को कम करने का प्रस्ताव

330. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाई यात्रा किराए को न्यूनतम करने पर विचार कर रही है ताकि वायु–यात्रा को आम आदमी की पहुंच के भीतर बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या वायु उड़ानों की लागत और विमानों की देखरेख, इत्यादि पर होने वाले व्यय को कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया इस सुझाव को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) विमानकंपनियों अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अंतर्देशीय विमान किराए का निर्धारण करती हैं। सरकार विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय स्तरो पर कम करने; आयकर अधिनियम की धारा–10 (15 क) के अधीन छूट का पुनः स्थापन; नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली राष्ट्रीय नागर विमानन निधि के संबंध में आई.ए.टी.टी./एफ टी.टी. के आगम की क्रेडिटिंग तथा श्रेणी–2 के प्रचालनार्थ विमानकंपनियों को पेटेंट राज–सहायता प्रदान करना जैसे अनेक उपायों का अनुकरण कर रही हैं जिन्हें, यदि कार्यान्वित किया जाए तो उनसे कम–से–कम अंतर्देशीय किरायों में वृद्धि हो सकती है यदि उनके कार्यान्वयन में कमी न आए।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विमानकंपनियों के प्रतिनिधित्व में आयटा–टैरिफ समन्वयात्मक सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय किराये निर्धारित किए गए हैं और इसे अनुमोदनार्थ संबंधित सरकारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

भारत में, यह अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरी/चौथी स्वतंत्रता वाहक को भी उपभोक्ता हित और बाजार की स्थितियों का ध्यान रखते हुए विशेष किराया प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है जो नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन से कार्यान्वित होते हैं।

[अनुवाद]

खड़गपुर और मिदनापुर के बीच तीसरी रेल लाइन

331. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खंडगपुर और मिदनापुर के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) उपर्युक्त रेल लाइन का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) : खड़गपुर–मिदनापुर खंड पर गोकुलपुर और कोसी के बीच कहीं–कहीं दोहरीकरण पहले ही कर दिया गया है। समग्र खंड के दोहरीकरण के लिए भी सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ख) अभी यह स्वीकृत कार्य नहीं है।

रेल नेटवर्क का आधुनीकरण और उन्नयन

332. श्री तथागत सत्पथी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ भागों में रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित–धनराशि क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए किन–किन रेलमार्गों तथा कार्य मदों का चयन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां। रेलवे परिसंपत्तियों और नेटवर्क का ग्रेडोन्नयन तथा आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) निधियों का आबंटन एक आवश्यकता आधारित प्रक्रिया है। रेलवे परिसंपतियों और सुविधाओं के लिए धन का आबंटन बजट प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।

(ग) रेलों की आवश्यकता के आधार पर ग्रेडोन्नयन के लिए परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है। ऐसा ग्रेडोन्नयन रेलों को मार्ग–वार/टर्मिनल–वार आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और राज्यवार नहीं।

[हिन्दी]

औरंगाबाद-खजुराहो के बीच विमान सेवा

333. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढाना देने के लिए इण्डियन एयरलाइंस ने 1992 में औरंगाबाद और खजुराहो के बीच बरास्ता भोपाल एक नई उड़ान आरम्भ करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक आरम्भ न करने के कारण क्या हैं; और

(ग) इसे कब से आरंभ किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंस कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) उसे समय व्याप्त रुखे और कर्मीदल संबंधी कठिनाइयों के कारण, यह सेवा शुरू नहीं की जा सकी।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध जेट विमान–बेड़े से प्रचालन सेवाएं न्यायोचित ठहराने हेतु इस मार्ग पर प्रत्याशित यातायात पर्याप्त नहीं है। कम क्षमता वाले विमानों और संबंधित प्रचालन संबंधी कर्मीदल की कमी इस मार्ग पर इंडियन एयरलाइंस को प्रचालन सेवाओं के बारे में विचार करने की अनुमति नहीं देती है। तथापि, निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेटवर्क में नए स्टेशन यथा औरंगाबाद, खजुराहो इत्यादि को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

माल डिब्बों की आवश्यकता और आपूर्ति

334. श्री के. येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990–91 में वर्ष 1996–97 की तुलना में माल डिब्बों की संख्या अधिक थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) रेलवे किन कारणों से माल डिब्बों की कमी की पूर्ति नही कर पाई; और

(घ) वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकता और पूर्ति की स्थिति क्या थी ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमति मालभाड़ा यातायात को ले जाने के लिए केवल मालडिब्बों की संख्या ही निर्धारितकारक नहीं है। यह स्टाक की किस्मों पर भी निर्भर करता है। भारतीय रेलें अब उच्चतर क्षमता वाले रोलर बेयरिंग वातब्रेक स्टाक को उपयोग में ला रही है और अकुशल प्लेन बेयरिंग निर्वात ब्रेक स्टाक को धीमें–धीमें उपयोग से नहीं ला रही है। इसके फलस्वरूप मालडिब्बों की उपयोगिता 1990–91 के 1407 एन टी के एम बैगन/डे आन लाइन से बढ़कर 1996–97 में 1840 एन टी के एम/वैगन/डे आन लाइन हो गई हो इसके अतिरिक्त मालडिब्बों की नितप्रभावी प्रतिशतता (बल स्टाक के लिए) 1990–91 में 40.7 प्रतिशत से घटकर 1996–97 में 3.88% हो गई है। इस कारण मालडिब्बे धारण में मामूली कमी के बावजूद भारतीय रेलें अधिक यातायात ढोने में सफल हुई हैं।

इसके अलावा, आठवीं योजना के प्रथम 3 वर्षों में अर्थात 1992–93 से 1994–95 तक योजना के अनुसार रेलों द्वारा ढोए गए माल यातायात में वृद्धि नहीं हुई और इसलिए आठवीं योजना (1992–93 से 1996–97) में मालडिब्बों की प्राप्ति 120000 के घटकर 81,000 रह गई, बाद में दिसंबर 94 से आगे यातायात में एकाएक वृद्धि होने से जुलाई 95 में इसमें संशोधन करके इसे लगभग 1,00000 तक बढ़ा दिया गया।

(घ) 1995–96 से 1997–98 तक चोपहिया इकाइयों में रेलों मालडिब्बों की खरीद और सप्लाई तथा लक्ष्य की स्थिति इस प्रकार है :–

वर्ष	लक्ष्य	खरीद
1995–96	19000	17950
1996–97	30000	22185
1997–98	26000	27865

इसमें अपने मालडिब्बों के स्वामी बनें योजना के तहत 5000 मालडिब्बे (एफ डब्ल्यू यू एस) प्रत्येक वर्ष के लिए शामिल हैं।

रूस के साथ द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग

335. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत–रूस रक्षा अधिकारियों की वार्ता के दौरान रूस के साथ द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग की रूपरेखा तय की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए तथा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सैन्य–तकनीकी सहयोग पर भारत–रूस समूह की चौथे दौर की बातचीत 19 से 21 दिसम्बर, 1997 तक नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के बीच रक्षा–सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने और अन्य किन्हीं लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए नियमित अंतरालों पर इस समूह की भारत और रूस में बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों पक्षों की चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता

336. श्री सुरेश चन्देल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल ही में विनियमित की गई कालोनियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि प्रदान की गई/प्रदान किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में हवाई पट्टियां

337. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अनेक हवाई पट्टियां बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये हवाई पट्टियां कितनी तथा कौन–कौन से स्थानों पर बनाई जायेंगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। मुम्बई में एक दूसरे हवाई अड्डे के निर्माण संबंध प्रश्न के संबंध में, सरकार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हाजीपुर-लालगंज-वैशाली-सराया-देवरिया साहिबगंज-अरेराज-सुगोली-रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

338. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 दिसम्बर 1997 को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा हाजीपुर–लालगंज–वैशाली –सराया–देवरिया–साहिबगंज–अरेराज–सुगोली रेल लाईन से संबंधित सर्वेक्षण कार्य का उद्घाटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाईन से संबंधित सर्वेक्षण कार्य की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण हेतु फील्ड कार्य शुरू कर दिया गया है।

बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा वृक्षारोपण हेतु अनुदान

339. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्थानों तथा व्यक्तियों को अलग–अलग वृक्षारोपण हेतु बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें से अधिकांश संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने अगली किश्त के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तथा यदि प्रस्तुत किए, तो जांच करने पर जाली पाए गए; और

(ग) यदि हां, तो इन संस्थानों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दी गई अनुदान राशि वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग, सहायता अनुदान योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को वनेतर बंजरभूमि का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	स्वयं सेवी एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1995–96	70	3.40
1996–97	65	3.50
1997–98	30	2.60

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कुछेक मामलों में स्वयंसेवी एजेंसियों /गैर–सरकारी संगठन अगली किस्त के लिए अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके है। सात मामलों में जारी किए गए अनुदान की वसूली के लिए कार्रवाई कर दी गई है।

आमान परिवर्तन

340. श्री जय सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को गोरखपुर–रक्सौल बारास्ता दरभंगा छोटी रेल लाइन को बडी रेल लाइन में बदलने के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आमान परिवर्तन का कार्य कब तब शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। इन लाइनों के बडी लाइन में परिवर्तन के लिए संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) गोरखपुर नरकटिया गंज का आमान परिवर्तन प्रगति पर है और 1998–99 में पूरा होगा। अपेक्षित स्वीकृति जिसके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के बाद शुरू करने के लिए नरकटिया गंज–रक्सौल–दरभंगा कार्य को बजट में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. की बकाया रिक्तियां

341. डा. जयन्त रंगपी :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) रेलवे में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए विभिन्न वर्गों में आरक्षित बकाया रिक्त पदों की क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से भरे गए पदों की क्षेत्रवार संख्या क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडें वर्गों की बकाया रिक्तियां कब तक भर ली जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर विमानपत्तन पर सुविधाएं

342. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान बंगलौर विमानपत्तन परिसर हिन्दुस्तान एअरो–नोटिक्स के लिए दिन में लगभग 700 यात्रियों की आवाजाही हेतु विमान उतरने वाले स्थल पर बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय बंगलौर विमानपत्तन पर कितने यात्रियों की आवाजाही होती है;

(ग) यात्री भार में हुई वृद्धि के मद्देनजर बंगलौर विनानपत्तन पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं शुरू की जाने वाली है; और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और(ख) जी, हां। वर्ष 1997–98 के दौरान बंगलौर विमानपत्तन पर के मौजूदा टर्मिनल भवन ने 19 लाख यात्रियों को हैंडल किया है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानण्त्तन प्राधिकरण ने 3ა0 आने वाले व 300 जाने वाले अंतराष्ट्रीय यात्रियों तथा 700 आने वाले अंतर्देशीय यात्रियों को हैंडल करने के लिए दो मंजिला एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण का काम ले लिया है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मौजूदा एप्रन का विस्तार कर रही है जिससे कि यह एक ही समय में एक बी–747, दो एबी–300 तथा छह एबी–320 विमानों को संभाल सकेगी। संभाल सकेगी। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्य धावनपथ के दोनों छोरों को जोड़ने के लिए एक समांतर टैक्सीपथ का भी निर्माण कर रही है। ये काम दिसम्बर, 1998 तक पूरे होने की संभावना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि अंतरराष्ट्रीय ब्लॉक के सामने दो एरोब्रिज लगाए जाएं। यह काम जून, 1999 तक पूरा होने की संभावना है।

दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेल लाईन

343. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दरभंगा–मुजफ्फरपुर के लिए वैकल्पिक मार्ग के सुझाव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) 1997–98 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 64-54 किमी. लम्बी लाइन पर 118.38 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा प्रतिशत की दर ऋणात्मक होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिक्किम में "हैलीपैड" का निर्माण

344. श्री भीम दाहाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य में पर्यटन के विकास हेतु एक "हैलीपैड" के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण किस तारीख तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गंगटोक में पहले से ही एक हैलीपैड विद्यमान है।

महामाया सुपरफ्रास्ट की बारंबारता

345. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महामाया सुपरफ्रास्ट रेलगाड़ी को निजामुद्दीन तथा बिलासपुर के बीच प्रतिदिन चलाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) इस संबंध में श्रीमती छबिला नेताम सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) मामले की जांच की गई है किन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इनका कार्यान्वयन व्यावहारिके नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

तलचर-सम्बलपुर रेल मार्ग

346. श्री खारबेल स्वाइन :

श्री तथागत सत्यपथी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचर–सम्बलपुर रेल मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को पूरा करने में कितना समय लिया गया तथा इसे पूरा करने में लक्षित तिथि क्या थी और उस पर लागत वृद्धि की धनराशि कितनी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) परियोजना 30-9-98 तक पूरी कर ली जाएगी विलंब संसाधनों की तंगी के कारण हुआ है। मूल लक्ष्य तिथि 31-12-95 थी। लागत 218.31 करोड़ रुपए से बढ़कर 390.00 करोड़ रुपए हो गई है।

[हिन्दी]

सरकारी आवास को किराए पर देना

347. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार प्रत्येक टाइप में सामान्य पूल और अन्य पूलों के आबंटियों द्वारा कुल कितने सरकारी आवास किराए पर दिए गए;

(ख) सरकार द्वारा उनको खाली करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और अब तक किराए पर दिए गए कितने क्वार्टरों को खाली किया गया है; और

(ग) इसमें शामिल सम्पदा निदेशालय के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रण में सामान्य पूल के क्वार्टरों के अचानक मौका मुआयने पर गत तीन वर्षों के दौरान संदेहास्पद किरायेदारी वाले क्वार्टरों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ख) उपकिरायेदारी के सभी संदेहास्पद मामलों में "कारण बताओ" नोटिस जारी किये गये थे और जनवरी, 1996 से दिसंबर 1997 तक 1871 क्वार्टर रद्द किये गये और आबंटन नियम/लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 710 क्वार्टर खाली कराये गये।

(ग) सरकारी वास उपकिराये पर देने के दोषी पाये गये सम्पदा निदेशालय के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान संदेहास्पद उपकिरायेदारों वाले क्वार्टरों की संख्या

वर्ष	टाइप–I	टाइप–II	टाइप–III	टाइप–VI	टाइप–V	योग
1995	95	230	40	5	2	372
1996	1109	1814	1195	341	29	4488
1997	125	148	29	13	–	315

[अनुवाद]

भारत-पाक युद्ध की आशंका

348. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 98 के "द पायोनियर" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इस आशय की खबर प्रकाशित हुई थी कि अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन अगली शताब्दी के पहले दशक में एक और भारत–पाकिस्तान युद्ध हेतु तैयार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ख) सरकार को 9 अप्रैल 1998 के "पायानियर" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। इसमें जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के "रैन्ड" नामक एक निजी संगठन द्वारा तैयार किया गया है और उसकी संरचना कतिपय परिदृश्यों को काल्पनिक आकार देकर की गई है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर निरंतर नजर रखी जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित रक्षा तैयारियां बनाए रखने के वास्ते समय–समय पर आवश्यक उपाए किए जाते हैं।

मैसूर और हसन के बीच रेल लाईन का निर्माण

349. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) मैसूर और हसन के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त लाइन के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) यह नई लाइन नहीं है परंतु मैसूर–हसन मी. ला. का ब.ला में आमान परिवर्तन जो अब पूरा हो गया है, चालू कर दिया गया है।

हॉलीडे होम्स/अतिथि गृह

350. **श्री भीम दाहल** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न नगरों में हॉलीडे होम्स/ अतिथि गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) हॉलीडे होम्स, इन्हें आबंटित किये जाने के मानदण्ड और शुल्क क्या हैं;

(ग) क्या और हॉलीडे होम्स/अतिथि गृह निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में संपदा निदेशालय के नियंत्रण में साधारण पूल के होलीडे होम/अतिथि गृहों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

(ख) होलीडे होम/अतिथि गृहों के आबंटन के मानकों और किराये का उल्लेख संलग्न विवरण–II में है।

(ग) और (घ) गोवा, ऊटी, कोड़ाईकनाल, मदुरै, माउंट आबू, उदयपुर, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गंतौक, कलिम्पोंग, पुरी व श्रीनगर में होलीडे होम बनाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

होलीडे होम/दौरा अधिकारियों के लिए अतिथि गृहों की सूची

होलीडे होम

क्र. सं.	स्थान	सूटों की संख्या
1	2	3
1.	शिमला	109
2.	कन्याकुमारी	22
3.	मैसूर	12
4.	अमरकंटक	2
दौरा अधिकारियों हेतु अतिथि गृह		
1.	कलकत्ता	52
2.	दिल्ली	35
3.	मुम्बई	27
4.	चेन्नई	31
5.	बंगलौर	05
6.	त्रिवेन्द्रम	04
7.	लखनऊ	04

विवरण-II

होलीडे होम/अतिथि गृहों के आबंटन के लिए मानदंड तथा उनका किराया

(क) केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल :

ये आवास मुख्य रूप से सांसदों और दौरे पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

छुट्टी पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी, चाहे वे दौरे पर हैं अथवा छुट्टी पर हैं, सांसदों/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ जाने वाले गैर सरकारी व्यक्ति और सेवा–निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, उपलब्ध होने पर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उनके मामलों में कोई अग्रिम बुकिंग/आरक्षण नहीं किया जाएगा।

(ख) **हॉलीडे होम** : ये उपर्युक्त व्यक्तियों की सभी श्रेणियों को रहने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

(ग) टूरिंग आफिसर्स होस्टल और हॉलिडे होम्स दोनों के लिए आरक्षण की शर्तें और उसकी कार्य प्रणाली।

I. **ठहरने की अवधि** : आवास 10 दिन से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अपवादात्मक मामलों में, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली में संबंधित संपदा उप निदेशक के पूर्व लिखित अनुमोदन से दस दिन से अधिक और कुल 20 दिन तक की अनुमति दी जाएगी, जो जहां आवश्यक समझेगा संपदा निदेशक के आदेश प्राप्त करेगा।

II. **रहने के लिए किराया** : किराया निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप से देय है।

	आवास की श्रेणी	सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर/सांसद		सेवारत केन्द्र सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर	राज्य/उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी ड्यूटी पर	राज्य/उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी छुट्टी पर	सरकारी कर्मचारियों/सांसदों के साथे जाने वाले गैर सरकारी व्यक्ति
1	2	3		4	5	6	7
(क)	केन्द्र सरकार के दौरा अधिकारियों	सिंगल बेड	15 रु.	25 रु.	25 रु.	50 रु.	100 रु.
	हेतु अतिथि गृह	डबल बेड	30 रु.	50 रु.	50 रु.	100 रु.	195 रु.
		डारमेट्री/पी. ए. रूम	10 रु.	15 रु.	15 रु.	30 रु.	65 रु.

1	2	3		4	5	6	7
(ख)	होलीडे होम	सिंगल बेड	25 रु.	25 रु.	65 रु.	65 रु.	115 रु.
		डबल बेड	40 रु.	40 रु.	100 रु.	100 रु.	165 रु.
		फोर बेड	50 रु.	50 रु.	145 रु.	145 रु.	245 रु.

गीजर, वातानुकूलनों इत्यादि के लिए अलग से लायसेंस शुल्क लिया जाएगा।

दौरे पर जाने वाले अधिकारियों के हॉस्टल में रहने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए लागू दरें वसूल की जाएंगी। होलीडे होम के लिए उनसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर किराया लिया जाएगा किंतु कोई अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी।

III. अन्य शर्तें तथा निबंधन

(क) केवल एक कमरा/स्यूट एक व्यक्ति/परिवार के लिए बुक किया जायेगा। उपवादात्मक मामलों में, गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए, यथा प्रभारित भुगतान करने पर अतिरिक्त कमरे के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) स्यूट/कमरे में खाना बनाने, चाय बनाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब कि कमरों में इस प्रकार की व्यवस्था हो।

(ग) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को 10.00 बजे रात्रि के पश्चात होस्टल में आवास उपलब्ध कराए गए व्यक्ति के साथ रहने अथवा मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) होस्टल/हॉलिडे होम में कोई नशीला पेय वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(IV) अग्रिम बुकिंग

(क) **टूरिंग आफिसर्स होस्टल** : सांसदों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जिन्हें सरकारी दौरे पर जाने की आवश्यकता होती है और केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल में, जिन्हें आवास की आवश्यकता होती है, की पात्र श्रेणियों के अलावा कोई अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। वे आवश्यक विवरण देते हुए, 30 दिन की अवधि से अधिक एडवान्स नहीं, आवदेन कर सकते हैं।

(ख) होलिडे होम्स : हॉलिडे होम्स में आवास के लिए आरक्षण "प्रथम आओ प्रथम पाओ" आधार पर किए जायेंगे। आमतौर पर आवेदन पत्र ज्यादा से ज्यादा 80 दिन पहले स्वीकार किए जाते हैं।

शिलांग के निकट उपनगर

351. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने शिलांग के निकट उपनगरीय कस्बे स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक कार्य विभाग ने इस परियोजना को 1998–99 के ओ.ई.सी.एफ. जापान के ऋण पैकेज के अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराने के लिए कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। मेघालय सरकार ने शिलांग के निकट उप–नगर स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा है।

(ख) आर्थिक कार्य विभाग ने वर्ष 1998–99 के लिए ओ ई सी एफ ऋण पैकेज के अंतर्गत वित्त–पोषण हेतु, प्रस्ताव जापान सरकार को अग्रेषित कर दिया है।

(ग) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ओ ई सी एफ (जापान) ने परियोजना के वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

[हिन्दी]

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

352. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश, विशेषरूप से दिल्ली में सरकारी जमीनों पर किए गए अनधिकृत कब्जें की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अनधिकृत कब्जों को हटाने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां

(ख) मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी दिनांक 14.8.96 तथा 17.11.97 के निर्देशों की प्रति विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण -II

सं. जे–13036/3/96–डीडी II बी

भारत सरकार
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

निर्माण भवन,नई दिल्ली

दिनांक 14.8.96

सेवा में,

1. महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2. सम्पदा निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

3. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

4. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली।

5. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली।

6. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।

विषय : सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 11.7.1990 तथा 12.12.1991 के पत्र संख्या जे–13036/15/90–डीडी II बी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि देखा गया है कि विगत में कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों तथा स्वायत्त निकायों के नियंत्राणाधीन सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण के मामलों की सूचना मिलती रहती है। ये अतिक्रमण सरकार के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि इससे मूल्यवान सार्वजनिक भूमि की हानि होती है, इनको हटाने मे प्रशासनिक व कानूनी कठिनाइयों तथा कानून व व्यवस्था संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सार्वजनिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है। क्योंकि इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने में काफी समय लगता है। सरकार सार्वजनिक भूमि को प्रारंभ से ही अतिक्रमण से बचाने, अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आपराधिक अतिभार संबंधी फौजदारी मामले चलाने और इस प्रकार की भूमि की निगरानी के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता पर समय–समय पर जोर देती रही है। इस मामले पर आगे विचार किया गया है तथा यह दोहराया जाता है कि संबंधित भूस्वामी एजेंसियों, स्थानीय निकायों तथा डी.डी.ए. द्वारा निम्नलिखित उपाय तत्काल किए जायें :–

(i) अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तथा अनधिकृत उपयोग का पता लगाना;

(ii) अतिक्रमण/अनधिकृत उपयोग हटाने के लिए निर्धारित समय में प्रभावी उपाय करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, मुकदमा चलाना;

(iii) सभी लंबित मामलों में जांच करना तथा मुकदमें की कार्रवाई आगे बढाना;

(iv) प्रभावी उपाय करना जैसे बाड़ लगाना; कंपाउंड दीवार बनाना, चौकीदार नियुक्त करना तथा सार्वजनिक भूमि को भविष्य में अतिक्रमण से बचाने के लिए जहां कहीं आवश्यक तथा व्यवहार्य हो, निजी एजेंसियां नियुक्त करना;

(v) विभिन्न क्षेत्रों/जोनों में सार्वजनिक भूमि की रक्षा करने और उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए अलग–अलग अधिकार निर्दिष्ट किए जाएं। ये जोनल अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, यदि हो, तो उसकी स्थिति के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट समग्र नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा अतिक्रमण हटाने/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने इत्यादि के लिए उत्तरदायी बनाए जाएं। इस प्रयोजनार्थ उन्हें पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी दिए जाएगें।

(vi) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने/हटाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ प्रभावशाली संपर्क रखा जाए'

(vii) संगठनों के अध्यक्षों द्वारा कम से कम दो महीनें में एक बार तथा विभागाध्यक्षों द्वारा महीने में एक बार प्रगति की समीक्षा की जाए।

भवदीय,

हस्ता/–

(आर.के.सिंह)

निदेशक (डीडी)

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
2. पुलिस आयुक्त, एम.एस.ओ. बिल्डिग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव (एल.एण्ड.बी./पी.डब्ल्यू.डी.) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (यूडी/एल एस जी.) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली।
5. उप राज्यपाल के निजी सचिव, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
6. कार्यकारी निदेशक (भूमि/रेलवे बोर्ड)।
7. कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।

(आर. के. सिंह)

निदेशक (डीडी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
2. सचिव (यूडी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (यूडी/संयुक्त सचिव) नि.एवं प्रशा.) संयुक्त सचिव/(यूडी) के निजी सचिव।
3. फाइल संख्या जे–13036/3/87 डीडी II बी।

आर.के. सिह
निदेशक (डीडी)

विवरण-II

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 17.11.97

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, डी डी ए, विकास सदन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम टाउन हाल, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद, पालिका केन्द्र नई दिल्ली।

विषय : सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अनधिकृत निर्माण–मोबाइल स्क्वाड का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14.8.96 के समसंख्यक पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाने का मुझे निदेश हुआ है। यह देखा गया है कि विगत समय में कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों की सार्वजनिक भूमि पर बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण तथा नीजी भूमि पर बिना अनुज्ञा प्राप्त कर (अनलाइसेसंड) भवनों के निर्माण के मामलों की सूचना मिलती रहती है। ये अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण सरकार के लिए चिन्ता का विषय रहे हैं तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल की में एक मुकदमें सी डब्ल्यू वी 477/93 द्वारा जन हित का भी विषय हो गए हैं सरकार बार–बार इस बात पर जोर देती रही है कि सार्वजनिक भूमि की शुरू से ही अतिक्रमण बचाया जाए। निजी भूमि पर आगे और अनधिकृत/अननुज्ञप्त निर्माण को रोका जाए और शुरू में ही कड़ी कार्रवाई की जा जाए।

2. केन्द्र सरकार मामलें पर पुनः विचार करने के बाद दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 487/नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम की धारा 395 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम डी.डी.ए. तथा अन्य भूस्वामी ऐंजेसियों द्वारा निम्नलिखित उपाय तत्काल अपनाएं जायें।

(i) नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम तथा डी.डी.ए. द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से आधिकारिक सहायक इंजीनीयिरों की अध्यक्षता में मोबाइल स्क्वाड का गठन किया जाए ताकि उनके संबंधित क्षेत्रों में चल रहे समस्त निर्माण कार्यों की उसी स्थान पर रोज जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि यह निर्माण कार्य संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों/निकायों द्वारा स्वीकृत भवन–निर्माण नक्शों पर आधारित है। इस प्रकार के निरीक्षण केवल इन निकायों के स्वामित्व वाली भूमि तक सीमित न रखे जाएं। बल्कि इनमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से आने वाली समस्त सार्वजनिक तथा निजी भूमि शामिल की जाए।

(ii) स्वीकृत नक्शों के बिना चला रहे निर्माण को रोकने अथवा गिराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। कानून तथा व्यवस्था और अन्य अप्रिय समस्याओं को रोकने के लिए इन कार्यों को करते समय संबंधित पुलिस स्टेशनों के साथ प्रभावी सम्पर्क रखा जाए।

(iii) इन मोबाइल स्क्वैडों के निष्पादन की समीक्षा दिल्ली के उपराज्यपाल आदेशों के तहत प्रत्येक जिले में गठित जिला स्तर के विशेष कार्य दलों द्वारा की जाएगी।

(iv) इस पत्र के जारी होने की तारीख के बाद सार्वजनिक भूमि पर होने वाले किसी भी अतिक्रमण के लिए उस क्षेत्र के प्रभारी सहायक इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा उचित मामलों में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(v) जहां कही आवश्यक हो तथा विशेषकर उन मामलों में, जिनमें नोटिस देने के बावजूद अनधिकृत निर्माण नहीं रोका जाता है, दोषी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की जाए।

(vi) इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि पार्क हरित क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक मैदानों में अस्थायी निर्माण द्वारा भी अतिक्रमण न किया जाए। किसी विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकृत अस्थायी निर्माण को निर्धारित समय–सीमा में हटा लिया जाए। ऐसा न होने पर यह निर्माण संबंधित पार्टी के खर्च पर गिरा दिया जाएगा कि तथा उसका खर्च जमा की गई सिक्यूरिटी से काट लिया जाए, तथा

(vii) सभी भूस्वामी ऐजेंसियों अपनी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए बाड़ लगाने, भूमि का नियमित निरीक्षण, इत्यादि जैसे, प्रभावी उपाय करेंगी। जहां कहीं नितांत आवश्यक हो, इस प्रयोजन के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियां नियुक्त की जायं।

3. उपर्युक्त निदेश दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 41(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 487 तथा नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियन की धारा 395 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

4. सभी भूस्वामी एजेंसियों द्वारा आवश्यक सुरक्षा तथा निवारण उपाय किए जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी भूमि का प्रयोग कूड़ा फैंकने के लिए न किया जाए।

5. उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा भूस्वामी एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना इस मंत्रालय को दी जाए।

भवदीय

हस्ता/–

(डा. निवेदिता पी. हरन)

निदेशक (डीडी)

[अनुवाद]

बंगलौर-मैसूर रेल-मार्ग का दोहरीकरण

353. श्री ए. सिदराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर–मैसूर के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब से शुरू होने तथा कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री , संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण से पता चलता है कि 138.49 कि.मी. लम्बी लाइन पर 240 करोड रु. की लागत आयेगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल परियोजना पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

आंचलिक कार्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद स्थानांतरित करना

354. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में गुजरात सरकार से रेलवे के विभिन्न लम्बित मामलों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा केन्द्र सरकार से पश्चिम रेलवे के आंचलिक कार्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) पश्चिम रेल के मुख्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद में स्थानांतरित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपूर, जयपुर, बेंगलोर और जबलपुर में 6 नए क्षेत्रीय रेल कार्यलय और अहमदाबाद में एक मंडल कार्यालय सहित आठ नए मंडल कार्यालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

जामनगर से बड़ी सदर तक रेल लाइन का विस्तार

355. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नवानगर के संसद सदस्यों, वाणिज्य और उद्योग मंडल, जामनगर से रेलयात्रा करने वाले विभिन्न यात्रियों और अन्य संस्थाओं से जामनगर से बड़ी सदर तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की; और

(ग) उक्त रेल लाइन का विस्तार कब तक होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बादी सदर के नाम से ऐसा कोई स्थान नहीं है। कदाचित यह संदर्भ बेदी पत्तन का है। प्रस्तावित लाइन पत्तन के लिए इकहरी उपयोगकर्त्ता लाइन होगी और पत्तन प्राधिकरणों की लागत पर एक साइडिंग के रूप में शुरू की जा सकती है।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों का जोड़ा जाना

356. श्री पी. शंकरन : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालाबार से गांधी धाम एक्सप्रेस और राजकोट एक्सप्रेस में जोड़े जाने वाले एक सवारी डिब्बे के नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार मालाबार के यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए इस सवारी डिब्बे को पुनः जोड़ने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) गांधी धाम और राजकोट एक्सप्रेस को एयर ब्रेक में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) 1998–99 में यह निश्चित किया गया है कि गांधीधाम और राजकोट एक्सप्रेस को कोंकण रेलवे मार्ग के रास्ते चलाया जाएगा जो कि मालाबार क्षेत्र के लोगों को गांधीधाम/राजकोट से सीधी सेवा मुहैया कराएगी।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

357. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री "सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों " के बारें में 11.9.96/14.5.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331/6014 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राजस्व अभिलेखों में भूमि आवास मंत्रालय के नियंत्रण में दर्शायी गई थी लेकिन उससे बाद में किसी और के नाम मे बदल दिया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहित कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। इस बारे में दिनांक 31.3.98 को पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। विवरण के रूप में इसकी प्रति संलग्न है।

(ग) से (च) जी, हां। मोहम्मदपुर, मुनीरका गांव की 16 बीघा और 5 बिस्वा भूमि व उस पर निर्मित और अर्ध निर्मित अवैध ढांचों का कब्जा के.लो.नि.वि. ने दिनांक 9.5.1998 को भूमि अर्जन समाहर्ता से ले लिया है। परवर्ती उपाय बाबत अन्तिम निर्णय करने से पूर्वदखलकारों को सुनवाई का मौका देने का निर्णय भी लिया गया है।

विवरण

11 वीं लोक सभा का सत्र, 1997

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

पूर्ति की तारीख : 31-3-98

प्रश्न सं. व तारीख सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल का दिनांक 14.5.97 का अतारांकित प्रश्न संख्या 6014	सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में 11 सितंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या–5331 के उत्तर का हवाला देते हुए पूछा गया कि:–	(क) से (च) तक :– अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी		कुछ मुद्दों के समाधान में कुछ समय लगा अतः आश्वासन पहले पूरा नहीं किया जा सका।
	(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा बिजली/ पानी के कनेक्शनों का प्रावधान करने के बारे में स्थिति का पता लगाया गया है;		(क) तथा (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/ नई दिल्ली नगर परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार अनंत राम डेयरी के जिन 10 निवासियों ने बिजली प्रबंध के लिए विकास प्रभार जाम किए थे, उन्हें बिजली के अस्थाीय कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।	
	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;		जल आपूर्ति के संबंध में नई दिल्ली नगर परिषद ने इस परिसर में फिल्टर किया गया पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जिसके लिए वास्तविक लागत की प्रथम किस्त के रूप में 8/– रुपये प्रति वर्ग मी. का भुगतान करना होगा।	
	(ग) उन व्यक्तियों को बिजली और पानी के कनेक्शन न देने का क्या कारण है जिन्होंने दिल्ली में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूखण्डों के आबंटितों से भूखण्ड खरीदे हैं;		(ग) तथा (घ) निर्धारित योजना के अनुसार रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों को बिजली के कनैक्शन दिए जाते हैं जिनके पास 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी झुग्गी के लिए आबंटन पत्र हों।	

1	2	3	4	5
		(घ) क्या उन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं जिन्होंने झुग्गी–झोंपड़ी वाले से, जिन्हें दिल्ली में भूखण्ड आबंटित किए गए थे, भूखण्ड खरीदे थे;		जिसके पास भूस्वामी एजेंसी से मिला आबंटन पत्र न हो, ऐसे झुग्गी निवासी को कोई बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं कराया जाता।
		(ड.) अतिक्रमणधारियों से अनन्त राम डेरी में सरकारी भूमि रिक्त कराने के लिए भूमि कार्रवाई की गई है; और		(ड.) तथा (च) इस संबंध में एक रिट याचिका अभी उच्च न्यायालय में लम्बित है। माननीय न्यायालय को बताया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा स्थगनादेश दिए गए हैं उन्हें छोड़कर क्षेत्र में समस्त अर्जित भूमि और उस पर बने अवैध ढांचों का कब्जा के. लो. नि. वि. द्वारा "जैसे है जहां है" आधार पर तत्काल ले लिया जाए।
		(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?		

एयर इंडिया को घाटा

358. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या एयर इंडिया द्वारा घाटे को कम करने के लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया लिमिटेड को 1995–96 से लगातार हानि हो रही है। ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	हानि (करोड़ रुपयों में)
1995–96	271.84
1996–97	296.94
1997–98 (अनंतिम)	280.43

(ग) और (घ) हानियों को कम करने के लिए एयर इंडिया द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(1) नेटवर्क युक्तिकरण और समेकन

(2) उत्पाद (कारोबार) स्तरोन्नयन

(3) समय–बद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार।

(4) स्वतंत्र लागत/लाभकारी केन्द्रों का सृजन।

एयर इंडिया को हुई हानियों के कारणों का पता लगाने और कम्पनी को सही स्थिति में लाने के लिए रणनीति सुझाने हेतु एक वृहद छानबीन करने के लिए यातायात आयोग के अध्यक्ष डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का विकास

359. प्रो. जोनेन्द्र कवाडे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र (मध्य रेलवे) में नागपुर रेलवे स्टेशन का विकास कार्य रेलवे स्टेशन की भूमि से मुर्गी–पालन फार्मों को न हटाये जाने और अन्य अतिक्रमण के कारण बाधित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तिनापुर का रेल लाइन से संपर्क

360. श्री अमर पाल सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्तिनापुर को रेल लाइन से जोड़ने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाइन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां,

(ख) 1995 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि दौराला से बिजनौर तक बरास्ता हस्तिनापुर 63.5 कि.मी. लाइन की लागत 66.74 करोड रु. होगी। लाइन की प्रतिफल की दर लगभग 5 प्रतिशत होगी।

(ग) परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगियों के कारण कार्य अनुमोदित नहीं हो सका।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में बारी-बारी से स्थानान्तरण

361. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभागीय स्तर के पूछताछ कार्यालयों में बारी–बारी से स्थानान्तरण नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूछताछ कार्यालयों और प्रभागीय कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों और कार्यकारी अभियंता सहित अधिकारियों को समय–समय पर बारी–बारी से स्थानांतरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में कितने कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता पांच वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं और जिन्हें स्थानान्तरण नीति के अनुसार दिल्ली से बाहर तैनात नही किया गया है; और

(घ) सरकार का विचार इस मामलें मे क्या कार्रवाई करने का है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) बारी–बारी से स्थानान्तरण किए जाते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली में कनिष्ठ अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के लिए 8–10 वर्ष और कार्यकारी अभियन्ताओं के लिए 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। 437 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), 198 कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल), 89 सहायक अभियन्ता (सिविल), 54 सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल), 69 कार्यकारी अभियन्ता (सिविल), 23 कार्यकारी अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) ने दिल्ली में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है इन अधिकारियों के दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण नहीं किए जाने के कारण हैं: (क) न्यायिक मामले (ख) अनुकम्पा आधार और (ग) कार्य की अत्यावश्यकता।

आंध्र प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

362. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किसी स्थान का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह अंतरराष्ट्रीय हवाइ अड्डा किस जगह बनाया जाएगा;

(ग) इसके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (घ) जी, नहीं। हैदराबाद के विद्यमान हवाई अड्डे को अनुमानतः 100 करोड रु. की लागत से आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है जो समिति अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को संपोषित कर सकता है।

स्पांज इस्पात संयंत्र

363. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और स्थानवार कार्य कर रही स्पांज इस्पात संयंत्रों की क्या संख्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोट्टागुदेम, आंध्र प्रदेश में स्पांज इस्पात आयरन लिमिटेड की विस्तार योजना को मंजूरी प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में 23 स्पंज लोहा संयंत्र हैं, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड (सिल) आंध्र प्रदेश द्वारा अपना उत्पादन क्षमता को 60,000 टन वार्षिक से बढ़ाकर 1,20,000 टन वार्षिक करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

स्पांज लोहा इकाइयों की सूची और उनका स्थान

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्थान
1	2	3
		आन्ध्र प्रदेश
1.	स्पंज आयरन (इण्डिया) लिमिटेड	कोट्टागोडम खम्मम, आन्ध्र प्रदेश
2.	गोल्डस्टार स्टील्स एंड एलाइज	विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश
3.	कुमार मेटलर्जिकल कारपोरेशन लि.	नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश
4.	सुन्दर स्टील्स लिमिटेड	रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश
		बिहार
1.	बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड	चांडील, बिहार

1	2	3
		गुजरात
1.	एस्सार गुजरात लिमिटेड	हजीरा, सूरत, गुजरात
		हरियाणा
1.	श्याम इस्पात लिमिटेड	हिसार, हरियाणा
		कर्नाटक
1.	बेल्लारी स्टील्स एंड एलायज लि.	बेल्लारी, कर्नाटक
		मध्य प्रदेश
1.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	खर्सिया रोड़, रायगढ़, मध्य प्रदेश
2.	प्रकाश इण्डस्ट्रोज लिमिटेड	चम्पा, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
3.	हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट्स लि.	दुर्ग, मध्य प्रदेश
4.	नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड	डगोरिया, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
5.	रायपुर स्टील्स एंड एलायज लिमिटेड	रायपुर, मध्य प्रदेश
6.	मोन्नेट इस्पात लिमिटेड	खुर्द, रायपुर, मध्य प्रदेश
7.	रायगढ़, इलैक्ट्रोडस लिमिटेड	रायगढ़, मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
1.	सनफलैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	भंडारा, महाराष्ट्र
2.	लायड्स मेटल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
3.	विक्रम इस्पात लिमिटेड	रायगढ़, महाराष्ट्र
4.	इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र
		उड़ीसा
1.	उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड़	पलास डोंगा, क्योंझर, उड़ीसा
2.	टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड	जोड़ा, क्योझंर, उड़ीसा
3.	रेक्सन स्ट्रिप्स लिमिटेड	राउरकेला, उड़ीसा
		तमिलनाडु
1.	तमिलनाडु स्पंज लिमिटेड	हस्तमपट्टी, सेलम, तमिलनाडु

कोंकण रेलवे

364. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना आरम्भ होने के समय से कोंकण रेलवे पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस खंड के यात्रियों को इससे कितना लाभ पहुंचा है, और

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार को यात्रियों से मूल्य वृद्धि की तुलना में अनुमानतः कितना लाभ हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 31.3.98 तक 3534.26 करोड रुपए।

(ख) दैनिक यात्री कोंकण रेल के रास्ते दूरी में अत्यधिक कमी और यात्रा में कम समय लगने से लाभान्वित हो रहे हैं। पुराने मार्गों की तुलना में कोंकण रेल के रास्ते से मुम्बई कोचीन तथा दिल्ली/अहमदाबाद/मुम्बई–मंगलौर के नये मार्गों पर दूरी 500–1100 कि.मी. कम हो गई है। मुम्बई–गोवा/कोचीन/मंगलोर के यात्रा समय में पहले की अपेक्षा कमी के साथ ही यात्रा समय भी 10–26 घंटे कम हो गया है।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे में थ्रू यातयात 26.1.98 को ही खोला गया है, अतः इस स्तर पर लाभ के आंकलन का प्रश्न समय से पहले है।

कोंकण रेल मार्ग पर रेलगाडियां

365. श्री ए. सी. जोस : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन–कौन सी रेलगाड़ियां 760 कि.मी. लंबी कोंकण रेल मार्ग से होकर केरल जा रही है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कोंकण रेल के राजस्व को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य मे कोंकण रेलमार्ग से होकर कुर्ला मंगलौर रेल गाड़ी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्तमान में 2431/2432 निजामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम राजधानी और 6635/6636 कुर्ला–अर्णाकुलम नेत्रवती एक्सप्रेस कोंकण रेलवे के रास्ते केरल तक जाती है।

(ख) भारतीय रेल से कोंकण रेलवे की ओर और अधिक यातायात की पहचान करने और परिवर्तित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा यातायात में वृद्धि करने के लिए प्रमुख व्यापार विकास अभियान चलाए गए हैं जिसका परिणाम लगभग एक वर्ष के बाद दिखाई देगा।

(ग) जी हां,

(घ) 2619/2620 कुर्ला–मंगलौर एक्सप्रेस 1.6.98 से सप्ताह मे तीन दिन चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में चलाई जा रही है और 1.7.98 से यह दैनिक सेवा होगी।

[हिन्दी]

हबीबगंज नाका समपार पर उपरिपुल का निर्माण

366. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल शहर में हबीबगंज नाका के निकट उपरि पुल का निर्माण कराने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस व्यय में से केन्द्र और राज्य सरकार को कितना-कितना वहन करना पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, प्रस्ताव निक्षेप कार्य के रूप में फरवरी 1988 में ही प्राप्त हुआ था।

(ख) मई, 1988 में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

(ग) 1988 मे यथा प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल व्यावहारिक पाया गया था। परन्तु राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। अब राज्य सरकार बोट (निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण) योजना के आधार पर इसके निर्माण की संभाव्यता का पता लगा रही है।

(घ) जानकारी नहीं।

(ङ) इसकी पूरी लागत राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा वहन की जाएगी।

[अनुवाद]

चीन के संबंध में रक्षा मंत्री का वक्तव्य

367. प्रो. पी. जे. कुरियन :

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी :

श्री नरेश पुगलीया :

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

श्री एन.एन. कृष्णदास :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री अजय मुखोपाध्याय

प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री राजबीर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्होनें चीन को हमारा "भावी खतरा नम्बर एक" बताकर कड़े विचार व्यक्त किये हैं और यह भी कहा है कि भारत चीन की सैन्य और नौ सैनिक कार्रवाईयों से घिरा है;

(ख) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है। और ऐसी आक्रामक गतिविधियों से देश को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उपर्युक्त "क" का अवलोकन करते हुए चीन के साथ संबंध मजबूत करने में चल रही प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पडेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। चीन के पास परमाणु शस्त्र हैं और उसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। हाल के वर्षों में चीन ने राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में आर्थिक उन्नति और विज्ञान के साथ-साथ अपनी सशस्त्र सेनाओं और अपनी परमाणु शस्त्र क्षमता के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। चीन ने "सक्रिय रक्षा" "उच्च प्रौद्योगिकीय स्थितियों में सीमित युद्ध" के सिद्धांतों और अपनी परिधि में केन्द्रित करके "दूत प्रतिक्रिया योधी यूनिटें" बनाने पर जोर दिया है। चीन के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के साथ ही उसकी "सामरिक सीमांत क्षेत्रों" की पुनपरिभाषा से समुद्र, आकाश और थल पर उसकी सशस्त्र सेनाओं की बल प्रस्तुतिकरण क्षमताओं में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है। हाल के वर्षों में, चीन, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में संभारिकी तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उन्नत बनाने में भी लगा हुआ है।

2. भारत की रक्षा नीति में हमारे क्षेत्र के जटिल सुरक्षा परिवेश, जिसमें विशेष रूप से चीन की परमाणु शस्त्र एवं प्रक्षेपात्र क्षमता भी शामिल है, पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। गुप्त रूप से प्राप्त परमाणु शस्त्र और आक्रामक प्रक्षेपात्र क्षमता जिसका लक्ष्य पूरी तौर से भारत को बनाया गया है, और पाकिस्तान को विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले परमाणु शस्त्रों तथा प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी उपस्कर एवं विशेषज्ञता के लंबे समय से ज्ञात हस्तांतरण को भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। चीन और म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग से भी भारत की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

3. रक्षा मंत्री ने अपने हाल ही के साक्षात्कारों तथा स्मारक व्याख्यान में उपर्युक्त चिंताओं को दोहराया है। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ लंबित पड़े सभी मुद्दों का आपसी विचार-विमर्श द्वारा समाधान किए जाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए यह कहा है कि बातचीत विश्वास उत्पन्न करने के उपायों से भी आगे बढ़नी चाहिए। सरकार, चीन के साथ सहयोगपूर्ण एवं रचनात्मक संबंध बनाए जाने की प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध है।

4. सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों की लगातार समीक्षा करती रहती है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाती है।

[हिन्दी]

जबलपुर मंडल में रेल दुर्घटनाएं

368. श्री दादा साहूराव पसांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर मंडल मं सर्वाधिक रेल दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997–98 के दौरान हुई 10 रेल दुर्घटनाओं में अनुमानतः कितने मूल्य की रेल संपत्ति की क्षति एवं वित्तीय हानि हुई तथा इनमें कितने लोगों की जानें गईं;

(ग) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई नई नीति अपनाने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं । 1997–98 के दौरान मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में 11 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए तथा 47 व्यक्तियों की मामूली चोटें आईं। इन दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को 1.47 करोड़ रु. की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

नोट : (आंकड़े अनंतिम हैं)

(ग) से (ड.) भारतीय रेलों पर संरक्षा में सुधार करने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं और जो पर्याप्त समझे गए है:–

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्त्वपूर्ण लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटनाओं में मानवीय चूक को न्यूनतम करने के लिए सिंगनलिंग सर्किटरों में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) बम्बई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को "खतरे के सिगनल" के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई हैं।

(iv) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टम्पिंग और बलास्ट क्लीनिंग मशीनों का उत्तरोत्तर उपयोग किया गया है।

(v) रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यानों, आसिलोग्राफ यानों और पोर्टेबल एक्सिलिरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vi) सवारी और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और बहुत से डिपुओं में इनका ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(vii) घुरों की कोल्ड ब्रेकेज को रोकने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में घुरों की कमी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासॉनिक जांच उपस्कर लगाए गए हैं।

(viii) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक और सड़क संकेत लगाए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(ix) सड़क उपयोग कर्ताओं को इस बात के लिए शिक्षित करने के लिए कि समपार सुरक्षित रूप से कैसे पार करें, श्रव्य–दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(x) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(xi) ड्राइवर, गार्ड और गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिपुलेटरों का उपयोग करना शामिल है।

(xii) निर्धारित समय अन्तराल पर पुनश्चर्चा पाठयक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xiii) गाडी परिचालक से जुड़े कर्मचारियों के निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiv) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

भवन निर्माण संबंधी नीति

369. श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

श्री के. सी. कोडय्या :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) चूंकि अपने बलबूते पर बडी संख्या में निर्माण कार्य करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं इसलिए निजी क्षेत्र को व्यापक स्तर पर भवन निर्माण क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। इस मंत्रालय ने आवास निर्माण उद्योग को बडी मात्रा मे वित्तीय रियायत देने की वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है ताकि भवन निर्माण उद्योग तेजी से विकसित हो और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके। विभिन्न राज्य और केन्द्रीय, सार्वजनिक और निजी एजेंसियां भवन निर्माण कार्य में लगी हैं तथापि, योजना आयोग के तत्वाधान में निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी आई डी सी) का गठन किया गया है। सी आई डी सी समूचे निर्माण क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता को सुधारने में आनेवाली कठिनाइयों और बाधाओं का पता लगाएगा।

आई. आर. डी. पी. अर्न्तगत निधियों का आबंटन

370. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार आई. आर. डी. पी. के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम का निष्पादन क्या रहा;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा पूरी धनराशि का उपयोग करा लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों के पास कितनी धनराशि शेष बची है;

(ङ) क्या उक्त धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई केन्द्रीय निधियों तथा वास्तव में जारी की गई निधियां विवरण–I में दी गई हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वित्तीय और वास्तविक निष्पादन विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान 3327.94 करोड़ रुपए के कुल आबंटन की तुलना में राज्य सरकारों ने 3264.02 करोड़ रुपए (अनंतिम) की राशि का उपयोग किया। राज्यों के पास पड़ी शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं की गई ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

1995–96 से 1997–98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन और जारी की गई केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1995–96 से 1997–98 के दौरान कुल केन्द्रीय आबंटन	1995–96 से 1997–98 के दौरान जारी की गई कुल केंन्द्रीय निधियां
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	12642.53	15324.19
2. अरुणाचल प्रदेश	945.47	868.88
3. असम	4160.62	4571.21
4. बिहार	24595.64	13972.34
5. गोवा	215.17	153.97
6. गुजरात	4639.44	5427.66
7. हरियाणा	1115.17	1715.39
8. हिमाचल प्रदेश	363.64	492.32
9. जम्मू कश्मीर	1515.18	1161.71
10. कर्नाटक	8484.9	7711.3
11. केरल	3087.89	3812.39
12. मध्य प्रदेश	16022.85	17013.86
13. महाराष्ट्र	13781.94	13275.08
14. मणिपुर	681.84	539.19
15. मेघालय	724.24	599.25
16. मिजोरम	306.07	384.01
17. नागालैंड	509.1	655.95
18. उडीसा	10257.65	10610.44
19. पंजाब	790.91	968.83
20. राजस्थान	6654.59	6255.48
21. सिक्किम	84.84	160.34
22. तमिलनाडु	11430.39	10212.71
23. त्रिपुरा	972.74	1348.58

1	2	3
24. उत्तर प्रदेश	30810.83	32699.21
25. पश्चिम बंगाल	111331.91	6833.97
26. अंडमान निकोबार द्वीप	215.17	93.64
27. दादरा नगर हवेली	45.47	53.61
28. दमन और दीव	84.84	56.87
29. लक्षद्वीप	21.2	28.85
30. पांडिचेरी	175.77	162.63
कुल	166668.00	157163.86

विवरण-II

1995–96 से 1997–98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96 से 1997–98 के दौरान कुल आबंटन (रुपए लाख में)	1995–96 से 1997–98 के दौरान कुल व्यय (रुपए लाख में)	1995–96 से 1997–98 के दौरान सहायता प्राप्त कुल परिवार (संख्या)
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	25285.04	30277.56	453774
2. अरुणाचल प्रदेश	1890.92	1205.66	30820
3. असम	8321.28	7068.56	123677
4. बिहार	49191.28	36273.13	706974
5. गोवा	430.32	330.28	4365
6. गुजरात	9278.88	9500.96	145053
7. हरियाणा	2230.32	3587.37	57826
8. हिमाचल प्रदेश	727.28	1357.07	20144
9. जम्मू और कश्मीर	3030.34	1808.89	33150
10. कर्नाटक	16969.82	17128.57	331273
11. केरल	6175.80	7500.99	136238
12. मध्य प्रदेश	32045.72	36771.70	517625
13. महाराष्ट्र	27563.86	28639.70	490255
14. मणिपुर	1363.66	1015.85	17591
15. मेघालय	1448.50	1105.75	16523
16. मिजोरम	612.14	604.13	11020
17. नागालैंड	1018.18	589.16	5430
18. उड़ीसा	20515.32	20276.32	298753
19. पंजाब	1581.84	1896.38	25053
20. राजस्थान	13309.20	12761.68	223941
21. सिक्किम	169.70	350.10	6884
22. तमिलनाडु	22860.78	24886.23	517188
23. त्रिपुरा	1945.48	2175.25	33293
24. उत्तर प्रदेश	61621.66	61989.91	1071614
25. पश्चिम बंगाल	22663.82	16947.37	363737
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	215.17	99.00	1903
27. दादरा और नगर हवेली	45.47	39.61	621
28. दमन व दीव	84.84	41.68	802
29. लक्षद्वीप	21.20	11.79	75
30. पांडिचेरी	175.77	161.83	3963
कुल	332793.55	326401.84	5649565

* 1997-98 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता-अगरतला के बीच उड़ानें

371. **श्री बाजूबन रियान :**

श्री समर चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कलकत्ता और अगरतला के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्णय कब तक लिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता और अगरतला के बीच प्रति सप्ताह 11 उड़ानें प्रचालित करती है। मौसमी यात्रा मांग के आधार पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा अतिरिक्त उड़ानें भी प्रचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, निजी प्रचालक भी इस सेक्टर पर प्रचालन कर रहे हैं।

वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर इंडियन एयरलाइंस/निजी प्रचालकों द्वारा अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की जा सकती हैं।

भारतीय सेना में आई एस आई के एजेंटों की घुसपैठ

372. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री मोहन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेनाओं में पाकिस्तान के आई एस आई एजेंटों की घुसपैठ की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे किन्हीं एजेंटों की कभी पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किस तरह की जासूसी गतिविधियां चलाई गईं; और

(घ) इस मामलें में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) पाकिस्तान के आई एस आई एजेंटों की सशस्त्र सेनाओं में घुसपैठ का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। ऐसी घृणित गतिविधियों का पता लगाकर उन्हें निष्फल करने के लिए व्यापक प्रत्युपाय मौजूद हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली कलकत्ता बरास्ता कानपुर-गोरखपुर विमानसेवा पुनःआरम्भ करना

373. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से कानपुर और गोरखपुर होकर जाने वाली घरेलू विमान सेवा को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवा को पुनः प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हा, तो यह विमान सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण वर्ष 1992 के दौरान कानपुर और गोरखपुर से विमान सेवाएं बंद कर दी गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा जेट विमान बेड़े के साथ प्रचालन हेतु इस क्षेत्र पर यातायात पर्याप्त नहीं है। छोटी क्षमता के विमान और संबंधित प्रचालन कर्मीदल की कमी भी इंडियन एयरलाइंस को इस मार्ग पर सेवा के प्रचालन की अनुमति नहीं देती। निजी प्रचालकों को अपने नेटवर्क में गोरखपुर सहित नये स्टेशनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है बशर्ते कि यह व्यवहार्य हो।

रेल सुरक्षा बल

374. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल सुरक्षा बल के कर्मिकों को भारतीय दंड संहिता का प्रशिक्षण देने का है ताकि उन्हें रेलो में बढते हुए अपराधिक मामलों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलवे सुरक्षा बल के सभी रैंको के प्रशिक्षण पाठयक्रम में भारतीय दण्ड संहिता के संगत उपबंध पहले ही सम्मिलित हैं ताकि उनको सम्पत्ति और व्यक्तियों से संबंधित अपराध की जानकारी मिल सके। इस उद्देश्य के लिए बल के सदस्यों को आम परिभाषा, आम अपवाद, व्यक्तिगत बचाव के अधिकार से संबंधित कानून, जनता की शांति भंग करने के संबंध में अपराध, झूठे साक्ष्य और जन न्याय से संबंधित अपराध मानवीय शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, चोट का अपराध, गलत तरीके से रोके रखना और बंधी बनाना, आपराधिक बल और आक्रमण, सम्पत्ति से संबंधित अपराध और अपराधिक अतिक्रमण से संबंधित अपराधों के अध्यायों की संबंधित धाराओं के बारे में पढ़ाया जाता हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल सुरक्षा बल के कार्मिक मुख्यतः रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए होते हैं। उन्हें यात्रियों और उनके सामान से संबंधित अपराधों के संबंध में शक्तियां प्रदत्त नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है जिसके प्रवर्तन के लिए राजकीय रेलवे पुलिस संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रही है। रेलों पर अपराधों के संबंध में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को राजकीय रेल पुलिस की भांति शक्तियां प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वीरता पुरस्कार

375. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा कार्मिकों को दिए गये वीरता पुरस्कारों में वित्तीय सहायता शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मरणोपरान्त पुरस्कार पाने वाले कार्मिकों के परिवारों के सदस्यों को कुछ वित्तीय सहायता देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वीरता पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय भत्ता दिया जा रहा है और मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं के मामलें में यह भत्ता उसकी पत्नी अथवा उसका पति अथवा माता/पिता अथवा 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, जैसा भी मामला हो, को दिया जाता है।

[हिन्दी]

खादय पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने संबंधी कार्यदल

376. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे मंडलों के अपने-अपने मंडलों के रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में खादय पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कार्य बल गठित करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त निर्देश पर विभिन्न रेलवे मंडलों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। रेलवे स्टेशनों और गाडियों में सप्लाई किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए क्षेत्रीय रेलों पर पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध है। विभिन्न स्तरों पर नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं और निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

377. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में करोड़ों रुपये मूल्य की रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और क्षेत्रवार अनुमानत: ऐसी कितने एकड़ भूमि का अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) इन अतिक्रमणकारियों को हटाने और रेलवे परिसम्पत्ति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 2457 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमणाधीन है। अतिक्रमणाधीन रेलवे भूमि के क्षेत्रफल के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार रखी जाती है क्योंकि रेलवे जोन एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।ब्यौरा निम्नानुसार है :-

रेलवे जोन	अतिक्रमणाधीन भूमि का क्षेत्रफल/हेक्टेयर में
मध्य	64
पूर्व	85
उत्तर	900
पूर्वोत्तर	115
पूर्वोत्तर सीमा	304
दक्षिण	83
दक्षिण मध्य	84
दक्षिण पूर्व	715
पश्चिम	107
जोड़	2457

(ग) रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। नए अतिक्रमण जैसे ही ध्यान में आते हैं उन्हें तुरन्त हटाया जाता है। पुराने अतिक्रमण सरकारी स्थान (अधिप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत हटाए जाते हैं।

रेलवे भूमि सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. भेद्य क्षेत्रों की पहचान,
2. भेद्य क्षेत्रो में चाहर दीवारी का निर्माण/बाड़ लगाना
3. क्षेत्र में वृक्षारोपण।
4. सिविल प्राधिकारियों सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भेद्य स्थानों का संयुक्त निरीक्षण ।

[अनुवाद]

रेलों में सेल्यूलर फोन प्रणाली

378. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने की दृष्टि से रेल विभाग रेलों में सेल्युलर फोन प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली से विभिन्न स्टेशनों और रेलों के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक शुरू कर दिया जाएगा

और इसकी शुरूआत के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ.) प्रश्न नही उठते।

यमुना के पानी का वितरण

379. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश को दिए गए यमुना के जल की मात्रा कितनी थी;

(ख) क्या दिए गए जल की मात्रा की गई मांग के अनुरूप थी;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पेयजल की मांगों में त्वरित वृद्धि हुई है; और

(ङ.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) सिंचाई तथा खपत योग्य पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यमुना जल क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमत्रियों ने दिनांक 12.5.94 को यमुना का सतही प्रवाह ओखला तक आबंटन के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के लिए 4.032 बिलियन क्यूबिक मी. आबंटन (बी. सी. एम.) पर सहमति हुई।

गत तीन वर्षों के दौरान ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यू. वाई. आर. बी.) ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ओखला तक यमुना जल का निम्नानुसार मौसमगत आबंटन किया :–

वर्ष	जुलाई से अक्टूबर (बीसीएम)	नवम्बर से फरवरी (बीसीएम)	मार्च से जून (बीसीएम)	जोड (बीसीएम)
1995–96	3.216	0.343	0.473	4.032
1996–97	3.216	0.343	0.473	4.032
1997–98	3.216	0.343	0.473	4.032

आबंटित जल में से अन्तर–सेक्टरल प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की जानी है।

(घ) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ.) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में आमान परिवर्तन

380. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 1997–98 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोई आमान परिवर्तन कार्य पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में चालू आमान परिवर्तन कार्य का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस पर कितना खर्च किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) महबूबनगर–द्रोणाचलम खण्ड का आमान परिवर्तन 1997–98 में पूरा हो गया है। आंध्र प्रदेश में आमान परिवर्तन संबंधी चल रहे कार्य निम्नलिखित हैं,–

(I) **तिरूपति-पकाला-काटपाडी खण्ड**

कार्य अच्छी प्रगति पर है और फिलहाल खण्ड के दिसम्बर, 2000 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(II) **मुदखेड-आदिलाबाद एण्ड (अंशतः आंध्रप्रदेश में)**

कार्य निर्माण–स्वामित्व पट्टा–हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है और अब से लगभग एक वर्ष पूरा होने की संभावना है।

(III) *कल्लुरू–धर्मावरम् मी.ला. खण्ड को ऊंचा उठाने सहित गुंटूर–गुंतकल तथा गुंतकल–कल्लूरू*

गुंटूर–गुंतकल खण्ड का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। गुंतकल–कल्लूरू खण्ड पर कार्य शुरू किया जा रहा है जबकि पेंडेकल्लू–गुत्ती में नई लाइन के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है।

(IV) **सिकंदराबाद-मुदखेड तथा जनकमपेट-बोधन खण्ड (अंशतः महाराष्ट्र में)**

इस कार्य के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।

(V) **धर्मावरम्-पकाला खण्ड**

अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(VI) **नौपाड़ा-गुनूपुर खण्ड**

अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(ग) इन परियोजनाओं पर 1223.43 करोड़ रु. का कुल खर्च होने की संभावना है जो कि वर्तमान कीमतों पर उपरोक्त आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों की लागत है।

कालीकट हवाई अड्डे पर उपभोक्ता प्रभार

381. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर कोई विमानपत्तन उपभोक्ता शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालीकट हवाई अड्डे से विदेश जाने वाले यात्रियों पर लगाए जा रहे उपभोक्ता प्रभार को समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर उपभोक्ता शुल्क लगाने के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1.10.95 से कालीकट हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को विमान में चढ़ाने के लिए 500/– रु. प्रति यात्री की दर से उपयोगकर्ता के विकास हेतु अतिरिक्त शुल्क (यू डी ए एफ) लिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) यह मामला माननीय केरल उच्च न्यायालय के सम्मुख है। इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

सेचोओ-सिलघाट रेल खण्ड की रेल लाइन को चालू करना

382. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेचोओ–सिलघाट रेल खण्ड की रेल लाइन 1993 से चालू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त रेलवे लाइन को चालू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः चालू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) गुवाहाटी से लम्डिंग और चापरमुख से हैबरगांव तक मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन के पश्चात यह बंद कर दिया गया था।

(ग) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

(घ) अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

उपरि पुलों का निर्माण

383. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में निर्माण हेतु कितने उपरि पुलों की स्वीकृति दी गई है तथा उनका निर्माण कहां–कहां किया जाएगा;

(ख) इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में भागीदारी के आधार पर निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:–

क्र. सं.	स्थान सहित ऊपरी सड़क पुलों के नाम	चालू वर्ष 1998–99 के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख रु. में)	प्रगति	पूरा किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	आसनसोल–332/13–14 कि.मी. पर बर्नपुर–आसनसोल खंड पर पुराने पुल सं. 533 के बदले ऊपरी सड़क पुल	40.00	उपयोगी सेवाओं को शिफ्ट किया जा रहा है।	जून,1999
2.	मोरीग्राम–हावड़ा–खड़गपुर खंड पर 10/23–25 कि. मी. पर "क" श्रेणी के समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	0.02	नक्शों और अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	मार्च, 2000

1	2	3	4	5
3.	हावड़ा–आसनसोल खंड पर 152/19–20 कि.मी. पर आसनसोल मंडल से पानागढ़	72.81	कार्य प्रगति पर है।	दिसंबर, 1998
4.	सियालदह–वजवज खंड पर 7/24–26 कि. मी. पर सियालदह मंडल पर लेक गार्डन	100.00	कार्य प्रगति पर है।	दिसंबर, 2000
5.	सियालदह–बालीगंज खंड पर 4/3–5 कि. मी. पर सियालदह मंडल में बंडेल गेट	17.10	राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू नहीं किया है। जैसे ही राज्य सरकार पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर देगी, रेलवे काम शुरू करेगी।	अभी निर्धारित नहीं।
6.	हावड़ा–बंडेल खंड पर 4/68 कि. मी. पर हावड़ा मंडल में लिलुआ	0.05	–वही–	अभी निर्धारित नहीं।
7.	शेवड़ाफुली–तारकेश्वर के बीच हावड़ा–तारकेश्वर ब्रांच पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	कुछ नहीं	रेलवे हिस्से का 100% कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों पर कार्य पूरा किया जाना है।	पता नहीं

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार योजना में प्रगति

384. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बची सिंह रावत "बचदा":

श्री के. पी. नायडू :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामलें में हुई वास्तविक और आर्थिक प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चाबनगौड़ा पाटील) : (क) और (ख) बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के माध्यम से लगाया जाता है पिछला सर्वेक्षण 1993–94 (50 वां दौर) के दौरान किया गया था । 50 वें दौर के अनुसार बेरोगार व्यक्तियों की संख्या 1987–88 (43 वां दौर) के दौरान 7.17 मिलियन से घटकर 4.71 मिलियन रह गई है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस मंत्रालय के प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के ब्यौरे विवरण–I से III में संलग्न है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसेम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को स्व–रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है किन्तु लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है। पिछलें तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और वितरित मामलों के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–IV में दिये गए हैं।

(ङ) और (च) यह मंत्रालय विद्यमान मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रमों को सुदृढ बनाने और उनके बेहतर कार्यान्वयन पर अधिक बल दे रहा है जिससे कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके ताकि इनके लाभ ग्रामीण गरीबों तक पहुंच सकें।

विवरण-I

वर्ष 1995-1996, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय निष्पादन (लाख रूपए)						वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रमदिन)					
		1995-96		1996-97		1997-98		1995-96		1996-97		1997-98	
		कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	40676.28	34556.90	19791.14	17488.47	23180.01	12487.24	700.08	701.57	373.67	329.75	336.97	219.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	454.14	357.12	271.69	198.33	228.18	168.55	7.99	8.24	4.42	2.79	4.94	2.23
3.	असम	12393.42	9583.33	6214.13	4543.21	8599.65	3885.19	178.63	179.08	98.77	91.54	110.36	73.29
4.	बिहार	97852.33	62281.95	40920.43	30563.53	44176.47	36250.75	1245.86	1197.03	489.25	460.02	546.64	533.04
5.	गोवा	523.59	363.47	160.83	236.26	136.31	155.77	7.96	8.38	4.39	5.30	3.32	2.55
6.	गुजरात	17042.69	12824.42	6725.54	6280.49	7910.84	6999.43	213.23	209.42	109.14	105.20	69.00	82.81
7.	हरियाणा	4353.90	3304.78	1701.58	1371.79	2488.37	1365.60	34.63	33.50	15.73	13.08	16.11	11.12
8.	हिमाचल प्रदेश	1708.18	1001.19	789.55	745.94	697.11	555.89	24.27	21.45	7.63	10.82	8.52	9.13
9.	जम्मू व कश्मीर	3949.36	2534.38	1730.38	994.37	1706.27	1044.68	90.94	48.23	47.27	18.36	22.64	15.71
10.	कर्नाटक	29830.54	24908.76	13946.16	12015.30	15059.49	12578.33	491.56	524.89	255.74	250.94	222.78	265.91
11.	केरल	9731.61	8888.24	4921.30	4458.15	5094.84	3666.38	108.01	127.75	59.73	55.45	66.74	41.82
12.	मध्य प्रदेश	56643.69	42377.25	23120.47	19724.06	28261.85	19260.22	849.29	759.46	444.97	349.02	329.89	281.69
13.	महाराष्ट्र	53287.30	39801.56	20434.02	18664.14	23618.91	21422.21	910.75	1014.47	469.32	455.08	524.38	527.74
14.	मणिपुर	768.65	506.22	228.56	186.36	347.80	114.80	5.78	9.34	3.20	3.49	3.15	2.16
15.	मेघालय	1003.48	200.28	277.47	365.90	268.02	168.63	7.88	4.86	4.35	6.96	4.87	3.30
16.	मिजोरम	246.17	284.56	111.18	133.26	129.54	124.18	4.15	5.20	2.29	2.46	1.59	1.91
17.	नागालैंड	969.76	264.07	315.05	485.57	364.21	276.16	11.82	5.76	6.54	11.65	7.30	7.71
18.	उड़ीसा	38523.25	28671.48	15455.90	14426.64	18343.27	10145.68	623.47	678.31	321.32	314.19	299.18	201.82
19.	पंजाब	2848.91	408.38	1161.65	705.83	1329.45	1310.34	28.25	6.44	15.62	7.85	11.95	12.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	राजस्थान	23915.78	18204.39	9193.19	6765.70	10923.13	10330.83	300.89	361.72	162.92	168.12	182.03	196.14
21.	सिक्किम	645.55	618.83	140.84	167.26	153.46	100.54	5.38	9.27	1.49	2.63	1.66	1.34
22.	तमिल नाडु	37796.98	39415.70	18097.79	18040.02	19822.37	20699.98	853.09	1069.75	406.90	488.60	312.56	388.81
23.	त्रिपुरा	903.19	783.23	570.08	565.91	600.63	351.51	12.40	18.43	6.35	10.38	5.91	7.31
24.	उत्तर प्रदेश	102162.11	83562.16	53311.63	42123.49	56201.14	48122.11	1320.54	1532.46	603.21	658.18	561.71	599.49
25.	पश्चिम बंगाल	40196.57	30492.80	18441.70	12837.59	17260.69	8302.70	433.38	414.75	221.86	178.53	206.58	84.60
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	151.14	161.26	66.68	54.95	80.29	12.21	2.26	2.59	1.25	0.82	1.04	0.13
27.	दा. व ना. हवेली	95.85	33.18	53.98	49.75	54.45	24.71	1.42	0.64	0.65	1.02	0.73	0.49
28.	दमन व दीव	101.72	55.02	30.69	27.61	26.16	30.28	1.55	1.11	0.85	0.50	0.45	0.56
29.	लक्षद्वीप	102.67	40.86	87.65	49.22	63.84	78.98	1.45	1.05	0.80	0.88	0.90	1.46
30.	पांडिचेरी	309.07	199.85	67.06	121.96	96.67	52.20	3.16	3.10	1.74	2.91	1.00	0.51
	अखिल भारत	579189.88	446690.62	258338.30	216390.86	287223.42	220086.08	8480.07	8958.25	4141.37	4006.52	3864.90	3576.92

विवरण-II

वर्ष 1995-1996, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उपलब्ध निधियां 1995-96	उपयोग की गई 1995-96	उपलब्ध निधियां 1996-97	उपयोग की गई 1996-97	उपलब्ध निधियां 1997-98	उपयोग की गई 1997-98	वास्तविक उपलब्धि (लाख श्रमदिन)		
								1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	19321.80	12249.54	32209.76	25509.86	24213.64	29338.06	252.42	437.35	505.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	2824.77	1956.55	2994.47	2054.94	3304.06	1757.23	50.57	39.05	28.58
3.	असम	13324.10	9622.98	17026.12	8790.06	14192.75	8543.86	151.82	162.38	141.53
4.	बिहार	27914.60	12901.12	41569.73	20868.18	33963.10	29085.62	254.44	324.49	420.45
5.	गोवा	0.00	0.00	100.00	0.00	275.00	246.90	0.00	0.00	2.92
6.	गुजरात	11837.57	5751.65	13396.42	7570.86	10486.83	6606.27	92.45	122.96	92.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	5504.62	3814.72	5039.90	2447.56	5983.08	2629.20	52.11	24.10	18.45
8.	हिमाचल प्रदेश	1113.76	455.55	2645.71	1161.23	4548.99	2871.59	6.86	13.44	35.65
9.	जम्मू व कश्मीर	10683.95	6715.49	8793.46	5318.68	10185.99	6439.88	129.96	91.64	90.84
10.	कर्नाटक	16722.36	12144.91	19027.45	14307.22	18162.92	16628.38	268.73	314.18	349.41
11.	केरल	2664.92	2441.91	3985.52	2063.44	6890.83	4371.43	32.47	28.76	47.26
12.	मध्य प्रदेश	33501.25	22951.66	38887.30	24229.95	38318.70	23959.32	358.02	379.22	328.71
13.	महाराष्ट्र	18611.64	10295.40	16728.65	11876.27	20250.62	14935.95	293.23	309.72	363.24
14.	मणिपुर	1743.09	1337.11	1755.98	1131.87	1314.53	712.33	31.21	16.72	13.75
15.	मेघालय	1246.62	499.80	1359.32	368.40	538.29	514.08	8.30	5.90	9.46
16.	मिजोरम	1572.66	2023.87	1500.00	1509.46	1005.54	901.24	40.91	32.26	17.88
17.	नागालैंड	2949.98	1800.70	4631.70	3159.48	3707.05	2840.46	49.00	72.65	68.17
18.	उड़ीसा	16578.71	13133.80	23979.35	19778.34	20997.61	18865.57	311.06	439.36	382.14
19.	पंजाब	0.00	0.00	1225.00	0.00	2397.43	444.87	0.00	असूचित	1.12
20.	राजस्थान	22684.19	14770.06	20901.63	12609.31	19538.55	14417.75	288.02	212.65	250.06
21.	सिक्किम	494.19	778.31	275.00	322.40	280.02	552.96	16.01	4.45	7.41
22.	तमिलनाडु	12029.33	7581.23	22854.95	17014.19	25900.63	29363.46	211.35	468.42	558.28
23.	त्रिपुरा	1950.00	2085.78	2700.00	1995.08	2504.92	2904.92	43.20	44.73	54.46
24.	उत्तर प्रदेश	27139.35	16731.98	37038.31	19833.03	56775.10	40665.55	318.23	319.94	522.76
25.	पश्चिम बंगाल	14399.53	9929.18	17182.85	11943.84	16445.11	8085.26	143.08	162.76	100.07
26.	अ व नि द्वीप समूह	45.48	10.28	35.20	25.23	89.60	13.64	0.11	0.32	0.14
27.	दा व ना हवेली	50.33	20.17	90.16	51.05	40.55	32.51	0.23	0.47	0.35
28.	दमन व द्वीप	21.54	13.05	28.49	0.98	20.89	19.46	0.36	0.02	0.34
29.	लक्षद्वीप	214.06	44.33	309.73	100.36	116.47	67.71	1.02	2.06	1.28
30.	पांडिचेरी	असूचित	0.00	60.00	0.00	120.00	0.00	0.00	असूचित	0.06
	अखिल भारत	367145.00	172061.21	338334.23	216041.27	342583.70	267817.45	3465.27	4030.02	4412.54

चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना है अतः इसके अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होता है।

विवरण-III

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय निष्पादन (लाख रूपए में)						वास्तविक उपलब्धि (परिवारों की संख्या)		
		1995-96		1996-97		1997-98 (अनंतिम)		1995-96	96-97	97-98 (अनंतिम)
		कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आन्ध्र प्रदेश	9683.95	8624.04	13170.59	12810.19	10802.97	8843.36	122863	203135	127776
	अरुणाचल प्रदेश	882.83	582.56	717.60	249.26	887.60	373.84	14381	10695	5744
	असम	4548.58	3409.02	3116.87	1600.68	2701.98	2058.86	59030	38087	26560
	बिहार	17230.82	10784.51	24860.01	13092.28	14995.05	12396.34	265525	244764	196685
	गोवा	191.54	116.3	181.93	83.78	190.44	130.20	1486	1962	897
	गुजरात	3148.42	3077.68	3200.87	3026.53	4168.26	3396.75	55686	47545	41822
	हरियाणा	1923.57	1663.74	996.71	1111.65	962.47	811.96	29771	17202	10853
	हिमाचल प्रदेश	218.62	412.28	242.50	529.90	464.16	414.89	6606	7990	5548
	जम्मू व कश्मीर	1139.05	701.26	1216.40	556.17	1222.40	551.46	13189	11474	8487
10.	कर्नाटक	8315.65	5574.6	7586.44	6063.14	7334.12	5470.63	119685	116900	94688
11.	केरल	2940.04	2268.9	2440.17	2700.13	2870.36	2531.96	43357	48690	44191
12.	मध्य प्रदेश	13722.05	11305.57	13178.64	13469.83	9041.24	11995.67	210692	168123	136810
13.	महाराष्ट्र	11170.43	9837.3	9542.29	9406.32	9073.21	9396.06	181597	161018	147640
14.	मणिपुर	416.58	312.64	601.84	416.33	366.47	286.86	6077	7256	4258
15.	मेघालय	464.51	301.54	587.10	429.39	539.06	374.62	4534	6822	5167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मिजोरम	296.67	288.74	217.40	101.81	248.69	213.58	5085	3059	2876
17.	नागालैंड	445.23	221.48	522.91	211.52	345.27	156.16	2531	2064	835
18.	उड़ीसा	9010.47	7266.29	7459.20	6972.15	6465.41	6037.88	120669	102741	75343
19.	पंजाब	464.28	731.71	539.17	592.38	732.12	572.29	11786	7160	6107
20.	राजस्थान	5488.78	4730.24	5740.39	4102.25	5246.55	3057.63	92818	70304	45408
21.	सिक्किम	174.73	129.25	100.88	108.44	131.94	112.41	2843	2249	1792
22.	तमिल नाडु	8211.34	8515.03	8955.11	7087.35	7683.51	9283.85	183895	152597	180698
23.	त्रिपुरा	961.52	766.73	975.61	914.08	758.38	494.44	14657	13725	4911
24.	उत्तर प्रदेश	26930 44	19266.98	26281.95	21456.55	25883.09	21266.38	355916	364552	351146
25.	पश्चिम बंगाल	12217.07	6693.99	10621.98	5474.89	8851.61	4174.94	161724	110280	73770
26.	अ व नि द्वीप समूह	46.49	49.92	64.92	17.73	74.65	31.35	832	591	480
27.	दा॰ व ना॰ हवेली	8.51	13.68	16.46	13.56	38.87	12.37	274	168	179
28.	दमन व द्वीप	20.61	16.67	23.81	11.32	38.17	12.92	310	304	181
29.	लक्षद्वीप	4.45	4.38	7.17	3.58	21.99	3.83	18	30	27
30.	पांडिचेरी	61.24	49.20	65.42	55.90	104.84	39.80	1563	1293	893
	अखिल भारत	140438.47	107716.20	143236.34	112689.09	122244.88	104503.75	2089400	1922800	1803775

वर्ष 1995-96 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

विवरण-IV

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		कितने मामले में ऋण वितरित किया गया	स्वीकृत रूप की राशि (लाख रु.)	कितने मामले में ऋण वितरित किया गया	वितरित किया गया ऋण (लाख रु.)	कितने मामले में ऋण वितरित किया गया	वितरित किया गया ऋण (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	23677	18552.79	21766	12059.49	12240	6818.23
2.	असम	7478	7320.66	4041	1824.52	746	401.30
3.	बिहार	13888	13203.76	14828	10287.55	3885	2656.84
4.	दिल्ली	1373	2052.67	509	248.77	197	111.13
5.	गोवा	319	373.63	319	229.63	195	144.10
6.	गुजरात	7435	4497.62	8537	3633.84	6432	2706.14
7.	हरियाणा	5265	5121.46	4669	2387.75	3283	1651.90
8.	हिमाचल प्रदेश	2315	1504.31	2201	1182.08	1897	1090.87
9.	जम्मू व कश्मीर	862	1727.60	701	333.60	1242	503.01
10.	कर्नाटक	14157	8352.67	14556	7641.60	7336	4052.67
11.	केरल	10278	7437.53	11156	5831.20	9564	5476.52
12.	मध्य प्रदेश	25006	20168.90	22637	12703.11	11088	6343.53
13.	महाराष्ट्र	32658	19116.02	26375	13401.96	14968	7716.98
14.	मणिपुर	1724	1659.35	1616	1129.12		
15.	मिजोरम	239	210.70	244	197.90		
16.	उड़ीसा	6428	6133.09	6094	3779.34	403	206.30
17.	पंजाब	12634	9517.73	7812	4038.10	6642	3301.45
18.	राजस्थान	6796	5141.30	7206	3184.95	4592	1356.73
19.	तमिलनाडु	14571	11068.51	14784	8100.62	6288	3426.30
20.	त्रिपुरा	893	900.77	1087	613.36	32	14.61
21.	उत्तर प्रदेश	30819	23040.40	30139	16962.67	29571	16634.21
22.	पश्चिम बंगाल	4348	5612.41	2808	1166.57	1245	467.92
23.	अंडमान व नि. द्वीप समूह	74	64.91	53	33.68	40	23.69
24.	अरुणाचल प्रदेश	125	217.04	200	111.50	2	N.R.
25.	चंडीगढ	146	141.43	115	84.03	2	1.90
26.	दादर ना. हवेली	157	93.50	151	85.89	55	19.00
27.	दमन व दीव	146	38.39	69	48.42	53	32.73
28.	नागालैंड	309	236.03	427	343.13		
29.	लक्षद्वीप	35	23.86	36	29.27		
30	मेघालय	503	370.11	451	276.50	67	31.11
31.	पांडिचेरी	99	222.13	125	48.72	73	31.42
32.	सिक्किम	92	65.25	107	37.09	67	12.91
	कुल	224819	174227.03	205819	112035.96	122205	65222.48

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान की विमान संख्या

385. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1998 के "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत और पाकिस्तान के अग्रणी विमानों की तुलनात्मक संख्या दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय वायुसेना के वे कौन से 232 वायुयान हैं जिनकी तुलना पाकिस्तान वायुसेनाध्यक्ष ने पाकिस्तानी वायुसेना के 32 एफ–16 वायुयानों से की है। इस संबध में और अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

तांबा खानों का बंद किया जाना

386. श्री रामदास आठवले : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की अलाभकारी तांबा खानों और जहां उत्पादन नहीं हो रहा है को बंद किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अनुमानतः कितनी क्षति हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन खानों की प्रस्तावित बंदी से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) देश में खनिज अयस्क से प्राथमिक तांबे के एक मात्र उत्पादक हिन्दुस्तान कॉपर लि. ने अब तक बिहार और राजस्थान राज्यों में स्थित अपनी कुछ उन खानों, जहां उत्पादन नहीं हो रहा है, और अलाभकारी खानों को बन्द कर दिया है।

(ख) से (घ) (i) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की बिहार में स्थित लाप्सो कायनाइट खान, जिसमें लगभग 700 कर्मचारी कार्यरत थे, को 30.11.90 से बन्द कर दिया गया और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निर्वत्ति लाभ दिए गए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए बन्दी संबंधी मुआवजा लाभों से तीन गुणा अधिक थे।

(ii) राजस्थान के अलवर जिले में स्थित दरीबा तांबा परियोजना को खनन योग्य भण्डारों के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के कारण 18.7.94 से बन्द कर दिया गया। दरीबा तांबा परियोजना में कार्यरत कुल 250 कर्मचारियों में से 50% कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना का विकल्प दिया और बाकी 50% कर्मचारियों को राजस्थान के खेतड़ी तांबा कम्पलैक्स में समाहित कर दिया गया।

(iii) चूंकि बिहार के घाटशिला जिले में स्थित मोसाबनी खानों में खनन कार्य बहुत अलाभकारी हो गया था और हिन्दुस्तान कॉपर लि. को इन खानों के प्रचालन में भारी घाटा हो रहा था इसलिए हिन्दुस्तान कॉपर लि. के निदेशक मण्डल ने मोसाबनी खानों को बन्द करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और कम्पनी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत इसे बन्द करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी। हिन्दुस्तान कॉपर लि. के इन्डियन कॉपर कम्पलैक्स के अन्तर्गत मोसाबनी (बेदिया सहित) खानों को श्रम मंत्रालय ने 1.12.97 से बन्द करने की अनुमति दे दी। कंपनी मोसाबनी खानों के प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास/पुनः तैनाती के लिए एक योजना तैयार कर चुकी है।

इन खानों को बन्द करने से हिन्दुस्तान कॉपर लि. को कोई घाटा नहीं हुआ है।

तथापि कंपनी को मुख्य रूप से तांबे की एल एम ई कीमतों में आई कमी और तांबे पर सीमा शुल्क में की गई कमी के कारण पिछले दो वर्षों में घाटा हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

	(करोड़ रु.)
1995–96	75.84
1996–97	(130.62)
1997–98	(168.99) (अनंतिम)

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा फिजूलखर्ची पर रोक लगाने हेतु कदम

387. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारी संख्या में अपने उच्च श्रेणी के अधिकारियों को महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, उप महानिदेशक और सलाहकार/विशेष कार्य अधिकारी के पदों पर पदोन्नति करके अपने कर्मचारियों पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान इंडियन एयरलाइंस में सृजित किए गए महानिदेशक और अन्य उच्च पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया द्वारा अपनी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) 1994–95 से 1996–97 की अवधि के दौरान, महाप्रबंधकों के 6 पदों को निदेशक के स्तर तक दर्जा बढ़ा दिया गया था और महाप्रबंधक और ऊपर के 12 पदों का सृजन किया गया था। इन पदों का दर्जा बढ़ाये जाने/सृजन में चूंकि निचले ग्रेड में इतनी ही संख्या के पदों को समाप्त कर दिये जाने के कारण निहित वित्तीय प्रभाव नगण्य है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा व्यय में नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

एयर इंडिया

(1) अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए मार्केटिंग प्रयासों को और ऊपर उठाया गया है।

(2) नेटवर्क का यौक्तिकीकरण और सुदृढ़ीकरण लाभप्रद मार्गों पर जोर दिया जाता है।

(3) और अधिक इन-हाउस मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेकर विमानों के बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर व्यय में कमी की गई।

(4) एयर इंडिया के विभिन्न विभागों में विदेश में भारतीय अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस

(1) ऑफ-लाइन स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और बुकिंग कार्यालयों की संख्या में कमी कर दी गई है।

(2) हैंडलिंग एजेंटों को कार्यकलाप सौंपकर उड़ानों की अपर्याप्त संख्या वाले स्टेशनों को बंद कर दिया गया है।

(3) नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जब तक कि प्रचालनात्मक कारणों से वह नितांत आवश्यक न हो।

(4) जेट इंजिन ओवरहॉल/ए पी यू शॉपों के संबंध में और अधिक इन-हाऊस मरम्मत कार्य को शुरू करके विमानों के बाह्य मरम्मत कार्यों पर व्यय में कमी की गई हैं।

(5) कार्यक्रमों को प्रायोजित करने पर तथा अधिक संख्या में मुफ्त टिकटों के प्रावधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

[अनुवाद]

कलकत्ता मेट्रो का विस्तार

388. श्री मीरा मुखर्जी :

श्री सलीम लाहिड़ी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलकत्ता मेट्रो प्रणाली का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसका कब तक विस्तार कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल हवाई पट्टी का विस्तार

389. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल हवाई अड्डे का विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां एयर बस सेवा शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां। धावनपथ का सतहलेपन और टर्मिनल भवन का आधुनिकीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) और (ग) ए-320 विमान संबंधी यथा उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाता है, इस समय, इंडियन एयरलाइंस इस स्थिति में नहीं है कि वह भोपाल के लिए ए-320 विमान सेवाएं प्रचालित करे। वर्तमान अनुसूची के अनुसार एलायंस एयर भोपाल होते हुए मुम्बई, दिल्ली तथा इंदौर के लिए दैनिक बी-737 विमान सेवाएं मुहैया कराती है।

[अनुवाद]

रेलवे में अतिरेक कर्मचारी

390. श्री के. येरन्नायडू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में श्रेणी-वार और जोन-वार अतिरेक कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इन कर्मचारियों की छंटनी करने का है, और

(ग) रेलवे पर सेवा विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 31.3.98 को क्षेत्रीय रेलों पर अनुमानतः फालतू कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे	कोटि	फालतू
1	2	3
मध्य रेल	ग	36
	घ	164
पूर्व रेल	ग	34
	घ	57
उत्तर रेल	ग	795
	घ	803

1	2	3
पूर्वोत्तर रेल	ग	468
	घ	615
पूर्वोत्तर सीमा रेल	ग	1783
	घ	390
दक्षिण रेल	ग	329
	घ	363
दक्षिण मध्य रेल	ग	287
	घ	153
दक्षिण–पूर्व रेल	ग	194
	घ	16
पश्चिम रेल	ग	284
	घ	541

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने अधिवर्षिता की आयु से आगे सेवा की अवधि न बढ़ाने का पहले ही विनिश्चय कर लिया है। बहरहाल, अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने से कोई महत्वपूर्ण फलितार्थ न होने की संभावना है। फालतू कर्मचारियों को रेलों की विस्तारित गतिविधियों के क्षेत्र में लाभकारी रूप से पुनः तैनात किया जाना जारी रहेगा।

वायु सेना कर्मियों की हाल की हड़ताल की जांच

391. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना कर्मियों की हाल की हड़ताल में विदेशी हाथ होने की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच कराई है; और

(ग) वायु सेना कर्मियों की मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय वायुसेना के कार्मिकों की मुख्य मांगे भत्तों और वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा किए जाने के बारे में थी। रक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इन पहलुओं पर विचार किया है तथा इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सुरक्षोपाय

392. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विमानपत्तन विदेशों के विमानपत्तनों के अनुरूप सुरक्षोपायों से सुसज्जित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सुरक्षोपायों को बेहतर बनाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में आबंटित धनराशि पर्याप्त है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विमानपत्तनों पर किसी परियोजना के अंतर्गत अभी भी नवीकरण कार्य चल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की आशा है;

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विमानन संख्या को बढ़ाने और बेहतर संचार/दिक्चालन सुविधाऐं प्रदान करने के लिए, चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

– 483 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। दिल्ली में इस परियोजना को जुलाई, 1998 तक जबकि मुम्बई में इसे सितम्बर, 1998 में चालू किया जाना है।

– चेन्नई में राडार अपनी संस्थापना की अंतिम अवस्था में हैं और इसके जुलाई, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। नागपुर, वाराणसी, झार्सुगुडा और मंगलौर में राडारों की स्थापना संबंधी योजना बना ली गई है।

– जामनगर, लेह, पुणे, तेजपुर और बागडोगरा में अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर संस्थापनाधीन हैं। इनके सितम्बर, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। जबलपुर, लीलाबाडी और कानपुर में भी यह उपस्कर संस्थापित करने की योजना है।

[अनुवाद]

भूमिगत उप-नगरीय रेलवे नेटवर्क

393. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में भूमिगत उप–नगरीय रेलवे नेटवर्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना (प्रोजैक्ट) हेतु संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बंजरभूमि विकास परियोजनाएं

394. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **ग्रामीण और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बंजरभूमि विकास की स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी गुजरात राज्य की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और इन्हें कब तक मंजूरी मिल जायेगी;

(ग) इस राज्य में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, और

(घ) उक्त राज्य में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) स्वीकृति के लिए विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई समय–सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह परियोजना प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

(ग) बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी परियोजना को विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

(घ) गुजरात राज्य में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल लागत (लाख रु. में)	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जारी 1995-96 (लाख रु. में)	जारी 1996-97 (लाख रु. में)	जारी 1997-98 (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य : आंध्र प्रदेश						
चित्तूर–1	96-97 से 99-00	323.40	8085	0.00	48.51	97.02
कुर्नूल	95-96 से 98-99	293.20	7330	49.80	82.14	102.64
चित्तूर–2	96-97 से 99-00	331.20	8280	0.00	49.68	98.74
चित्तूर-4	97-98 से 20-01	450.00	11250	0.00	0.00	67.50
मेडक	97-98 से 20-01	496.48	12412	0.00	0.00	124.12
निजामाबाद-2	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
श्रीकाकुलम	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
कुडप्पा-2	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
चित्तूर-3	95-96 से 98-99	20.00	500	3.00	0.00	6.00
उपयोग		3414.3	85357	52.80	180.33	721.02
राज्य : अरुणाचल प्रदेश						
प. कमेंग	97-98 से 20-01	60.00	1500	0.00	0.00	9.00
उपयोग		60.00	1500	0.00	0.00	9.00
राज्य : असम						
करबी अंगलौंग	97-98 से 2001	245.20	6130	0.00	0.00	36.78
उपयोग		245.20	6130	0.00	0.00	36.78
राज्य : बिहार						
वैशाली	95-96 से 98-99	40.00	1000	6.00	0.00	0.00
उपयोग		40.00	1000	6.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
राज्य : गुजरात						
खेड़ा	96-97 से 99-00	32.48	812	0.00	4.87	0.00
जूनागढ़ा	97-98 से 20-01	480.00	12000	0.00	0.00	72.00
उपयोग		512.48	12812	0.00	4.87	72.00
राज्य : हिमाचल प्रदेश						
सोलन-2	97-98 से 20-01	499.52	12488	0.00	0.00	74.92
सिरमौर	97-98 से 20-01	499.00	12500	0.00	0.00	74.85
उपयोग		998.52	24988	0.00	0.00	149.77
राज्य : हरियाणा						
गुड़गांव	95-96 से 98-99	218.92	5473	14.50	0.00	40.23
पानीपत	97-98 से 20-01	478.88	11972	0.00	0.00	71.83
उपयोग		697.80	17445	14.50	0.00	112.06
राज्य : जम्मू व कश्मीर						
उधमपुर-2	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
उपयोग		500.00	12500	0.00	0.00	75.00
राज्य : कर्नाटक						
मांडया-2	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
गुलबर्गा	97-98 से 20-01	474.00	11847	0.00	0.00	71.08
चित्रदुर्गा	97-98 से 20-01	500.00	12500	0.00	0.00	75.00
बेल्लरी	97-98 से 20-01	485.60	12140	0.00	0.00	72.84
उपयोग		1959.60	48987	0.00	0.00	293.92
राज्य : करेल						
इडुक्की	95-96 से 98-99	403.20	10080	60.48	0.00	40.32
उपयोग		403.20	10080	60.48	0.00	40.32
राज्य : महाराष्ट्र						
पारमनी	97-98 से 20-01	381.60	9540	0.00	0.00	57.24
उपयोग		381.60	9540	0.00	0.00	57.24
राज्य : मणिपुर						
इंफाल (प.)	97-98 से 20-01	267.00	6675	0.00	0.00	66.75
सेनापति	97-98 से 20-01	55.72	1393	0.00	0.00	8.35
सेनापति-2	97-98 से 20-01	400.00	10000	0.00	0.00	60.00
उपयोग		722.72	18068	0.00	0.00	135.10
राज्य : मध्य प्रदेश						
राजनंदगांव	95-96 से 98-99	444.00	11100	23.98	42.62	0.00
दतिया-2	96-97 से 99-00	21.28	532	0.00	3.19	0.00
गुना	97-98 से 20-01	243.60	6090	0.00	0.00	36.54
सियोनी	97-98 से 20-01	280.00	7000	0.00	0.00	42.00
नरसिंगपुर	97-98 से 20-01	280.00	7000	0.00	0.00	42.00
मंदसौर	97-98 से 20-01	280.00	7000	0.00	0.00	42.00
गुना-2	97-98 से 20-01	337.96	8449	0.00	0.00	50.69
उपयोग		1886.8	47171	23.98	45.81	213.23

1	2	3	4	5	6	7
राज्य : नागालैंड						
वोखा	96-97 से 99-00	480.00	12000	0.00	72.00	48.00
मोकोचुंग	97-98 से 20-01	480.00	12000	0.00	0.00	72.00
जूनोबूटो	95-96 से 98-99	100.00	2500	15.00	30.00	0.00
उपयोग		1060.0	26500	15.00	102.00	120.00
राज्य : उड़ीसा						
कोरापुट-3	96-97 से 99-00	7.29	300	0.00	1.09	0.00
झारसगुडा	97-98 से 20-01	288.64	7216	0.00	0.00	43.30
कालाहाडी-3	97-98 से 20-01	493.48	12337	0.00	0.00	74.02
बोलांगीर-2	97-98 से 20-01	496.00	12400	0.00	0.00	74.40
कोरापुट-4	97-98 से 20-01	481.80	12045	0.00	0.00	72.27
मयूरगंज	97-98 से 20-01	496.00	12400	0.00	0.00	29.35
ढेनकनाल	97-98 से 20-01	244.64	6100	0.00	0.00	36.69
ढेनकनाल-2	96-97 से 99-00	100.60	2515	0.00	15.09	0.00
उपयोग		2608.4	65313	0.00	16.18	330.03
राज्य : पंजाब						
पटियाला	96-97 से 99.00	22.00	550	0.00	3.30	0.00
उपयोग		22.00	550	0.00	3.30	0.00
राज्य : राजस्थान						
बूंदी	96-97 से 99-00	27.30	686	0.00	4.10	0.00
झुनझुनु	97-98 से 20-01	168.00	4200	0.00	0.00	25.20
झालावार-2	97-98 से 20-01	394.24	9856	0.00	0.00	59.14
अजमेर-2	95-96 से 98-99	26.00	650	3.90	0.00	7.80
उपयोग		615.54	15392	3.90	4.10	92.14
राज्य : सिक्किम						
पश्चिम सिक्किम	96-97 से 99-00	220.00	5600	0.00	20.82	0.00
पूर्व सिक्किम-3	97-98 से 20-01	222.76	5669	0.00	0.00	33.41
उत्तर सिक्किम-2	97-98 से 20-01	480.00	12000	0.00	0.00	72.00
उपयोग		922.76	23169	0.00	20.82	105.41
राज्य : तमिलनाडु						
कोयम्बटूर	96-97 से 99.00	19.20	480	0.00	2.89	0.00
डिंडिगुल	97-98 से 20-01	200.00	5090	0.00	0.00	30.00
उपयोग		219.20	5570	0.00	2.89	30.00
राज्य : उत्तर प्रदेश						
फिरोजाबाद	96-97 से 99-00	459.16	11479	0.00	68.87	0.00
फतेहपुर	96-97 से 99-00	395.20	9880	0.00	59.28	0.00
जौनपुर	96-97 से 99-00	468.72	11718	0.00	70.30	46.87
वाराणसी	96-97 से 99-00	385.80	9645	0.00	57.87	77.16
इटावा	96-97 से 99-00	406.00	10150	0.00	60.90	0.00
आजमगढ़	96-97 से 99-00	319.28	7982	0.00	47.89	0.00
कानपुर (सी)	96-97 से 99-00	220.40	5510	0.00	33.06	0.00
उन्नाव	97-98 से 20-01	481.64	12041	0.00	0.00	72.25
टिहरी गढवाल	97-98 से 20-01	484.76	12119	0.00	0.00	72.71
सोनभद्र	97-98 से 20-01	404.26	10106	0.00	0.00	60.63
रायबरेली-2	97-98 से 20-01	484.00	12100	0.00	0.00	72.60

1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव-2	97-98 से 20-01	482.16	12054	0.00	0.00	72.32
सुल्तानपुर	97-98 से 20-01	481.56	12039	0.00	0.00	72.23
झांसी-2	97-98 से 20-01	495.00	12379	0.00	0.00	74.25
झासी-3	97-98 से 20-21	400.00	10000	0.00	0.00	60.00
आगरा	96-97 से 99-00	491.80	12295	0.00	73.77	49.18
उपयोग		6859.7	171497	0.00	471.94	730.20
कुल योग		24130	603569	176.66	852.24	3323.22

विवरण-II

बंजरभूमि विकास विभाग में स्वीकृति के लिए लम्बित पडे समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के बृहत गुजरात राज्य के परियोजना प्रस्तावों की सूची।

	जिल का नाम	परियोजना लागत (लाख रुपये में)	परियोजना क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	जूनागढ़ (कोडिनार ब्लाक)	534.00	13345
2.	जूनागढ़ (मंगरोल ब्लाक)	441.00	11040
3.	जूनागढ़	480.00	12000
4.	जूनागढ़ (ऊना ब्लाक)	493.00	12340
5.	जूनागढ़ (केशोड ब्लाक)	485.00	12149
6.	जूनागढ़ (मेडराडा ब्लाक)	479.00	12083
7.	जूनागढ़ (तलाला ब्लाक)	242.00	6056
8.	भावनगर	240.00	5002

विवरण-III

गुजरात राज्य में चल रही समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनओं की सूची।

जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रु. में)	जारी (लाख रुपयों में) 91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
सुरेन्द्र नगर-1	91-92 से 93-94	600	19.26	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरेन्द्र नगर-2	91-92 से 95-96	3100	206.14	0.00	25.62	39.00	71.88	0.00	0.00	31.12
कच्छ-1	92-93 से 95-96	5200	396.55	0.00	78.30	70.00	120.00	70.00	0.00	0.00
कच्छ-2	93-94 से 97-98	5500	389.66	0.00	0.00	70.00	92.00	0.00	0.00	0.00
पंचमहल	93-94 से 97-98	3370	287.89	0.00	0.00	55.90	0.00	0.00	135.54	0.00
डांग-1	94-95 से 98-99	4095	345.67	0.00	0.00	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
डांग-2	93-94 से 97-98	4906	409.50	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
अमरेली	94-95 से 98-99	5500	359.45	0.00	0.00	0.00	83.90	80.00	56.42	81.57
जामनगर	94-95 से 98-99	2480	245.89	0.00	0.00	0.00	62.50	40.00	88.71	0.00
मेहसाना	94-95 से 98-99	7000	466.69	0.00	0.00	0.00	79.40	100.00	170.00	82.08
राजकोट	94-95 से 98-99	4900	352.84	0.00	0.00	0.00	47.04	0.00	135.50	0.00
गांधीनगर	94-95 से 98-99	1500	144.43	0.00	0.00	0.00	15.00	35.98	45.05	0.00
बनसकांठा	93-94 से 96-97	5000	369.71	0.00	0.00	45.97	91.00	120.00	45.08	40.00
खेड़ा	96-97 से 99-00	812	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00
जूनागढ़	97-98 से 20-01	12000	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	कुल	65963	4506.16	0.00	103.92	357.37	719.69	445.98	681.09	306.77

[अनुवाद]

जल-मल व्ययन प्रणाली हेतु धनराशि

395. श्री रवि सीताराम नायक : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरी गोवा के मध्य क्षेत्र में जल–मल व्ययन प्रणाली के लिए धन का प्रावधान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का आबंटन

396. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवास आबंटन के मामले में श्रेणी वार किस प्राथमिकता तिथि तक आबंटन हुआ है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में सरकारी आवास आबंटन हेतु श्रेणी–वार कितनें कर्मचारी प्रतीक्षारत हैं; और

(ग) सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी कर्मचारियो को आवास आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) दिनांक 30.4.98 की स्थिति के अनुसार सरकारी आवास आबंटन हेतु विभिन्न श्रेणियों में सामान्य पूल के अंतर्गत कवर की गई प्राथमिकता की तिथियां संलग्न विवरण – I में दी गई हैं।

(ख) दिनांक 30.4.98 की स्थिति के अनुसार सरकारी आवास आबंटन हेतु प्रतीक्षारत कर्मचारियों की सं. (आमंत्रित प्रतिबंधित आवेदनों के आधार पर) संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को, आबंटी द्वारा सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण आदि के कारण आवास खाली करने पर, आबंटन के लिए क्वार्टर उपलब्ध होने की दशा में उनकी पात्रता तथा बारी के अनुसार आवास आबंटित किए जाते हैं। सरकार ने दिल्ली के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के 5492 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

सामान्य आवास पूल की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 30–4–98 तक कवर की गई प्राथमिकता तिथि

श्रेणी	सामान्य पूल	अनु. जाति	अनु.जनजाति	विवाहित महिला पूल	अविवाहित महिला पूल
श्रेणी–ए	19.9.84	22.9.84	09.7.86	30.10.84	30.8.91
श्रेणी–बी	01.4.75	09.4.75	16.3.82	28.01.78	09.11.90
श्रेणी–सी	17.4.71	17.4.71	02.11.81	02.12.71	04.12.87
श्रेणी–डी	21.2.73	28.2.73	16.12.87	01.4.75	अद्यतन

		1.3.97 के अनुसार मूल वेतन	प्राथमिकता तिथि
श्रेणी–(V) विशेष	जी पी	4000	1.1.86
	टी पी	3200	30.6.95
श्रेणी–V	जी पी	5400	2.1.86
डी–II	टी पी	4575	1.9.91
	एल एस	5150	1.1.86
	एल एस	4125	1.1.92
श्रेणी V बी (डी–I)	जी पी	6500	11.6.86
	टी पी	5700	1.7.90
	एल एम	5550	1.1.88
	एल एस	5900	1.7.90
श्रेणी–ट 1–ए	जी पी	6900	2.4.90
(सी–(I)	टी पी	6700	30.4.90

होस्टल डबल सूट	जी पी	एल एम	एल एस
डबल सूट	7.7.93	1.9.89	30.7.95
किचन सहित सिंगल सूट	16.2.89	25.11.89	1.5.91
किचन रहित एकल सूट	04.5.92	26.3.90	27.3.92

विवरण - II

30.4.98 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में सामान्य पूल क्वार्टर आबंटन के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की सूची

श्रेणी-I

1. जी पी 2795
1. एल एम 223
1. एल एस 41
1. अनु. जा. 3316
1. अनु. ज. जा 556

श्रेणी-II

2. जी पी 4194
2. एल एम 2530

2. एल एस 582

2. अनु. जा. 3883

2. अ.नु.ज.जा. 968

श्रेणी-III

3. जी पी 4742

3. एल एम 3450

3. एल एस 275

3. अनु. जा. 2756

3. अनु. ज. जा. 485

श्रेणी-IV

4. जी. पी. 1806

1. एल एम 289

4. एन एस 3

4. अनु. जा. 316

4. अनु. ज. जा. 315

4. टी पी 38

श्रेणी-IV-विशेष

4एस जी पी 993

4 एस टी पी 17

4 एस एल एम 1

श्रेणी-V (डी-II)

5ए जी पी 976

5ए एल एम 221

5ए एल एस 17

5ए टी पी 172

श्रेणी-V (डी-I)

5बी जी पी 272

5बी एल एम 102

5बी एल एस 20

5 बी टी पी 153

श्रेणी-V (कम लोकप्रिय)

5 एल जी पी 77

श्रेणी-एस (सी-II)

6ए जी पी 514

6ए टी पी 106

श्रेणी-एस (सी-I)

6बी जी पी 265

6बी टी पी 2

होस्टल-सिंगल सूट

जी पी 147

एल एम 14

एल एस 04

होस्टल-किचन सहित सिंगल सूट

जी पी 1065

एल एम 76

एल एस 31

टी पी 1

होस्टल-किचन सहित डबल सूट

जी पी 564

एल एम 70

एल एस 2

टी पी 8

[अनुवाद]

भवनों को किराए पर देना

397. श्री हरिन पाठक : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र और श्री राम कला एवं संस्कृति केन्द्र, भारतीय विश्व मामले परिषद, गंधर्व महाविद्यालय और संगीत भारती ने अपने-अपने भवनों में कुछ भाग किराए पर दिए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(घ) इन संगठनों में से प्रत्येक को इससे कुल कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या सरकार से इस बारे में अनुमति प्राप्त की गई है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उन संगठनों से कोई दुरुपयोग प्रभार मांगा गया है; और

(छ) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन से कितनी धनराशि वसूल की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :

	संस्थानों के नाम				
	भारतीय कला केन्द्र	गंधर्व महाविद्यालय	श्रीराम केन्द्र	आई.सी.डब्ल्यू ए.	संगीत भारती
	1	2	3	4	5
(क)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं
(ख) और (ग)	भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 31.8.95 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार किराए पर दिए गए परिसर इस प्रकार हैं:– 1. बंजर भूमि विकास के संवर्द्धन के लिए सोसायटी (4308 वर्गफुट) 2. मैलस्को–ओपर्स एंड लिबैरण्डस प्रा. लि. (9508 वर्ग फुट)	भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 18.12.95 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार किराए पर दिए गए परिसर इस प्रकार हैं:– 1. मैसर्स प्राइसवाटर हाउस हाउस (3800 वर्ग फुट क्षेत्र)	भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 18.9.97 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार किराए पर दिए गए परिसरों के भाग इस प्रकार हैं:– 1. कैन्टील (695 वर्ग फुट) 2. शो के लिए किराए पर दिया गया ओडिटोरियम 3. टाटाकंसलटेंसी सर्विसेज (5226 वर्ग फुट क्षेत्र)	भूमि तथा विकास कार्यालय की दिनांक 19.12.96 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार किराए पर दिए गए परिसरों के भाग इस प्रकार हैं:– 1. चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी (1308.75 वर्ग फुट) 2. डिफ्रेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (8665.09 वर्ग फुट) 3. डी. एस. ई. कम्युनिकेशन (2325.5 वर्ग फुट) 4. महाराणा रणजीत सिंह ट्रस्ट (745.74 वर्ग फुट) 5. प्रैस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (1935 वर्ग फुट) 6. राजस्थान बैंक (2896.75 वर्ग फुट) 7. शो के लिए किराये पर दिया गया ओडिटोरियम।	लागू नहीं
(घ)	संस्थान द्वारा दी गई सूचना/ दस्तावेजों के अनुसार 30.6.97 तक कुल आय 3,02,70,166 रु. हुई।	संस्थान द्वारा दी गई सूचना/ दस्तावेजों के अनुसार 31.7.97 तक कुल आय 60,84,000 रु. हुई।	संस्थान द्वारा दी गई सूचना/ दस्तावेजों के अनुसार 30.6.97 तक कुल आय 2,66,29,441 रु. हुई।	संस्थान द्वारा दी गई सूचना/ दस्तावेजों के अनुसार कुल आय 1,47,24,711 रु. हुई।	लागू नहीं।
(ङ)	जी हां।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।	लागू नहीं
(च)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।	लागू नहीं, क्योंकि संस्थान ने अपना परिसर किराए पर नहीं दिया है।
(छ)	दुरुपयोग प्रभार के रूप में 60,56,826 रु. की धनराशि वसूल की गई है।	दुरुपयोग प्रभार के रूप में 19,97,577 रु. की धनराशि धनराशि वसूल की गई है।	दुरुपयोग प्रभार के रूप में 24,01,257 रु. की धनराशि वसूल की गई है।	सम्पति के बारे में पुनः करार किया गया है। पार्टी ने समझौता कर लिया है तथा दुरुपयोग प्रभार के लिए मांग 30.9.97 को उठाई गई है।	लागू नहीं

मानद पास जारी किए जाने संबंधी मापदंड

398. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स मानद टिकट जारी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन ऐसे टिकट जारी करने के लिए प्राधिकृत है;

(ग) नियमों के अंतर्गत मानद टिकट जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा साथ ही ऐसे टिकट किन श्रेणियों/व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार एयरलाइन–वार तथा क्षेत्र–वार ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए टिकटों की कुल संख्या क्या है;

(ड.) क्या राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को ऐसे कोई मानद टिकट जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में निम्नलिखित अधिकारी मानार्थ टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं:–

एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1. प्रबन्ध निदेशक	1. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक
2. उप प्रबन्ध निदेशक	2. उप प्रबन्ध निदेशक
3. वाणिज्यिक निदेशक	3. निदेशक, वाणिज्यिक, निगमित कार्य और जन संपर्क
4. क्षेत्रीय निदेशक	4. क्षेत्रीय निदेशक
5. स्टेशन प्रबंधक	

(ग) एयरलाइन्स के वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक प्रोन्नति हेतु मानार्थ टिकटें जारी की जाती हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ड) और (च) व्यक्तिगत पेशा/व्यावसायिक हित को ध्यान में रखे बिना, एयरलाइन्स द्वारा वाणिज्यिक हित में मानार्थ टिकटें जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बहुमूल्य खनिज

399. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बहुमूल्य खनिजों के दोहन, अन्वेषण, सर्वेक्षण, खनन और विपणन के बारे में विदेशी कम्पनियों और उनके द्वारा प्रायोजित कम्पनियों के साथ कोई अधिकारिक वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किन अधिकारियों, कम्पनियों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई;

(ग) 1 जनवरी, 1996 से 31 मार्च, 1998 तक किन स्थानों पर वार्ता आयोजित की गयी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बातचीत की कार्य–सूची क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) मध्य प्रदेश सरकार के खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों ने, संभावी प्रस्तावकों के सुझाव लेने तथा प्रस्ताव आमंत्रित करने की शर्तों को स्पष्ट करने के लिए आयोजित बोली–पूर्व (प्री–बिड) सम्मेलनों में, हीरों के सर्वेक्षण, विदोहन, गवेषण, खनन और विपणन के बारे में विदेशी प्रायोजित कम्पनियों के साथ बातचीत की।

(ख) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव श्री एल. लक्ष्मीनारायण, सचिव, श्री वी. के. डलेला तथा मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि. के महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री ए. पी. साहू ने किया। दिनांक 9.12.97 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित कंपनियां मौजूद थीं : ए सी सी रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि., बैंगलौर का प्रतिनिधित्व श्री सुरेश कुमार, श्री जोन बर्टराम, श्री एडरियन लुम्ले–स्मिथ द्वारा किया गया; एडमास इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व श्री एलान एन. कैंपबेल द्वारा; विशाल डायमंड्स प्रा. लि. बम्बई का प्रतिनिधित्व श्री पॉल माजाक, श्री जॉन गारलिक और श्री शिरीष शाह द्वारा किया गया। 8 और 9 जनवरी, 1998 को हुई बैठक में निम्नलिखित कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया गया। ए सी सी रियो, टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि. का श्री जोन बर्टराम द्वारा, एडमास इंडिया प्रा. लि. का श्री एलान एन, कैंपबेल द्वारा तथा विशाल डायमंड्स प्रा. लि. बम्बई का श्री पॉल माजाक, श्री शिरोष शाह और श्री विजय बियानी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

(ग) और (घ) उपरोक्त बातचीत भोपाल, मध्यप्रदेश में हुई। संभावी प्रस्तावकों के सुझाव लेने तथा प्रस्ताव आमंत्रित करने की शर्तों को स्पष्ट करने के लिए बोली–पूर्व (प्री–बिड) सम्मेलन किये गए।

[अनुवाद]

विशेष रेल यात्री डिब्बों हेतु क्रयादेश

400. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के रेल यात्री डिब्बे निर्माता एल. एच. बी. से 30 विशेष रेल यात्री डिब्बों की खरीद हेतु क्रयादेश जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रौद्योगिकी के हस्तातरण के ठेके के साथ–साथ 130 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 24 आल मेटल लाइट वेट हाई स्पीड सवारी डिब्बों के आयात के लिए मै. एल. एच. बी., जर्मनी को अक्टूबर 95 में एक ठेका दिया गया था।

(ख) वर्तमान में भारत में बनाए जा रहे सवारी डिब्बे 1950 दशक की प्रौद्योगिकी के हैं और टेयर भार में कमी करने, जंग लगने से रोकने, आंतरिक साज–सज्जा और प्रसाधन, राइडिंग कम्फर्ट, उपलब्धता और विश्वसनीयता आदि में सुधार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर राइडिंग, कम अनुरक्षण लागत, प्रति सीट कि. मी. कर्षण में ऊर्जा की कम खपत, बेहतर आंतरिक साज सज्जा और उच्च गति संभवता वाले अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कम भार वाले सवारी डिब्बे प्राप्त करके भारतीय रेल को अभिकृत्य और उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने का विनिश्चय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर उपयोग और यात्रियों के आराम में वृद्धि हुई। देश को सवारी डिब्बों के नए अभिकल्प की आवश्यकता है ताकि प्रति सवारी डिब्बा/गाड़ी अधिक संख्या में यात्री ले जा सके, अनुरक्षण लागत में कमी की जा सके और ऊर्जा कर्षण लागत कम की जा सके। संक्षेप मे, नई प्रौद्योगिकी के सवारी डिब्बे अपनाना भारतीय रेल के लिए दीर्घकाल में लागत किफायती सिद्ध होगे।

रेल आरक्षण की अवधि

401. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे में टिकटों के आरक्षण की अवधि को एक माह से बढ़ा कर दो माह करने से रेलवे में आरक्षण कराने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे दलालों और ठगों को टिकटों की काला बाजारी करने का अच्छा अवसर मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह युक्तिसंगत है कि यात्रा करने से दो माह पूर्व ही निर्णय लिया जाए;

(घ) क्या सरकार "10 दिन पूर्व" की पहली प्रणाली को पुनः लागू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ड) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गर्मी की छुट्टी, पूजा अवकाश, शीतकालीन छुट्टी आदि एवं जिन दिनों के बारे में यात्रियों को पहले ही पता होता है और वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लेते हैं, के दौरान आरक्षण प्राप्त करना एक प्रमुख समस्या है।

(घ) इस प्रकार को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी आवास का बिना बारी के आबंटन

402. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग में शामिल गैर–सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास आबंटित करने के लिए क्या मानदंड है;

(ख) किन मंत्रियों ने अपने गैर–सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के आबंटन हेतु आवेदन अग्रेषित किए हैं;

(ग) इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले आबंटनों का श्रेणीवार संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त में कितना आर्थिक व्यय शामिल है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में गैर–सरकारी कर्मचारी सह–समाप्त आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ, जिनमें सह–समाप्त आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं, को सरकारी मकानों का आबंटन सरकारी मकानों के विवेकाधिकार आबंटन के दिनांक 17.11.97 के दिशानिर्देशों से अधिशासित होता है। उसके प्रासंगिक भाग की प्रति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) दिनांक 26.5.98 तक का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त सभी मामलों में वास्तविक आबंटन अभी किए जाने हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी की कुल रिक्तियों के 50% तक का विवेकाधिकार/बिना बारी के आधार पर आबंटन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए स्वीकृत मामले में प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं और वास्तविक आबंटन प्रत्येक श्रेणी में 5% की समग्र अधिकतक सीमा के भीतर उक्त प्रतीक्षा सूची से बारी के आधार पर किए जाते हैं।

(घ) आबंटन मौजूदा क्वार्टरों में से की जाती है।

विवरण-I

सम्पदा निदेशालय का. ज्ञा. सं. 12035/2/97–पाल–II के अनुबंध से संक्षिप्त ब्यौरे।

मंत्री से सहबद्ध वैयक्तिक स्टाफ

(I) कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री : वैयक्तिक स्टाफ के तीन सदस्य (श्रेणी "घ" के अलावा) और एक जमादार/चपरासी/इसके अलावा एक श्रेणी "घ" को मंत्री की अनुशंसा के अनुसार आवास परिवर्तन लाभ दिया जा सकता है।

(II) उप मत्री/संसदीय सचिव : वैयक्तिक स्टाफ के दो सदस्य (श्रेणी "घ" के अलावा) और एक जमादार/चपरासी/इसके अलावा मंत्री की अनुशंसा के अनुसार एक श्रेणी "घ" को आवास परिवर्तन का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे आबंटन निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होंगे।

(क) मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव की अनुशंसा पर वैयक्तिक स्टाफ को ऐसे प्राथमिकता प्राप्त आबंटन पहले ने किये गये हों।

(ख) यदि स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें उल्लिखित सिफारिश के आधार पर सामान्य पूल से क्वार्टर आबंटित किए गए हैं, मंत्री के विभाग आदि परिवर्तन की दशा में वे मंत्री के साथ बने रहते हैं तो ऐसे आबंटन के लिए कोई मंजूरी नए सिरे से नहीं की जाएगी।

(ग) नए मंत्री के मामले में, यदि उनकी सिफारिश पर उनके निजी स्टाफ के किसी सदस्य को आबंटन नहीं किया गया है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके निजी स्टाफ के कुछ सदस्य सामान्य पूल के आवास मे रह रहे हैं, उनकी सिफारिश पर ऊपर निर्धारण अनुसार प्रतिबंधित सं. तक प्राथमिकता आधार पर आबंटन किए जा सकते हैं।

(घ) मंत्री का विभाग परिवर्तित होने पर अथवा कार्यालय छोड़ने पर और बाद में उसी अथवा अन्य मंत्रालय में मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर यदि उनके निजी स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें पहले सामान्य पूल का आवास आबंटित किया गया था, मंत्री के निजी स्टाफ में बने रहते हैं और ऊपर विनिर्दिष्ट कोटा समाप्त हो गया है तो बिना बारी के आबंटन या आवास में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

विवरण-II

दिनांक 26.5.98 तक तत्संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:-

क्र. सं.	मंत्री का नाम	कर्मचारी वर्ग का नाम्	श्रेणी	आबंटन प्रस्ताव
1.	डा. मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री तरूण मिश्र, प्रथम वैयक्तिक सहायक	बी	स्वीकृत
2.	श्री बी. दत्तात्रेय शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री	श्री एम. आर. रेड्डी, प्रथम वैयक्तिक सहायक	बी	
3.	श्री.अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री	श्री सुआधीन्द्र कुलकर्णी, निदेशक	डी-II	"
4.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री	श्री ए. के. टण्डन, प्रधान मंत्री के विशेष कार्याधिकारी	सी-II	"
5.	श्री बी. दत्तात्रेय, शहरी कार्य और रोजगार राज्यमंत्री	श्री एम. श्रीनिवास राव, एल. पी. ए.	बी	
6.	श्री राम जेठमलानी, शहरी कार्य और रोजगार मंत्री	श्री ई. वी. वेनुगोपाल, अपर निजी सचिव	बी	

[हिन्दी]

बरेली में असैनिक हवाई अड्डे की स्थापना

403. श्री राजबीर सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली (उ. प्र.) में असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी विमानकंपनी प्रचालक ने बरेली होकर अपनी अनुसूचित उड़ाने प्रचालित करने संबंधी कोई अपेक्षा प्रक्षेपित नहीं की है।

[अनुवाद]

सेना कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन

404. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मेघालय में की गई विद्रोह-रोधी कार्यवाही के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का पता चला है;

(ख) क्या केन्द्र ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई क्रूरताओं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार संबंधी रिपोर्ट की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे;

(घ) क्या घटना की सर्व प्रथम जानकारी देने वाले किसी प्रभावित व्यक्ति या मेघालय में किसी समुदाय के नेता को कोई बयान रिकार्ड किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) हाल ही में मेघालय में की गई प्रति विद्रोही कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की कोई घटना नहीं हुई।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए नहीं उठते।

भारतीय रेल वित्त निगम (आई. आर. एफ. सी.) में वित्तीय संकट

405. श्री के. एस. राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम (आई. आर. एफ. सी.) पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आई. आर. एफ. सी. के समक्ष उत्पन्न वित्तीय समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई. आर. एफ. सी. ने रेल परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से निधि उगाहने का प्रयास किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे की बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय सहायता की मांग की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिसंबर 1986 में अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय रेल वित्त निगम भारतीय रेलों के लिए चल स्टाक के अधिग्रहण को वित्त पोषित करने हेतु बाजार से धनराशि जुटा रही है। 1997–98 के अंत तक भा. रे. वि. नि. ने इस प्रयोजनार्थ बाजार से लगभग 10,590 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई है।

(ङ) जी, हां।

(च) रेलों के वित्त आयुक्त, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से मिले हैं। हाल ही में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सदस्य यातायात तथा वित्त आयुक्त भी वित्त मंत्री से मिले थे। रेल मंत्री भी रेलों के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री से मिले थे। देश में समग्र रूप से संसाधनों की व्यापक तंगी को देखते हुए वित्त मंत्रालय रेल मंत्रालय की यथा संभव बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।

थालसासेरी-मैसूर रेल लाइन

406. श्री पी. शंकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थालसासेरी–मैसूर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) तेल्लीचिरी और मैसूर के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है जिससे पता चला है कि 298 कि. मी. लम्बी लाइन पर 860 करोड़ रुपए की लागत आएगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। परियोजना की समग्रतः अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

पिछड़े तथा निर्धनतम जिलों की पहचान

407. श्री के. पी. नायडू : क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के 100 अत्यधिक पिछड़े तथा निर्धनतम जिलों की पहचान करने हेतु मानदंड तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जिलों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे जिलों के विकास हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयवंतराव पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) डा. ई. ए. एल. शर्मा की अध्यक्षता में निम्न विचारार्थ विषयों के साथ एक समिति का गठन किया गया:

(1) देश के 100 सर्वाधिक पिछड़े तथा गरीब जिलों के निर्धारण के लिए मानदंडों की सिफारिश करना।

(2) सुझाए गए मानदंडों के अनुसार विभिन्न राज्यों के ऐसे जिलों की पहचान करना।

(3) "ढांचा विकास" नामक शब्द को परिभाषित करना तथा इसमें सम्मिलित विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना।

(ग) से (च) समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

मल्होत्रा समिति रिपोर्ट

408. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिहायशी आवास की कमी से निपटने हेतु मौजूदा भवनों/मकानों में एक और मंजिल जोड़ने संबंधी मल्होत्रा समिति पत्र/रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा टाइम एक, दो और तीन के सरकारी आवास में अतिरिक्त रिहायशी आवास का निर्माण न कराये जाने अथवा इसकी अनुमति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकर द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनको आबंटित आवास में अपने निजी उपयोग के लिए कितने अस्थायी ढांचे बनाए गए और इनमें से कितने गिराये गए हैं; और

(ङ) ऐसे और ढांचों को न गिराये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) हर प्रकार के रिहायशी वास के लिए स्थान संबंधी निर्धारित मानदण्ड है। मौजूदा ढांचों पर अतिरिक्त फ्लोर बनाने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की भी जांच की जानी है।

सरकारी भवनों के आबंटियों के आबंटित आवास में किसी निर्माण कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती। जब कभी अनधिकृत निर्माण का कोई मामला सम्पदा निदेशालय की जानकारी में आता है तो नियमानुसार ऐसे आबंटियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भाग (घ) से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण

409. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने विजयवाड़ा–चेन्नई मार्ग पर कृष्णा नदी के आर–पार एक तीसरे रेल पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या यात्रियों की संख्या में वृद्धि के मद्दे नज़र यात्रियों की मांग के कारण चार रेलगाड़ियों को अतिरिक्त हालट तथा डिब्बे दिये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए अप्रैल, 1997 से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) कृष्णा नदी पर तीसरे पुल पर दूसरी लाइन बिछाकर विजयवाड़ा–कृष्णा कैनाल के बीच तीसरी लाइन का निर्माण 23.52 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत किया गया है।

(ग) विस्तृत योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। अधिकतम यातायात मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 2759/2760 हैदराबाद–चेन्नई चारमीनार एक्सप्रेस में तीन सवारी डिब्बे बढ़ाए गए हैं।

(च) और (छ) यात्री यातायात की मात्रा के आधार पर स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सुविधाओं की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उजागर होने वाली खामियों को दूर किया जाता है। सभी स्टेशनों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ईरोड पालघाट-एर्णाकुलम रेल लाइन का विद्युतीकरण

410. श्री ए. सी. जोस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अंतर्गत ईरोड पालघाट–एर्णाकुलम रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। इरोड से पुनकुन्नम खंड (238 मार्ग कि. मी.) जो ईरोड–एर्णाकुलम परियोजना का एक भाग है, का विद्युतीकरण मार्च 1998 तक पूरा हो गया है। समग्र खंड को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की आवश्यकता

411. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के सवारी–डिब्बों और माल–डिब्बों की आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिनन प्रकार के पृथक–पृथक कितने सवारी–डिब्बों और माल–डिब्बों का विनिर्माण किया गया तथा देशवार पृथक–पृथक कितने–कितने सवारी और माल–डिब्बों का आयात किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) रेलवे द्वारा योजना, आयोग को भेजे गए नौवीं योजना प्रलेख में नौवीं योजना अवधि के दौरान डी एम यू, एम ई एम यू तथा ई एम यू सहित 35000 मालडिब्बों तथा 2500 सवारी डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। नौवी योजना के लिए 65000 करोड़ रु. के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल, नौवी योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने 47,484 करोड़ रु. के परिव्यय की अंतरिम व्यवस्था की है। नौवीं योजना अवधि में माल और सवारी डिब्बों की आवश्यकता की समीक्षा संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राप्त होने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित विभिन्न किस्म के सवारी डिब्बों की संख्या :–

सवारी डिब्बों की किस्म	1995–96	1996–97	1997–98
स्वनोदित सवारी डिब्बे	461	409	327
वातानुकूल सवारी डिब्बे	271	246	273
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	1020	1513	1678
जोड़ सवारी डिब्बे	1752	2168	2278

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित माल डिब्बों की संख्या:–

(चौपहिया इकाइयों में)

माल डिब्बों की किस्म	1995–96	1996–97	1997–98
बी ओ एक्स एन	9627.5	10867.5	14525
बी सी एन ए	6715	7967.5	10630
बी ओ वी आर एन	690	837.5	237.5
बी टी पी एन	232.5	1850.0	1947.5
बी टी पी जी एल एन	285	262.5	525
बी वी जेड सी	400	400	
जोड़	17950	22185	27865

विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित सवारी एवं माल डिब्बों की संख्या–कोई नहीं।

बहरहाल, जर्मन फर्म को अक्तूबर, 1995 में 24 सवारी डिब्बों के आयात हेतु ठेका दिया गया था जिसकी सुपुर्दगी चालू वित्त वर्ष के अंत में शुरू की जाएगी।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सवारी एवं माल डिब्बों पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सवारी डिब्बे	माल डिब्बे
1995–96	692.39	927.60
1996–97	914.53	1418.60
1997–98 (अनंतिम)	938.38	1147.60

इसमें 1995–96 में 24 सवारी डिब्बों के आयात हेतु ठेके के प्रति 21.11 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान शामिल है।

[अनुवाद]

चीन द्वारा निगरानी गतिविधियां

412. **प्रो. पी . के. कुरियन :**

श्री के. सी. कोंडय्या :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री आरिफ मोहम्मद खां :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने कथित तौर पर भारत–चीन सीमा के साथ बारामती, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व विहीन वाले क्षेत्र (नो मेन्स लेंड) में हवाई पट्टी का और अरुणाचल प्रदेश में हेलिपेड का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने अंडमान और निकोबार द्वीप के निकट म्यांमार के कोको द्वीपसमूह में एक विशाल निगरानी केन्द्र स्थापित किया है और वहां से भारत के क्रियाकलापों पर निगरानी रख रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री के 5 अप्रैल, 1998 को अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान वहां के मुख्य मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में एक हैलिपैड का निर्माण किया है। बाद में जांच करने पर पाया गया था कि वहां पर इस तरह का कोई हेलिपैड नहीं है।

(ग) इस तरह की रिपोर्ट हैं कि चीन में म्यांम्यार के कोको द्वीप समूह में निगरानी सुविधाएं स्थापित की हैं।

(घ) सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र महत्वपूर्ण हैं। कृपया मुझे अपना सहयोग दीजिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैंने आपको विशेषाधिकार हनन संबंधी सूचना दी है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले सभा–पटल पर रखे जाने वाले पत्र रखने दीजिए।

(व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, विशेषाधिकार मामलों को सभा–पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से अधिक वरीयता दी जाती है...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर की वर्ष 1996-97 की वार्षिक समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा वार्षिक प्रतिवेदेन तथा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क)(एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 176/98]

(ख)(एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 177/98]

(3) (एक) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलोर के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी, बंगलोर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 178/98]

(5) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 179/98]

(6) छावनी बोर्डों के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 179 क/98]

(दो) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 180/98]

(3) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकारी स्थान। (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन नियम, 1997 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 181/98]

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम,1985 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 182/98]

(6) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 183/98]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 184/98]

(ख) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 185/98]

(10) दिल्ली नागरी कला आयोग, अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 24 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 186/98]

(12) दिल्ली नागरी कला आयोग, अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली नागरी कला आयोग (अनुसचिवीय तथा अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1996 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (3) / 94–डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि–पत्र केवल हिन्दी संस्करण जो 8 फरवरी,1997 और 9 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी अंशदीय भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1997 जो 2 अगस्त, 1997 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या (1) /76–डीयूएसी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा शर्तें) संशोधन विनियम,1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1(1)/87–डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 187/98]

(14) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 188/98]

(16) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 189/98]

(तीन) (क) रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

(ख) रेल इंडिया टैक्निकल एंड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड तथा इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा कार्यकरण संबधी वार्षिक समीक्षा

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1997 जो 25 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 620(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 190/98]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 191/98]

(ख) (एक) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 192/98]

(ग) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 193/98]

(घ) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 194/98]

(ङ) (एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 195/98]

(चार) स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा।

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): महोदय, श्री नवीन पटनायक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) स्पंज आइरन इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 196/98]

(2) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 197/98]

(3) कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 198/98]

(ख) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 199/98]

(पांच) आर्थिक सर्वेक्षण 1997-98

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) "आर्थिक सर्वेक्षण, 1997–98" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 200/98]

(छह) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे/तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, श्री बंडारु दत्तात्रेय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 201/98]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अरबन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अरबन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 202/98]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की संरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 203/98]

(सात) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और एम एस टी सी लिमिटेड के साथ वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 204/98]

(2) एम एस टी सी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 205/98]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय मैं 20 नवम्बर 1997 को सभा को दी गई सूचना के बाद से पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वित्त विधेयक, 1998;

(2) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1998;

(3) विनियोग (रेल) विधेयक, 1998;

(4) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1998;

(5) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998;

(6) विनियोग विधेयक, 1998; और

(7) आय कर (संशोधन) विधेयक, 1998।

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव : महोदय मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) 1 जून, 1996 से 31 मई, 1997 की अवधि से संबंधित "संसदीय समितियों (वित्तिय और विमागों से संबद्ध स्थायी समितियों के अलावा) के कार्य का सारांश" (हिन्दी तथा अंग्रंजी संस्करण); और

(2) 1 जून, 1997 से 4 दिसम्बर, 1997 की अवधि से संबंधित "संसदीय समितियों (वित्तीय और विमागों से संबद्ध स्थायी समितियों के अलावा) के कार्य का सारांश" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

महासचिव : महोदय, मैं विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (1997–98) के उन्नीसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

प्रतिवेदन को निदेश 71क (1) के अधीन ग्यारहवीं लोक समा के माननीय अध्यक्ष को सौंपा गया था और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अधीन मुद्रित और परिचालित किया गया था।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) (झ) के अनुसरण में, इस समा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) दिल्ली विकास प्रधिकरण की सलाहकार परिषद

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2) (I) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, चार वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सलाहकार परिषद के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, चार वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसांधन संस्थान विधेयक*

रसायन और उर्वरक मन्त्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, के नाम से ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित करने और उसके नियमन तथा उससे ससक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खण्ड–2, दिनांक 28.5.1998 में प्रकाशित।

"कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नाम से ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित करने और उसके नियमन तथा उससे ससक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसधान संस्थान (दूसरा) अध्यादेश

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान (दूसरा) अध्यादेश 1998 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 206/98]

अपराह्न 12.06 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवः शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायलय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(डा. एम. तम्बी दुरई) : मैं विधेयक पुरः स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश संबधी विवरण

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री : (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 1998 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 207/98]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले महिलाऐं बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 22.5.98 को जयपुर में बहुचर्चित जे.सी. बेस छात्रावास कांड की पीड़ित युवती के साथ हुए बलात्कार की ओर दिलाना चाहती हूं। इसी लड़की के साथ पिछले सितम्बर,1997 में भी घटना घटी थी और अब फिर दोबारा 22 तारीख को हुई है। राजस्थान की कानून–व्यवस्था यह है कि बलात्कारी लोग खुले आम घूम रहे हैं। यह जो रेप केस हुआ है, फिल्मी स्टाइल में हुआ है। लड़की को उसके घर से उठाकर ले गए और वैन में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कारियों ने नकाब पहना हुआ था। जो रेप में शामिल हैं, राजस्थान सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। इस लड़की के साथ एक साल में दो बार रेप किया गया। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। महोदय, इसी से संबधित मैं कुछ बिन्दुओं पर और आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। हम महिलाओं को इस बारे में इस सदन में बोलने से भी शर्म आ रही है कि देश में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में सिर्फ यही एक कांड नहीं हुआ है, इसके अलावा भंवरी देवी कांड, शिवानी जडेजा कांड, शालिनी शर्मा और शालिनी तंवर जैसे भी कांड हो चुके हैं। इन कांडों में राजस्थान के मंत्रियों के बेटे भी शामिल हैं।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, करोली क्षेत्र में 20 तारीख को कैलादेवी स्थान में माली जाति की महिला के साथ रेप केस हुआ है और इसमें विधायक भी शामिल है। इस ओर भी केन्द्र सरकार का ध्यान जाना चाहिए, जहां तक मेरी जानकारी है, इस केस में न सिर्फ विधायक शामिल हैं, बल्कि वहां के सरपंच भी शामिल हैं।

वहां के जिला परिषद के सदस्य भी शामिल हैं। जो जनता को न्याय देने वाले जनप्रतिनिधि हैं वे भी रेप केस में शामिल हैं। राजस्थान सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान की कानून–व्यवस्था की तरफ होना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही महत्वपूर्ण बातों का वर्णन कर दिया है।

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं भी इस मसले पर कुछ कहना चाहती हूं।...*व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया है ना कि पुरुष सदस्यों को। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती उषा मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी एक बात और सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष म्होदय : यदि कई माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगें तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी।

(व्यवधान)

श्रीमती उषा मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोटा का एक उदाहरण देती हूँ। वहां एक लड़की का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसका बलात्कार करके उस लड़की की हत्या कर दी गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.13 बजे

(इस समय श्रीमती उषा मीणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया अपने स्थानों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया अपने स्थानों पर चलें जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले आप सभा का समय व्यर्थ गवां रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से कई बार ऐसा कार्य कर रहें हैं। आप सभा प्रक्रिया को भी जानें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती उषा मीना और श्रीमती प्रभा ठाकुर मेरी सहयोगी सदस्या हैं जो राजस्थान से चुनी गई हैं और उनके द्वारा उठाया गया मामला अत्यन्त गम्भीर और महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य में महिलाओं पर हुए अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। मैं इस बात का वर्णन नहीं करना चाहता हूं कि किस प्रकार के अत्याचार हुए हैं। परन्तु, समाचार–पत्रों में कई घटनाओं का वर्णन किया गया है और सभी संसद सदस्य यहां यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहें हैं कि कई जिम्मेदार और महत्वपूर्ण लोग इन मामलों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार कुछ विधायक, कुछ मंत्री और कुछ सरकारी कर्मचारी भी इन मामलों में शामिल है। वहां की सरकार उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। सामान्य रूप से यही पूरे देश की और विशेष रूप से, राजस्थान की सम्पूर्ण महिला समुदाय की शिकायत है। यही उचित समय है कि इस मामले में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि आप गृहमंत्री जी को निर्देश दें कि वह सदन में स्थिति स्पष्ट करें और एक विस्तृत वक्तव्य दें। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से स्थिति को जानने और समझने में पूरे सदन को मदद मिलेगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता इस विषय पर पहले ही अपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री चमनलाल गुप्त (ऊधमपुर): मध्य प्रदेश के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगें।...*व्यवधान)*

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): राजस्थान की घटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह जयपुर से संबधित मामला है और राज्य सरकार इस मामले में बहुत सचेत है तथा वह कार्यवाही कर रही है। किसी भी अपराधी को राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। यह सही तरीका नहीं है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : राज्य सरकार बराबर कार्यवाही कर रही है। किसी भी अपराधी को नहीं बक्शा जाएगा। मैं राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नही बरतेगी।...*(व्यवधान)* राज्य सरकार के मामले को लोकसभा में उठाने का क्या औचित्य है। इसके लिए तो राजस्थान की विधान सभा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण को कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सबसे पहले आपकी बात सुनी और विपक्ष के नेता इस विषय पर बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : राजस्थान में एक हरिजन महिला की नाक में नकेल डालकर घुमाया गया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुमित्रा महाजन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप मुझे बोलने क्यों नही दे रहे हैं।... *(व्यवधान)* हमारे देश में स्त्री को माता के रूप में पूजा जाता है और एक स्त्री के साथ इस तरह की घटना होना, यह बहुत ही संवेदनशील बात है। आज सारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी जब इस प्रकार की घटना...*(व्यवधान)* मैं तो यह कहती हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार की घटनाएं पुलिस की कस्टडी में होती हैं।...*(व्यवधान)*

पहले मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब मध्य प्रदेश का मामला सदन में आया, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय मध्य प्रदेश के मंत्री ने बयान दिया कि अगर एक बार बलात्कार हुआ तो दस हजार रुपये दिए जाएंगे और अगर दो बार बलात्कार हुआ तो बीस हजार रुपए दिए जाएंगे। पहले इस मानसिकता को बदला जाए. ..*(व्यवधान)* मेरा इतना ही निवेदन है कि यह स्त्री की इज्जत का सवाल है ...*व्यवधान)* आप चुप बैठिए। मैं आप सब को जानती हूं। मैं मध्य प्रदेश का रिकार्ड भी जानती हूं...*(व्यवधान)* मैं स्त्री की इज्जत एक माता के रूप में प्रस्तावित करना चाहती हूं। इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के साथी ऐसी बात करें तो अच्छा होगा। यहां कोई भी अछूत नहीं है–चाहे कांग्रेस के लोग हों या कोई और हों। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए...*(व्यवधान)* आपको इस बात पर बोलने का काई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूं।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको पहले ही समय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन :आप इस मामले को राज्यवार न लें। आप इसको एक स्त्री और माता की इज्जत के रूप में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। यह कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है । इस देश की महिलाएं बोल्ड हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बाद में आपको बोलने के लिए पुकारूंगा। कृप्या अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप मत बोलो। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया आप अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : राजस्थान में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है।...*(व्यवधान)* वहां के विधायक और कई लोग उसमें शामिल हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महिला पर अत्याचार हुआ है और यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार की ओर से कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृप्या अपने स्थान पर बैठ जाइए।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : एक महिला पर अन्याय हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार महिलाओं पर अत्याचार, अपमान जैसे अपराधों को क्रूर अपराध मानती है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए यह हमारी मान्यता है। हालांकि ये मामले राज्य सरकारों के अधीन हैं, फिर भी चूंकि महिलाओं के खिलाफ अपमान और अपराध का मामला है, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री तक आपकी भावनाओं को पहुंचाकर निवेदन करूंगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मामले हुए हैं, इनकी वस्तुस्थिति क्या है यह सदन में बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला बोलें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : जीरो अवर एक बजे तक चलने दें। और भी बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : इंडो–पाक बोर्डर पर किसानों का बहुत बड़ा मामला है। ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि सरदार सुरजीत सिंह बरनाला अपनी बात बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पंजाब के बोर्डर पर किसानों का बहुत बड़ा मामला है। वहां कंटीले तार उनकी जमीन बांट देते हैं। वह वहां जा नहीं सकते हैं। वह क्या करें ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, जो हिंदुस्तान के सीमांत किसान हैं, जहां पंजाब का बोर्डर पड़ता है, यह वहां के किसानों का मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। माननीय सदस्यों, आप अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया इस बात को समझिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, कृपया आप मुझे केवल दो मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब श्री एस. एस. बरनाला अपना भाषण जारी रखेगें।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। कृप्या बैठ जाइए।

अपराह्न 12.33 बजे

(इसी समय श्रीमती उषा मीणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने–अपने स्थानों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी, कृपया अपने सदस्यों से कहिए कि वे अपने–अपने स्थानों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कृपया मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा, परन्तु आप उनसे अपने–अपने स्थानों पर चले जाने के लिए कहिए।

श्री राजेश पायलट : पहले मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले उनको बोलिए कि वे अपने स्थान पर जाएं। उसके बाद मैं आपको अलाऊ करूंगा।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप कृपया उनसे अपने–अपने स्थानों पर जाने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आप माननीय सदस्यों की भावनाएं नहीं समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको अनुमति दूंगा परन्तु आप उन्हें वापिस जाने के लिए कहिए।

श्री राजेश पायलट : यह कोई शर्त नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.39 बजे

(इस समय श्रीमती उषा मीणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापिस चले गए।)

श्री राजेश पायलट : महोदय, क्या मैं बोल सकता हूँ ? क्या आप मुझे बालने की अनुमति देंगें ?

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप उधर से ऐलाउ करेंगे तो आपको इधर से भी ऐलाउ करना पड़ेगा।..*(व्यवधान)* वे एक घंटे से लगातार बोल रहे हैं। लेकिन आपने इधर से किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी। ...*(व्यवधान)* श्री खुराना जी ने बात साफ कर दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य पाल जैन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : श्री खुराना जी ने कहा है कि राजस्थान में जो भी घटना हुई है, उसके बारे में वह होम मिनिस्टर को बता देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन की चिन्ता है जैसा श्री मदन लाल खुराना जी ने कहा। हम उस भावना से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सारे देश में अगर हमारी माँ–बहनों के साथ अगर ऐसी चीजें होंगी, ऐसे हादसे होते हैं तो सारे सदन की चिन्ता आपके साथ है। यह सरकार की चिन्ता सही है और जो भी सरकार में है उसकी यह चिन्ता होनी चाहिए तभी देश में यह चीजें दूर होंगी। ...*(व्यवधान)* आज जो मुद्दा उठाया गया, अध्यक्ष महोदय उस समय आप स्पीकर नहीं थे, यह कोई नई बात नहीं है। आज से एक–डेढ़ साल पहले उसी होटल में यह हुआ था और इसी सदन में यह मुद्दा उठाया गया था। उस समय गृहमंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्ता थे। उन्होंने बयान भी दिया था। वह बहुत शर्मनाक घटना थी। उस लड़की के साथ रेप हुआ और उसी के साथ आज दुबारा रेप हुआ और वह भी डराकर हुआ। ...*(व्यवधान)* एक नहीं बल्कि हमारी जितनी वूमैन आर्गनाइजेशन्स हैं, उन्होंने लिखकर दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : आप उन्हें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* उसके बाद आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर उत्तर देंगे, ऐसा कहने के बाद भी ...*(व्यवधान)* यह कौन सी नई बात कह रहें हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आप मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)* जितनी भी संस्थाऐं थी, वे सब राजस्थान में एक साल तक विरोध करती रहीं। एजीटेशन होता रहा लेकिन उसके बाद भी वहाँ घटनाऐं हुई हुई हैं। ...*व्यवधान* आज हमारे साथियों ने, हमारी महिला सदस्यों ने श्रीमती ऊषा मीणा और प्रभा ठाकुर ने बातें उठायीं। उसके साथ सरकार का मध्य प्रदेश का जोड़ना, राजनीतिक झलक दिखती है। ...*(व्यवधान)* हम सारे देश की चिन्ता देखते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोहन पोटाई (कांकेर) : क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप नहीं होता।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में भी रेप होता है। ...*(व्यवधान)* जब आप सारे देश की बात करते हो तो उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आप पूरे हिन्दुस्तान की बात कहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, हमने राजस्थान की घटनाओं के बारे में नोटिस दिया था, परन्तु वे इसको राजनैतिक रूप दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : आप मध्य प्रदेश की भी चर्चा उठाइए ...*(व्यवधान)* अगर मध्य प्रदेश में घटनाऐं हुई होंगी तो आप उन पर चर्चा कराइये। ...*(व्यवधान)* सरकार के खिलाफ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह क्या हो रहा है ? प्रत्येक सदस्य को उचित व्यवहार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश पायलट : जी हां। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो सबसे भारी घटना हुई है, उसके बारे में गृहमंत्री पहले बयान दें। बाद में वे सारे देश के बारे में बयान दें। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन राजस्थान के

बारे में वे आज बयान दें कि आप इस पर क्या कर रहे हैं? आप यह वायदा करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री सोहन पोटाई : क्या मध्य प्रदेश में मां–बहनें नहीं होतीं? क्या राजस्थान में ही होती हैं ? ...*(व्यवधान)* पूरे हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश की भी बात आती है। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ...*(व्यवधान)*

श्री सोहन पोटाई : क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं अलग होती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया (झाबुआ) : क्या आपने नोटिस दिया है ? ...*(व्यवधान)* हमने राजस्थान के मामले में नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सारे हिन्दुस्तान की महिलाओं की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप राजस्थान की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप पूरे हिन्दुस्तान की महिलाओं की बात करिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती ऊषा मीणा : क्या राजस्थान की महिलायें हिन्दुस्तान से अलग हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे जो निवेदन किया, उसमें कोई राजनीति नहीं है। आज जब मैं इस सदन में आया, जब यह प्रश्न उठाया गया तब मैं उस समय था ही नहीं। उस समय मैं राज्य सभा में था क्योंकि श्री वाजपेयी जी को वहां पर स्टेटमेन्ट देना था। मैं जब यहां आया तो वहां से वे राजस्थान का इश्यु उठा रहे थे और उधर से मध्य प्रदेश का इश्यु उठा रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जब मैं इस हाउस में आया, उस समय श्रीमती सुमित्रा महाजन आपकी परमीशन से इस इशू को उठा रही थीं। *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दी जाय। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने किसी और स्टेट का नाम नहीं लिया है। *(व्यवधान)* और स्टेट्स जहां अत्याचार हो रहे हैं, का नाम भी मैं ले सकता था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यह कहा है कि क्योंकि श्रीमती महाजन उस समय वह इशू उठा रही थीं *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : महिलाओं के अत्याचार के ईशू पर आप राजनीति लाते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : यह महिलाओं का मामला है, इसलिए मैंने कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : केवल राजस्थान का मामला ही सदन में उठाया गया था, मध्य प्रदेश का नहीं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने पहले उनको ऐलाउ किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : राजस्थान का नाम लिया जा रहा है, मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया जा रहा है। *(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आप दोनों तरफ से बोलने के लिए ऐलाउ कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखें ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूं, मैंने जो कहा है उसे दोहरा रहा हूं। यहां दोनों के बारे में मैंने कहा है। हमारी पार्टी इस तरह के अपराधों को क्रूर अपराध मानती है, दोषियों को दंड मिलना चाहिए...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हों तो आप व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरी बात तो सुन लें, *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यह कहा है चूंकि लॉ एण्ड ऑर्डर का महकमा राज्य सरकार का है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को जो इधर से व्यक्त की गयी हैं *(व्यवधान)* सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय यह गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट जी, कृपया स्थिति को समझिये। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे एक मिनट तो दें जिससे मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला भले ही राज्य सरकार का है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : यह महिलाओं पर अत्याचार का मामला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हालांकि यह लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला राज्य सरकार का है, लेकिन चूंकि यह महिलाओं पर अत्याचार का है इसलिए मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भावनाएं सदन में व्यक्त की गई हैं उसके संदर्भ में वे यहां वक्तव्य दें।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मीणा और प्रभा ठाकुर जी ने नोटिस देकर राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार का मामला सदन के सामने रखने की कोशिश की है। आपने उसके लिए इजाजत दी इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम इतना ही चाहते थे कि यहां जो राजस्थान की बात कही गई और जो सीरीज ऑफ एट्रोसिटीज हुई हैं, उस पर जिस ठीक ढंग से वहां की हुकूमत को काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया। अलग–अलग दलों के महिला संगठनों ने भी इस मामले को उठाया है। इसलिए हमने कहा कि इस बारे में बयान दिया जाए। जहां तक दलितों पर अत्याचार, हरिजनों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार की बात उठती है तो उसको भारत सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। उस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए। इसलिए जो मामला यहां नोटिस देकर उठाया गया है, उस पर सरकार को बयान देना चाहिए।

श्री सत्य पाल जैन : मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहे, उसका क्या हुआ ?...*(व्यवधान)* वहां आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ...*(व्यवधान)* क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं, महिलाएं नहीं हैं ?...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में भी जहां–जहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, वहां–वहां जाँच होनी चाहिए।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ! कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? कृपया स्थिति को समझिए। आपको नियम पता होने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूरा देश संसद की कार्यवाही देख रहा है। कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे मन में कोई राजनीति नहीं है।...*(व्यवधान)* महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जो सदन की भावनाएं हैं, मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस बारे में बयान दें।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : यहां राजस्थान का नोटिस दिया गया है।... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सदन की जो भावनाएं हैं...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, महाराष्ट्र की बात है, आप सदन के सामने रखिये, हम इस पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं, हम इस पर डिसकशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना नोटिस दिए...*(व्यवधान)* लेकिन बिना नोटिस दिए आप यहां मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान) इसमें आपके बयान में राजनीति की बू आती है, वह हम नहीं चाहते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : हम राजस्थान के संबंध में वक्तव्य चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हमने यह मुद्दा उठाया है। हम राजस्थान के संबंध में एक वक्तव्य चाहते हैं। इसे अन्य राज्यों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर यह सभा चाहती है तो हम विभिन्न राज्यों में विद्यमान स्थिति के संबंध में

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं। परन्तु राजस्थान के संबंध में एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : स्पीकर के चेम्बर में बैठकर...*(व्यवधान)* स्पीकर से तय करके ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें एक महत्वपूर्ण कार्य निपटाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, मैं बार–बार कहना चाहता हूं कि नोटिस सिर्फ राजस्थान के लिए है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : नोटिस का सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2–30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.33 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो राजस्थान से संबंधित बात उठाई गयी है, उसे थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जहां तक मंत्री महोदय ने कहा कि हम दो राज्यों के बारे में सदन में वक्तव्य लाना चाहते हैं, तो इस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सदन में राजस्थान के बारे में इश्यू रेज किया गया था, जिसके बारे में पूर्व में नोटिस दिया गया था। आपसे इजाजत लेने के बाद ही राजस्थान से संबंधित इश्यू को रेज किया गया था। यदि अन्य सदस्य मध्य प्रदेश के मामले को रेज करना चाहते हैं या महाराष्ट्र के मामले को रेज करना चाहते हैं या हिमाचल प्रदेश के मामले को रेज करना चाहते हैं, तो वे आपको नोटिस दे सकते हैं और यह उनका अधिकार है। इस बारे में सरकार विचार करके रिपोर्ट सदन के सामने रखेगी, तो हम उसका स्वागत करेंगे। राजस्थान के बारे में नोटिस देने के बाद, दूसरे राज्यों को इस मुद्दे से जोड़ने से हमें राजनीतिक बात दिखाई देती है।

आपके सामने मेरा इतना ही सुझाव है कि यहां राजस्थान के बारे में जो रिपोर्ट देने की बात हमने रखी है, वह स्वीकार होनी चाहिए। जो जे. सी. बोस होस्टल की घटना घटी है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। उसी लड़की के ऊपर दूसरी बार अत्याचार हुआ है। करोली में कैलादेवी, आदिवासी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ। उसकी शिकायत में इल्जाम लगा है कि इसमें कोई विधायक शामिल है, कोई पुलिस अधिकारी शामिल है, ऐसा कहते हैं।

महोदय, जो कोटा में 17 साल की लड़की के साथ अत्याचार हुआ और बाद में उसका मर्डर भी हुआ, इस प्रकार एक के बाद एक घटना राजस्थान में हो रही है। इस कांड से पूरे देश की महिलाएं संतप्त हैं। इसलिए राजस्थान के बारे में जो इश्यू हमने सदन के सामने रखा है, इसे किसी इश्यू के साथ जोड़ना नाइंसाफी होगी। मेरा सिर्फ इतना ही सुझाव है कि राजस्थान के बारे में रिपोर्ट दीजिए, बाकी और किसी स्टेट के बारे में कुछ करना हो तो जरूर डिसकशन कीजिए, उसका हम स्वागत करेंगे। आप डिमांड करिए, नोटिस दीजिए, इस पर जो कुछ तय करेंगे इस बारे में भी मेरी कोई तकरार नहीं होगी, लेकिन राजस्थान के बारे में अलग से विचार होना चाहिए। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : यह विषय लिखित रूप में किसी मोशन के अंतर्गत नहीं था। यह जीरोऑवर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे जो मालूम हुआ है, वह यह है कि जीरो ऑवर में उठाने के लिए लिखित रूप से सूचना दी जाती है, नोटिस दिया जाता है। जिस समय यह डिसकशन हो रहा था मैं सदन में नहीं था। मैं जब सदन में आया तो मुझे पता चला, जैसे यह कहते हैं कि आपकी आज्ञा से इस इश्यू को रेज किया गया, उसी तरह से सुमित्रा महाजन जी ने इस इश्यू के साथ उसे जोड़ा, जैसे आम तौर से होता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में उन्होंने अपनी बात जोड़ी। मैं जब आया तो वह बोल रही थीं। मैंने उस समय अपनी सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा और तभी यह सदन भोजनावकाश के लिए स्थगित हो गया।

महोदय, मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। आपकी भावना को उन तक पहुचां दिया है। वे तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। राजस्थान के तथ्यों को भी वे यहां रख देंगे। उसके बाद माननीय सदस्य लिखित रूप में कोई मोशन या कुछ और प्रस्ताव उसके ऊपर लाना चाहते हैं तो ये आपके सामने ले आएं और आप उस पर आज्ञा दें तो हमें उसमें क्या एतराज है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सभी तथ्यों को, सदन की भावना को गृह मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा, जो मैंने पहुंचा दिया है। गृह मंत्री जी तथ्यों को लाकर आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आप बहस करना चाहते हैं या जो कुछ कहना चाहते हैं, जिस समय होम मिनिस्टर साहब आपके सामने होंगे तो आप उस समय बात कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षणों के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को जारी रखेगें। श्री बरनाला जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह पूरा हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल का मामला है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : खुराना जी ने मान लिया कि गृह मंत्री जी जवाब देगें, अब आप सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरण (तिरूवनन्तपुरम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री के. करुणाकरण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 की धारा (2) के अंतर्गत है। ...*(व्यवधान)* यह संविधान से संबधित है; सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में है। मेरा प्रश्न यह है कि यहां कुछ सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और जैसे ही विपक्ष के नेता को यह अहसास हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है तो उन्होंने इस मुद्दे को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष उठाया।...*(व्यवधान)*

महोदय, यह एक गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* यह सच है कि प्रधान मंत्री और ग्रहमंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।...*(व्यवधान)*। वह इस मंत्रिमंडल के एक जिम्मेदार सदस्य हैं और वह 'संसदीय कार्य' मंत्री हैं। उन्होंने इसका उत्तर दिया है। उनका उत्तर कितना नैमित्तिक है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। अब श्री बरनाला जी बालेंगें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यदि वे साम्प्रदायिक आधार पर बात करेंगें तो वे किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने इसे पहले ही नोट कर लिया है। माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही गृह मंत्री जी को सूचित कर दिया है और वह आ रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, क्या आपने इन्हें बोलने की अनुमति दी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तीन बजने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं(बालासोर) : सर, हमको भी बोलने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी. जे. कुरियन(मवेलीकारा) : यह एक गंभीर मामला है। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री के. करुणाकरण : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अगर एक राज्य में हुई घटना की चर्चा हो रही है तो दूसरे राज्य में हुई उसी प्रकार की घटना की चर्चा यहां क्यों नहीं हो सकती है।

श्री विजय गोयल : सर आपने तीन बार बरनाला जी को बोलने की अनुमति दी है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। माननीय सदस्य इतने सीनियर सांसद होकर पाइंट ऑफ ऑर्डर कहकर भाषण दिये जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री के. करुणाकरण : संसदीय कार्य मंत्री की प्रतिक्रिया क्या है ? ...*(व्यवधान)* मैं सदस्यों की भावनाओं को गृहमंत्री जी तक पहुंचा रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री के. करुणाकरण : उन्हें सरकार की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए थी और हमें यह बताना चाहिए था कि सरकार क्या कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको मंत्री जी को निर्देश देना होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होने गृह मंत्री जी को पहले ही सूचित कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा पूरी हो गयी है। अब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी। श्री बरनाला अपना अभिभाषण जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश करें कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को पहले ही गौर किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय आप गृहमंत्री को निर्देश दें कि वह सदन में इस बारे में ध्यान दें।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने पहले ही सदन के सामने निवेदन किया है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन तो लो।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने पहले ही कह दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत हो गया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको समझना चाहिए कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, सदस्य काफी उत्तेजित हैं और इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय गृह मंत्री जी को इस पर वक्तव्य देने के लिए सूचित करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने आपकी भावना गृहमंत्री तक पहुंचा दी है। चूंकि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट पर बोलना है। वह उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में राजस्थान फोन किया है। वह इस घटना के बारे में सूचना मंगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : इस बारे में एक स्टेटमेंन्ट होना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : वह तथ्यों को एकत्र करके स्टेटमेंन्ट ही देंगे।...*(व्यवधान)* मैं भी यही कह रहा हूं। होम मिनिस्टर ने कहा है कि वह तथ्यों को इकट्ठा करके सदन के सामने रखेंगे।...*(व्यवधान)* वह स्टेटमेंन्ट नहीं तो और क्या है ? वह अभी हाउस में आयेंगे तो पूछ लेना...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन तो लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह विषय समाप्त होता है। और हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वह अभी आयेंगे तो उनसे पूछ लेना। ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : गृह मंत्री का अभी स्टेटमैंट होना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : अभी स्टेटमेंन्ट कैसे हो सकता है ? आप उन्हें तथ्य तो इकट्ठे करने दीजिए।

श्री शरद पवार (बारामती) : यह बता दीजिए कि गृहमंत्री आज स्टेटमेंन्ट देंगे, कल देंगे या परसों देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हाउस उठने से पहले बता दिया जायेगा कि वह कब स्टेटमेंन्ट देंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : जो कुछ भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है हम उससे सहमत हैं। सरकार को सूचना प्राप्त करने दीजिए ..*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी कहें कि वक्तव्य कल दिया जाएगा..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : सरकार ने पहले ही आश्वासन दे दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कभी ऐसा नहीं होता। कहा जा रहा है कि अभी दीजिए, आज ही दीजिए। मैंने आपसे कह दिया है कि आज सदन के उठने से पहले हम बता देंगे कि वह किस समय स्टेटमैंट देंगे ?

अपराह्न 2.50 बजे

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बहस कल से चल रही है। इस बहस में एक मुख्य बात उधर से यह आई है कि यह विस्फोट इस वक्त क्यों हुआ ? यह हम से इसका जवाब मांग रहे हैं ? मैं कल जिक कर रहा था कि हमारे पडोसी पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई। वह 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने की मिसाइल है। उसका टेस्ट हुआ। सारे पाकिस्तान में खुशी मनाई गई कि हमने मिसाइल बना ली है जो भारत के हरेक शहर पर गिरायी जा सकती है। वहां विरोध नहीं हुआ जैसे यहां कुछ विरोध करने की आदत है।

श्री शरद पवार (बारामती) : अग्नि का किसी ने विरोध नहीं किया।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : वहां उनकी क्षमता अगर न्यूक्लीयर बम बनाने की होती तो वह भी उन्होंने कर लिया होता क्योंकि आज ही उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान था कि हम किसी सैंक्शन की परवाह नहीं करते, हमें किसी सैंक्शन की परवाह नहीं है। यह बात ऐसे चली है कि शायद एक–दो या आठ–दस दिन में वे कोई ऐसा काम करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। सैंक्शन पहले भी लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन हम किसी की परवाह नहीं करते। यह सिचुएशन है।

अब हमारी क्या सिचुएशन है ? हम 1974 में एक विस्फोट करके, तब से इसी तैयारी में लगे हैं और यह काम बंद नहीं हुआ । यह कांस्टैण्टली चलने वाला काम था। हमारे साइंटिस्ट जो इस बड़े काम में लगे हुए हैं, एक जनरेशन गुजर गई है, 24 साल हो गये हैं और वे तो बेचारे बुड्ढे हो गये। हमारे जो टौप साइंटिस्ट हैं चाहे अबुल कलाम हों या चिदम्बरम हों, वे तो अब रिटायर होने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके होते–होते वह काम हो जाएं जिस काम को वे कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

हमारे पास एक शस्त्र तैयार था। बहुत दिनों से बात चली आ रही थी कि शस्त्र तैयार है लेकिन शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उसका टेस्ट न कर लिया जाए। शस्त्र का परीक्षण करना जरूरी होता है। अब यही बात सालों से थी कि शस्त्र तैयार है लेकिन उसका परीक्षण नहीं हो रहा था, टैस्ट नहीं हो रहा था। यह टैस्ट क्यो नहीं हो रहा था–शायद कोई दबाव था बाहर का, शायद बाहर के हालात से कुछ घबराते थे या किसी ऐसे रिएक्शन से घबराते थे कि यह न हो जाए, वह न हो जाए। हम ऐसी सोच में पड़े हुए थे, नहीं तो यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हो सकता था। हमारे साइंटिस्ट कर सकते थे, हमारे टेकनीशियन कर सकते थे, उनकी कैपेबिलिटी थी, हमारे देश की थी और बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन गालेबन ऐसा दिखाई दे रहा है, वही दबाव हमारे ऊपर था। हम नहीं कर पा रहे थे और अब जब कर लिया है तो उस पर ऐतराज हो रहा है कि अब क्यों कर लिया है ? आप जो काम नहीं कर सके, उस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। आप कर लेते तो बहुत अच्छा था। उसका कोई विरोध भी नहीं होना था, लेकिन अब हो गया है, उसका विरोध हमें कोई न कोई बात निकालकर, नहीं करना चाहिए।

यह भी कहा गया कि लोग इसके बारे में अलग–अलग तरह की बातें करते हैं। इसका बाहर के देशों में बहुत बुरा असर हुआ है। मुझे मौका मिला उस एरिया में जाने का जो बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश के साथ लगता है। तरण–तारण में इलैक्शन होने वाला है और 3 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। पिछले हफ्ते मैं वहां गया चुनाव प्रचार के लिए और मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। मैंने उन लोगों से बात– चीत की। मीटिंग्ज और गैदरिंग्ज में इस तरह की बातें भी चल पड़ती हैं। मुझे बात–बात में यह कहा गया कि हमारे यहां एक कहावत चलती है कि–

"सब दुनियाँ जाने जोरां नूं, कौन पूछे कमजोरां नूं।"

यह लोगों की प्रतिकिया थी।

जो दूसरे लोग हैं वे जोर को समझते हैं, ताकत को समझते हैं। कमजोर आदमी की कोई पूछ नहीं है, उसकी कोई बात नहीं होती है। केवल यही बात नहीं है, हिस्टोरिकल बात है। मैं किसी और जगह पर गया था। वहां पर मेरे से पहले कोई बोल रहे थे। उन्होंने वहां पर ऐसी पुरानी बात की। ऐतिहासिक बात को सामने लाकर उन्होंने गुरू गोविंद सिंह जी का जिक्र किया। ऐसा समय आ गया है गुरू गोविंद सिंह जी ने तब फारसी में कहा–

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

चू कार अज हमी हिलाते दर गुजाश्त,

हलालुस्त बुरदन ब शमशीर दस्त।

जो काम और किसी ढंग से न हो सके फिर जरूरी है कि तलवार पर हाथ ले आइये। अब ऐसा हुआ। हालात ऐसे बन गये। आस–पास बैठे जो दूसरे लोग हैं वे परीक्षण किये जा रहे हैं, कोई किसी को रोक न सका। जिन लोगों के पास यह अणुशक्ति थी, वे किसी के रोके नहीं रुके, अपनी अणुशक्ति बढ़ाते रहे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा परीक्षण किए जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। हम इसके बाद कोई टैस्ट नहीं करें। हमें यह कहा जा रहा है कि आपने क्यों टैस्ट कर लिया, यह टैस्ट करने का समय नहीं था, आपको अभी टैस्ट नहीं करना चाहिए था। हमारी यह ख्वाहिश नहीं है कि हमारा पड़ोसियों से झगड़ा हो। उन्होंने भले ही 10–12 साल एक प्रोक्सी वार के जरिए से पंजाब में तंग किया है। मैं इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के रिप्रजेन्टेटिव की हैसियत से बोल रहा हूं। 10–12 साल लगातार एक प्रोक्सी वार चलता रहा है, जिसको उधर से सपोर्ट मिलती थी और हमारे देश का तथा खासकर पंजाब का नुकसान होता था। दोनों तरफ के करीब डेढ़ लाख मारे गए, कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी कुछ दूसरे साधारण लोग मारे गए। इतना भारी नुकसान हुआ है। पंजाब 10–12 साल पीछे चला गया, ऐसे हालात हमारे बने रहे। हम उस वक्त भी उस बात के हामी थे। बहुत अरसा पहले 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन किया था, उसमें पहली बात यह कही गई थी कि सारे पड़ौसी देशों से दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। यह हम अब भी कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने स्टेटमैंट के पैरा दस में इस बात का जिक्र किया है–

हम इन शास्त्रों का प्रयोग किसी देश के विरुद्ध आक्रमण करने अथवा धमकी देने के लिए नहीं करना चाहते। यह हथियार हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत को आणविक धमकियां अथवा दबाव से डराया नहीं जा सकता है। हम शास्त्र दौड़ में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।

बहुत साफ कहा है, किसी को डराने, धमकाने की बात नहीं है। यह पूज्य गुरूओं ने भी कहा था। गुरू तेग बहादुर, जिनका शीश यहां दिल्ली में लगा, जिनकी शहादत हुई, उन्होंने भी कहा था– न भय काहू को देत है, न भय मानत आन। किसी को डर देते नहीं, लेकिन किसी का डर मानते भी नहीं हैं। यह उन्होंने कहा था और ऐसे ही नेशनल एजेंडा में इस बात को लिया गया है कि भयरहित सोसायटी बनानी है, भय मुक्त सोसायटी बनानी है। ऐसा कुछ कहा गया है। फिर जिक्र आया कि यह तो हमने किया है इससे आर्म्स रेस हो जायेगी। इसकी वजह से हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आर्म्स रेस शुरू हो जायेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आर्म्स रेस तो चल रही है। यह रेस तो बंद नहीं हुई। चाइना तो बहुत समय से इस काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान जो कर सकता था वह किये जा रहा है। एशिया में कुछ और देश भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। आर्म्स रेस चल रही है। इसलिए यह कहना कि अब इससे चलना शुरू हो जायेगी, क्योंकि हमने यह काम शुरू कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ऐसा जरूर जरूर है कि हम इसमें पिछड़ रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते तो और पिछड़ जाते। कुछ लोग हमसे आगे निकल गये होते, हमें ऐसा दिखाई देता है। यहां पर जिक्र आया कि न्यूक्लीयर वीपन्स का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह आर्गुमेंट गुप्ता जी ने यहां पर किया। न्यूक्लियर वीपन्स तो बनते रहे हैं, लेकिन महज दो दफा ही जापान पर इस्तेमाल हो सके, इसके बाद कभी इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, यह हमला हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं तथा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह से किसी ने न्यूक्लीयर वैपन की तैयारी बंद नहीं की। रूस और अमेरिका का आपस में मुकाबला चल रहा था। अमरीका समझता था कि मैं ज्यादा बनाऊं और रूस समझता था कि मैं ज्यादा वैपन बनाऊं। उनके मुकाबले में अन्य देशों ने भी बनाना शुरू कर दिया।

यहां यह बात आई कि ऐसी क्या प्रोवोकेशन हो गई जिसके कारण आपने पोखरन में विस्फोट किया, इसकी क्या वजह थी, इसके लिए कोई न कोई ऐसी वजह चाहिए। प्रधान मंत्री महोदय ने कल जो बयान इस सदन में दिया है, उसमें इस बारे में बताया है कि यह परीक्षण क्यों किया गया मैंने इतिहास में देखा है कि जिस देश ने भी परमाणु हथियार बनाये हैं, उसके लिए कोई प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले अमरीका ने जापान के दो शहरों में एटम बम गिराये। फिर रूस ने भी एटम बम बना लिया। चायना ने भी बना लिया। चीन को किसी से कोई डर नहीं था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। इंग्लैण्ड ने भी बना लिया था जिसको सैकिंड रेट पावर कहा जाता है और जो सैकिंड रेट पावर बन गया है। उसको किसी से कोई डर नहीं था। पिछली जंग तक तो डर था, लेकिन उसके बाद उससे कोई डर नहीं। पिछली जंग के बाद वह एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा बन गया था, लेकिन उसको न बाहर से और न कोई आन्तरिक डर था, लेकिन वह भी न्यूक्लीयर रेस में शामिल हो गया। फ्रांस को कहीं से कोई प्रोवोकेशन नहीं था, किसी से कोई डर नहीं था, लेकिन फ्रांस ने भी परमाणु बम के दो–तीन धमाके किए। यह ऐसा काम है जिसमें किसी के प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है। यह आपके हाथ में है, आपका अपना हथियार है, आपने बना लिया, आप उसे टैस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें किसी प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है। आखिर यह आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आप उसकी जांच करने के लिये परीक्षण कर रहे हैं। ऐसा आज नहीं हो रहा है। हमारे देश में यह कार्य पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से होता चला आ रहा है। इसे हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। इस परीक्षण में किसी प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय इस परीक्षण के बाद, यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि हमारे बारे में कोई सात समुंदर पार बैठा क्या कहेगा या फलां देश क्या कहेगा। इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि हम पहल नहीं करेंगे। इस बात को प्रधान मंत्री ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम इसमें पहल करने वाले नहीं हैं। इस बात का सभी जगह स्वागत किया गया है। ऐसा नहीं है कि परमाणु परीक्षण से हमारे प्रति वर्ल्ड ओपीनियन बिगड़ जायेगा। मैं पूछता हूं कि वर्ल्ड ओपीनियन हमारे पक्ष में कब था। 1971 में हमारे न चाहते हुए भी बंगला देश के साथ वार हुआ था। हमारे साथ सारा देश खड़ा हो गया था। किसी भी पार्टी ने यह नहीं कहा कि यह ठीक नहीं है। अपोजीशन ने भी यह नहीं कहा। मुझे ध्यान है, पार्लियामेंट में भी जो तकरारें हुई उनमें किसी ने यह नहीं कहा कि आपने यह नाजायज काम किया है और इससे वर्ल्ड ओपीनियन बिगड़ जाएगा। यहां तक हुआ कि अमरीका ने अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। सारे देश में इस बात की चर्चा चली कि अमरीकी फोर्सेस आ रही हैं और शायद लड़ाई में दखल करेंगी, लेकिन उसकी वजह से देश डरा नहीं, बल्कि एकजुट हो गया और एक आवाज में सारा देश बोला और एक साथ खड़ा हो गया।

अपराह्न 3.04 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

सभापति महोदय, सारा देश इंदिरा जी के साथ खड़ा हो गया। किसी ने यह नहीं कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ, हमें पड़ोसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमारे संबंध पड़ौसी के साथ अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ऐसी बातें किसी ने नहीं कही, लेकिन मुझे आज ताज्जुब हो रहा है कि जो परमाणु परीक्षण किया गया है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है, इससे देश को बहुत फायदा होने वाला है और हुआ भी है। हमारे देश का सम्मान दुनियां में परमाणु शक्ति के रूप में हुआ है। फिर महज इस बात से घबराना कि विदेशी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे या दुनियां में ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्री हैं, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे।

किसी के स्टेटमैंट का जिक्र करते हुए कहा कि उनका क्या बनेगा ? इतने करोड़ लोग हैं, वे नाराज हो जायेंगे। ऐसा इजराइल के साथ भी हुआ था। इजराइल बहुत छोटा सा देश है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन जहां तक उसके देश की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या कहेंगे ? वे नौ–दस करोड़ लोग जो उनके इर्द–गिर्द बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे ? वह अपने हिसाब से चलता रहा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की सिक्योरिटी के लिए हमें इस बात का ध्यान न रखते हुए कि दुनियां क्या कहती है, दुनियां क्या कहेगी, अपनी मजबूती का ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमार देश कैसे मजबूत हो सकता है।

यहां पर फिर सैंक्शन का जिक्र आया है कि सैंक्शन लग जायेंगे। तादाद गिनी जाने लगी है कि साहब इतना पैसा नहीं आयेगा, कुछ बिलियन डालर की बात यहां पर कही गयी। सैंक्शन के बारे में मैं अभी गुजारिश करके हटा हूं कि पाकिस्तान के लोग, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें सैंक्शन की परवाह नहीं है। सैंक्शन की परवाह बहुत लोगों ने नहीं की। सेंक्शन बहुत लोगों पर लगे हैं। सैंक्शन की बात पहली दफा नहीं हो रही है। सबसे पहले क्यूबा पर सैंक्सन लगे थे लेकिन फिडल कास्ट्रो ने उनकी परवाह नहीं की। उसे 30 साल के करीब हो गये हैं लेकिन वह चला आ रहा है। उनकी इकनोमी बहुत अच्छी नहीं है, इसे मैं मानता हूं लेकिन वे इस बात से नहीं घबराये। उनका मनोबल कायम है। उनको अपनी आजादी पर गर्व है, अपनी शक्ति पर गर्व है।

अभी कुछ अर्सा पहले इराक के खिलाफ सैंक्शन लगे थे। दुनियां भर के सैंक्शन इराक के खिलाफ लग गये। एक दफा तो घबराहट हुई कि अब क्या होगा ? ऐसी स्थिति आ गई कि न उनके पास खाने को कुछ सामान और न बच्चों के लिए दवाइयां। बच्चे मरने लगे लेकिन वहां आहिस्ते–आहिस्ते सैंक्शन की बात खत्म हो गई। लोग इस बात को सह जाते हैं और वहां के लोग भी सह गये। ख्याल यह था कि इतने बड़े सैंक्शन लग गये तो शायद श्री सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई बगावत हो जाये लेकिन नहीं हुई। वहां के हालात बड़े मुश्किल में हैं। उनकी इकोनोमी बहुत अच्छी नहीं है, वह बिखर गयी है लेकिन श्री सद्दाम हुसैन हीरो बने हुए हैं, इसी वजह से बने हुए हैं। सारे सैंक्शन का मुकाबला करके वह खड़ा हुआ है। अपने देश के लिए खड़ा है, देश के गौरव के लिए खडा हुआ है। यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सैंक्शन की बात कोई नयी बात नहीं है।

सैंक्शन की बात पर मैं आपको इतिहास की घटना बताता हूं। उस समय मुगलिया सल्तनत चलती थी ओर लाहौर में उनका राज था। उस समय सिख थोड़ी तादाद में हुआ करते थे लेकिन वे थोड़ा–थोड़ा सिर उठाते थे। लाहौर के नवाब मनु ने फैसला कर दिया कि हर सिख के सिर की कीमत दी जायेगी। उसके सिर की कीमत 80 रुपये मुहैया हो गयी कि जो कोई भी सिख का सिर काटकर लायेगा उसे 80 रुपये मिलेंगे। सिख के खिलाफ इससे बड़ा और क्या सैंक्शन हो सकता है ? कहीं भी सिख देखो, उसका सिर काटकर ले आओ और 80 रुपये ले जाओ। लोगों ने बहुत से सिखों के सिर ले जाकर पैसे लिये लेकिन वह सैंक्शन कामयाब नहीं हुआ। वह सैंक्शन फेल हो गया, हार गया और यहां तक हो गया कि जो दिलेर लोग होते हैं, मैं आपको इतिहास का एक और किस्सा सुनाता हूं। यह किस्सा तरनतारन इलाके का ही है। जब यह ढोल पिटवाया गया कि पंजाब से सिख खत्म हो गये, उनको मार मुकाया तो वहां एक गांव में दो आदमी थे और वे उस परिवार से थे जो दलित परिवार से होते हैं। उन्होंने जब यह बात सुनी कि सिख खत्म हो गये तो

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

वह कहने लगे कि खोता सिंह त्यूं जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं ते सिख किथे खत्म हो गये। वे दोनों खड़े हो गसे। खोता सिंह और उसके साथी दोनों खड़े होकर पुल पर चले गये। वह वही पुल था जिसकी सड़क लाहौर से दिल्ली आती है और जिसको जी. टी. रोड कहते हैं। उस पर वे लट्ठ लेकर खड़े हो गये कि जो कोई भी यहां से गुजरेगा, वह हमें टैक्स देकर जायेगा।

गधे पर एक आना टैक्स लगा दिया, बैलगाड़ी जायेगी तो दो आना देकर जायेगी। कार्य शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि यह कहां से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि यह सिखों का टैक्स है, हमने शुरू कर दिया है। वे कहने लगे कि हमने तो सुना है कि सिख खत्म हो गये हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने टैक्स लगाया है। लाहौर में पता लगा कि यहां तो टैक्स वसूल किया जा रहा है, आप कहते हैं कि सिख खत्म हो गये। फौज भेजी गयी। दोनों लड़ते–लड़ते शहीद हो गये। आज वहां पर उनका शहीदगंज बना हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था कि सैंक्शंस लगते हैं, सैंक्शन्स से नहीं घबराना चाहिए। देश के गौरव के लिए यह आनी–जानी बात है। इससे घबराकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। सैंक्शन्स की बात तो 11 तारीख को चली थी। जगह–जगह से धमकियां आने लगी कि यह सैंक्शन लगेगा, वह सैंक्शन लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। सरकार ने क्या फैसला किया और सरकार का क्या रवैया रहा, सरकार उस सैंक्शन से घबराई या नहीं। एक बात बहुत बढ़िया की कि उसी जगह पर फिर दो टैस्ट किये गए और उसने यह साफ कर दिया कि हमें आपके सैंक्शंस की परवाह नहीं, हम देश के गौरव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमने किया है और आज फिर करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये वाजपेयी जी को बहुत बधाई देनी चाहिए क्योंकि यह फैसला उनका था।

एक बात यह कहना चाहूंगा कि इसे कुछ और शक्ल दी जा रही है। मैं इसका जिक्र अखबार में पढ़ रहा था कि किसी ने इसे हिन्दू बम कह दिया। जो मेरे खिलाफ इलैक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि यह हिन्दू बम है। वे पार्लियामैंट के मैम्बर बनकर आए थे लेकिन दरवाजे से ही लौट गए, अंदर दाखिल नही हुए थे। उन्होनें अब कह दिया कि यह हिन्दुओं ने बनाया है, यह हिन्दू बम है।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को यह शक्ल न दी जाए। इधर से इस बात का जिक्र हुआ कि कोई वहां पर मंदिर बनाने की सोच रहा है। मैं इसका विरोधी हूं। उस जगह पर मंदिर नही बनना चाहिए, वह टैस्ट की जगह है, टैस्टिंग रेंज है।...*(व्यवधान)* एक देश में नहीं, बहुत से देशों में विस्फोट हुए हैं लेकिन वहां पर कोई मंदिर या ऐतिहासिक जगह नहीं बनाई गई, वहां पर कोई मेमोरियल कायम नही किया गया। इसे इस नजरिए से नही लेना चाहिए। यदि कहना है तो इसे सैकुलर बम कहना चाहिए। यह देश का बम है, यह हमारे हिन्दुस्तान का बम है, इस पर सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि यह हमारा है, जो कुछ किया है, हमने किया है। यह हमारे टैक्नीशियन्स की, साईंटिस्ट्स की बदौलत हुआ है।

अन्त में एक बार फिर सारे सदन से इस बात की प्रार्थना जरूर करूंगा कि यह ऐसा मौका है जिस पर हम सबको एक होकर खड़े होना चाहिए, भले ही हमें कोई बात पसंद न आई हो। यह कहना कि हमसे सलाह नहीं की, मशविरा नहीं किया, ऐसी बातों में मशविरा नहीं होता, पहले भी कभी नहीं हुआ। 1974 में भी नहीं किया गया। बंगलादेश के साथ लड़ाई लगी थी, किसी से नहीं पूछा गया। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उसमें सीक्रेसी होती है। सबसे अजीब बात यह हुई कि अमेरिका को पता नहीं लगा कि ये क्या कर रहे हैं। सारी दुनियां में लोगों को हैरानी हुई कि यह कैसे हो गया, इसकी खबर किसी को नहीं हुई, नहीं तो कोई न कोई अंदाजा लगाता कि यह हफ्ते, दस दिन में कुछ करने वाले हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि इस सारे हाउस को इस ढंग से लेना चाहिए कि यह देश के लिए ठीक बात हुई है और इससे देश का गौरव बढ़ा है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, कल से चर्चा चल रही है और न्यूक्लियर पर यह गम्भीर चर्चा है। हम समझते हैं कि सारा सदन इसे गम्भीरता से ले रहा है।

जहां तक पोखरण के परीक्षण का सवाल है, इसके लिए हिन्दुस्तान के वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ या इंजीनियर्स और जितने भी उनके सहयोगी हैं, वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सारे विश्व में साबित कर दिया कि हमारे भारत के वैज्ञानिक किसी से पीछे नहीं हैं और इन परीक्षणों में या परीक्षण में, चाहे 11 मई का परीक्षण हो या 13 मई के हों, जो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री जी या जो भी नेता बोले हैं, उनको भारी एतराज है कि विपक्ष के लोग जो सच्चाई सारे देश के सामने, सारे विश्व के सामने रख रहे हैं और यह सच्चाई है कि इस परीक्षण के संबंध में या देश की सुरक्षा के सवाल को लेकर सब एक हैं। देश की रक्षा सर्वोपरि है । हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। इसमें कहीं किसी का मतभेद नहीं है और हम बताना चाहते हैं कि मतभेद क्यों है। कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री बड़े बहादुर बड़े साहसी और देश को महान शक्ति बना दिया है। हम आपके साथ तैयार हैं। चीन के कब्जे में जो भारत की जमीन है, उसे मुक्ति करने के लिए बताइए क्या वहां चलना है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि तीन कारणों से यह परीक्षण इस वक्त हुआ है। पहला कारण, जो हम नहीं, माननीय प्रधान मंत्री जी के खासमखास एक मिनिस्टर साहब हैं, 11 मई और 13 मई को परीक्षण हुआ है और ये सण्डे मैगजीन है, 19 अप्रैल से 25 अप्रैल की, उसमें उ. प्र. के मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने प्रधान मंत्री जी से, अटल जी से कहा है कि अब एटम बम फोड़ दीजिए, हर देश चीन, अमेरिका, रूस चीखते–चीखते रह जाएंगे और जयललिता और स्वामी की कोई नहीं सुनेगा।

एक माननीय सदस्य : कौन मंत्री है ?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं मंत्री जी का नाम, नाम नहीं लेना

चाहता, लेकिन प्रधान मंत्री जी के खासमखास हैं। एवं प्रधानमंत्री के चुनाव इंचार्ज थे अगर प्रधानमंत्री जी इजाजत दें तो हम बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : प्रधान मंत्री जी क्या, आप बताईये न, क्या नाम है ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : यदि भाजपा के मित्र जानना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं कि वह है लाल जी टंडन, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, पाइंट ऑफ ऑर्डर। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, जो इस बात का जबाब नहीं दे सकता है, क्या उसका नाम लेकर कुछ कोट करना उचित है ? वे उसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (गढ़वाल) : आप इसको ओथेंटिकेट करके सभा पटल पर रखिये या फिर आप इसको रिकार्ड से निकालिये।

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : नहीं तो आप इसको सभा पटल पर रखिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शान्ति–शान्ति। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। मैंने इजाजत नहीं दी।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : आपने जो अखबार से पढ़ा है, क्या इसको सभा पटल पर रखेंगे?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण के बीच में टोका–टोकी उचित नहीं है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : सभापति जी, यह सभा पटल पर ओथेण्टिकेट करके रखें या इसको रिकार्ड से निकाल दिया जाय। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : और आगे क्या कहा ? आगे कहा है कि अगर बम नहीं है तो पटाखा चला दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : पटाखा क्या होता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव : वह नहीं जानते, जो होली और दिवाली पर चलाया जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि पटाखा क्या है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : सभापति महोदय, क्या अखबार से पढकर हम यहां पर भाषण दे सकते हैं, कृपया इस पर अपनी रूलिंग दीजिए या इसे ये ओथेंटिकेट करके सदन में रखें ।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : छपा हुआ है, पढ़ने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : बम नहीं है तो पटाखा ही चला दीजिए, किसे पता चलेगा कि यह बम है या पटाखा है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : इन्होंने 'सन्डे' मैग्जीन को उद्धत किया है। यह केवल मैगजीन ही उद्धत कर रहे हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी एवीएसएम : यहां ऐसी व्यवस्था दी गई है।

श्री राजेश पायलट : 'सन्डे' मैगजीन एक नामी पत्रिका है। उन्होंने सन्डे मैगजीन का उल्लेख किया है और वह इसे उद्धत कर रहे हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : दसवीं लोक सभा में जब शिवराज जी पाटिल अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि अखबारों से या मैगजीनों से कोट नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य खंडूडी जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : आप अपनी रूलिंग दे दें।

सभापति महोदय : कौन से नियम के अंतर्गत दूं ?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : आप अपनी रूलिंग दे दें तो हम मान लेंगे कि अखबारों से या पत्रिकाओं से यहां कोट कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : दूसरा कारण अभी परीक्षण करने का यह है...

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : आप रूलिंग दे दें, फिर हम भी कोट करेंगे।...*(व्यवधान)* मैं कानून की, रूल की बात कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : स्पीकर साहब ने कहा है पढ़िए। 'संडे' मैगजीन ओथेंटिकेट है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य खण्डूडी जी, आपको जब मौका मिलेगा तब आप जोरदार ढंग से अपनी बात कह देना।

श्री मुलायम सिंह यादव : दूसरा कारण यह है कि अभी बजट आने

[श्री मुलायम सिंह यादव]

वाला है और बजट से गरीब इनसान पर और सारे नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने वाला है।

एक माननीय सदस्य : आपको पहले से ही मालूम हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां मुझे मालूम है। इसलिए इस बोझ को सहने के लिए ये परीक्षण का सहारा ले रहे हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक लाभ उठाना। अगर ये तीन बातें नहीं होती तो हम लोग चर्चा नहीं करते। जैसा मैंने शुरू में कहा कि रक्षा के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है। देश शक्तिशाली बने। हमारे देश को कोई बुरी दृष्टि से देख नहीं सके, इससे हम सब सहमत हैं। लेकिन जिस ढंग से परीक्षण किये गये, उस पर हमारा विरोध है।

आपने–अपने राष्ट्रीय एजेंडा में कहा है कि हम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का गठन करेंगे। उसी में परमाणु शक्ति के बारे में रिव्यू करेंगे। और देश की रक्षा के बारे में सारी की सारी योजनाएं और जो कुछ हैं, उसके अनुसार करेंगे। लेकिन अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का गठन नहीं हुआ और न ही कोई रिव्यू किया गया। इससे आशंकाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं।

दूसरी बात, यह जो परीक्षण हुआ है, यह सारा देश स्वीकार करता है कि यह नया नहीं हुआ है। 1974 में हो चुका है और जो भी तर्क दिए जा रहे हैं कि पुराने हो गए हैं या नये हो गये हैं। अभी तक विश्व के अन्दर 2400 से ज्यादा परमाणु शक्ति के परीक्षण हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी असफल नहीं हुआ है। जब एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ है, मैं नाम लेकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन जब अभी तक एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ है तो परीक्षण असफल होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आम सहमति का संकट था। आम सहमति इस सरकार के मंत्रियों में नहीं । आम सहमति सरकार चलाने वाले जितने घटक हैं, उनमें नहीं है और आम सहमति का उपदेश देते हैं। बरनाला साहब व प्रधानमंत्री जी पहले अपने मंत्रियों में आम सहमति कर लीजिए। आपकी संस्कृति आम सहमति की नहीं है, बल्कि टकराव की है। *...(व्यवधान)*

श्री तपन सिकंदर (दमदम) : आप कृपया हमारे ऐजेंडा को पूरा पढ़िये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अब जब विश्व में किसी को आशंका नहीं थी कि भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है, किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को , कोई विस्मय, दुविधा या आशंका नहीं थी कि भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है क्योंकि 1974 में ही पता चल गया था कि भारत के पास है। इसमें यह छपा भी है। हम रक्षा संबंधी गोपनीयता को भंग करना नहीं चाहते। हम भी जानते हैं कि किसके पास कितने हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास बीस से पैंसठ हैं। पाकिस्तान के पास पन्द्रह से लेकर बीस हैं और चीन के पास 450 हैं। यह सारा विश्व जानता है। बरनाला साहब, आप गलतफहमी में न रहें कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)* हम गोपनीयता को भंग करना नहीं चाहते। जब हम सत्ता से हटे, उस समय की वस्तुस्थिति से हम अवगत हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश की सारी की सारी डिवाइस को, हमारी ताकत को सारी दुनियां के सामने बयान देकर खोल रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। ये परीक्षण तीन राजनीतिक कारणों से किये गये हैं। मैंने तो बता दिया है कि अपनी सरकार बचाने के लिए किया गया है। अगर राजनीतिक कारण से ही इसे "गौरव दिवस" कहा गया। गौरव, दिवस समारोह में सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सम्मिलित हुये और उनकी पार्टी के अलावा इस सरकार में घटक शामिल हैं, उनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता, कोई भी नहीं गया और न बुलाया गया। रात के आठ बजे से लेकर आतिशबाजी होती रही और लड्डू बांटे, पेड़े बांटे,...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप भी खा लेते।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपका बहुत सोच समझकर खायेंगे। *...(व्यवधान)* जब 1974 में ही पता हो गया था कि भारत के पास परमाणु शक्ति है। ऐसा लग रहा है कि यह एटम बम नागपुर में बना है और बाकायदा तीन जेबों में प्रधानमंत्री जी लेकर आए और पोखरण में जाकर बटन दबा दिया। क्या देश के सामने मजाक नहीं है ? लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया है।

पूरी तरह प्रचारित किया गया है कि यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, समता पार्टी ने भी नहीं किया है । रक्षा मंत्री का भी कोई योगदान नहीं है। सच्चाई यह है कि आपने दल को सर्वोपरि माना है, देश की सुरक्षा को नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि आपने परीक्षण क्यों नहीं किया हम भी कर सकते थे परन्तु हमने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं किया। यदि हिन्दुस्तान, परीक्षण की वजह से ताकतवर हो गया है, और देश एक महानशक्ति बन गया है तो चीन को जवाब दो।

महोदय, हमारे गांव में एक कहावत है–"आ बैल मुझे मार"। बरनाला जी भी जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मतलब–खुद झगड़ा मोल लेना। रक्षामंत्री जी भी मेरी बात सुन रहे होंगे। रक्षामंत्री जी ने जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं, उनमें सच्चाई है कि सब पत्रावलियों में उल्लिखित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गृहमंत्री जी भी देख सकते हैं कि क्या–क्या लिखा है और क्या–क्या हमने अपने रक्षामंत्री कार्यकाल में किया है। परीक्षण को यहां तक लाने के लिए जितना बजट संयुक्त मोर्चा सरकार ने दिया, उतना बजट कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। परीक्षण को सफल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का है। इसके अलावा परीक्षण को सफल बनाने, तथा इसके लिए धन उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा योगदान संयुक्त मोर्चे की सरकार का है। उस रिपोर्ट को रक्षामंत्री जी देखेंगे गृहमंत्री जी देखेंगे और वित्त मंत्री जी भी

देखेंगे कि कितना पैसा उपलब्ध कराया गया। जो कुछ उपकरणों की कमी थी, उसको पूरा किया गया। ठीक है, अक्टूबर–नवम्बर के महीने में पोखरण में ऐसी स्थिति थी कि पूरा काम नहीं हो पाया। हम कहते हैं कि इसमें हमारा योगदान नहीं है, वैज्ञानिकों का योगदान है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक सबका योगदान है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या आपकी सरकार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ...*(व्यवधान)* पूरा देश सुन रहा है, आपका एवं आपकी सरकार का रत्ती भर भी योगदान नहीं है।...*(व्यवधान)* हम बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं कि आपका रत्ती भर भी योगदान नहीं है। आप देश को बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं।

जहां तक नुकसान और फायदे की बात है, उसको भी देख लीजिए। सदन में बहस चल रही है। हमारा देश गौतम का देश कहलाता है। हमारा देश गांधीजी का देश कहलाता है। हमारा देश गुट–निरपेक्ष देश में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला देश है। सारे विश्व में गैर–बराबरी के विरुद्ध संघर्ष करने वाला देश है और अहिंसा का संदेश देने वाला देश है। हम अपनी सुरक्षा पूरी रखेगें, लेकिन जिस तरह से आप धमकाते हैं, वह ठीक नहीं है। जिस प्रकार एक मंत्री जी बोले, उसके क्या नतीजे होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान, समय–जगह–दिन निश्चित कर ले, उसी दिन हम तैयार हें चौथी लड़ाई लड़ने के लिए। इस तरह की बात कहना, क्या फूहड़पन नही है ? दूसरे भाजपा नेता का बयान है यह जो परीक्षण हुआ है वह न्यूक्लीयर टैस्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का परीक्षण हुआ है। मैं पूछता हूं, इसका क्या मतलब हुआ ? इसका मतलब यह हुआ कि इनकी नीतियों को जो बेनकाब करे, वह देशद्रोही है और जो इनका समर्थन करे, वह देशभक्त है। हमें देशभक्ति के प्रमाण पत्र इनसे नहीं लेने होंगे। *(व्यवधान)* इन लोगों से कि हम लोग देश भक्त हैं। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह राष्ट्रीयता है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें पता है। ज्यादा न कहिए, हम बता देगें कि आपकी राष्ट्रीयता कहां थी। ...*(व्यवधान)* अंग्रेजो के साथ थे। ...*(व्यवधान)*

एक संयमी और देश के बड़े परिपक्व नेता माने जाते है, इसमें दो राय नही हैं, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद है लेकिन फिर भी हम मानते है कि आडवाणी साहब एक गंभीर परिपक्व देश के नेता है। उन्होनें भी कह दिया कि भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बन गया है। इसलिए पाकिस्तान बाज आ जायें। सन् 1971 को याद करो। जब से एटम बम बना तो क्या उस दिन से गोलाबारी बंद हो गई, घुसपैठिये आने बंद हो गए ? ...*(व्यवधान)* हमने ही बंद किया, आपने कुछ नही किया। ...*(व्यवधान)* और कहा पाक बाज आए, भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन गया है– क्या वास्तव में बन गया है, क्या इसमें सच्चाई है ? सारे वैज्ञानिक कह चुके हैं कि अभी हम बम बनाने लायक हो गए हैं लेकिन उसके और पहलू भी हैं– चलाने को, खिंचने को, फेंकने को, उससे क्या प्रगति है, जरा आप बता दो ? मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* इसके लिए गोपनीयता भंग करना नही चाहते हैं। उसी के लिए पैसा देकर आए हैं। उसके लिए संयुक्त मोर्चा साकार ने करोड़ो नही बल्कि अरबों दिया है। इसलिए हमने कहा कि आप अभी पूर्ण परमाणु शक्ति नहीं बन पाए हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जो भारत थर्ड वर्ल्ड में प्रमुख स्थान रखता है लेकिन आज उस पर आशंका है, अविश्वास है। सबसे ज्यादा अविश्वास किसको है आज रक्षा के मामले में जितनी भी रूस ने हमारी मदद की है, हर मौके पर की है तथा अब भी की है, 1986-87 से नेहरू जी के टाइम से लेकर अब तक लगाातार की है–उसने सबसे पहले क्या रिएक्शन दिया था, उसने भारत को धोखेबाज कह दिया, रूस ने कहा कि मुझे धोखा दिया गया। हम भी रूस गए थे, रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि परवाह मत करो, हम आज हिन्दुस्तान की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। सी.टी.बी.टी. पर दस्तख्त कर दो। हमने कहा कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तख्त नहीं होगें और आज भी कह रहे हैं कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तख्त करने के लिए हम और हमारी पार्टी किसी कीमत पर तैयार नहीं है। जब तक दुनिया के अंदर गैर बराबरी हथियारों की है या सारी दुनिया के हथियार पूरे के पूरे समुंद्र में फेंक नहीं दिए जाते तब तक सी.टी.बी.टी. या एम ओ टी पर दस्तखत करने का कोई सवाल ही नही होता और आज आप पीछे के रास्ते से सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करेगें, आप देश को कहां ले जा रहे हें ? अगर सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने की बात भी कही तो पूरा हिन्दुस्तान आपके खिलाफ खड़ा होगा, आपको कोई निकलने नहीं देगा। सी.टी.बी.टी. पर क्या गुप्त रूप से दस्तखत करने का आपका इरादा है। यह साफ है, स्पष्ट है कि परीक्षण के बाद इंदिरा जी ने कहीं भी प्रेस कांफ्रेंस नहीं की। उसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के अंदर कहीं भी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई, आज ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हुई। केवल श्रेय लेने के लिए, राजनैतिक लाभ उठाने के लिए आपने कांफ्रेंस की और कहा कि हमारे पास कितने वैपन्स है, उनकी डिवाइस को भी सारी दुनिया को बता दिया। ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा सुरक्षा के लिए और क्या खतरा हो सकता है। प्रेस कांफ्रेस करके प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा खतरा देश के सामने खड़ा किया और फिर उन्होनें क्या कहा कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं और हम सब कायर निकले थे, फाइलों पर केन्द्रित रहे। फाइलें टेबल पर रहीं। हमारे गुजराल साहब से लेकर, हम तो कोई बहादुर नहीं थे, ये बहादुर निकले परन्तु उसी दिन घुटने टेक करके अमेरिका को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने का मतलब है कि या तो घुटने टेके हैं या मिलिभगत है, दोनो में से एक बात है, इसका जवाब दें। अगर मिलीभगत नहीं है तो क्या है आप बताएं। अमेरिका नहीं चाहता है कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगला देश और चीन की दोस्ती हो। हम चाहते हैं कि दोस्ती हो, क्योंकि अगर दोस्ती होगी तो ज्यादा शक्तिशाली मुल्क अगर कोई होगा तो वह हिन्दुस्तान होगा।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

आपने अमेरिका को यह लिखकर कहा है कि हमने पाकिस्तान और चीन की वजह से ये विस्फोट किए हैं, आपकी वजह से नहीं किए है। क्या यह मिलीभगत नही है ? यह मिलीभगत है। अखबारों में भी यह आ गया है। टाइम्स ऑफ इण्डिया के 18 मई के इश्यू में यह है।

[अनुवाद]

"यह पूरी कार्यवाही अमरीकी अधिकारियों की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई थी।"

[हिन्दी]

इससे साफ हो गया कि अमरीका के साथ मिलीभगत है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आपके सामने उदाहरण पेश करके इसे प्रमाणित करेंगे। यदि मिलीभगत नहीं है तो अमरीकी नेताओं ने अपने बयान क्यों बदलें। अगर यह मिलीभगत नहीं है तो क्लिंटन साहब ने भारत की यात्रा अभी तक रद्द क्यों नहीं की। ...*(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है ? अगर वे यात्रा रद्द नहीं करते तो भारत को ही साफ–साफ कह देना चाहिए कि वे हमारे यहां न आएं। जब उन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है तो हमें क्लिंटन साहब को लिखना चाहिए कि या तो भारत पर से प्रतिबंध हटाओ, अन्यथा भारत मत आओ। भारत आने की कोई जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

दूसरा, अगर प्रतिबंध उन्होंने लगाया है तो यहां, संसद में, प्रधान मंत्री घोषणा कर उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जैसे पैप्सी कोला, कोका कोला, चिप्स और बिस्कुट पर रोक लगा दें। आप तो न जाने कहां–कहां के इतिहास का, क्यूबा और इराक से लेकर लाहौर तक का उदाहरण दे रहे हैं। आप इन कंपनियों पर अभी प्रतिबंध लगाइये तो हम आपका साथ देंगे, हम सभी आपके लिए अभी मेजें थपथपाऐंगे। आप प्रतिबंध नही लगाते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ आपकी मिलीभगत है। आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। ...*(व्यवधान)* आपके पास देश के लोगों की भावनाएं भड़काने के अलावा कोई काम नही है। वोट की खातिर ही आप काम करते हैं। ...*(व्यवधान)* ठीक ही कहा है कि कूटनीति भी होती है और विदेश–नीति भी होती हैं। परन्तु रक्षा के मामले में आपको अपने दोस्तों को विश्वास में रखना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : जैसे आपने रखा था।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, रखा था। अगर आपने रखा है तो क्यों चीन की एक ही धमकी में बकरी की तरह मिमयाने लगे। चीन ने कहा कि उनकी 90 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत ने कब्जा किया हुआ है और भारत विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है इसके भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप उसी दिन बकरी की तरह मिमयाने लगे और कहने लगे कि हम दोस्ती चाहते हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो इस सदन के अंदर कहिए कि 1962 में चीन ने हमारी जिस जमीन पर

कब्जा किया है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत से ले करके, उसे वह छोड़ दे। अगर वे हमारी जमीन नहीं छोड़ेगें तो हम बम चला देंगें ...*(व्यवधान)* यह कहो, तो हम आपके साथ हैं। ...*(व्यवधान)* अगर आप बहादुर बनते हो तो कहिए। ...*(व्यवधान)* लेकिन आप तो चीन की एक ही धमकी से मिमयाने लगे। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : क्या समाजवादियों ने कहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, समाजवादियों ने हमेशा कहा है और इसी संसद ने संकल्प लिया था कि जब तक चीन हमारी जमीन पर से अपना कब्जा नहीं हटाता है, हम लोग चीन की जमीन पर नहीं जाएंगे, वहां की यात्रा भी नहीं करेंगे और चीन से कोई राजनैतिक संबंध नहीं रखेगें। ...*(व्यवधान)* यह कहना कि हम महान शक्ति बन गए, महाशक्ति बन गए, तो लो चीन से अपनी जमीन वापस लो हम आपके साथ हैं।

क्योंकि आप महाशक्ति बन गए हैं। ...*(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। आपका उसी तरह हस्र होगा जिस तरह हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था। जिस तरह शक्ति के बल पर हिटलर और मुसोलिनी को न तो समाज से मतलब था, न भाषा से मतलब था, न संस्कृति से मतलब था, केवल शक्ति से मतलब था। इसलिए हिटलर और मुसोलिनी का विनाश हुआ था। आप उसी तरह की बात करके देश को कहां ले जाना चाहते हैं ? आपकी इसके पीछे क्या असलियत है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : आपने बयान दिया था कि हमारी सरकार यह टैस्ट करने को तैयार थी लेकिन हमारी सरकार ही टूट गई। आप इसके बारे में कुछ बताइए।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : श्री मुलायम सिंह यादव, मेरे मन में आपके लिए काफी श्रद्धा है। मैंनें आपसे इस प्रकार वक्तव्य की कभी कल्पना नहीं की थी। आप नाजी और हिटलर के साथ तुलना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह भी बता देंगे। हम बिना बताए एक बात नहीं छोड़ेगें। आप पूरे के पूरे बेनकाब हो जाएंगे। दूसरे लोग राष्ट्रीयता की बात कहते हैं। आडवाणी जैसे बड़े नेता धीरज खो बैठे। एक लखनऊ के मिनिस्टर साहब और महाजन साहब जो कि एडवाजर हैं, उनका कहना क्या है ? वह कहते हैं कि यह राष्ट्रीयता का परीक्षण है। हम सब देशद्रोही हैं और भाजपा राष्ट्रवादी है। अगर हम आलोचना करते हैं या सकारात्मक सुझाव देते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। यह भी साबित हो जाएगा कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है? जब मौका आएगा तब हम बता देगें और देशभक्ति के मामले में भाजपा को भी पीछे कर देंगे। आप क्या–क्या बातें कहते हैं ? आज हिन्दुस्तान की जनता को बाहर के देशों से उतना खतरा नही है, जितना कि हिन्दुस्तान के अन्दर से है। हम आपको इससे आगाह कर देना चाहते हैं।

गुलाम अली पाकिस्तान के संगीतकार हैं। संगीतकार की कोई जाति नहीं होती। मैं सच बात कह रहा हूं । मैं अभी तक नहीं जानता कि मुकेश किस जाति के थे? कला की कोई सीमा नहीं होती। भाजपा के लोगों ने फिदा हूसैन साहब पर हमला किया। भाजपा अध्यक्ष ठाकरे ने हमले का समर्थन किया। संगीत और कल की कोई सीमा नहीं होती। और न धर्म न जाति होती है। जब दिलीप कुमार पाकिस्तान गए तो उनका बहुत सम्मान हुआ। उनके जाने से मानो भारत दर्शन हो गया । अब यह कह रहे हैं कि हमें कोई ब्लैकमेल नही कर सकता । भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। हमारी भी सरकार रही। हमें किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा है ? 11 तारीख को किस ने ब्लैकमेल किया? आज की सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। मै जब बोलता हूं तो भाजपा को परेशानी होती है इस बात को सारा देश जानता है। इसमे कोई दिक्कत नहीं है ...*(व्यवधान)* यह कोई नई बात नहीं है। आज पूरे देश की जनता देख रही है कि आपको हम से कितनी परेशानी है ? आप जब तक रास्ता नहीं बदलेंगे, परेशानी रहेगी। आप रास्ता बदलिए। आपकी परेशानी दूर हो जाऐगी। मालूम नही जार्ज साहब यहां है या नहीं ? हमारे विद्वान साथी जगमोहन जी कश्मीर के बारे में बोल रहे थे।

अब कश्मीर के लिए जिम्मेदार कौन है, कितना आपने हथियार का प्रयोग किया था और दमन की नीति चलाकर भी क्या आप उग्रवादियों का दमन कर सके थे ? फिर जार्ज साहब का कल बयान आया था, जार्ज साहब ने क्या मांग की थी? कि जगमोहन को हटाया जाये। इनके चलते उग्रवाद बढ़ रहा है। मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे। जनता दल सरकार के दौरान कश्मीर के मामले में तब जार्ज साहब को आपने इंचार्ज बनाया था और उस दौरान जगमोहन जी वहां थे तो दोनों के बीच में क्या हुआ ? क्या वे कामयाब हो गये, क्या उग्रवाद हथियारों के बल पर हटा दिया गया ? हथियारों के बल पर आप किसी को नहीं दबा सकते। क्यूबा का उदाहरण आप खुद ही दे रहे हैं। अमेरिका जैसा देश उसे नहीं दबा सका था, जगमोहन कहते हैं कि हमने वैज्ञानिकों का अपमान किया वैज्ञानिक परीक्षण न होने से निराश होकर हटना चाहते थे इसलिए परीक्षण किया गया, वैज्ञानिकों को संयुक्त मोर्चा की सरकार ने ही भारत रत्न दिया है। श्री कलाम को भारत रत्न दिलवाने के लिए हमने दो पत्र लिखे। इसके अलावा वैज्ञानिकों की सर्विसेज का ऐक्सटेशन भी किया। देश के सामने इतनी असत्य बात रखी गई कि यहां के वैज्ञानिक काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और देश छोड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा भ्रम देश में फैलाना गलत है। आपको जानकर ताज्जुब होगा इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होगी वैज्ञानिकों की कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डा. अब्दुल कलाम को डी. लिट् की उपाधि दी जा रही थी। जिसमें मैं मुख्य अतिथि था तो उस समय के विधायक जो आज उत्तर प्रदेश में स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होनें उनके समारोह का बहिष्कार किया और उनके खिलाफ नारे लगाते हुए बाहर निकल गए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापूर) : वह बहिष्कार आपके खिलाफ था, अब्दुल कलाम जी के खिलाफ नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यहां की जनता ने, वहां के छात्रों ने, वहां के प्रोफेसर्स ने, वहां के राइटर्स ने, वहां के मीडिय. ने और वहां के अखबारों ने बताया कि इनका बहिष्कार और नारेबाजी मेरे खिलाफ नहीं थी। एक शब्द नहीं कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर आप कहें तो मैं इस सदन मे इसका प्रमाण दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां इतना जबर्दस्त कार्यक्रम हुआ कि इनकी टांय–टांय फिस्स हो गई। बाहर जाकर आप कुछ भी बयान दे दो। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : रोमेश भंडारी वहां के राज्यपाल थे, आपने उनसे मिलकर लाठीचार्ज करवाया और तब आपके खिलाफ आंदोलन हुआ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लालमुनी चौबे जी, कृपया आसन ग्रहण किजिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर वैज्ञानिक का अपमान किसी ने किया है तो भाजपा ने ही किया है। और अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों का अपमान किया क्योंकि वह मुसलमान थे। यह आपकी मानसिकता है। हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है और एक भी वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि हमारी सरकार में उनमें कोई निराशा आई। उन्होनें काम बहुत ज्यादा उत्साह के साथ किया और उनका मनोबल भी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बढ़ाया। ...*(व्यवधान)*

आप कहते है। इतना नुकसान हुआ, कल चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि कई करोड़ रुपये का घाटा हो गया क्योकि रुपये की कीमत घट गई । यशवन्त सिन्हा जी जानते हैं, कि आज की रात में ही 60 करोड़ का घाटा हो गया क्योंकि रुपये का मूल्य 40 पैसे गिर गया कि आप रक्षा मंत्रालय को 40 हजार करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। यह कितना सच और कितना गलत है हम नहीं जानते। अगर 40 हजार करोड़ रुपये का बजट होगा तो कितना 37.5 हजार करोड़ रुपये का बजट हमारे समय में था। और अब जब रुपये की कीमत घट गई है तो पिछले साल जितना बजट था, उससे भी कम बजट होगा, फिर आगे आप महाशक्ति बनने जा रहे हैं तो फिर आगे की रक्षा तैयारी रखी की रखी रह जायेगी। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : आपसे पहले साल कितना बजट था ? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री खण्डूडी जी, लोगों ने इसे बुरा माना है। बीच–बीच मे उठकर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है यह संसदीय प्रणाली और संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। ...*(व्यवधान)* कृपया शांत रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर देता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय :- आप कंक्लूड कीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं अभी कंक्लूड कर देता हूं। आप इन्हें रोक दीजिए, मै अभी खत्म कर देता हूं। सभापति महोदय, यहां पर कहा

[श्री मुलायम सिंह यादव]

गया कि वैज्ञानिकों ने सराहनीय कार्य किया है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उनको राजनीति में मत घसीटिये । वे आगे आकर प्रेस कांफ्रेस करें उनको अपना काम करने दीजिए। जहां उन्हें उचित लगेगा वे प्रेस कांफ्रेस करेगें, हम भी करते रहे हैं। रक्षा मंत्री और भी रहे हैं। उन्हें अपना काम करने दीजिए। ...*(व्यवधान)* उस दिन हमें प्रधानमंत्री जी के यहां बुलवाया गया। सब नेता गये पवांर साहब भी गये। हम समझे कि कोई बातचीत होगी। वहां पर कहा गया कि यहां प्रेजेन्टेशन होगी, बीफिंग होगी। मैने कहा कि इस टीम ने तो हमारे साथ भी काम किया है, ये जो कुछ बता रहे है, ब्रीफिग कर रहे हैं। वह हमें पहले से पता है असली बात बताइये। अब क्या हम वैज्ञानिकों से पोलिटिकल सवाल करेंगे? क्या वहां सारे नेता उनसे पोलिटिकल सवाल करेंगे। हमने लालू जी और चिदम्बरम् जी को भी कहा कि चलिए, इन वैज्ञानिकों से हम क्या सवाल करेंगे। सवाल करना है तो हम प्रधानमंत्री जी से करेंगे। आडवाणी जी से सवाल करते तो वह जवाब देते । वैज्ञानिकों को राजनीति में मत घसीटिए। सबसे ज्यादा खराब काम ये लोग पहली बार देश में कर रहे हैं हम लोगों को उनसे जवाब दिलवा रहे हैं, वे हमें क्यों जवाब देंगे। वे अपना काम करेंगे और जहां उचित लगेगा वहां जवाब देंगे, आपने हमें बुलाया तो क्या हम उनसे बहस करेंगे, उनके मनोबल का गिरायेंगे। हम उनसे पैसों की बात करेंगे। उन्होनें कहा आप पैसा लाओं, हम यह करेंगे, वह करेंगे। खुद चिदम्बरम साहब ने पैसा मांगा और कहा कि अभी हम परमाणु बम बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन अभी चलाने की स्थिति में कहां है अगर है भी सो आप कह रहे हो कि हम बड़े महान शाक्तिशाली हो गये हैं वह तो रिकार्ड पर है। आपके पास 777 कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास 429 है और चीन के पास 3740 हैं। भारत पाकिस्तान से आठ गुना बड़ा है। आपके पास 777 हैं। और उनके पास 429 हैं। भारत के (पास 429 के आठ गुना होने चाहिए। पारस्परिक युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। देश की सुरक्षा हेतु आप जितनी ताकत ले सकते हैं, लो हम लोगों का जितना योगदान ले सकते हो, लो सरकार मे रहकर आप जितना कर सकते हो, करो अगर हमें टैक्स भी देने पडेगें तो भी हम तैयार है। लेकिन आप गलतफहमी में रहते हैं ...*(व्यवधान)* जितना बजट मांगा था हमने उससे ज्यादा दिया है। हम आपके सामने कहना चाहते हैं और रूस के विशेषज्ञों ने भी कहा कि अभी हिन्दुस्तान को 10 और परीक्षण करने होंगे, तब परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। फिर आप देश से क्यों कहते हैं कि हम परमाणु शक्ति बन गये हैं। यह ठीक है कि हमारे वैज्ञानिकों ने शानदार कार्य किया है ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यह अच्छा हुआ है कि हमने अभी सफल परमाणु परीक्षण कर लिया, ताकि और परीक्षण हम बाद में कर सकें।

सभापति महोदय, : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं बता चुका हूं कि परीक्षण तो सब सफल हुए हैं, कभी भी दुनिया में कोई परीक्षण असफल हुआ ही नहीं है। कुल 2400 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं। अब आपके पास कितनी मिसाइलें हैं यह हम नहीं बतायेंगे । जब प्राइम मिनिस्टर साहब बताने में लगे हैं तो वे ही जवाब दें कि हमारे पास कितनी मिसाइलें है, बताइये, हमें संतुष्टि हो जायेगी। दो महीने में आपने और कितनी मिसाइलें बना ली हैं और क्या इस एटम बम के लिए कमाण्ड संरचना तैयार कर ली है? यह प्रधानमंत्री जी बतायें या आडवाणी जी बता दें। अगर अपने आप बता दें तो मुझें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं। चाहें तो रक्षा मंत्री जी बता दें, क्या आपके पास परमाणु पनडुब्बी तैयार हो गई है। बता दीजिये, मिसाइलों के बारे में भी बता दीजिए। ...*(व्यवधान)* वैज्ञानिकों का मत है इसके लिए 10 वर्ष का समय व 25 हजार करोड़ धन चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, मुझे ऑब्जेक्शन है, पूर्व रक्षा मंत्री जी अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि इनके पास कोई तथ्य हों जिनको ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि अपनी सैन्य शक्ति को कम आंकने का कारण क्या है। ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी महोदय के स्थान पर इन्हें ही खड़ा कर दीजिए। सब को कन्विंस कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की जगह पर ये जवाब देंगे। मैं यह कह रहा हूं कि आप स्वयं भारत को महाशक्ति कह रहे हैं यह गलत है, आप गलत क्यों बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : हम कह रहे हैं कि हमारी शक्ति बढ़ रही है और हम महाशक्ति बन रहे हैं। आप ऐसा कहकर देश की सेना का मनोबल क्यों तोड रहे हैं आप इस प्रकार की बातें कहकर देश की सेना के मनोबल को क्यों कमजोर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति रखिए कृपया बैठिये। आप उनको बोलने दीजिए। मुलायम सिंह जी आप बोलिए। बीच में इस प्रकार से उठकर बोलना ठीक नहीं है आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : देश की रक्षा का मामला गोपनीय रहना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, हमने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा साबित हो । हमने कोई भी गोपनीयता भंग नहीं की है। हम तो केवल पूछ रहे हैं। कि क्या आपके पास ये चीजें हैं। अगर आप बताना चाहें, तो बताएं, न बताना चाहें, तो न बताएं। हमने कोई भी गोपनीयता भंग नहीं की है। हम तो यह पूछ रहे हैं क्या आपके पास ये चीजें है ? अगर है, तो हमें खुशी होगी। इसमे देश की रक्षा संबंधी कोई गोपनीय भंग नही होती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम : आप इसे गम्भीरता से लीजिए। आप इसे अत्यन्त साधारण रूप से मत लीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय, हमारे देश के पूर्व रक्षामंत्री महोदय, सदन में देश की रक्षा के बारे मे खुला बयान दे रहे हैं। जो कदापि देश के हित में नहीं है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व सैनिक श्री राजेश पायलट जी, जो यहां उपस्थित हैं, वे उनकी इन बातों का समर्थन कर रहे हैं? मैं उनसे दुबारा निवदेन करता हूं कि क्या वे इनकी यहां कही गई बातो का समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.04 बजे

(श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए*)

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, देश के पूर्व रक्षा मंत्री महोदय ने सदन में इन बातों को कहकर देश की रक्षा संबंधी गोपनीयता भंग की है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि वे सदन में देश से माफी मांगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी, आपका समय तो हो गया । आपने 45 मिनट ले लिए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं बोल रहा हूं। श्री मुलायम सिंह यादव आपने पहले ही लगभग 45 मिनट का समय ले लिया है। कृपया मुझे सहयोग दीजिए। अब आप समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सर, इन लोगों ने हमें बीच–बीच में टोक–टोक कर और रोक–राक कर हमारा ज्यादा समय ले लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, मेरी आपत्ति सुन लीजिए । ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब बोल रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, यह बहुत खराब बात है। जो अभी श्री मुलायम सिंह ने कही *(व्यवधान)* आप मेरी आपत्ति सुन लीजिए (व्यवधान)

सभापति जी, मेरी आपत्ति सुन ली जाये ... *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से श्री मुलायम सिंह जी से जानना चाहता हूं। उन्होनें कहा कि दो महीने में क्या हमने परमाणु पनडुब्बी बना ली है? इसका मतलब इसके पहले ऐसा नहीं था ये हमारी सेना के बारे में, उसको बिल्कुल चीड़–फाड़ करके एक्सप्रैस कर रहे हैं। यह काम केवल * ही कर सकता है देश भक्त इस तरह का सवाल नही उठा सकता .. ..*(व्यवधान)* यह इनकों वापस लेना चाहिए ....*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, आप इसे कार्यवाही से निकलवा ....दीजिए । .... *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.06 बजे

(इस समय श्री प्रदीप कुमार यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 4.07 बजे

(इस समय श्री प्रदीप कुमार यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, यह....शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिए....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोगी, कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या मैं सभी से बैठने के लिए अनुरोध कर सकता हूं। क्या आप मुझे बोलने भी देगें या नहीं ? यह अत्यन्त नाजुक मामला है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : आपके सदस्य किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

मंत्री जी ने दो बार आश्वासन दिया था कि हम अपने सदस्यों को संतुलित करेंगे। ...*(व्यवधान)* माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं लेकिन उनको कोई भी बोलने नहीं दे रहा है ....*(व्यवधान)* अब आप बोलने वाले हैं। तो हम आपको भी बोलने नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। क्या आप मुझे बोलने भी देंगे ? कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : आपने कितनी बार आश्वासन दिया है, श्री आडवाणी जी ने कितनी बार आश्वासन दिया है। क्या इस तरह से संसद चलेगी।..*(व्यवधान)* हम भी किसी को बोलने नही देंगे ...*(व्यवधान)* आडवाणी जी बोलगे तो हम भी उनकों बोलने नही देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, इतनी गंभीर बात हो गयी इस पर माफी मांगने की बात है। ...*(व्यवधान)* आप उसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये ...*(व्यवधान)* आप उनसे माफी मंगवाइये ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : यह संसद का अपमान है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषकर हमारी सुरक्षा के संबंध में कोई आपत्तिजनक बात कहे। यहां ऐसी कही गई टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा । कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इतना ही काफी नहीं है ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर बात है। ...*(व्यवधान)* सत्ता पक्ष के एक जिम्मेदार सदस्य ने ऐसी बात कही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : यदि सत्ता पक्ष से किसी सदस्य ने इस सभा के किसी माननीय सदस्य को ...कहा है। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जार्ज साहब ने कहा कि मैने विस्फोट इसलिए किया कि अभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमने कुछ बातें कहीं कि या तो उनको ब्रीफ गलत किया गया है या उन्होंने पत्रावालियां नही पढ़ी है। इसलिए मैं गोपनीयता को भंग नही करना चाहता । हमने जो कुछ किया है, उनको जार्ज साहब से कहेगे। उनको बतलायेंगे और अगर उनको गलत ब्रीफ किया है तो उनको स्वीकार कराएंगे कि हमने कुछ नहीं किया है। इसीलिए हमने इन बातों को कहना चाहा। इसके अलावा मेरी और कोई मंशा नहीं थी।

यह क्या साबित करता है। परमाणु टैस्ट की आड़ में देश के साथ एक और छल किया जा रहा है। क्या कारण थे कि अपने परीक्षण के 3–4 दिन के अंदर अमरीका एवं जापानी कम्पनियों को बिजली योजनाओं के लिए सरकारी गारंटी मंजूर की । हम पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है। आपने तेल उत्पादन के लिए 18 ब्लॉक विदेशी कंम्पनियों को मंजूर किए । इसी तरह 28 विदेशी कम्पनियों को देश के 50,000 वर्ग किलीमीटर भाग पर खान का लाईसेन्स दिया। जब विस्फोट करके जमीन का टेस्ट किया जाएगा तो विदेशी कम्पनियां हमारे देश की रक्षा की पूरी गोपनीयता लेंगी। यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा किया गया है। पता लगा लें, कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। विदेशी कम्पनियां विस्फोट के बहाने क्या–क्या करेंगी। इससे हमारे देश की रक्षा को सबसे ज्यादा खतरा पैदा हुआ है। यह क्यों किया है, क्या यही है स्वदेशी आंदोलन.... *(व्यवधान)* 50,000 वर्ग किलोमीटर हिन्दुस्तान की जमीन परीक्षण के चार दिन के अंदर दी है और नारा देते हैं स्वदेशी का, देश को बहकाते हैं स्वदेशी के नाम से । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह स्वदेशी का नारा नहीं है। राष्ट्र हित के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना, इससे हमारे देश की रक्षा संबंधी सारी गोपनीयता भंग हो जाएगी। यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वही शक्तिशाली है जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। हम फिर दोहराना चाहते है कि रक्षा के मामले में हमें अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहिए जिससे दुनिया का कोई भी देश हमारे देश की तरफ बुरी निगाह से न देख सके।

हमने सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने से मना कर दिया। रूस ने भी कहा, पर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि हम हस्ताक्षर नही करेंगे तो इससे यह साफ था कि हमारे पास ऐटम बम है। उसके साथ हमने कई बार कहा कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। यदि कोई हमला करेगा तो दुश्मन की जमीन पर लडाई होगी। लेकिन यह कैसा काम किया कि पाकिस्तान और चीन के विषय में अमेरिका को चिट्ठी लिखकर चीन व पाक को भारत के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया । हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए। कि पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों। लेकिन आपने चीन और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्तों को खत्म कर दिया है। आज पूरब से पश्चिम तक पूरी सीमा पर अशांति है। चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा करके हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा की है। जब चीन के बारे में कहते हैं कि बड़े प्रयासों के बाद चीन से संबंध अच्छें हो रहे थें, कांग्रेस की सरकार ने, राजीव गांधी से लेकर श्री गुजराल तक सबने उससे अच्छे संबंध बनाए जिसका नतीजा यह निकला कि 1965 व 1971 की जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई लड़ाई लड़ी गई थी तो चीन खामोश देखता रहा, उसने भारत का विरोध नहीं किया और न ही एक शब्द बोला। आपने पाकिस्तान, बंगलादेश के टुकड़े–टुकड़े करवा दिए। हमारे बहादुर लड़े, ठीक काम किया, हमारी सेना लड़ी, इंदिरा जी लड़ी। लेकिन इस बार आपने चुनौती देकर चीन का विरोध किया।

बिजली, पानी की समस्या हमसे हल नहीं होती। अंग्रेजी हुकुमत में हमारा देश गुलाम था। हिन्दुस्तान में कई बार अकाल पड़ा लेकिन उसके बाद भी हिन्दुस्तान के किसानों ने कभी आत्महत्या नही की। आज हमारे किसानों की यह दशा है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। आज हिन्दुस्तान को किसी से खतरा है तो उन आंतरिक शक्तियों से जो मंदिर के नाम पर, हिन्दू–मुस्लमान के नाम पर बातें करती हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम बच्चों को (8 से 10 साल उम्र के) 302 का मुलजिम बनाकर दंगा कराकर आपने जो किया है, उ. प्र. में टाडा में 14–14 साल के सिख लडकों को जेल में बंद किया था। है, जो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की एकता को खंडित करने वाले हैं, उससे देश को सबसे बड़ा खतरा है।

हमारी बहादुर सेना और हमारी बहादुर जनता एक होकर विदेशी शक्ति कितनी भी ताकतवर होगी, हमारा हिन्दुस्तान मुकाबला करेगा और दो टूक जवाब देगा और दुश्मन की धरती पर ही लड़ाई होगी और हम हिन्दुस्तान की धरती को लड़ाई का मैदान नहीं बनाना चाहते हैं, यह अमेरिका की साजिश है। आपकी नीतियों के कारण अगर लड़ाई का मैदान हिन्दुस्तान बनता है तो हमको तकलीफ होगी। अगर मजबूरी में लड़ाई का मैदान होता ही है तो लड़ाई का मैदान हिन्दुस्तान न बने, दुनिया का कोई और मुल्क बनें, इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम अपनी पारस्परिक शक्ति का बढायें और उस शक्ति को मजबूत करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझसे पहले प्रत्येक को बोलने का मौका दिया गया है। यदि मुझे बोलने के लिए नहीं बुलाया जाता तो मैं सदन का बहिष्कार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप ऐसा नहीं करें । उधर से आपके सात लोग बोले हैं और यहां से चार लोग बोले हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी को मेरे से पहले बोलने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा था, कि श्री आडवाणी जी के पश्चात मैं बोल सकूंगा।

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति जी, 1949 में भारत स्वतंत्र हुआ और तब से लेकर मुझे 4–5 ऐसे अवसरों का स्मरण होता है, जब देश में बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन प्रायः सभी अवसरों पर जब देश में प्रसन्नता हुई और सर्वसाधारण भारतीय गर्व का अनुभव करने लगा तो विश्व भर में हमारी बड़ी तीखी आलोचना हुई।

मुझे स्मरण आता है कि जब 1948 मे हैदराबाद भारत के साथ विलय करने को तैयार नहीं था। और उस समय वहां पर कार्रवाही करनी पड़ी और जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद को भारत के साथ विलय करने के लिए विवश होना पड़ा तो जो लोग विश्व में हमारे मित्र माने जाते थे, ऐसे व्यक्तियों ने भी हमारी बड़ी आलोचना की । जब गोवा का मुक्ति संग्राम हुआ तो वही चीज हुई। गोवा मुक्त हुआ, तब भी वैसा ही हुआ। यहां तक कि एडलाइज स्टीवेंशन जो वैसे भारत के परम मित्र थे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इतनी तीखी आलोचना हमारी राष्ट्र संघ में की और यूनाइटिड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव रखा गया। वह प्रस्ताव पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन से पारित भी हो जाता, अगर सोवियत रूस उसको वीटो न करता । इसलिए जब इसकी बात होती है न कि विश्व में हमारी आलोचना हो रही है तो उसको कसौटी नहीं मानना चाहिए उसका उल्लेख कम से कम यहां पर करने की जरूरत नहीं है। हां, उसका जितना कुछ ध्यान रखना है, वह रखना चाहिए।

भारत कभी भी अन्तराष्ट्रीय अभिमत के बारे मे उदासीन नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि वह निर्णायक बनें, वह निर्णायक नहीं बन सकता, मुझे याद है कि पोखरण में जब पहला–पहला अणु विस्फोट हुआ था, उस समय भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन देश के भीतर, यह 1974 की बात है, मैं उस समय भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष था और अध्यक्ष के नाते एक लेख के रूप में वक्तव्य के रूप में मैने जो बात कही। उसको मैं थोड़ा सा ही उद्धत करूंगा। मैने कहा कि :

[अनुवाद]

"सरकार की यह घोषणा कि भारत ने सफलतापूर्वक भूमिगत आणविक परीक्षण किया है, की सभी ने प्रशंसा की गई।

हाल के वर्षों में केवल दो बार किसी को ऐसी राष्ट्रीय उल्लहास की भावना देखने को मिली पहला जब भारतीय सेना बंगला देश को आजाद कराने के लिए ढाका में घुसी थी और अब जब भारत ने आणविक गुट में प्रवेश किया है।"

मैं इस बात का स्मरण इसलिए कर रहा हूं। कि सचमुच कल बहस सुनते हुए मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था। इस बात का अफसोस हुआ था कि जब कुछ देशों ने हमारी आलोचना की, समझ में आता है, लेकिन गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के जो राष्ट्र हैं उनके सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुआ वह वस्तुतः भारत के इस अणु विस्फोट का समर्थन था, चाहे भारत का नाम नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत प्रमुख सहयोगी और जो साधारणतः हरेक मामले का सही विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण सही भी न करते हों, पूरी तरह आफ द ट्रैक न हों, उनके पहले–पहले रिएक्शन प्रायः पोजीटिव थे, ऐसा मुझे नहीं दिखा। लेकिन कल जब मैं सुनने लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए मैने प्रधानमंत्री जी से अनुमति मांगी कि मैं भी कुछ बोलूं। साधारणतः यह विषय ऐसा है जिसको बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने अपने आरंम्भिक वक्तव्य में रखा है। प्रतिरक्षा मंत्री जो सीधे तौर से इस विषय से जुड़े हुए हैं वे भी बोले। चूंकि प्रधान मंत्री विदेश विभाग का भी कार्य सम्भालते हैं, विदेश विभाग का कोई अलग से मंत्री नहीं है इसलिए विस्तार से बहस का उत्तर देंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। इससे सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ जाएगा।

मैं मानता हूं कल यहां पर एक बात को चनौती दी गई । वह भी प्रमुख लोगों के द्वारा दी गई कि जब भारत सरकार कहती है कि हमने यह निर्णय देश की सुरक्षा की दृष्टि से किया है, तो उन लोगों ने कहा कि सुरक्षा किससे ? सुरक्षा का संकट किससे है? हमें कोई संकट दिखाई नहीं देता । कोई संकट है भी नहीं, फिर भी सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन सुरक्षा कहां से आ गई? आप कह देते कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है इसीलिए हम कर रहे हैं ठीक हैं, चलता, लेकिन जब आप संकट और सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें समझाएं कि यह संकट कहां से है और यह संकट, कब पैदा हुआ है? कैसे यह सुरक्षा की बात आई है?

कांग्रेस की ओर से नटवर सिंह जी बोले। वे विदेश मंत्रालय के साथ वर्षों तक जुड़े रहे हैं। अगर उनको माना जाए कि वे विदेश क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। यद्यपि वे प्रतिरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं या नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब उन्होनें कल मुझे बताया कि प्रो–एक्टिव का अर्थ क्या होता है प्रतिरक्षा की भाषा में तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसीलिए आज मुझे डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ा। मैंने उनको कहा कि मैंने अगर प्रो–एक्टिव शब्द कहा तो क्या उसका अर्थ यह होता है जो नटवर सिंह जी मुझे बता रहे हैं, उन्होनें कहा बिलकुल नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपको बताएंगे क्या अर्थ होता है। उन्होंने अपने ढंग से बताया कि क्या अर्थ है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन कल नटवर सिंह जी ने आरम्भ में कहा:

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

[अनुवाद]

"हमें प्रधानमंत्री जी से यह जानने का अधिकार है कि खतरे की संभावना कब बनी। क्या यह 19 मार्च को शुरू हुई जब वे सत्ता में आए अथवा यह 8 अप्रैल को तब शुरू हई जब उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को हरी झंडी दिखाई? ....क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्यवाही की थी जिससे अमृतसर के लिए खतरा उत्पन्न हुआ था।"

शब्दों को देखिए। प्रत्येक शब्द महत्त्वपूर्ण है–क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्यवाही की थी जिससे अमृतसर को खतरा हुआ था।"

और आगे वह इस प्रकार कहते है:–

वर्ष 1971 के पिछले 25 सालों से भारत को (पाकिस्तान से) कोई खतरा नहीं था। शिमला समझौता में यह सुनिश्चित किया गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई विवाद नहीं है। स्पष्ट रूप से, इस स्थिति के इस प्रकार के विश्लेषण के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। निसंदेह इस विश्लेषण से हम पूरी तरह असहमत हैं कि इस स्थिति में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इसे किया जाए।

बाद में श्री पी. चिदम्बरम द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की बात कही गई। मैं उसे भी उद्धत करता हूं। वह भी इसी जगह रखी जाएगी। इसी सुरक्षा की बात पर उन्होनें कहा कि पाकिस्तान के साथ पिछला युद्ध 27 वर्ष पहले लड़ा गया था। और तत्पश्चात उन्होंने बताया कि किस प्रकार माननीय भूर्तपूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने नवाज शरीफ और राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ वार्ता करते हुए पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में इसपर बातचीत की।

वाजपेयी नीति एवं आडवाणी नीति के बारे में उनके द्वारा अपनाए गए बचकाने दृष्टिकोण पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि यह तो इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे अनेक पत्रकारों की नकल है। मुझे चिदम्बरम जी से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं है।

श्री नटवर सिंह ने अपने भाषण में कहा कि श्री वाजपेयी ने नेहरू जी और इंदिरा जी का वर्णन किया लेकिन उन्होंने राजीव जी का वर्णन नहीं किया और यह मानलेना चाहिए था उन्होंने कुछ इसी प्रकार का कहा था।

उन्होंने राजीव जी को उद्धत किया जिन्होंने आणविक निरस्त्रीकरण के लिए बड़े जोरदार ढंग से अपील की थी और कहा था कि यह कई कारणों से सफल नहीं हुआ उन्होंने कहा :–

"राजीव गांधी ने कहा कि सभी आणविक शस्त्रों को 2010 तक समाप्त कर देना चाहिए और गरबाचोव ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था यदि मुझे ठीक तरह से याद है, कि आणविक शस्त्रों को 2005 तक समाप्त कर देना चाहिए तत्पश्चात् सोवियत संघ विघटित हो गया।"

मैं नही जानता कि श्री नटवर सिंह अथवा श्री चिदम्बरम जी ने इस तथ्य को जानबूझकर क्यों नकारा है, 1991 के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र देकर आई थी, यह घोषणा पत्र क्या करता है इसमें खतरे का बोध था जिसे कांग्रेस ने भांप लिया था। 1991 का चुनाव कांग्रेस ने श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा था। 1991 का कांग्रेस

घोषणा पत्र श्री राजीव जी की देखरेख में तैयार किया गया था। पृष्ठ 54 पर कहा गया है कि :

"हमें भारी चिंता है कि पाकिस्तान आणविक शस्त्रों का विकास कर रहा है। आशा की जाती है कि वे इस खरतनाक रास्ते को छोड़ देंगे। उन्होनें पहले ही भारत पर चार युद्ध थोपे हैं। यदि पाकिस्तान आणविक शस्त्रों के विकास और तैनात करने से पीछे नहीं हटता तो भारत को इस खतरे से निपटने के लिए अपनी नीतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी।"

सामान्यता मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के सभी दस्तावेजों में श्री चिदम्बरम की भूमिका रही है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या 1991 के घोषणा पत्र को तैयार करने में उनकी कोई भूमिका रही है। लेकिन मैंने यह पढ़ा है। क्या आपने भी यह पढ़ा है ? मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था।

श्री राजेश पायलेट : हम अभी भी कह रहे हैं और हमने पूर्व में भी कहा था। कि हमने विकल्प खुले रखे हैं। इसके साथ हम यह भी कह रहे हैं कि शस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति को नष्ट करेगा ....*(व्यवधान)*

श्री नटवर सिंह (भरतपुर) : आडवाणी जी, मुझे खुशी है कि आपने यह पढ़ा है इसमें गलत क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता है।

मैं तो केवल यह कहता हूं कि यहां पर खतरे की धारणा है और आप यह प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार इसे न माने। .....*(व्यवधान)*

श्री नटवर सिंह (भरतपुर) : हम आपसे बेहतर करने की अपेक्षा करते है। यह तो अस्पष्ट है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने उतना ही खराब किया है जितना आप खराब कर सकते थे। मैं तो बेहतर करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, जहां तक इस देश की सुरक्षा वातावरण का संबंध है मुझे यही कहना साधारणतया मैं इस वाद–विवाद में हस्तक्षेप नहीं करता और रक्षा मंत्री ही हस्तक्षेप करते और तत्पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा इसका अंतिम उत्तर दिया जाता।

जहां तक अन्य देशों के साथ संम्बंधों और बाह्य सुरक्षा का संबंध है उनका विदेश मंत्री अन्य रक्षा मंत्री से संबंध है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ संबंध हमारी बाह्य सुरक्षा के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं और मुझे आंतरिक सुरक्षा की देख भाल करने का दायित्व सौंपा गया है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस वाद–विवाद में कुछ योगदान कर सकता हूं।

मैं समझता हूं कि 1947 में पाकिस्तान जिसने स्वयं को धर्म आधारित राज्य घोषित किया था, इस तथ्य को मान लेने में असफल रहा कि भारत ने स्वयं को गैर साम्प्रदायिक धर्म निर्पेक्ष राज्य घोषित किया है क्योंकि धर्म आधारित सिद्धांत के प्रति वचनबद्धता और दो राष्ट्र के सिद्धांत के प्रति वचनबद्धता से कश्मीर पाकिस्तान का अंग बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के नेताओं और कश्मीर लोगों ने भारत के साथ मिलने का निर्णय लिया और तभी से वे भारत का हिस्सा हैं।

पाकिस्तान के इस तथ्य को स्वीकार न करने से कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिसे यह देश जम्मू व कश्मीर में झेल रहा है। 1947 में युद्ध हुआ था 1965 में युद्ध हुआ और 1971 का युद्ध भी उसी से संबंधित था। इन सब युद्धों में पराजय का सामना करने के पश्चात् उन्होंने निश्चित रणनीति अपना ली है जिसे भारत की सुरक्षा के प्रति चिंतित व्यक्ति नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति जो इसकी उपेक्षा कर सकता है। वही इस प्रकार के वक्तव्य दे सकता है कि "क्या वे अमृतसर पर आक्रमण करने वाले हैं? क्या वे ऐसा कर रहे हैं? अन्ततः उन्होंने हमारे साथ अच्छी बातचीत की। गुजराल सिद्धांत अच्छी तरह काम कर रहा था यदि आप इससे हटना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप खतरे की अवधारणा के बारे में क्यों बात करते हैं, जबकि ऐसी कोई धमकी नहीं है। यह कोरी बकवासबाजी है। इस प्रकार की विचारधारा से यह पता चलता है कि हम इसे पूरी तरह भूल चुके है अथवा हम अपनी आंखे इस तथ्य से मूंद कर बैठे हैं कि 1971 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान ने पृथक रणनीति अपनाई है।

यदि हममें से किसी ने सेना अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रपति जिया के भाषण को पढ़ा है तो हमें यह पता लग जाएगा कि आपरेशन टोपेक से उनका क्या अभिप्राय था। उन्होनें उस बैठक में आपरेशन टोपेक का अर्थ भी बताया है टोपेक दक्षिण अफ्रीका के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के हीरो माने जाते हैं। उन्होनें स्पेन वासियों के खिलाफ जो उन राज्यों पर शासन करते थे गोरिल्ला युद्ध आरम्भ किया था। उनके नाम पर 'ओपरेशनटोपेक' का जन्म हुआ। इस आपरेशन के क्या अवयव हैं? आपरेशन टोपेक के तीन अतिव्याप्त चरण हैं। पहला कश्मीर के लोगों में गैर भारतीय भावनाओं को उत्पन्न करना दूसरा आतंकवाद पैदा करना और इसे स्थानीय स्तर पर उत्पन्न इस्लाम विद्रोह के रूप में प्रस्तुत करना। तीसरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का पूरी तरह से चरमरा जाना और श्रीनगर का राजनैतिक और धार्मिक लामबन्दी के लिए केन्द्र के रूप में उभारना है।

महोदय, राष्ट्रपति जिया ने सम्मेलन में जो कहा था, उसे मैं उद्धत करता हूं। "पूर्व में हमने छिपकर सैन्य संचालन को अपनाया था और इसलिए हम असफल हुए थे। हमें अभी के लिए अपने सैन्य विकल्पों को जड़ से समाप्त कर देने के रूप में यदि और जब आवश्यक हो, खुला रखना चाहिए।"

यह राष्ट्रपति जिया ने अपने सैन्य अधिकारियों को कहा था जब वह आपरेशन टोपेक का रहस्य खोल रहे थे। हम उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते और न ही 1971 के एकदम बाद हुई घटनाओं को नजर अंदाज कर सकते हैं जब पाकिस्तान ने आणविक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा मे कदम बढ़ाया। और मेरा मत है कि जम्मू और कश्मीर के लिए पाकिस्तान की दोहरी नीति है। एक ओर तो उसने यह आपरेशन टोपेक चलाया ? और दूसरी ओर आणविक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यदि आप के पास परमाणु शस्त्र की ताकत होगी तो क्या होगा?.

अब मेरे पास अमेरिका के हाउस आफ रिर्पेजेंटेटिव वाशिंगटन द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है और यह दस्तावेज 'कांग्रेस' द्वारा 'आंतकवाद और गैर परम्परागत युद्ध नीति संबंधी कार्यबल, के नाम से तैयार किया गया है। इस लेख के लेखक मि. योसोफ बोडेनकी है। वह इस आंतकवाद और गैर परम्परागत युद्ध नीति संबंधी कार्य बल के निदेशक हैं। वह कहते हैं:–

"कश्मीर में इस्लामिक विद्रोह और आंतकवाद के लिए आई एस आई की सहायता पाकिस्तान की इस विशिष्ठ रणनीति का ही प्रत्यक्ष उपोत्पाद है।

और यह विशिष्ट रणनीति है इस दस्तावेज में कहा गया है:–

"मध्य फरवरी 1995 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि "यदि भारत आक्रमण करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच लडाई छिड़ जाती है। तो यह लडाई हजारों वर्षों अथवा हजारों घंटों तक न चलकर केवल कुछ ही मिंटों तक ही चलेगी। और भारत को संभावित विध्वंश से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। "(थाउजंट इयर बार) (हजारो वर्षों लम्बा युद्ध) भारत के साथ संघर्ष पर पाकिस्तान की बचनबद्धता पर जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्तव्य से उद्धत था। अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों ने उस भाषण को इस प्रकार स्पष्ट किया। उन्होंनें जोर दिया कि " यह भाषण भारत को संकेत नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों मे चेतावनी देता है कि अगला युद्ध कुछ सैंकडों ही चलेगा और युद्ध अत्यधिक विनाश और विध्वंस लायेगा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार ने बड़े साहसिक तरीके से अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया है" अधिकारियो ने यह भी कहा "कि पाकिस्तान दस्तव में अपनी परमाणु क्षमता के माध्यम से भारत पर भारी प्रहार करने की स्थिति में है।"

श्री शिव शंकर जी यहां नहीं है। मेरी इच्छा है कि वह यहां होते। यह दुस्साहस हो सकता है। .....*(व्यवधान)* वह यहां उपस्थित हैं। यह काल्पनिक दुस्साहस के रूप में विचार हो सकता है। मैं हैरान था कि इन्होंने श्री वाजपेयी और उनकी सरकार के लिए 'दुस्साहस' शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने श्री वाजपेयी जी के लिए दुःसाहस शब्द का प्रयोग किया जबकि 'गुटनिर्पेक्ष' सम्मेलन ने महसूस किया कि इसमें कोई 'दुस्साहस' नहीं है। यह परमाणु शस्त्र रखने वाले देशों द्वारा भारत पर थोपी गई परमाणु रंग भेद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में है। यह स्वाभाविक रूप से मान लेना है कि भारत जब अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा वह इसे अवश्य करेगा। इसे देश के करोड़ों लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए। आप गांवों में जा सकते हैं आप नगरों और शहरों में चले जाएं। कल इस सभा में सुनी गई इस प्रतिकूल आवाज के अलावा नाममात्र को ही प्रतिकूल आवाजें सुनने को मिलेंगी। यह भी उत्साह और खुशी की ही आवाजें हैं। विदेशों से भी मुझे बार–बार टेलिफोन आ रहे हैं। और लोग कह रहे है कि उन्हें पहली बार गर्व हुआ है कि वे वहां है। और आज तक किसी ने हमारी ओर ध्यान तक नहीं दिया था। ...*(व्यवधान)*

मै इंद्रजीत गुप्त की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मात्र बम से पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल सकती है। मैं उनसे सहमत हूं। वियतनाम के पास बम नहीं था। अमेरिका के पास बम था। फिर भी, वियतनाम ने उनके भीषण आक्रमण को कई वर्षों तक झेला था। आपको उस प्रकार की देशभक्ति और आत्म–सम्मान की भावना को जगाना होगा। यह एक ऐसा अवसर है जो ऐसी आत्म सम्मान और देशभक्ति की भावना का लोगों के

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हृदय में संचार कर सकता है। अब जबकि इस तरह की बातें हो रही हैं कि हर चीज को रोका जा रहा है, अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे, एक भार पड़ेगा जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, आपके पास प्रक्षेपण प्रणाली नहीं है और ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है, आपको सेना और सशस्त्र सेनाओं को 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। क्या आप देशभक्ति की भावना जगाना चाह रहे हैं? क्या आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? हम इससे किस प्रकार का योगदान करने जा रहे हैं?

मुझे तर्क संगत आलोचना पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तू यह कहना कि किसी भी प्रकार खतरा नहीं है और सब कुछ सामान्य है, मुझे खेद है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । यह सरकार इससे सहमत नहीं हो सकती। इस सरकार ने किसी को भी अन्धेरे में नहीं रखा पहले ही दिन से हम कह रहे है। कि हम ऐसा करेगें।

हमनें नाभिकीय प्रतिरोध क्षमता की बात की है। कोई भी यह तर्क दे सकता है। कि परमाणु हथियारों से सुरक्षा कैसे हो सकती है, हमने 'सुरक्षा' शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया है। हमनें मात्र यह कहा था कि हमारा किसी के प्रति आक्रमक रवैया नहीं है। परन्तु 'प्रतिरोध क्षमता' कुछ ऐसी बात हैं जोकि महत्तवपूण कारण रहा है। यद्यपि विश्व की कई शक्तियों के पास परमाणु हथियार हैं जोकि विश्व का कई बार विनाश कर सकते हैं। फिर भी, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद किसी ने भी उनका इस्तेमाल नहीं किया । एक कारण प्रतिरोध है। यह एक कारण है। लेकिन यही एक मात्र कारण नहीं है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं इसीलिए, इस सरकार की नीति केवल परमाणु विस्फोट करने, और उसके आधार पर अपने को सुरक्षित मानने तक सीमित नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : जहां तक आप 'परमाणु प्रतिरोध' शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परन्तु मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य से कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं इस वाक्य से स्तब्ध हूं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुच्छेद 10 में लिखा है :

"हमारा इरादा, इन हथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए करने अथवा किसी देश के लिए चुनौती उत्पन्न करने के लिए नहीं है, ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं।"

मैं जानना चाहता हूं कि आपका आत्म रक्षा के 'लिए परमाणु हथियार' से क्या आशय है। यही बात मैने कल भी पूछी थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसी बात को तो स्पष्ट करूंगा। प्रतिरोध क्षमता स्वंय में ही सुरक्षा है। क्योंकि जब किसी एक देश के पास परमाणु हथियार होता है तो वह इस हथियार का प्रयोग कूटनीतिक दबाव डालने के लिए भी करता है। पहले भी इसका ऐसा प्रयोग किया गया है। कई राष्ट्र ऐसा करते रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो। इसी संदर्भ मे प्रधानमंत्री ने 'सुरक्षा' शब्द का प्रयोग किया है। यह हमारे लिए है।

इसी प्रकार, चूंकि आपने इसका उल्लेख किया है मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखकर कि पिछले कुछ महीनों या तीन महीनों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे ध्यान में रखकर आतंकवादी और उनके सीमा पार बैठे आकाओं ने जम्मू और कश्मीर में एक नई रणनीति बनायी है। पहले उनका लक्ष्य और निशाना कश्मीर–घाटी थी : घाटी में लोगों पर हमला करो और घाटी में लोगों की हत्या करो जिससे कि घाटी के अल्पसंख्यक–हिन्दू घाटी को छोड़ दें । और इस योजना में सफल होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अन्यत्र केन्द्रित किया और यह निर्णय किया हमें जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में जाना चाहिए और वहां से अल्पसंख्यकों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए।"

उधमपुर के बारे में सूचना मिलने के तुरन्त बाद, मैंने वहां स्वयं जाकर उन गांवों का दौरा किया। इस नरसंहार में 26 व्यक्तियों–स्त्री पुरुष और बच्चे–की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी, किसी को भी गोली नहीं मारी गई थी। इनमें से प्रत्येक को छोट–छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हिन्दू समुदाय के ये सभी लोग न केवल वहां से अथात् घाटी से अपितु जम्मू प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों अर्थात उधमपुर, राजौरी, पूंछ और डोडा जिलों से भी चले जाएं और इन आतंकवादियों के अनुसार इन क्षेत्रों में भी हिन्दुओं का सफाया कर दिया जाए । इसीलिए, आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े होने के नाते हमनें एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का निर्णय किया । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सभी संबंधित व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, प्रधान मंत्री सचिवालय और भारत सरकार के प्रतिनिधि रक्षा मंत्री और हम सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में हमारे दृष्टिकोण में अभी तक यह कमी रही है। कि हम उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर एक प्रति कार्यवाही करते रहे हैं।

इस प्रकार हमनें माना कि हमें एक ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए जो कि प्रतिक्रियात्मक न हो अपितु पूर्व–कार्यवाही (प्रो–एक्टिव) हो। उधमपुर के मामले में मैंने कहा था कि इन घटनाओं के बाद हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। हम इस हादसे से पहले ही इन आतंकवादियों को क्यों नहीं खदेड़ पाए। हमें पहले ही इन आतंकवादियों को खदेड़ कर बाहर कर देना चाहिए था और इन नागरिकों को ऐसे नर संहार से बचा लेना चाहिए था। इसी संदर्भ में ही मैंने पूर्व–कार्यवाही (प्रो–एक्टिव) शब्द का प्रयोग किया है।

वस्तुतः, संवाददाता सम्मेलन में, कुछ संवाददाताओं ने पूछा क्या पूर्व–कार्यवाही, का अर्थ शत्रु का पीछा करते हुए, उन्हें नियंत्रण रेखा के परे खदेड़ना है? मैंने कहा 'नहीं' पूर्व–कार्यवाही का अर्थ पूर्व कार्यवाही ही है, अर्थात् हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हमें आक्रमण रोधी, पूर्व कार्रवाही करनी चाहिए।

अब मुझे लोक सभा में मेरे मित्रों द्वारा बताया गया कि मैंने जो कहा वह अत्यधिक आपत्तिजनक है। उनके अनुसार रक्षा शब्दावली में जो कुछ मैंने कहा उसका अर्थ है कि हमारी सेना सीमा के पार जाकर वहां शत्रु पर आक्रमण करेगी। आज दूसरी सभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि भारतीय सेना ऐसा पहले ही कर चुकी है। यह पूरी तरह निराधार है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग) : आपने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कनसंट्रेशन सिर्फ कश्मीर पर रहा है। आपको याद होगा

कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में हिन्दू मुसलमान रहते हैं। उन्होंने गांव–गांव में जाकर काम शुरू किया। भारत सरकार और हमारी सिक्योरिटी फोर्सिज ने वहां उग्रवाद को रोकने की जो कोशिश की उसमें वे बिल्कुल नाकामयाब रहे। आप वहां एक स्ट्रेटजी इवाल्व करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सिज सिचुएशन को डील कर रही है। उन्होंने डोडा में सिचवेशन को कंट्रोल किया। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि उनका फोकस सिर्फ कश्मीर था और वे अब जम्मू आने लगे हैं। उन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट को मेनली कंसैंट्रेट किया। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सिज सिचवेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हुई। इसलिए नई पॉलिसी की जरूरत नहीं है।

श्री चमन लाल गुप्त : मुफ्ती साहब ने जो बात कही, हकीकत में कश्मीर वैली से हिन्दुओं को निकालने के बाद उनका ऑपरेशन डोडा डिस्ट्रिक्ट पर था लेकिन डोडा के लोगों ने मिलकर रैजिस्ट किया और खास तौर पर कहा कि वहां बकायदा डिफैंस कमेटी बननी चाहिए। वे बनी। हालांकि डिफेंस कमेटी को जिस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए, वे बिल्कुल नहीं मिली। इसके बावजूद भी पुलिस के 18 थाने खाली हो चुके थे। जहां–जहां मिलिटैंट्स ने पुलिस पर हमला किया, वहां वे खाली हथियार देकर भाग गये। वहां केवल लोगों ने उन्हें रैजिस्ट किया। यह बिल्कुल हकीकत है। आडवाणी ने सही कहा कि इलैक्शन के बाद उनका ध्यान पूरे के पूरे जम्मू रीजन पर है। वहां पिछले दिनों 26 लोग मारे गये। रजौरी और पुंछ में पिछले नौ वर्षों में एक भी घटना नहीं हुई थी। आज रजौरी और पुंछ पूरी तरह मिलिटैंट्स का अड्डा बना हुआ है। मेरा यह कहना है कि उनका सारा थ्रस्ट जम्मू रीजन पर है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चमन लाल जी को कहना चाहूंगा कि यह सोचना कि कश्मीर वैली बिल्कुल संकट से मुक्त हो गई है, ऐसा नहीं है। उनको जैसा सूट करेगा, वे वैसा करते रहेंगे। हमें कश्मीर वैली और जम्मू रीजन में सावधानी बरतनी है। उनका ऑपरेशन टोपैक का लक्ष्य भले ही जम्मू–कश्मीर हो लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अणुशक्ति बनने का निर्णय किया तो हमारी चिन्ता अणु शक्ति बनते हुए पूरी सुरक्षा की है और विश्व भर में अपना योग्य स्थान पाने की है। साथ–साथ विश्व भर में न्यूक्लियर अपार्थिड की पालिसी कुछ देश चला रहे हैं, उनके प्रति विरोध प्रकट करने की है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की परमाणु नीति विशेष रूप से भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका सीधा निशाना भारत है और वह भी विशेष रूप से जम्मू–कश्मीर को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

[हिन्दी]

हमें इसमें भ्रम और गलती नहीं होनी चाहिए।

जहां तक युद्ध का सवाल है, तीन–तीन और चार–चार युद्ध हुए हैं जिनका कई लोगों ने जिक्र किया। 1947–48 के युद्ध में 200 लोग मरे थे, 1965 में 3800 लोग मरे थे, 1971 में 4600 लोग मरे थे। इस तरह लगभग दस हजार लोग मरे थे। लेकिन अकेले कश्मीर में शायद 18000 लोग मरे हैं। ये सारे प्रौक्सी वार हैं और उसके बाद हम कहें कि कहां प्रौक्सी वार है, प्रौक्सी वार की बात करने वाले,

[अनुवाद]

वे युयुत्स हैं, यह युद्ध भड़काने वाला बयान है। मैंने यह आलोचना सुनी है।

[हिन्दी]

अभी कल ही के भाषण मैं निकालकर बता सकता हूं जिसमें वाजपेयी जी को कहते हैं कि यह आपकी पालिसी नहीं है, यह तो आडवाणी डाक्ट्रीन है।

[अनुवाद]

इस मामले में मैं सारा श्रेय श्री वाजपेयी को देता हूं। उन्होंने सम्पूर्ण कार्यक्रम को उस ढंग से कार्यान्वित किया जिस ढंग से इसे किया जाना था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हैं किन्तु आपने कहा है कि उन्होंने 8 अप्रैल को वैज्ञानिकों को हरी झण्डी दिखा दी थी। हो सकता है, यह खबर अखबारों में छपी है, न ही मैंने उनसे पूछा किन्तु मैं जानता हूं कि यहां तक कि रक्षा मंत्री या मैं स्वयं या जिन्हें इसके बारे में पता लगा, उन्हें इस बारे में केवल तभी पता लगा जब उन्हें इस बारे में सूचना देना आवश्यक था और लगभग उसी समय वह श्री शरद पवार को सरकार के इस निर्णय के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं कहूंगा कि उन्होंने इस सारी कवायद को एक आदर्श तरीके से अंजाम दिया है। एक ऐसे तरीके से जिस तरीके से किसी देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। इसलिए हम आज इस तथ्य पर गर्व कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कि हिन्दुस्तान में इतना बड़ा काम हुआ और कोई बिकाऊ आदमी नहीं निकला – पोखरन में हो, चाहे हमारी सेना में हो, चाहे वैज्ञानिक हों, कोई बिकाऊ आदमी नहीं निकला। ऐसा नहीं हुआ कि हमको जांच करनी पड़ी कि कैसे पता लग गया लोगों को । अब जांच उनको करनी पड़ती है कि हमको कैसे पता नहीं लगा। ये सारी चीजें इतने गर्व की हैं जिन पर मैं समझता हूं कि हरेक को प्रसन्नता होनी चाहिए और हरेक को वाजपेयी जी की सरकार को बहुत–बहुत साधुवाद देना चाहिए। हां, आपके जो सवाल हैं, उन सवालों के बारे में जरूर यह सरकार सोचेगी कि आगे के बारे में क्या है। प्रतिरक्षा मंत्रालय सोचेगा कि आगे के बारे में क्या है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जहां देश के जन–जन में इसके कारण उल्लास है, वही सेना में, वैज्ञानिकों में, मुझे बताया गया कि

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

कुछ वैज्ञानिकों की सूची है, कुछ लोगों ने आलोचना की है लेकिन कई लोगों ने मुझे उसमें नाम बताए कि जिनका विज्ञान से किसी तरह का संबंध नहीं। हो सकता है मैं भी जानता हूं, लेकिन कोई वैज्ञानिक है तो मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मतभेद रखना अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली मैं समझता हूं कि आज जो काम भारत सरकार ने किया है, उसने जन–जन की इच्छा की पूर्ति की है और साथ–साथ देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्होंने एक सही निर्णय किया है जिसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं एक बात के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां तक मैं इसे समझ सका हूं गृह मंत्री के पूरे भाषण का उद्देश्य यह दर्शाना है कि हमारी सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा पाकिस्तान की ओर से पैदा हो रहा है, सारी बात का विश्लेषण पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न खतरे के आधार पर किया गया है जबकि रक्षा मंत्री हर वक्त चीन के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं कि सारा खतरा चीन की ओर से है। इसलिए मैंने कहा है कि सरकार को अलग–अलग स्वरों में न बोलना सीखना चाहिए अपितु यदि संभव हो तो एक स्वर में बोलना सीखना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समापति महोदय, गृह मंत्री ने इस वाद–विवाद में हस्तक्षेप करना चाहा क्योंकि उनके अनुसार पाकिस्तान एक ऐसा खतरा है कि यह विस्फोट करना आवश्यक था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कहा है कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है यह न केवल बाह्य सुरक्षा अपितु आन्तरिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। मैंने विदेश नीति या रक्षा नीति के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी नहीं की है।

श्री के. नटवर सिंह : क्या परोक्ष युद्ध का सामना करने के लिए अणु बम की आवश्यकता है ? हमें इस बारे में जानकारी दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समापति महोदय, कल रक्षा मंत्री द्वारा वाद–विवाद किया गया हस्तक्षेप सरकार में उनकी स्थिति को कायम रखने के लिए अधिक रक्षात्मक था। अपने भाषण में उन्होंने बहुत ही रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। यह जार्ज फर्नान्डीज का सामान्य प्रदर्शन नहीं था, श्री आडवाणी का प्रदर्शन इस सरकार में व्याप्त अव्यवस्था को स्पष्ट करता है।

वे अब औचित्य ढूंढने के लिए विशेष रूप से कल प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद अंधेरे में तीर चला रहे हैं। मेरे विचार से श्री चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और गृहमंत्री के दृष्टिकोण के बीच अन्तर के बारे में उस प्रश्न को पूछकर सही किया है। उनके स्पष्टीकरण के बाद वह प्रश्न और भी प्रासंगिक बन गया है।

पाकिस्तान की ओर से इस देश को खतरे की आशंका के अलावा श्री आडवाणी के भाषण का मुख्य विषय यह है कि इस देश के लोगों में गर्व की भावना जगाने के लिए यह आवश्यक था, यह महानतम् उपलब्धि है और देश के लोग इस बारे में स्वय को गौरन्वान्वित महसूस कर रहे हैं; सर्वत्र हर्षोल्लास है और अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की भूमिका स्वीकार कर रहें हैं। इस कवायद की यही वास्तविक उपलब्धि है।

महोदय, इस संदर्भ में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। उनका समर्थन करना और जयजयकार करना उस पक्ष का ही एकाधिकार नहीं है हम भी ऐसा करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि अब इस उपलब्धि का राजनीतिक उददेश्यों के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं, हमारी स्वाधीनता की 50 वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बुलाए गए संसद के विशेष अधिवेशन का स्मरण करता हूं जब हमनें हमारी उपलब्धियों के अलावा इस देश में व्याप्त स्थिति, इस देश की समस्याओं के अलावा हमारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए कई दिनों तक कई घंटे बिताए थे। संयोगवश इस समय हमारे प्रधानमंत्री उस समय विपक्ष के नेता थे। मेरे विचार से वह भूमिका उनके लिए अधिक अच्छी है। उस समय उन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया था। किंतु हमारे सुरक्षा बोध या इस देश के समक्ष कल्पित खतरे के बारे में कोई आशंका उनके भाषण में नहीं सुनाई दी। जब हम इस देश की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलुओं के सभी क्षेत्रों पर बोल रहे थे तो उन्होंने कभी भी हमारी सुस्थापित और दीर्घकालिक परमाणु नीति में किसी परिवर्तन की वकालत नहीं की।

उस वाद–विवाद के दौरान हमने निर्धनता, भूख, बेरोजगारी, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल, निरक्षरता, बिजली की कमी, पानी की कमी के बारे में चर्चा की, हमने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता के बारे में चर्चा की, राजनीति के अपराधीकरण और कई अन्य बातों पर अपने विचार व्यक्त किया। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि किसी देश की शक्ति इन बुराइयों को दूर करने पर निर्भर करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी इस देश में आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। जब कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने राजधानी में पानी और बिजली की कमी का उल्लेख किया तो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उनका उपहास किया– मानों यह इस सरकार की महान उपलब्धि हो और कहा कि चर्चा परमाणु ऊर्जा के बारे में है इसलिए किसी व्यक्ति को इस देश की राजधानी में बिजली और पानी की कमी के बारे में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। कल और आज भी प्रश्न काल के दौरान सभा में सभी पक्षों सदस्यों द्वारा पेयजल के लिए दुहाई मनबाना और मंत्री को पेयजल की आपूर्ति के साधन ढूंढने के लिए कहना उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें यह देश है।

हमनें ऐसा कभी नहीं कहा कि हम विज्ञान का विकास नहीं चाहते हैं। जब अमेरिका द्वारा सुपर कम्पयूटर की आपूर्ति किए जाने से इन्कार करने के पश्चात् हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर कम्प्यूटर बनाने में सफलता प्राप्त की तब हमनें भी काफी प्रसन्नता और गौरव का अनुभव किया था। हमने देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा उस समय भी की थी जब उन्होंने हमारे उपग्रहों को कक्ष में स्थापित किया था। हम उनकी खुलकर प्रशंसा करते रहे हैं। हमें इस बात पर भी गर्व है कि कई बाधाओं और खामियों के बावजूद तथा पूर्ण वित्त–पोषण और सुविधाओं के आभाव के बावजूद, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने उच्च स्तर की निष्ठा से कई महान उपलब्धियों को हासिल किया है। हमें उन पर गर्व है।

अपराह्न 5.00 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

परन्तु अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस पर अभिमान न कीजिए। हमें अभी इस सुरक्षा समस्या के बारे में बताया गया है। यह बात सही है कि सुरक्षा सम्बन्धी समस्या है। इस सभा में पारित उस सर्वसम्मत संकल्प के बाद एक मात्र महत्वपूर्ण बात यह हुई कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस सरकार का गठन किया गया है। यह एक ऐसी सरकार है जो हर प्रकार के राजनीतिक दलों, जिनके हितों या नीतियों में कोई साम्यता नहीं है, के निर्बल गठबन्धन से बनी हुई है, तथा जिनका उद्देश्य किसी भी तरह सत्ता को प्राप्त करना और सत्ता में बने रहना है।

यहां पर 19 मार्च से यह सरकार अस्तित्व में आयी है और हमनें देखा है कि इसके घटकों के बीच किस प्रकार आपसी झगड़े हुए हैं। एक ऐसे गठबन्धन, जिसे मैं धोखा देने वाला गठबन्धन कहूंगा, के विभिन्न घटकों द्वारा कैसे दबाव डालने की चालें चली गईं। तीन मंत्री पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। कई मंत्रियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और गठबन्धन में ही उनके खिलाफ एक–दूसरे के द्वारा त्याग–पत्र की मांग की जा रही है। इस पूरी अवधि के दौरान आपने ऐसी निष्क्रिय सरकार को देखा जिसने कई पैकेजों की घोषणा की और जिसके प्रधानमंत्री की बंधक जैसी स्थिति है। वे बिल्कुल चुप बैठे थे। वे कुछ भी नहीं कह रहे थे। वे इन दिनों लगभग निष्क्रियता की स्थिति में बैठे थे।

अपराह्न 05.02 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, को योजना भवन में जाने का अवसर मुश्किल से ही मिल पाता है वे क्षति नियंत्रण गतिविधियों में सक्रिय होकर देश का भ्रमण करते रहते हैं।

श्री रामकृष्ण हेगड़े, वाणिज्य मंत्री तथा माननीय प्रधानमंत्री के निकट सहयोगी ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री थक चुके हैं, वे हताश हैं तो वे कैसे कार्य कर सकते है? परन्तु, अचानक हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अत्यधिक साहसी और अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। यद्यपि वे अभी भी अत्याधिक अप्रसन्न दिखाई देते हैं, मुझे विश्वास है कि वे वास्तव में अप्रसन्न नहीं हैं।

11 और 13 मई को देश के लोगो के साथ जो कुछ भी हुआ श्री आडवाणी की सोच के अनुसार–उस पर हमारे प्रधानमंत्री को भी गर्व है। अब वे कहते हैं कि इसका औचित्य सुरक्षा के प्रश्न से जुड़ा है। सुरक्षा सम्बंधी समस्या तो है ही, परन्तु पार्टियों और सरकार की सुरक्षा संबंधी समस्या ज्यादा है, न कि देश की । परन्तु, देशभक्ति के नाम पर, श्री अडवाणी और श्री वाजपेयी अपने किसी भी सहयोगी दल को भिन्न–भिन्न मत प्रकट करने की अनुमति नहीं देंगे, तब कोई अधिक दावे और मांगे नहीं होगी; सभी पैकेजों को सील कर दिया गया है और अब एजेण्डा एकदम स्पष्ट है–'हिन्दू राष्ट्रवाद'।

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार, जिसे देश की मात्र एक चौथाई या 25 प्रतिशत जनता का न्यूनतम समर्थन प्राप्त हो को बचाने के लिए संकीर्ण, पक्षपाती राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर ऐसा महत्तवपूर्ण निर्णय लिया गया हो, इस भावना को इस सरकार के और संघ परिवार के महत्तवपूर्ण पदाधिकारियों को बलवती बनाया है । संघ परिवार ने भाजपा को एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्री दिया है। मैं उद्धत करता हूं :

"यह मत हमेशा से ही भाजपा की कार्य सूची में रहा है कि भारत परमाणु सम्पन्न बनेगा। परन्तु, इस समय ये विस्फोट, अस्थिरता के विरुद्ध हमारे कवच थे। ये न केवल हमें परेशानी या ब्लैक मेल से बचाएंगे, अपितु सहयोगियों के ब्लैकमेल से भी बचाएंगे।"

इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि भाजपा और सरकार कठिन निर्णय को लेने में सक्षम है।

इनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। हम देखते हैं– और मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री से इसकी अनुमति ली गई थी या नहीं – कि श्री शेषाद्रिचारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख समाचार पत्र "आर्गनाईजर" के सम्पादक ने उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक मित्रतापूर्ण यात्रा थी। अचानक, वह विस्फोट के तुरन्त पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का मित्रता पूर्ण दौरा करते हैं। 'ऑर्गनाईजर' ही ऐसा समाचार पत्र था जिसनें 11 मई को ही सबसे पहले इस समाचार को छापा था। ये अत्यधिक गम्भीर मामले हैं।

अब मैं श्री गोविन्दाचार्य के बारे में कहूंगा। उनकी प्रमुता को कोई भी नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा और मैं उद्धृत करता हूं...कृपया तुलना देखिए... " जैसी भावना अयोध्या से जुड़ी है, उसी तरह परमाणु परीक्षण, भावनात्मक राष्ट्रीय दृढ़–संकल्प दर्शाते हैं। "यह उनकी प्रतिक्रिया है। फिर, मेरे अच्छे मित्र और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मुस्कुराते रहने वाले वृद्ध–ने कहा, " यह मात्र परमाणु परीक्षण नहीं है; अपितु राष्ट्रवाद का परीक्षण है।

अध्यक्ष महोदय, भाजपा की राजस्थान कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री द्वारा एक जनसभा को संबोधित किये जाने के लिए एक योजना बनाई। शायद, वह इसके लिए राजी नहीं हुए, परन्तु यह राजस्थान की पार्टी कार्यकारिणी का निर्णय था। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, " पोखरण में धार्मिक तीर्थस्थान होना चाहिए, जहां से रैलियां निकलेंगी तथा जिनमें से कुछ पोखरण की रेत भी लेकर जाऐंगे। पोखरण रेत को फैलाने के प्रस्ताव के पीछे यह भावना थी कि इससे राष्ट्रीय आत्म–विश्वास की भावना फैले। ऐसी बातें आवश्यक नहीं हैं।

गर्व और सफलता मिलने की भावना का अचानक उत्कर्ष देखा गया ...*(व्यवधान)* यह सही है कि यह वैज्ञानिक उपलब्धि है और ऐसा होना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु वे इसका ऐसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे है, जिससे वैज्ञानिक दूर भागते हैं। हम यह नहीं सोच रहे थे कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री को इसका श्रेय मिलना चाहिए। महोदय, विपक्ष की ओर के एक मंत्री सहित वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अजीब तर्क दिए जा रहे हैं कि वैज्ञानिक कुण्ठित हो रहे हैं तथा वे जल्दी ही सेवा–निवृत्त होने जा रहे हैं। इसीलिए, उनकी सेवा निवृत्ति से पहले कुछ किया जाना चाहिए।

महोदय, दुर्भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी सेवानिवृत्त होना पड़ता है। यही बात आज श्री बरनाला ने भी कहीं थी। श्री जगमोहन ने कल कहा था कि वे काफी कुंठित हो रहे थे। अपने गण्यमान्य वैज्ञानिकों की कुठा को दूर करने के लिए श्री गुजराल जी ने एक वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित करने का सही निर्णय लिया था। वे परमाणु बमों और परमाणु विधाओं का विस्फोट करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि वे पूरे जोश, पूरी सर्तकता और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं सहित काम करें। आने वाले वर्षों में अगर उन्हें सेवा में वृद्धि दी जाती है तो इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं जबकि अन्य काफी योग्य व्यक्ति भी हैं। हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

महोदय, 1998 को भाजपा के घोषणापत्र में यह स्पष्ट कहा गया है –मैं मानता हूं कि इस मामले में भाजपा का पक्ष दृढ़ है – कि भारत अपनी परमाणु नीति में तेजी लाए तथा परमाणु विकल्प के अपने अधिकार का प्रयोग करें। उन्हें कुछ समंजन करना पडा। वे बोले कि वे सहमत है– इतने सारे दल एक साथ एक राष्ट्रीय एजेन्ड़ा बनाने पर सहमत हो गए।

यह राष्ट्रीय एजेंडा में 'अगर यह लोगों को धोखा देने के लिए नहीं था, स्पष्ट रूप से कहा गया था : हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करेंगे।" महोदय यह आवश्यक है। अब तक, सरकार के प्रवक्ता इससे बचते रहे हैं। मैं इसे इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि हम इसका जवाब चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि :

"हम राष्ट्र के समक्ष सैनिक, आर्थिक और राजनैतिक खतरों की समीक्षा करने तथा सरकार को लगातार सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करेंगे। यह परिषद भारत की पहली सामरिक सुरक्षा समीक्षा करेगी जिससे भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित हो सके। हम सभी आवश्यक उपाय करेंगे और सभी उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपनी आणविक नीति की पुनः समीक्षा करेंगे और आणविक हथियारों की स्थापना के विकल्प का प्रयोग करेगे।"

भाजपा के घोषणा पत्र में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है परन्तु मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय घोषणापत्र में इसके बारे वचन दिया गया है।

महोदय, अब 20 मार्च को रक्षामंत्री ने कहा था "आणविक हथियारों पर रोक लगा दी गई थी। हमनें यह नहीं कहा था कि हम आणविक हथियारों का प्रयोग करेंगे। हम सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की पुनः समीक्षा करेंगे। इसे देखते हुए, हम आणविक हथियार के विकल्प के संबंध में फैसला करेंगे।" ऐसा उन्होंने 20 मार्च को कहा था। जो कुछ रक्षा मंत्री कहते हैं वह उसको वापिस ले रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उन पर ऐसा करने के लिए जोर डाल रहे हैं।

महोदय, अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना नहीं हुई है। श्री जसवंत सिंह बहुत सीधे हैं। मैं चाहता हूं कि वह यहां होते। आप उन्हें यहां नहीं पा सकते। आप उन्हें हर प्रकार के कार्य सौंप रहे हैं। अब उन्हें इस परिषद के लिए लोग ढूंढने होंगे। उनका काम पूरा नहीं हुआ है। आप उन्हें अक्सर चेन्नई भेजते रहते हैं उनके पास समय कैसे होगा?

इसलिए उनके अध्ययन के बिना, उनकी इस समीक्षा के बिना आप यह कैसे कर सकते है?

महोदय, ऐसा लगता है कि पहले ही दिन,19 मार्च को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी डा. चिदम्बरम से मिले थे और कहा था: इस परीक्षण के संबंध में आपका क्या विचार है ? अखबार और पत्रिकाओं के अनुसार वे मुस्कुराते हुए बाहर आए थे। इसलिए यह निर्णय पहले ही दिन लिया गया था। यह राष्ट्रीय एजेंडा एक 'तमाशा' था। मैंने विगत बहस के दौरान कहा था कि यह राष्ट्रीय एजेंडा एक 'राष्ट्रीय तमाशा, है। इसलिए आप इसका अनुसरण न करें। केवल गर्व की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्र को, इन सभी तुच्छ तत्वों का दिए वचन से आप फिर गए–के लिए वचन दिया था– मैं व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि पार्टी के दृष्टिकोण से कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बैको : क्या आपने हमें "तुच्छ तत्व" कहा है ?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं यह केवल दल के संदर्भ में है, बहुत छोटी पार्टियों के लिए कहा गया है। शीघ्र ही आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री सुदर्शन ने 1996 में – जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तेरह दिनों के उस संवैधानिक भटकाव के अंदर– कहा था कि भाजपा ने आणविक विस्फोट के बारे सोचा हुआ था। परन्तु उस समय कोई गौरी नहीं था। तब भी आपने इसका निर्णय लिया था।

श्री आड़वाणी जी, उस समय आप सरकार में नहीं थे। बिना स्पष्टीकरण के न आने की आपकी इच्छा की हम पूरी सराहना करते हैं। परन्तु वह आरोप – पत्र आपके साथ ही है। तथापि एक और आरोपपत्र है। लगता है आरोप पत्र आपको नहीं छोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब इसके साथ ही हमें पता लगा है। कि वहां शक्ति पीठ' नाम से एक स्मारक तथा एक मंदिर के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। लोगों को आपका संदेश क्या है?

हमारी सूचना और प्रसारण मंत्री काफी सक्षम हैं। वास्तव में वे 71 वर्ष के उस वृद्ध व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती परन्तु उनका अपना तरीका है।

वह जानती हैं। मीडिया के विभिन्न वर्गों के लोग तो उनसे मिलते हैं उनसे उनका काफी अच्छा समीकरण है। अब श्री गिल स्टार प्लस, जी. टी.वी. और टी.वी.आई. को नियंत्रित नहीं करते हैं। इसलिए सामान्यतया यह लोगों का प्रायोजित स्वर है मानों उन्हें बाजार से ही पकड़ा गया हो। इससे आप क्या समझते हैं? श्री वाजपेयी जी जिन्दाबाद। केवल भाजपा ही ऐसा कर सकती थी। परन्तु आप इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देख सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह भी यही कर रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह प्रेरित कर रही है। मैं जानता हूं उनकी इच्छाएं पर्याप्त हैं। यह वैज्ञानिक परीक्षण और कुछ और भी है। इसी कारण हम यहां हैं। आपमें से कुछ कह रहे हैं कि हम धोखेबाज हैं, हम देशभक्त नहीं हैं या पूरे देशभक्त नहीं हैं। परन्तु महोदय हमने हमेशा ही उस सरकार का समर्थन किया है जो सत्ता में रही है। कम से कम हमारी पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही। यह आत्म त्याग की पार्टी है। यह आप जानते है। आप यह जानते हैं। चाहे आपने हमें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव किया था परन्तु हम नहीं चाहते थे।

हमने पंजाब में आंतकवाद तथा जम्मू–कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा यह कहा है कि हम सरकार का समर्थन करेंगे। पंजाब तथा कश्मीर में हमारी पार्टी को कई जानें गंवानी पड़ीं। हमारे जवानों ने इस देश की अखण्डता कायम रखने के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दीं। इसलिए केवल यह न सोचिए कि यह केवल आपके दल का ही विशेषाधिकार है परन्तु यह इस देश के प्रत्येक भारतीय का अधिकार, विशेषाधिकार और कर्त्तव्य भी है। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने काफी योगदान किया है चाहे आपकी तरह इसे व्यक्त न किया हो।

परन्तु इन वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर आज आप सारा श्रेय खुद ही ले लेना चाहते हैं। श्री चिंदबरम ने ठीक की कहा था कि केवल तीन ही प्रश्न हो सकते हैं। वास्तव में उन्होंने सबसे महत्त्वपूर्ण विकल्प को सबसे आखिरी विकल्प कहा था। परन्तु वही पहला है। जो वास्तविक विकल्प है।

आज वास्तव में आप खुश नहीं हैं। आप इस जोड़जाड़ कर एकत्र किये गये लोगों के होते हुए खुश कैसे रह सकते हैं? वे आपको सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए, प्रधानमंत्री महोदय, आपके द्वारा की जाने वाली बडी उपलब्धि को लोगों को बताने का प्रयास करने के आपका निर्णय ठीक नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव ने ठीक ही कहा है कि सब कुछ तैयार था। आपको निर्णय लेने के अलावा कुछ नहीं करना पडा।

परन्तु प्रश्न यह है। कि हम चिंतित क्यों हैं? एक लंबे समय, अथक परिश्रम और अत्यधिक कूटनीति के माध्यम से सभी बातें सामान्य हो रही थीं। राजीव गांधी की 1988 मे चीन की यात्रा के साथ स्थिति और भी सामान्य थी। हम आगे बढ़ रहे हैं और संबंधों को सुधारने में किसी से भी काफी तेज रहे हैं। कल आपने इस सदन में जो उत्तर दिया था उससे चीन की उस स्थिति के बारे आपका आज जो विचार है, जिसके बारे श्री जार्ज फर्नांडिज ने कल स्पष्ट रूप से कहा था, को पूरी तरह बदल दिया है। आज या तो उन्होंने दो दुश्मनों को विभाजित कर दिया है या अपनी उलझन प्रकट की है।

सभापति महोदय, इसलिए निश्चय ही एक प्रश्न उठता है जिस का जवाब सरकार को देना होगा। मैं श्री आडवाणी की बुद्धिमत्ता की और उनकी भाषा की प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी प्रशंसा करता रहता हूं। परन्तु इस समय उनका जो रवैया है, मैं नहीं जानता वह हमें किस ओर ले जाएगा।

परन्तु कल एक रोचक बात कही गई थी। हमें पूछना पडा, "अब क्यों ? "आपके सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के अंदर 19 मार्च और 8 अप्रैल के दौरान क्या हुआ? क्या हम संसद के सदस्य के रूप में और लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में ऐसा नहीं पूछ सकते और आपने ठीक ही कहा था कि आप केवल 25 प्रतिशत हैं।

क्या हम यह नहीं पूछ सकते कि "अभी क्यों ?" जिस सामरिक समीक्षा का आपने देश को वचन दिया था, उसका क्या हुआ ? क्यों ? श्री शरद पवार कहां थे जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री भी उनसे संपर्क नहीं कर पाए ? मैं नहीं जानता। श्री पवार, क्या आप विदेश गए थे ?

एक माननीय सदस्य : वे चेन्नई में थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे गए होंगे ।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

इसलिए, ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले पर विचार–विमर्श करने के लिए आपको इस देश के विपक्ष के नेता नहीं मिल सके।

एक माननीय सदस्य : वे गुप्त रूप से चेन्नई गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के सुरक्षा प्रभारी होते हुए इसमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता। निश्चय ही सरकारी तंत्र उन्हें ढूंढ रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज बहुत ही 'बुद्धिमान' निकले। मैं उनकी बात को उद्धृत करता हूं "अब किया गया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं किया गया था।" यह छिछोरापन इस देश के रक्षा मंत्री ने दिखाया है। "उन्होंने कहा, "जी हां, अब ऐसा किया गया क्योंकि ऐसा पहले नहीं किया गया था।" मैं हैरान था। आप जितनी जल्दी उनसे मुक्ति पा सकते हो, उतना ही अच्छा होगा। वह पहले जैसे जार्ज फर्नान्डीज नही रहे उनके 'ज' और 'फ' अब बहुत छोटे हो गए हैं।

हमने हमेशा यही कहा है कि परमाणु विकल्प को नहीं छोड़ो जैसा कि आप बार–बार कह रहे थे कि देश में एकमत रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह नहीं भूलिए कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने पर देश में प्रत्येक व्यक्ति ने आपको समर्थन दिया है। जब आप वहां बैठे थे अथवा खडे थे तो हमने आपको समर्थन दिया था और कहा था कि चाहे कुछ भी हो, सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करना और एन.पी.टी. का सदस्य नहीं बनना। उस संबंध में, हमारे अपने विकल्प हैं। साथ ही, आप आज विश्व में भारत के उच्च स्थान को क्यों खो रहे हो ? जबकि हम ऐसा करने की स्थिति में है, फिर भी हमने आत्म–संयम अपनाया है। लेकिन हमने अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं और इसके साथ ही, हम पूर्ण निरस्त्रीकरण की कोशिश भी कर रहे हैं। निस्सन्देह, यही हमारा लक्ष्य है। यह आसान नहीं है। भूतपूर्व विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री श्री गुजराल जैसे विशिष्ट व्यक्ति इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, हम देखते है कि भारत की लम्बे समय से चली आ रही नीति यह है कि एन.पी.टी. को स्वीकार करके परमाणु विकल्प न छोड़ा जाये तथा सैन्यकरण न करने के संबंध में अपनी शर्तों पर संयम बरता जाये। यही हमारी नीति है। यह नीति असफल रही है। हम और कुछ विशिष्ट माननीय सदस्य यहां पूछते हैं कि उन विस्फाटों के कारण वे कार्य जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं, कैसे रुक गये। जी हां, हम आज इस छद्म युद्ध के बारे में शिकायत कर रहे हैं।

एक मिनट पहले श्री नटवर सिंह ने बीच में सही टोका था। इस छद्म युद्ध को नियंत्रित कर लिया गया था। निश्चय ही, श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परम्परागत हथियारों के उपयोग के सभी मामलों में हम आपका समर्थन करेंगे और अभी उन्होंने सही कहा है। कि आप सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन सब बातों को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

अब आज दो बजे दूरदर्शन पर समाचार था कि पाकिस्तान विस्फोट करने वाला है। अब, आप क्या करेंगे? अब क्या होगा? क्या हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या यह देश ऐसा करने का सामर्थ्य रखता है? क्या हमारा उपमहाद्वीप ऐसा करने का सामर्थ्य रखता है?

क्या हमारा लक्ष्य इस विश्व में सभी के साथ विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना नहीं है ? क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? निस्सन्देह, अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। सब कुछ करने की आवश्यकता है। आपने कुछ समय के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब, अचानक मेरे मित्र श्री बृजेश मिश्र कह रहे हैं – स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री की स्वीकृति से कि सी. टी. बी. टी पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वे कहते है। और मैं उद्धरित करता हूं:–

> "भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के कुछ प्रावधानों को स्वीकार करने हेतु विचार करने के लिए तैयार है। "

इस संबंध में क्या विचार है ? लेकिन ऐसा हवा में नहीं किया जा सकता है। अवश्य ही यह संकल्पना से वचनबद्धता तक की क्रमिक प्रक्रिया है और यह अनेक प्रतिक्रियात्मक कार्यकलापों पर निर्भर करता है। इस विषय में सरकार का क्या विचार है ? माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से न तो कोई वक्तव्य अथवा ना ही कोई पत्र आया है। यह क्या है ? कृपया बताइये।

हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी शस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरा हो गयी है।

वे कहते है और मैं उद्धरित करता हूं :–

> "शस्त्रीकरण के बिना परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र बनने के प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है परमाणु शस्त्रीकरण आवश्यक है और अन्तिम विश्लेषण के रूप देखा जाये तो यह अनिवार्य है। यह तर्क देते हुए कि परमाणु हथियारों को हमेशा एक निवारक के रूप में देखा गया है, उन्होंने कहा, "कोई भी नाभिकीय युद्ध के बारे मे बात नहीं कर रहा है। केवल एक बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और हम उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। परमाणु हथियार केवल निवारक ही रहेंगे।"

जहां तक वियतनाम की इच्छाओं और आकांक्षाओं का संबंध था अथवा इराक के लोगों का संबंध था अथवा जहां कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, यह एक निवारक के रूप में नहीं था। वे कहना चाहते है। कि उन्होंने इसका इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया और सरकार इसका स्पष्टीकरण किसी को नहीं दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को

इस देश को इस बात का जवाब देना है। उन्होंने राष्ट्रपति क्लिंटन को 11 मई को गुप्त रूप से क्यों लिखा ? इसका क्या उद्देश्य था ? उन्होंने ऐसा क्यों किया ? क्या वे अमरीका को प्रसन्न करना चाहते हैं और चीन और पाकिस्तान से हमारे देश को जो खतरा है उसका एक और मामला बनाना चाहते हैं। क्या यही वक्तव्य है ? *(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह : क्या सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि पाकिस्तान ने दो परमाणु विस्फोट कर लिए हैं अथवा नहीं ? क्या वे इसकी पुष्टि करेंगे ?*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : इस बात की पुष्टि करना सरकार के लिए आवश्यक है। क्या सरकार इसकी पुष्टि करेगी ? *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब, स्थिति और भी गंभीर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्तजार करें। कृपया इन्तजार करिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : अभी–अभी न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने दो एक्सप्लोजन किए हैं, क्या सरकार इस बारे में कन्फर्म करेगी ? क्या सरकार इस बारे कोई वक्तव्य देगी ? यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : प्रधानमंत्री जी को फौरन सदन में आकर बताना चाहिए। पूरे सदन को इस बारे में चिंता है। ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सरकार को कन्फर्म करना चाहिए कि यह बात सही है या गलत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होनें पहले ही संदेश भेज दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं अभी ऑथेंटिक न्यूज पांच मिनट के अंदर बताती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वे पहले ही तथ्य जानने चले गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदया, बोल रही हैं। वे जवाब दे रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदया बोल रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार जवाब दे रही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अभी सदन मे बैठे– बैठे, मुझे यह सूचना दी गई है कि साढ़े तीन बजे आज पाकिस्तान ने दो टेस्ट्स कंन्डक्ट किए हैं। वही सूचना प्रधानमंत्री जी के पास भी आई है। हम अभी फैक्टस कलैक्ट कर रहे हैं। डिटेल्ड स्टेटमेंट या डिटेल्ड फैक्ट्स मैं अभी सदन को बताऊंगी। यह जानकारी सही है और दूरदर्शन पर फ्लैश आया है कि साढ़े तीन बजे पाकिस्तान ने दो टैस्ट्स कन्डक्ट किए हैं। इस बारे में डिटेल्स कलैक्ट करके मैं सदन को बताती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय कृपया उन्हें नियंत्रित करें ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोटों के बारे में दी गई सूचना बहुत गंभीर है और मेरे विचार से इस बारे में स्वयं प्रधानमंत्री को सभा को उचित रूप से अवगत कराना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सभा को दस या पन्द्रह

[श्री शरद पवार]

मिनट के लिए स्थागित किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री आएं और सभा को इस बारे में सही ढंग से अवगत करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जैसा कहा गया है कि आज पाकिस्तान ने दो परमाणु परीक्षण किए हैं, यह खबर मिलते ही प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पता लगाने गए हैं।...*(व्यवधान)* आप अगर हाउस को एडजर्न करना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सभा स्थगित न की जाए,

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर फैक्टस देने के लिए चिन्तित हैं, वे फेक्टस लेने के लिए गए हैं। ...*(व्यवधान)* वह अभी आकर आपको निश्चित रूप से बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपना भाषण जारी रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी प्रधानमंत्री जी आकर आपको ब्रीफ करेंगें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया इस प्रकार का व्यवहार न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठे जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पंवार : बात ऐसी है कि यह बहुत इम्पोरटेंट सवाल है। ...*(व्यवधान)* अभी डेढ़–दो घंटे पहले एनाउंस किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : चार बजे हुआ है।

[अनुवाद]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : यह दो घंटे पहले हो गया था ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री सभा में आएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनिए कृपया अपने स्थान पर बैठिए। श्री सोमनाथ चटर्जी कृपया एक मिनट के लिए रुकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी तथ्यों का पता लगाने गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री आ गए हैं, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं? क्या वे वक्तव्य देना चाहते हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : क्या वे पहले अपना भाषण समाप्त करना चाहेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या यह सूचना सही है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अभी–अभी समाचार मिला है...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : आधा घंटा हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे जब समाचार मिला, मैं आपके सदन में बैठा हुआ था। ...*(व्यवधान)* आपको भी क्या दो घन्टे पहले पता लग गया था ?...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : अध्यक्ष जी, सुषमा जी का बयान था कि साढ़े तीन बजे की न्यूज में दूरदर्शन पर यह न्यूज आई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समाचार के अनुसार

पाकिस्तान ने दो परमाणु परीक्षण किए हैं। अभी उनके बारे में और विवरण प्राप्त नहीं है। मै सारे तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं और उनको सदन के सामने रखूंगा। अगर परमाणु परीक्षण की बात सच है तो भारत ने इस संबंध में जो नीति अपनाई है, वह उसकी पुष्टि करने वाली है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : इसके जिम्मेदार आप हैं। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। दुर्भाग्यवश हमारी आशंका सच साबित हुई। यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस उपमहाद्वीप में परमाणु होड़ शुरू हो गई है, अब गंभीर चिंता का अन्य मामला यह है कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने ये परीक्षण 3.30 बजे पर किए गए। किंतु 5.30 बजे विपक्ष के एक सदस्य को इस बारे में सरकार को सूचित करना पड़ा और आप यहां बैठे रहे। इस देश में आसूचना व्यवस्था है ?

महोदय, इस देश की सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व इन लोगों को नहीं सौपा जा सकता है। वे शासन करने के लिए पूर्णतः आयोग्य हैं। एक लड़खड़ाती सरकार को सहारा देने के लिए उन्होंने इस गंभीर स्थिति को पैदा किया है जिसका सामना आज देश कर रहा है। अब इस संदर्भ में हम श्री आडवाणी के हस्तक्षेप को बहादुरी का प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते हैं। वे भारत के गृहमंत्री हैं। वे पाकिस्तान के इरादों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले के आन्तरिक सुरक्षा पहलुओं के कारण वे इस वाद–विवाद में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जब वे यहां बोल रहे थे पाकिस्तान खुशी–खुशी परमाणु परीक्षणों को अंजाम दे रहा था। यही है आपका गुप्तचर तंत्र और आप हमारी रक्षा करना चाहते है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अपने लाभ के लिए आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

श्री सत्य पाल जैन : आप तो पाकिस्तान की वकालत करके उसके विस्फोट को जस्टिफाई कर रहे हो। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यह तो एक्सपेक्टिड था। इस समय आपको सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील (बीड़) : आप इतना डर क्यों रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगी। उनकी क्या प्रतिबद्धता है? प्रतिबद्धता रोक लगाने का और सुरक्षा अस्त्र प्रदान करने की थी। इस प्रतिबद्धता के साथ आप गंभीर होती जा रही स्थिति का सामना किस प्रकार करेगें ?

महोदय, मैं राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे गए प्रधानमंत्री के पत्र का उल्लेख कर रहा हूं जब यहां श्री नटवर सिंह ने धमाका किया था और सरकार को भी कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं प्रधानमंत्री से यही जानकारी चाह रहा था । उन्होंने चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में और इन तैयारियों के बारे में उल्लेख किया है परन्तु उन्होंने डियगो गारसिया का उल्लेख कभी नहीं किया।

आप क्या डियगो गारसिया में रखे नाभिकीय शस्त्रास्त्रों से चिन्तित नहीं हैं? क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति–जिनका (सैनिक) अड्डा यहां पर है–को खुश रखना चाहते हैं। दुनियां में वह पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारतीय नागरिकों को कोई जानकारी मिलने से पहले जानकारी मिल जाती है। महोदय हम इससे सहमत नहीं हैं। यह केवल देश की गंभीर आन्तरिक स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने के प्रयास के सिवाय कुछ नहीं है।

महोदय, हमनें श्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजस्थानी पगडी पहने हुए भाषण देते देखा। क्या मैं उनके भाषण की कुछ पंक्तियों को उद्धृत कर सकता हूं? मैं इन्हें उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

> "हम यह बात साफ कर चुके हैं और फिर दोहराना चाहते हैं कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं, जिसमें एटमी हथियारों का उपयोग करने की जरूरत न पड़ें । हम किसी के खिलाफ उन हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे लेकिन अपनी रक्षा के लिए अगर तकाजा हुआ तो हम उसमें संकोच नहीं करेंगे।"

[अनुवाद]

वे इसका अवश्य प्रयोग करेंगे ...*(व्यवधान)* यह आपकी सुरक्षा का अस्त्र है। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि वे इस बम का, यदि उनके अनुसार आवश्यक हुआ तो, इस्तेमाल करेंगें। महोदय, इस विस्फोट के तुरन्त बाद एक बैठक थी। वह भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्माद की भावना पैदा कर रहे थे। उनमें उन्माद की भावना भर रहे थे और उनके माध्यम से लोगों में उन्माद भर रहे थे। यह आपका भाषण है ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण वाक्यांश का प्रयोग किया है। क्या मैं इस वक्तव्य को पढ सकता हूं ? पृष्ठ चार पर उन्होंनें कहा है : "हमारे नागरिकों का पूर्ण

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। यह न केवल इस बात को दर्शाता है कि यह निर्णय सही था अपितु यह भी कि देश एक एकाग्र नेतृत्व चाहता हैं जो उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करे। "

अब यह 'एकाग्र नेतृत्व' क्या है? वे किस बारे में बात कर रहे हैं? इसका उद्देश्य है–उन्माद फैलाना, एक महान उपलब्धि की भावना जगाना, हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर अपने आप को गौरवान्वित करना और यह कहना कि यह नेतृत्व ही है। जो ऐसा कर सकता है। इसीलिए, तैयारी आपकी नहीं थी। सब कुछ तैयार था। आपने बिना किसी से परामर्श किए, देश की सुरक्षा हालात की समीक्षा किए बिना और बिना किसी रणनीतिक, समीक्षा, जिसका कि आपने राष्ट्रीय कार्यसूची में वादा किया है, के मात्र एक दिन के भीतर एक निर्णय लिया। इसीलिए, श्री प्रमोद महाजन ने जो कहा, श्री गोविन्दाचार्य ने जो कहा और आपके संगठन इत्यादि ने जो कहा वह यह कि केवल भाजपा ही ऐसा कर सकती है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे आप देश की सुरक्षा के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु प्रश्न यह है : क्या राष्ट्र इसकी अनुमति देगा ? आपने अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इस देश के भविष्य के सामने गंभीर समस्या ला खड़ी कर दी है। ...*(व्यवधान)*

यह एकदम गलत है। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने कहा था "देश को शस्त्रास्त्रों से लैस मत कीजिए।" क्या आप हमारी उपलब्धियों का उपयोग शस्त्रास्त्रों से लैस करने में कर रहे है। यह आपने स्वीकार किया है कि आपका उद्देश्य शस्त्रास्त्रों को प्राप्त करना है। श्री चिदम्बरम द्वारा एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा गया था, वह यह कि क्या आप इन परमाणु अस्त्रों का जखीरा बनाएंगे। आपको इन सब बातों का उत्तर देना होगा। आपके रक्षा मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया था और आपके गृह मंत्री ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका उत्तर कौन देगा ?

अब एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा लगता है, यह इसका सीधा परिणाम है । मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा।

महोदय, श्री वाजपेयी इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी हैं। 1974 के विस्फोटों के पश्चात् आपातकाल आया, और 1977 उस सरकार का अन्त था। इसलिए किसी भ्रांति में मत रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस देश का भविष्य ऐसे असंख्य लोगों का भविष्य जो नौकरी, भोजन, पानी और बिजली को ढूंढ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : हम हमेशा से तानाशाही के खिलाफ रहे हैं। यदि आपातकाल लगता है, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे।

श्री एम. सेलवाराजु (नागपट्टीनम): आप मंत्री नहीं हैं। तो फिर आप उनके बीच क्यों बोल रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो उन्होंने पैदा की है, मैं कहना चाहता हूं हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। यह स्पष्ट है, महोदय, कि देश के भविष्य को इन सत्ता लोलुप लोगों के हाथों में नही छोड़ा जा सकता ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए महोदय, मैं अपना दृष्टिकोण प्रकट करता हूं कि यद्यपि यह एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि है, परन्तु देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नही किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

जैसाकि, एक अत्यंत गंभीर मामले पर चर्चा चल रही है यदि सभा की अनुमति हो तो दिनांक 27–05–98 और 28–05–98 के नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : इनके मामलों को सभा पटल पर रखा जाये।

अपराह्न 5.53 बजे

* नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) चालू सत्र के दौरान अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एसीएसएम (गढ़वाल) : केन्द्रीय सरकार ने उत्तरांचल को पृथक प्रदेश बनाने की घोषणा की है व इसके लिए बजट सत्र में विधेयक लाने का आश्वासन दिया है।

लोक सभा में विधेयक लाने से पहले, संविधान की धारा 3 के अनुसार विधेयक को राष्ट्रपति के पास जाना है व राष्ट्रपति द्वारा इसको उत्तर प्रदेश की विधायिका की राय लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजना है।

केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह सुनिश्चित करे कि यह विधेयक बजट सत्र में संसद में पेश हो जाए।

सरकार इस विषय पर आश्वासन दे।

---

*सभा–पटल पर रखे गए।

(दो) खांडसारी एककों के लिए वैक्यूम पेन प्रणाली हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की दृष्टि से चीनी मिलों के लिए आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी मिलें किसानों के कुल गन्ना उत्पादन का केवल 35 प्रतिशत ही पेराई कर पाती हैं। शेष गन्ना खांडसारी इकाइयों के द्वारा पेराई किया जाता है। जिसके कारण किसानों को खांडसारी इकाइयों की कम रिकवरी के कारण पैसा कम मिलता है। अब जबकि भारत सरकार ने खांडसारी इकाइयों को वैक्यूम पैन के प्रयोग की अनुमति दे दी है लेकिन उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मिलों के रिजर्व क्षेत्र से जो इकाइयां बाहर होंगी, वे ही इस विधि का प्रयोग कर सकेंगी। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि मिलों की क्षमता केवल 35 प्रतिशत गन्ना पेराई करने की है। इससे किसानों को विवश होकर फिर से उन खांडसारी इकाइयों को ही गन्ना देना पड़ेगा जो मिल क्षेत्र में चल रही हैं और इससे उनकी रिकवरी भी नहीं बढ़ेगी।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि गन्ना किसानों के लाभ के लिए वैक्यूम पैन के लिए चीनी मिलों के रिजर्व क्षेत्र के जो मांपदड हैं उनको समाप्त किया जाए ताकि समस्त खांडसारी इकाइयों को वैक्यूम पैन की अनुमति का लाभ मिल सके और गन्ना किसानों को वे बढ़े हुए मूल्य दे सकें। मैं यहां पर यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि चीनी मिलों के हितों के लिए तो इतना ही काफी है कि रिजर्व क्षेत्र में नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

(तीन) गोड्डा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) महोदय : गोड्डा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण जिलों में फैला हुआ है। आवागमन की सुविधा नहीं के बराबर है। इस पर भी कई द्वाव क्षेत्र हैं जहां बरसात में आना–जाना असंभव है बीमार लोगों की चिकित्सा के लिए आना–जाना तथा रोगी को ले जाना असंभव हो जाता है।

अतः ग्रामीण सड़क तथा जगह–जगह सड़क की भयंकर कमी के कारण ग्रामीण जीवन मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार बनाने में असमर्थ है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अति पिछड़े और अविकसित 16 जिलों को मिलाकर पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने अथवा इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराचंल, बिहार में वनांचल तथा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आबादी में, क्षेत्रफल में, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की दृष्टि से उपरोक्त बनाए जाने वाले नए राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के इन 16 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड के नाम से पृथक राज्य बनाए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से संसद में तथा प्रदेशों की विधान सभाओं में उठती रही है। ये क्षेत्र अपनी–अपनी राज्य सरकारों से भी उपेक्षित रहे हैं। सरकार का इन क्षेत्रों के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है और आगे भी रहेगा। इस क्षेत्र का समस्त भूभाग प्राकृतिक सम्पदा, खनिज सम्पदा से परिपूर्ण, भौगोलिक दृष्टि से उपयोगी है, संसाधनों से भरपूर होने पर भी ये क्षेत्र पिछड़ गए हैं और आज इन क्षेत्रों की हालत यह है कि यहां की 50 प्रतिशत आबादी को दो समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे बुंदेलखंड नाम से अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए अथवा सरकार इस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करे।

मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के इन पिछड़े हुए 16 जिलों को मिलाकर एक नए बुंदेलखंड नाम से राज्य बनाने के बारे में केन्द्र सरकार की नीति क्या है, इस संबंध में माननीय गृहमंत्री महोदय सदन में वक्तव्य देने का कष्ट करें।

(पांच) मध्य प्रदेश में इन्दौर-उज्जैन रेलमार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उज्जैन रेल मार्ग के विद्युतीकरण की आवश्यकता क्षेत्र के आर्थिक विकास की दृष्टि से तेजी से बढ़ रही है। इस आवश्यकता की महत्ता इस मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे यातायात से भी लगायी जा सकती है। गत कई वर्षों से यह मांग की जाती रही है। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस सम्बंध में विचार करें।

(छह) भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रोकने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रव्यापी जन वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) के द्वारा रियायती मूल्य पर आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की व्यवस्था विगत 50 वर्षों की आजादी में असफल सिद्ध हुई है। कोटा–परमिट एवं नियंत्रण

व्यवस्था द्वारा पंचायत स्तर पर स्वच्छन्द भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी बढ़ी है। आबंटित कोटे की सामग्री में से 80 प्रतिशत कालाबाजार में पहुंचा दी जाती है। और वहां दुगने–तिगुने दाम पर बिक कर आम जनता का शोषण हो रहा है। केन्द्र सरकार करोडों रुपये रियायती मूल्य आपूर्ति कराने के लिए व्यय करती है जिससे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। चीनी, गेहूं, किरोसीन तेल आदि आवश्यक वस्तुयें रियायती दर पर मुहैया नहीं हो पाती हैं शिकायत करने पर आपूर्ति पदाधिकारियों को अनुचित लाभ ही हो जाता है। बराबर बाजार भाव एवं रियायती दरों में भारी अंतर से कालाबाजारी का धंधा भी बरकरार रहता है। अतः जन वितरण प्रणाली को रद्द किया जाये। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाये। व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाये। इससे व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ब्लैक मार्केटिंग समाप्त होगा।

(सात) ऊना रेलवे स्टेशन और ऊना रेलवे खंड में उपलब्ध रेल सुविधाओं को बनाये रखने और ऊना-तलवाडा बडी लाइन का कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि. प.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय का ध्यान हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्राडगेज रेल लाइन दिल्ली–ऊना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि ऊना रेलवे स्टेशन के स्टाफ को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है। वहां स्थित बुकिंग सुविधा को बंद किया जा रहा है। ब्लाक स्टेशन का दर्जा कम करके फ्लैग स्टेशन बना दिया गया है। वहां के मैहतपुर रेलवे स्टेशन को बन्द किया जा रहा है। इसके साथ–साथ वहां बिछी एक अतिरिक्त रेलवे लाइन को उखाड़ा जा रहा है। दिल्ली से पूरी रेल के स्थान पर मात्र तीन बोगियां जाने का निर्णय लिया गया है। इन सबका मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रेलवे की सुविधाओं को समाप्त किए जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र का यातायात बाधित ही नहीं अपितु समाप्त हो जाएगा और सामान्यजन के साथ –साथ देश की रक्षा हेतु सेना में कार्यरत लाखों कर्मियों को अपने गंतव्यों पर पहुंचने के लिए रेलवे की जो थोडी सी सुविधा मिली हुई थी, वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मेरा आपसे आग्रह है कि ऊना रेलवे स्टेशन एवं इस रेल खण्ड पर उपलब्ध सुविधाओं को फिलहाल यदि बढ़ाया जाना संभव नहीं है, तो स्थिति को पूर्ववत् बनाए रखा जाए और मंत्रालय द्वारा लिए गए प्रतिकूल निर्णय का क्रियान्वयन तुरन्त प्रभाव से रोका जाए। मैं आपसे यह मांग भी करता हूं कि ऊना से तलवाड़ा तक ब्राडगेज के रुके हुए कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाए तथा इस हेतु वर्तमान वर्ष के रेल बजट में पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाए। इस बारे में प्रदेश सरकार रेलवे का हर प्रकार का सहयोग करने के लिए उद्यत है।

(आठ) चनेहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बरेली कैंट रेलवे स्टेशन किए जाने तथा बरेली के उचित विकास के लिए इस स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, बरेली नगर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जिला, व्यावसायिक और व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। जहां पर सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय और इफ्को खाद का एक प्रतिष्ठित संयंत्र कार्यरत है। सरकार ने नगर और जनपद की जनता की मूलभूत सुविधाओं को सुचारु रूप से मुहैया कराने तथा सभी संस्थानों और कार्यालयों को आगे बढ़ाने हेतु बरेली को दसवीं लोक सभा मे मैंगनेट सिटी बनाये जाने की घोषणा की थी। यहां के रेलवे स्टेशनों का समुचित विकास और रेल बढ़ोतरी आदि संबंधों कोई कार्य नही हो सका है जिसके कारण यहां के नागरिकों, व्यापारियों और व्यावसायिकों को आवागमन और अपने माल को समय पर भिजवाने और जाने तथा उसके रख–रखाव की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण काफी असुविधा हो रही है। क्षेत्रीय जनता की प्रबल मांग है कि चनेहटी रेलवे स्टेशन को बरेली कैण्ट रेलवे स्टेशन बनाकर उसमें समस्त मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे बरेली नगर का समुचित विकास संगव हो सके।

अतः मै आंवला (बरेली) का जनप्रतिनिधि होने के कारण माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जनहित में चनेहटी रेलवे स्टेशन को बरेली कैण्ट रेलवे स्टेशन बनाकर उसमें समस्त जन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस और कारगर आदेश/निदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(नौ) आंध्र प्रदेश में वर्तमान फसल बीमा योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एस. राव (मछलीपतनम) : किसानों के फायदे के लिए बनाई गई वर्तमान फसल बीमा योजना, सूखा अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कई कारणों से किसानों की फसल के न होने/नष्ट हो जाने की स्थिति में उन्हें प्रभावी सहायता नहीं पहुंचाती है। इस समय, इस योजना का आधार मण्डल है न कि गांव। आंध्र प्रदेश के छोटे–से छोटे मण्डल में भी 25 – 30 गांव है। इसका कुल परिणाम यह है कि यदि एक या दो गांवों में फसल नहीं उगती/नष्ट हो जाती है और मण्डल के सभी गांव प्रभावित नहीं होते हैं तो किसानों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इस प्रकार व्यवहारतः ऐसे किसानों जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, को लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए इस कमी को दूर करने के यह आवश्यक है कि वर्तमान फसल बीमा योजना की समीक्षा

की जाएं। इसका आधार गांव होना चाहिए न कि मण्डल। यदि ऐसा किया जाता है तो किसानों को, जिनके लिए फसल बीमा योजना बनाई गई है, अत्यधिक राहत और फायदा मिलेगा।

(दस) केरल में तटीय विनियमन क्षेत्र को उच्च ज्वार चिन्ह् से करीब 100 मीटर तथा पश्च जल तथा नदियों से 25 मीटर कम करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल लम्बे सुन्दर समुद्रतट को रखने वाला और असंख्य नदियों, झीलों, नदियों और नहरों के लिए प्रसिद्ध है। केरल का भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत सीमित है और जनसंख्या के अत्यधिक घनत्व के कारण जमीन की भारी तंगी है। तटीय विनियमन क्षेत्र समुद्र तट से उच्च ज्वार चिहन से करीब 500 मीटर तथा नदियों पश्चजलों, नहरों और नालों के किनारों के 100 मीटर के भीतर निर्माण की अनुमति नहीं देता है। इस रोक से न केवल विकास गतिविधियां प्रभावित हुई हैं अपितु पिछलें कई दशकों से तट के साथ लगी पट्टी पर रहने वाले लोगों द्वारा झोपड़ियों और छोटे मकानों का निर्माण भी प्रभावित हुआ है। नदियों और पश्चजलों के किनारे बसने वाले लोग निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक से कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न करने वाले ऊंची इमारतों, औद्योगिक एककों और बडी संरचनाओं के निर्माण पर लगी रोक में निहित सदिच्छा का स्वागत करते हुए, मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से स्थानीय निवासियों, जो कि मकान बनाना चाहते हैं के प्रति उदार दृष्टिकोंण अपनाने की अपील करता हूं इसके लिए सरकार तटीय विनियमन क्षेत्र के क्षेत्रांकन में उच्च ज्वार चिहन से करीब 100 मीटर तथा पश्चजल तथा नदियों से 25 मीटर दूरी कम करने की छूट दिए जाने के बारे में विचार करे।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में रात्रि में विमान उतरने की सुविधा वाले एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम सबसे विकसित औद्योगिक शहरों में से है। विशाखापत्तनम में इस समय भारत प्लेटस एण्ड वेसल्स, लिमिटेड, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रालियम, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, ड्रेजिंग कारपोरेशन लिमिटेड, विशाखापत्तनम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट जैसी कई औद्योगिक इकाइयां हैं। इनके अलावा, इस क्षेत्र में अन्य कई उद्योग भी लग रहे हैं तथा यह शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विशाखापत्तनम के इतने महत्व के बावजूद यह दुर्भाग्य की बात है कि यहां विमानपत्तन की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं । शहर के विमानपत्तन में बड़े विमानों के लिए रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं तथा आधार संरचना भी नहीं हैं। वर्तमान विमानपत्तन पर बड़े विमानों को उतरने के लिए हवाईपट्टी की लम्बाई बढ़ाने तथा विमान पत्तन के विस्तार के लिए विशाखापत्तनम विमान पत्तन से लगी हुई भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा सरकार की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में विदेशी निवेशकों द्वारा दिखाई जाने वाली रुचि तथा विशाखापत्तनम विमानपत्तन से आयात निर्यात करने पर बल दिए जाने के कारण भी विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विदेशी निवेशकों को देश में अन्य राज्यों की राजधानियों से सीधा संपर्क हो सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विशाखापत्तनम में रात्रि में विमान उतारने की सुविधा वाले अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना पर विचार करें।

(बारह) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए पात्रता अवधि छह माह के कारावास से घटाकर तीन माह किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : पूरा राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। हम सभी स्वतंत्रता का आंनद ले रहे हैं। इसका पूरा श्रेय स्वतंत्रता सेनानियों को मिलना चाहिए। उन्हीं के बलिदानों से हमें स्वतंत्रता मिली।

स्वतंत्रता सेनानी अपनी पेंशन स्वीकृत करवाने के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनमें से अधिकांश विशेष रूप से कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। उनके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति के लिए छह महीने की कैद होना आवश्यक है। परन्तु दुर्भाग्यवश जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी विस्तृत दस्तावेज अब उपलब्ध नहीं है। इसक अलावा, ये स्वतंत्रता सेनानी काफी वृद्ध हैं। इनमें से कई बीमार हैं तथा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन परिस्थितियों में उनसे यह अपेक्षा किस तरह की जाए कि वे दिल्ली आ सकते हैं।

अगले दो महीनों में हमारा स्वर्ण जयंती समारोह समाप्त होने वाला है। इस अवधि के समाप्त होने से पहले, माननीय मंत्री जी को स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने के लिए शीघ्र, ठोस और सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाने होंगे। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पात्रता अवधि छह महीने की कैद से घटाकर तुरन्त तीन माह कर देनी

चाहिए जिसने ये वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में चैन से जी सकें। वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का यही यथोचित समापन होगा।

(तेरह) महाराष्ट्र में नासिक में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री माधव राव पाटील : विदेशी निवेश में उदारीकरण के साथ देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ गई हैं। नासिक में भी कई बहु राष्ट्रीय कम्पनियां हैं। नासिक में लगभग 15 लाख लोग रह रहे हैं। काफी संख्या में लोग बिदेश जाते हैं तथा नासिक में व्यापार या अन्य उद्देश्यों से आते हैं। नासिक के लोगों को पासपोर्ट लेने के लिए मुम्बई जाना पड़ता है। उन्हें मुम्बई जाकर रहना पड़ता है जहां कि रहने की लागत नासिक की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए नासिक में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इस बारे में नासिक के लोगों की काफी दिनों से मांग है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि नासिक में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(चौदह) राजस्थान में जैसलमेर में विद्युत एककों को उच्च गुणक्ता वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

कर्नल सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, जोधपुर के एक भाग के अतिरिक्त मैं राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे अविकसित पिछड़े और मरुस्थलीय जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह सच है कि गैस और तेल क्षेत्रों, स्टील ग्रेड लाइम, जिप्सम लिग्नाईट, संगमरमर इत्यादि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद ये जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। महोदय, आपको विदित ही होगा कि जैसलमेर जिले में विशेषकर रामगढ़ और तानोत में काफी मात्रा में उच्च गुणक्ता वाली प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1994 और 1996 में गैस आधारित दो ताप विद्युत परियोजनाएं (19 करोड़ रूपये तथा 160 करोड़ रूपये की लागत वाली क्रमशः 3 मे. वा., 35.5 मे. वा.) लगाई गई थीं। गैस ऑथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कम ताप जनक क्षमता वाले गैस की आपूर्ति किए जाने के कारण पहली ताप विद्युत परियोजना बन्द हो रही है। गैस ऑथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली गैस घटिया किस्म की होने के कारण विद्युत इकाइयों पर खराब प्रभाव पडता है। 3×35.5 मे.वा. गैस टर्बाइन तथा 1.35.5 मे. वा. स्टीम टर्बाइन वाली 160 मे.वा. क्षमता वाली गैस टर्बाइन की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसकी लागत 555 करोड़ रुपये है जिसमें से फेज II के अतंर्गत 1×35.5 मे.वा. स्टीम टबाईन पहले ही स्थापित की जा चुकी है। गैस ऑथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड से गैस की 10 लाख एम 3 प्रति दिन की अतिरिक्त आपूर्ति का वचन देने के बाद ही शेष विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस की उपलब्धता के संकेत मिलने के बाद जून, 1997 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त आवश्यकता को पहले ही पंजीकृत कर लिया गया है। परियोजना के विस्तार के लिए 350 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए, गैस की घटिया किस्म से फेज I और II के अंतर्गत गठित परियोजनाओं का कार्य सुगमता से नहीं हो रहा है। 500 करोड़ रुपये की लागत से 1992–93 में तैयार की गई परियोजना रिपार्ट अभी तक लागू नहीं हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि अच्छी किस्म के प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समन्वय करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी करे। तानोत क्षेत्र के आसपास अच्छी किस्म के गैस के कुएं उपलब्ध हैं। वित्त मंत्रालय को फेज के लिए निधियों की आवश्यकता (लगभग 350 करोड़ रुपये) भी पूरी करनी चाहिए।

(पंद्रह) बंगला देश की सीमा से लगे क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, पश्चिम बंगाल में नवद्वीप संसदीय क्षेत्र बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ स्थित है। सीमा क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। बनी हुई कुछ निम्न वर्ग की सड़कों की सही देखभाल नहीं हो रही है। इस क्षेत्र मे सीमा की ओर जाने वाला कोई भी सही रास्ता या संपर्क सडकें नहीं बनाई गई हैं। सीमा क्षेत्र होने की बजह से वहां रोशनी तथा सडकों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु आज तक सडकों पर रोशनी नहीं है। रोशनी और सडकों की सही व्यवस्था न होने के कारण सीमा क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोग काफी आतंक और भय में जी रहे हैं। रोशनी के अभाव में इस क्षेत्र में डकैत, अपराधी, चोर, स्मगलर और असमाजिक तत्व आसानी से आ सकते हैं। गांव वाले कमी भी नहीं सो पाते। इन सीमा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के हंसखाली, धनातला, तेहाटा, करिमोर इत्यादि आते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करें ताकि समी सीमावर्ती क्षेत्रों का यथाशीघ्र विकास हो सके।

(सोलह) केरल में शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान केरल में यात्रियों को होने वाली कठिनाईयों की ओर आकृष्ट करना

चाहता हूं। लगभग सभी गाड़ियां अत्यधिक विलम्ब से आ रही हैं। कभी–कभी कुछ गाड़ियां आने में चार पांच घंटे का समय अधिक ले लेती हैं। मार्ग में दुर्घटनाएं लगातार हो रही है।

अब कोंकण रेलवे के शुरू होने से केरल से चलने वाली गाडियों की संख्या बढ़ गई है। चौकीदार रहित फाटकों के कारण दुर्घटनाए हो रही हैं जिससे यात्रियों की जानें भी जा रही हैं। पिछले दस सालों से रेलवे में निम्न श्रेणी के कर्मचारी और स्टाफ नियुक्त नहीं किए हैं। इससे ट्रैक के रख–रखाव, रेलवे स्टेशनों तथा डिब्बों में सफाई तथा अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। इसका एक ही इलाज है कि शोरानूर – मंगलौर लाइन के दोहरीकरण के चालू कार्य को युद्ध स्तर पर किया जाए। 1996–1997 तथा 1997-98 के बजटों में इस कार्य के लिए काफी थोड़ी राशि आबंटित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि इस कार्य के लिए आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता और 10 करोड़ रुपये 1997–1998 के लिए वित्त वर्ष में ही व्यर्थ हो गए। वर्तमान स्थिति के अनुसार इस काम के लिए पूरा होने में चार–पांच वर्ष लगेंगे। इससे कठिनाई बढ़ेगी। केरल में यात्री आवागमन और माल ढुलाई में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है।

अतः मेरा गारत सरकार से अनुरोध है कि शोरानूर– मंगलौर लाइन के दोहरीकरण तथा केरल में रेलवे का अन्य निर्माण कार्य करने के लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत करें।

(सत्रह) बिहार मे वैशाली जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, बिहार के वैशाली में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या एक लाख 81 हजार है जब कि 1 जून, 1997 से लागू टी. पी.डी.एस. (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अंतर्गत एक लाख 27 हजार परिवारों को ही आधा दाम अनाज की सुविधा दी गयी है। जिस कारण जिले के 50 पंचायतों में टी. पी.डी.एस. लागू हुआ ही नहीं। इसके फलस्वरूप 54 हजार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार टी. पी.डी.एस. की सुविधा से वंचित रह गए। केन्द्र के खाद्य मत्रालय के एक पदाधिकारी ने जिला मे जाकर जांच भी की लेकिन अभी तक वंचित परिवारों को योजना में नहीं लिया जा सका।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कृपा कर ऐसी कार्रवाई शीघ्र की जाए जिससे वैशाली जिला के गरीबी रेखा के नीचे के सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना में शामिल कर भूतलक्षी प्रभाव से आधा दाम पर उन्हें अनाज की सुविधा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(अठारह) चालू सत्र में लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जैसा कि प्रधानमंत्री ने वायदा किया है मैं मांग करती हूं कि लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक – तिहाई स्थान आरक्षित करने हेतु उपलब्ध करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को संसद के इसी सत्र में लिया जाए। इसे किसी भी प्रकार के बहाने से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

(उन्नीस) "टाकिंग कंप्यूटर" के लिए तमिल भाषा की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए तिरूवन्नामलाई में तन्तई पेरियार इन्टरनेशनल तमिल इन्स्टीट्यूट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : हमारे मौखिक आदेश को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए " टाकिंग कंम्प्यूटर" परीक्षणाधीन है। इस कंम्यूटर के उच्च प्रौद्योगिकी संचालन हेतु विश्व की भाषाओं में से उपयुक्त भाषा की पहचान के लिए गंभीर अनुसंधान कार्य भी चल रहा है। अंग्रेजी भाषा में समी के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं किन्तु इस भाषा को 'टाकिग कम्प्यूटर, की भाषा बनने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया है। साथ ही अर्द्धध्वन्यात्मक भाषा होने के कारण तमिल में किसी भी शब्द और वाक्य में अक्षर और उच्चारण अपरिवर्तित रहता है जिससे हर व्यक्ति के लिए तमिल लिपि को सही ढंग से पढ़ना आसान बन जाता है चाहे वह इसे न भी समझ सकता हो, तमिल का व्याकरण बहुत समृद्ध है जिसके वैज्ञानिक आधार को देखते हुए कोई भी भाषाविद् अचंभित रह जाता है। अतः भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह 'टाकिग कंप्यूटर' के लिए तमिल भाषा की उपयुक्तता का पता लगाए। इस अनुसंधान के निष्कर्षों से भारत विदेशी मुद्रा के अर्जन के साथ–साथ विश्वभर में एक उत्कृष्ठ भारतीय भाषा को बढ़ावा मिल सकता है। हमारे साफ्टवेयर निर्यात में और वृद्धि हो सकती है क्योंकि आज विश्व के प्रायः हर भाग में तमिल भाषी रहते हैं। तमिल भाषा, जो मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका की राजभाषा है, का मूल स्थान तमिलनाडु है। इसलिए मैं भारत सरकार से तमिल भाषा, भाषा विज्ञान और साहित्य पर अनुसंधान करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना का आग्रह करता हूं। इसका नाम 'तन्तई पेरियार अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अनुसंधान संस्थान' होना चाहिए तथा इसकी स्थापना तमिलनाडु के उत्तरी सीमान्त जिले में की जानी चाहिए।

(बीस) तमिलनाडु में सलेम में एक समन्वित इस्पात संयत्र स्थापित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ही पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति (पलानी) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान तमिलनाडु में सलेम में एक समन्वित इस्पात संयत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाता हूं। विद्यमान सलेम इस्पात संयत्र केवल एक री. रोलिंग मिल है। सलेम जिले विशेषरूप से गंजमलाई पहाडियों में उपलब्ध लौह–अयस्क की भारी मात्रा के उपयोग के लिए लम्बे समय से एक समन्वित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया गया है।

18वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों ने प्रमाणित किया था कि सलेम लौह अयस्क से प्राप्त इस्पात किसी भी प्रकार स्वीडन के इस्पात से निकृष्ट नहीं है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में 8 करोड़ टन से अधिक लौह अयस्क उपलब्ध है। यह लौह–अयस्क बहुत उन्नत किस्म का है और इसमें 60 प्रतिशत लोहा है। कोई दो वर्ष पूर्व तत्कालीन इस्पात सचिव ने कहा था कि सलेम में 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक समन्वित इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। किन्तु उसके बाद इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया ।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार इस्पात उद्योग में 50,000 करोड रुपये निवेश करेगी। भारत विश्व में एक प्रमुख इस्पात उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001–2002 के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 4.32 करोड़ टन रखा गया है। यह चालू वर्ष की उत्पादन संभावना से दो करोड़ टन अधिक है।

जब सरकार ने इस्पात उत्पादन का ऐसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और नौवी योजना में 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए तैयार है तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि वह सलेम में एक समन्वित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की अनिच्छुक क्यों है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने तथा सलेम मैं एक समन्वित इस्पात संयंत्र की अविलम्ब स्थापना करने के लिए चालू वर्ष में ही पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का आग्रह करता हूं।

(इक्कीस) तमिलनाडु के कोलाचल में एक मत्स्य बंदरगाह और तेंगपत्तनम में एक मत्स्य अवतरण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट पर रहने वाले मछुआरों की यह पुरानी आवश्यकता, जरूरत और मांग है। कि कोलाचल में एक मत्स्य बंदरगाह और तेगंपत्तनम में एक मत्स्य अवतरण केन्द्र स्थापित किया जाए। उपरोक्त स्थानों पर इनकी स्थापना एक अत्यन्त लोक आवश्यकता बन गई है क्योंकि उनकी मत्स्य नौकाएं के प्राकृतिक ठहराव स्थल और संचालन सुविधाएं बार–बार होने वाले समुद्री भूक्षरण से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि मछली पकड़ने के लिए वे अपनी मत्स्य नौकाओं का संचालन नहीं कर सकते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह मत्स्यन पर निर्भर हैं, किन्तु वहां मत्स्यन बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए वे तमिलनाडु के अन्य भागों, केरल और देश के अन्य राज्यों में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें स्थानीय मछुआरों के कड़े प्रतिवाद का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मैं सरकार से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोलाचल में मत्स्य बंदरगाह और तेंगपत्तनम में मत्स्य अवतरण केन्द्र की स्थापना की तत्काल आवश्यकता पर शीघ्र विचार करने का आग्रह करता हूं।

(बाइस) लिब्राहम जांच आयोग को अपनी जांच शीघ्र पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : केन्द्रीय सरकार ने बाबरी मस्जिद के दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस से संबंधित मामलों की जांच के लिए न्यायमूर्ति लिब्राहम आयोग की नियुक्ति की है। जांच के दौरान आयोग ने अनेक व्यक्तियों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों ने उच्च न्यायलय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिये हैं। लगभग चार वर्षों से उक्त स्थगनादेश जारी हैं। यह आयोग द्वारा की जा रही जांच में एक गंभीर बाधा है। सरकार का कर्तव्य है कि वह आयोग को उसके कार्य और जांच में सहायता करे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उच्च न्यायालय से स्थगनादेशों को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(तेईस) जम्मू-कश्मीर में रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने जाने की आवश्यकता

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : जम्मू–कश्मीर में रेल लाइनों के विकास को एक बड़ा आघात लगा है। रेल मंत्रालय ने राज्य में रेल लाइनों की निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने की कोई मंशा नहीं जताई है, जम्मू और उधमपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण दो दशक से अधिक समय में भी पूरा नहीं हुआ है तथा ऊधमपुर और काजीगुंड के बीच और काजीगुंड से बारामूला तक रेल लाइन का निर्माण मंत्रालय के विचाराधीन ही नहीं है, मंत्रालय ने ऊधमपुर और बारामूला के बीच संपर्क लाइन की रूप रेखा तैयार करने का कार्य भी हाथ में नहीं लिया है। रेल मंत्रालय के ध्यान में इन सब बातों और अन्य बातों को लाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है।

(चौबीस) ग्रामीण क्षेत्रों के अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लाभार्थ उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (झुंझुनू) : माननीय, मेरे संसदीय क्षेत्र

गाजियाबाद में पिछलें काफी समय से डा. अम्बेडकर के नाम से एक छात्रावास की मांग क्षेत्र की जनता करती आ रही है। गाजियाबाद मे छात्रावास न होने के कारण अनूसूचित जाति–जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र शहर में किराये के मकान में रहने में असमर्थ हैं और प्रतिदिन गांव से शहर आने के लिए बस का भाड़ा नहीं दे सकते । जिसके कारण गांव के अधिकतर छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि गाजियाबाद में डा. अम्बेडकर छात्रावास की स्थापना करने की कृपा करें।

(पच्चीस) मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में बेरोजगारो युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराम परांजपे (जबलपुर) : मान्यवर, महाकौशल में मात्र छह रक्षा उत्पादन कारखाने स्थापित हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। मिलिट्री की आवश्यकताओं हेतु सामान की आपूर्ति प्राइवेट उद्योगों के द्वारा की जा रही है। और रक्षा उत्पादन कारखानों में कार्यरत एक लाख से ज्यादा श्रमिकों एवं कर्मचारियों को कार्य का अभाव है। इसी कारण रक्षा उत्पादन कारखानों में नई भर्ती सन् 1984 से बन्द है। यही कारण है कि बेरोजगारी का बेतहाशा बढ़ना इन 20 जिलों में मात्र खेती तथा कुछ जिलों में बीड़ी बनाना ही कार्य शेष रहा है। घर–घर में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बेरोजगारी के निवारण हेतु शीघ्र ही ठोस कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

(छब्बीस) शिलांग में उमरोई हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति देने तथा इस हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. आर. किन्डिया (शिलांग) : महोदय, मैं उमरोई (शिलांग) हवाई अड्डे के विस्तार और उसका दर्जा बढ़ाए जाने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं जो पिछले कुछ वर्षों से अधर मे लटका पड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में शिलांग ही एक मात्र ऐसी राजधानी है जो अभी घरेलू हवाई नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। चूंकि मेघालय में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। इसलिए हवाई संपर्क का अभाव पर्यटन प्रोत्साहन संबंधी अनेक परियोजनाओं के लिए हतोत्साहक के रूप मे कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं को अगी अंतिम रूप दिया जाना है। इसके अलावा, शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई अन्य राज्यों का प्रवेश द्वार है और वहां पर सैनिक और अर्द्धसैनिक प्रतिष्ठान हैं। शिलांग एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र भी है जहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आते हैं।

गुवाहटी या कलकत्ता से जुड़ी एक नियमित वायु सेवा चलाने की व्यावसासिक अर्थक्षमता के बारे मे पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और इस वायु सेवा की अर्थक्षमता स्थापित हो चुकी है तथा इसकी प्रचालन अवधि इस वायु सेवा के आंरम्भ करने से एक वर्ष से कम होगी। मैं सरकार से इस परियोजना को स्वीकृत करने और आगामी बजट में इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं।

(सत्ताईस) हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और ओलों के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने और सेब का समर्थन मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किये जाने की आवश्यतकता

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानापुरी (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसानों की सारी फसलें जैसे सेब, आड़ू, खुमानी तथा सब्जियों में बेमौसमी टमाटर, मटर एवं अनेक सब्जियां नष्ट हो गई हैं तथा फलवदार वृक्षों पर जो फूल आये थे, वे भी नष्ट हो गये हैं किसानों की आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर करती है। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पिछली सरकार द्वारा सेब का समर्थन मूल्य तय किया गया था, जिसमें किसान अपना न बिकने वाला फल भी सरकार को दे देते थे, लेकिन नई सरकार ने नये समर्थन मूल्य की कोई घोषणा नहीं की है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सेब का समर्थन मूल्य पांच रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया जाये तथा साथ ही साथ जिन किसानों की फसलें, फल एवं सब्जियां नष्ट हुई हैं, उसका मुआवजा तय करने हेतु भारत सरकार से एक विशेषज्ञों का दल भेजा जाए तथा सरकार जल्दी से जल्दी मुआवजा देने की व्यवस्था करे ताकि किसान इस विकट तथा अनहोनी स्थिति से उबर सकें। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है।

(अट्ठाइस) रीवा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बहुउद्देश्यीय बाणसागर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : विन्ध्य की जीवनदायिनी बहुउद्देशीय वाणसागर सिचाई परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1977–78 मे किया था। तब अनुमान लगाया गया था कि यह परियोजना दस वर्षों के भीतर पूरी हो जायेगी। लेकिन आज 20 वर्ष से ऊपर हो गए,

लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नहीं हुई। बांध का काम करीब पूरा हो गया है। कैनाल का कार्य अभी भी बाकी है। क्योटि कैनाल और पूर्वी कैनाल का काम बंद पड़ा है जबकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली नहरों का काम प्रगति पर है। बरसात में तीन महीने बिजली निर्माण का काम भी होता है। केवल थोड़ी सी राशि के कारण इतनी बड़ी राशि जो खर्च की जा चुकी है, का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश को विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब बाणसागर परियोजना को पूर्ण कराकर रीवा संभाग (विन्ध्य) जहां देश का सबसे कम सिंचाई का रकबा है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(उनतीस) मध्य प्रदेश में बढती हुई बिजली की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में अतिरिक्त ताप बिजली घर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वर्तमान समय में विद्यमान विद्युत संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां उत्पादन क्षमता की तुलना में विद्युत की मांग काफी अधिक है तथा निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही है। जहां देश के अन्य भागों में विद्युत का संकट है वहां मध्य प्रदेश में विद्युत का भारी संकट है जिससे औद्योगिक व कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। मैं विद्युत संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1996 में टैंथ पावर सर्वे में जो अनुमान लगाए गए हैं। उनके अनुसार 1998 तक विद्युत की मांग की तुलना में कुल विद्युत उत्पादन लगभग 400 मैगावाट कम होगा और और इस 400 मैगावाट की पूर्ति के लिए अतिरिक्त 600 मेगावाट ताप विद्युत के उत्पादन की व्यवस्था 1998 तक करें ताकि आदिवासी ग्रामों में औद्योगिक विद्युत संकट दूर हो सके।

(तीस) उत्तर प्रदेश में महराजगंज फरिंदा मे गणेश चीनी मिल को पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज) : उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, फरीन्दा (उ.प्र.) में स्थित गणेश शुगर मिल लगभग तीन–चार वर्ष से बंद पड़ी है। मिल के बंद होने के परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को शीघ्र ही मिल को चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उक्त मिल को पुनः चलाने पर अधिकतम एक करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। यदि सरकार इस मिल को स्वयं न चलाए तो इसे निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मिल को शीघ्र पुनः चलाने की व्यवस्था करे जिससे मिल के बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए हजारों कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

(इकतीस) खुले बाजार में सभी प्रकार के कोयले की बिक्री करने और रिजेक्टेड कोयले की बिक्री हेतु उचित दर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में रिजेक्टेड कोल एवं सलरी का काफी मात्रा में भंडार होता जा रहा है और सलरी का कुछ हिस्सा उड़कर बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण फैला रहा है। इनके दाम काफी ऊंचे रखे जाने के कारण बिक्री नहीं होती। इसी प्रकार कोयला का मुक्त बाजार में बिक्री नहीं होने के कारण कोल उद्योग में अनियमितताएं व्याप्त हैं। दोनों सहायक कम्पनियां घाटे में चलने के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में नाकाम है।

अतः सरकार से आग्रह है कि कोयले की बिक्री खुले बाजार में की जाये एवं सलरी और रिजेक्टेड कोल की बिक्री एक आदर्श एवं उचित दर पर सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन को निर्देशित किया जाये। साथ ही साथ सलरी एवं रिजेक्टेड कोल की बिक्री न करने के कारण कम्पनी में बढ़ते घाटे के लिए प्रबंधन के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

(बत्तीस) देश में किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, किन्तु दुर्भाग्य से देश का यह विराट कृषक वर्ग अनेक कष्टों के साथ कड़े परिश्रम के बावजूद अनिश्चित भविष्य और अभावों से जूझ रहा है। देश के इस "अन्नदाता" को इन कष्टों से उबारने के लिए सरकार को शीघ्र ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को फसल का भरपूर उचित मूल्य समय पर मिले, कृषि का बीमा कराया जा सके तथा प्राकृतिक आपदाओं से फसल की हानि होने पर किसान को पूरा वाजिब मुआवजा मिले तथा कृषकों की भूमि किसी कारण सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की जरूरत होने पर किसान को उसका पूरा मुआवजा मिले, किसान को अच्छा बीज व खाद साधारण दामों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा किसान को न्यूनतम दर पर कृषि के लिए बिजली उपलब्ध करानी चाहिए, तभी कृषक वर्ग देश में खुशहाल हो सकेगा।

[अनुवाद]

(तैंतीस) बरहमपुर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर उसे 10 किलोवाट का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर

बनाने और वहां दूसरे चैनल ट्रांसमीटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, बरहामपुर दूरदर्शन रिले केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे एक उच्च शक्ति का रिले केन्द्र बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित पड़ा है। बरहामपुर को दक्षिण उड़ीसा का मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केन्द्र समझा जाता है। यह उड़ीसा का तीसरा बड़ा नगर है। हर तरह के लोग इस नगर में रहते हैं।

बरहामपुर और पैरालेखेमुण्डी में स्थित वर्तमान दूरदर्शन रिले केन्द्र उस नगर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। बरहामपुर रिले केन्द्र में केवल 100 वॉट की क्षमता वाला निम्न शक्ति का ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इस रिले केन्द्र में लगे हुए अधिकतर उपकरण पुराने और अप्रचलित हैं। इसलिए कार्यक्रमों के प्रसारण में अधिकतर रुकावटें आती रहती हैं।

चूंकि दूरदर्शन लोगों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय संचार माध्यम है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसके प्रसारण का लाभ देश के हर कोने में रह रहे लोगों को मिलना चाहिए । उस संदर्भ में मैं अपील करना चाहूंगा कि पैरालेखमुंडी और बरहामपुर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर वाले दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे 10 किलोवाट का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर केन्द्र बनाया जाए और वहां दूसरे चैनल ट्रांसमीटर की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

(चौंतीस) उन्नाव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं पिछले चार–पांच वर्षों से मेरे जनपद उन्नाव में एक चीनी मिल लगाये जाने की मांग करता आ रहा हूं, क्योंकि क्षेत्र के गन्ना किसानों को चीनी मिल न होने के कारण बहुत दूर–दूर अपना गन्ना ले जाना पड़ता है, जिसके कारण किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और इससे परेशान होकर बहुत से किसानों ने गन्ने की फसल उगानी बंद कर दी है। क्षेत्र किसान व प्रतिनिधियों को बार–बार शिकायत की गई। मैने स्वयं नियम 377 के द्वारा कई बार इस मामले को सदन में उठाया है।

अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उन्नाव जनपद में एक चीनी मिल लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान करें।

(पैंतीस) कपड़वंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुजरात में वृदावन स्थित औद्योगिक एकक के कारण उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंह जी चौहान (कपड़वंज) : मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कपड़वंज के राष्ट्रीय राजपथ नं. 8 के वृन्दावन नामक स्थान में स्थित गुजरात अम्बुजा प्रोटीन्स लिमिटेड उद्योग प्रतिष्ठान की ओर दिलाना चाहता हूं कि उक्त उद्योग प्रतिष्ठान द्वारा अत्यन्त ही हानिकारक और बदबूदार गैस निष्कासित होता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लगभग 20 कि.मी. वातावरण अत्यन्त प्रदूषित हो चुका है। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र के काफी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। फैक्ट्री द्वारा छोड़े गये विषाक्त बदबूदार गैस, एवं निष्कासित प्रदूषित पानी के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और आए दिन बहुत संख्या में पशुओं के भी मरने के समाचार मिलते रहते हैं। फैक्ट्री के पास ही विद्यालय होने के कारण इस बदबूदार हानिकारक गैस का बुरा प्रभाव छात्रों एवं अध्यापकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उक्त प्रतिष्ठान को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया था, परंतु उक्त प्रतिष्ठान कुछ अवैध रूप से कार्य करने के कारण उक्त फैक्ट्री पुनः खुल गयी है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस संदर्भ में जांच करवा कर पर्यावरण एवं प्रदूषण कानून के तहत शीघ्र कार्यवाही करने की महती कृपा की जाए।

[अनुवाद]

(छत्तीस) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु बी जी एम एल की स्वर्ण खानों को बंद न करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, कोलार गोल्ड फील्ड में चरणबद्ध तरीके से स्वर्ण खानों को बंद करने से कोलार जिले के लोगों के बीच, विशेषकर कि बंगारपेट रार्बटसोनपेट, एन्डरसोनपेट, उरीगांव और कोलार गोल्ड फील्ड के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी दुःख पहुंचा है। इससे हजारों खान श्रमिक बेरोजगार हो जायेगें। लगभग तीन लाख लोगों की रोटी–रोजी इन स्वर्ण खानों पर निर्भर करती है। स्वर्ण खानें बंद हो जाने से यह लोग बेरोजगार हो जायेगें । स्वर्ण रूपी यह खनिज केवल के. जी. एफ. की विभिन्न खानों में उपलब्ध है बल्कि यह आसपास के इलाकों मे भी पाया जाता है। अतः मैं माननीय इस्पात तथा खान मंत्री से अनुरोध करूगां कि वे किसी भी हालत में बी जी एम एल की स्वर्ण खानें बंद न करें।

(सैतीस) राजस्थान के चुरू जिले में सादुलपूर में सेना भर्ती केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री का ध्यान राजस्थान के अपने लोक सभा क्षेत्र चुरू के नगर सादुलपूर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां से सेना में अन्य भागों की तुलना में सबसे ज्यादा जवान भर्ती होते है और वहां के रणबांकुरे रक्षा सेनाओं में भर्ती होकर देश सेवा करने का सर्वोत्तम मनोबल एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। वहां पर पांच हजार से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं। इसी से अनुमान लगा लीजिये की सादुलपुर की जनता में सेना एवं देश के प्रति कितना आदरभाव है ?

महोदय, मुझे अत्यन्त खेद के साथ मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना पड़ रहा है कि सबसे अधिक जवानों की भर्ती वहां से होने के बावजूद या मैं यूं कहूं वहां से लगभग हर परिवार में से एक व्यक्ति सेना में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना होने के बावजूद वहां पर सेना का एक भी भर्ती केन्द्र नहीं है। मेरी आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से मांग है कि सादुलपुर जिला चुरू–राज में सेना का एक स्थाई भर्ती केन्द्र खोला जाए।

(अड़तीस) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में तुर्कपट्टी से कथित रूप से चोरी हुई प्राचीन ''सूर्य प्रतिमा'' को पुनः प्राप्त करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में तुर्क पट्टी स्थान पर हजारों वर्ष पुरानी सूर्य प्रतिमा थी, इसे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की मदद और प्रदेश सरकार से प्राप्त धन से निर्मित एक विशाल मंदिर में स्थापित किया जाना था। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रतिमा की विश्व बाजार में करोड़ों में कीमत आंकी गयी थी। प्राचीन पुरातत्व से प्राप्त मूर्तियों का रख–रखाव पुरातत्व विभाग का दायित्व है। स्थानीय लोगों ने वर्षों पहले खुदाई में इसे प्राप्त किया था। गत माह इस दुर्लभ सूर्य प्रतिमा की चोरी हो गई और अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इंटरपोल के जरिए इस दुर्लभ सूर्य प्रतिमा को ढूंढ कर उस स्थान पर स्थापित करावें।

(उन्तालीस) उत्तर प्रदेश में इलाहबाद में कन्धईपुर गांव में 27.5.1998 को हुई नाव दुर्घटना में मृतकों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम कंधईपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कल दिनांक 27.5.98 को सुबह 6 बजें गंगा नदी में नाव पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिसमें 8 शव बरामद हुए हैं। एक लड़की जो 13 वर्ष की है उसका शव बरामद नहीं हुआ है। ऐसी आकस्मिक दुघर्टना पर मा. प्रधानमंत्री जी शोक संतृप्त परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चालीस) बुनकरों के हित को ध्यान में रखते हुए उनसे हैण्डलूम कपड़ा खरीदने हेतु तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपाल (अराकोनम): महोदय, मैं तमिलनाडु के बुनकरों की समस्या से सभा को अवगत कराना चाहता हूं। कृषि के बाद बुनने का व्यवसाय हमारे राष्ट्र का मुख्य व्यवसाय है। तमिलनाडु में तीस लाख से अधिक लोग बुनने के व्यवयाय में लगे हुए हैं। अब यह पता चला है कि लगभग 600 करोड़ रु. के हैण्डलूम कपड़े पर काम रुका पड़ा है। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कपड़ा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु को पर्याप्त धनराशि जारी करें अर्थात् हैण्डलूम कपड़ा खरीदने के लिए 300 करोड रु. की धनराशि जारी करें। तमिलनाडु में बुनकरों की दशा अच्छी नहीं है। वे दो जून रोटी को तरस रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वे उनके राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋणों को माफ कर दें।

(इकतालीस) अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने हेतु कानून बनाये जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : माननीय, विदेशों में रहने वाले अनेक अनिवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि अर्थात भारत से भावनात्मक लगाव होता है। वे भारत में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन यहां भी नागरिकता न होने के कारण उन्हें सम्पत्ति का स्वामित्व न मिलने का खतरा बना रहता है। हमारे देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से अब यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करुंगा कि वे अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का कानून बनायें।

(बयालीस) कर्नाटक में हवेरी रेल फाटक पर ''अन्डरग्राउंड'' पुल पर वर्षा के मौसम में पानी का ठहराव रोकने के लिए सड़क की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता

श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, कर्नाटक में हवेरी रेल फाटक पर अंडरग्राउंड पुल की सड़क के निर्माण कार्य में कमी रह जाने के कारण वर्षा के मौसम में पानी के जमाव से यातायात प्रभावित होता है। अतः इस सड़क की तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें।

अपराह्न 5.53 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इस चर्चा के लिए केवल छः घंटे का समय आबंटित किया गया है। अब तक सदस्य छः घंटे और पैंतीस मिन्ट का समय ले चुके हैं। अन्य 16 सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहमपुर) (प.बं.) : कृपया सभा का समय बढाइए।

अध्यक्ष महोदय : सूची में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्षों सहित वरिष्ठ सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, नए सदस्यों को भी अवसर देना चाहिए। अब तक केवल वरिष्ठ सदस्यों को ही अवसर दिया गया है और मेरे विचार में यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा का निर्णय हो तो प्रधानमंत्री अपना जबाव अपराह्न 8 बजे देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

डा. सुब्रह्म्ण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, हम पाकिस्तान में हुई नई घटनाओं के बारे में अच्छी तरह समझना चाहते हैं। हम उसके प्रभावों पर विचार करना चाहेंगे। अतः, इस पर कल चर्चा की जाए।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को कल बोलने का अवसर दें ताकि वे सभी प्रतिक्रियाओं को देख सकें और हमें कल सही सूचना दे सकें।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता तथा अन्य सभी सदस्यों से एक अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा अनुरोध यह है कि अब तक हमने भारत द्वारा नाभिकीय परीक्षण पर चर्चा की है।

अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान ने दो परीक्षण अर्थात् दो परमाणु बमों के विस्फोट किए हैं। अब यह देश के तथा इस संसद के हित में होगा यदि हम इस पहलू पर भी विचार करें। अतः आपसे, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विपक्ष के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे आज चर्चा समाप्त करने का बजाय इसे कृपया एक दिन के लिए और बढ़ा दें। *(व्यवधान)*

श्री शरद पंवार (बारामती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक चिन्ताजनक समाचार है जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। वास्तव में, हम इस प्रकार के समाचार की उम्मीद कर रहे थे। मैं महसूस करता हूं कि यही समय है जब हमें पूर्ण एकता दिखाने की आवश्यकता है। अब भारत से बाहर भिन्न-भिन्न संकेत प्रदर्शित करने अथवा भेजने का समय नहीं है। यह सदन कल भी बैठेगा। हमें घबराना नहीं चाहिए। हम किसी भी स्थिति का सामना करने में पूर्णतः सक्षम तथा पूर्णत समर्थ हैं और हम इस मामले पर कल चर्चा करेंगे। हम इसके गंभीर परिणामों पर भी चर्चा करेंगे और हमें इस विशिष्ट विषय पर पूर्ण सम्मति हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पंवार ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण के समाचार से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। इस परिस्थिति के बारे में इस सदन को गहराई से और गम्भीरता से विचार करना चाहिए । अभी तक हम, जैसा कि पाटिल साहब ने कहा, भारत के परीक्षण पर चर्चा कर रहे थे। अब पाकिस्तान का परीक्षण भी हो गया है। उसका क्या रूप है, वह कितना बडा परीक्षण है, इसके बारे में अभी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। मगर तथ्य प्राप्त हो जायेंगे और सारे तथ्य प्राप्त करने के बाद हम इस पर चर्चा करें, यह बहुत जरूरी है। लेकिन चर्चा गम्भीरता के वातावरण में, शांति के वातावरण में और दृढता के वातावरण मे होनी चाहिए। हमारे जो घर के मतभेद हैं वे अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर चुनौती बाहर की है तो उस चुनौती का सामना करने के लिए सारा सदन, सारा देश एक है, यह भाव आना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, कल सुबह सवा बारह बजे रेलवे बजट है। या तो ऐसा करें कि रेलवे बजट के बाद, लंच ऑवर के बाद दो या ढाई बजे आप इस पर चर्चा का टाइम तय कर लें।

[अनुवाद]

श्री शरद पंवार : हम रेल बजट के बाद चर्चा कर सकते हैं। कोई

घबराने की बात नहीं है। हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के समय दौरान चर्चा कर सकते हैं। जिसे स्थागित किया जा सकता है। हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है। जब तक कि हम इन परीक्षणों के परिणामों तथा प्रभावों की जांच परख नहीं कर लेते, हमें इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करनी चाहिए । कल हमें इन दोनों मामलों पर चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एक घंटा और बैठ सकते है तो बैठ ले, नहीं तो इसे कल करिये। एक घंटा और बैठ जाइये। सात बजे तक तो अभी कर लें, जितना डिसकशन हो सकता है अभी एक घंटा कर ले। उसके बाद देख लेते हैं। अभी 6 से 7 बजे तक एक्सटेंड कर लें, और जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वे बोल लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय अपराह्न 7 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : आप सभा को स्थगित करें। हम कल इस चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा करेंगे। यह एक चिन्ताजनक स्थिति है। हम कल बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। हमें उन्हें बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, छः बजे से सात बजे तक, एक घंटा हम सदन का समय बढ़ा लें और इस बढ़े हुए समय में जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे अपनी बात कह लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उन्हें बोलने दीजिए। इसलिए मैं अब श्री वैंको को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन सभी मामलों को सभापटल पर रख दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं आपसे आज सभा स्थगित करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि हमें सारी सूचना एकत्रित करनी है कि पाकिस्तान में क्या हुआ। हम इन दोनों मामलों पर एक साथ चर्चा करेंगे। तथ्य तथा आंकड़े हमारे समक्ष होने चाहिए। अन्यथा, हम इस मामले पर कैसे चर्चा कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, जो बात पाटिल जी ने कही है वह सही है और जो भाव शरद जी ने रखे है जिनका प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है, उन परिस्थितियों का तकाजा है कि यह चर्चा आज यहीं समाप्त कर दी जाए। आज आप सदन को एडजर्न करें। नई परिस्थितियों में कल हम चर्चा प्रारम्भ करें, तो आज के भाषण का जो टोन और टैनर है, और नई परिस्थितियों में जो कल चर्चा होगी उसका टोन और टैनर बिलकुल अलग होगा। इसलिए सदन को आज यहीं एडजर्न करिए, कल तक के लिए सदन को एडजर्न करिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या करना है।

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरण (तिरुअनन्तपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें घबराना नही चाहिए। हमें कम से कम एक घंटे तक चर्चा जारी रखनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 29 मई 1998 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 29 मई, 1998/8 ज्येष्ठ, 1920, (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।